

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राज्यकिञ्चान्त के मूल सिद्धान्त

संग्रह

श्री व्योति प्रसाद सूद
अध्ययन, राज्यविज्ञान
मेस्ट कॉलेज, मेरा

तथा

श्री ब० न० मेहता, एम० ए०
अध्ययन, राज्यविज्ञान तथा इन्हि
बलभन्त राज्यूत कॉलेज

द्वितीय खण्ड

लालमीनारायण अ
प्रकाशक एवं पुस्तक
हाउसिटल रोड, आ

‘आ’ सभी
उपयोगी

ब० न० मेहता

प्रथम सस्वरण १६५१
द्वितीय सस्वरण १६५३
सरोधित सस्वरण (दो खण्डो में) १६५६
सर्वाधिकार मुरक्षित

। प्रधानवः ।

लद्दमीनारायण अग्रवाले
आगरा ।

विषय-सूची

राजनीतिक धरांश

ग्रन्थाय	पृष्ठ
१ प्रभुत्व—महात्मावाद (Monism) एकान्तवाद (Monism)	१
२ कामून (विधि) ३४
३ स्वतन्त्रता और समानता ५७
४ अधिकार ७७

वर्तमान युग की राजनीति

<u>५ व्यक्तिवाद</u> १७
<u>६ उपयोगितावाद (Utilitarianism)</u> १
<u>७ आदर्शवाद</u> ११
राजनीति में मनोवैज्ञानिक गंभीरता १७५
<u>८ समाजवाद</u> १८८
<u>९ फ़ेसिज़म</u> २०३
<u>१० साम्यवाद</u> २२३
<u>११ सिएइवेसिज़म</u> २४७
<u>१२ गिल्ड-समाजवाद (श्रेणी-समाजवाद)</u> २५५
<u>१३ भ्राराजनीतिवाद</u> २६५
<u>१४ भाधीवाद</u> २७५
<u>१५ विश्व-राजनीति पर प्रभाव तथा गते शक्तियों</u> ३०१

राजनीतिवारणाएँ

अध्याय १

प्रभुत्व

अद्वैतवाद (Monism) तथा वहुवाद (Pluralism)

प्रभुत्व को प्रहृति—

आधुनिक राज्य प्रभुत्वसम्पर्क गत्य है। प्रभुत्व राज्य का एक प्रभुत्व विषयात्मक कागज है। एक जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक कि वह ऐसे आनन्दित समाज का विकास न करते हों जो नागरिकों से आदेश दे सके और उनका पालन करवा सके। राज्य को जनता के मामलों का नियन्त्रण एवं नियमन करने की भवित्व सत्ता भी होनी चाहिये। इसके अनिवार्य यह सत्ता बाहरी विषयन्त्रण से मुक्त या प्रायः मुक्त होनी चाहिये। इस प्रस्ताव स्थापित जनता की सत्ता पर बाहरी विषयता भीतरी विषय प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये। राज्य का यह लक्षण प्रभुत्व (Praveshayagata) यहलाता है (इसका तात्पर्य यह है कि “प्रथम राज्य में कोई व्यक्ति, परिषद् या गमुदाव (वृथा, निर्वाचन मण्डल) द्वारा, जिसमें होना चाहिये इच्छा को कालून के रूप में अभिव्यक्त करने तथा उसे लाए रखने र्ती गर्वन्त गता हो अर्थात् उसे ग्रांट देने वाला उसका पालन करने र्ती ग्रन्ति गता हो।”^१ गारांश में, इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम राज्य में एवं ग्रांटनिति गता होनी ही जिसके कानूनी रूप में, ग्रन्ति ग्रांटन होने हैं जिनका वह सार्वजनिक हित की दृष्टि से नियमन एवं नियन्त्रण कर गता है। इस प्रभुत्व के कारण अपनी सीमा के भोक्तर राज्य समन्वयकियों एवं संस्थाओं से उच्च होना है और उनके व्यवहार एवं नियमन करने के लिये नियम तथा कानून निर्धारित कर गता है जिनका उच्च पालन करना पड़ता है। विरोध होने पर राज्य की इच्छा वो हो मानवता दी जानी है। उसका ग्रांट ग्रन्ति होता है। अपने प्रभुत्व के कारण ही राज्य उत्तराधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का

¹ Gorner : op. cit., p. 155.

आदिस्थोत है जिनका नागरिक भीग करते हैं। इसी प्रभुत्व के कारण वह उमात्र में एकमात्र कानून बनाने वाली भूता है और कानूनी तथा गैर कानूनी के भेद का स्रोत है। कानून का स्रोत होने के कारण प्रभु अपने बनाये हुए कानून वे; ऊपर होता है और इसी कारण अर्थामित होता है। सर्वोच्च होने के कारण वह महाराजा अमृदेश देना है परन्तु इसी से यादेश प्राप्त नहीं करता। उसकी इच्छा को कोई कानूनी गीमा नहीं है। उसके बनाये हुए कानून सही गम्भीर जाने हैं जोह मामाजिस हित वही हैटि में उनका मूल्य बुद्ध भी हो। लाल्को के शब्दों में, जिस वस्तु का वह इरादा करता है वह दरादे की प्राप्तगुमान से हो टाँक गम्भीर जानो है। सर्वो में, इसका यह ग्रथ है कि उमात्र में गम्भ से घड़र कोई ऊँची या बड़ी सत्ता नहीं है।

अद्वैतवाद (Monism) —

राज्य-प्रभुत्व के कर्मों कम दो पहलू बनाये जाते हैं: आनन्दरिक और वाक्य। जो कुछ ऊपर कहा गया है वह उसका आनन्दरिक पहलू है। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि राज्य को अपने समस्त व्यक्तियों एवं समुदायों को विना रिसी शर्त के आदेश देने का और उनमें उनका पालन करवाने का अधिकार है। वाक्य प्रभुत्व का ग्रथ 'स्वतंत्रता' शब्द में अधिक अच्छी तरह प्रस्तु होता है। उसका ग्रथ है कि अन्तरोद्वाय होने में एक राज्य को विना रिसी उनमें राज्य के हस्तनेप के अपनी नीति निर्धारित करने और कायं करने की स्वतंत्रता है। रिसी राज्य को दूसरे राज्यों को उनके रिसीनों न समझने में आदेश देने का भी इधरिकार नहीं है। प्रत्येक राज्य के राज्यों के नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिये। वह केवल अपना इच्छा से हो वैधा रहता है। इस प्रसार राज्य के प्रभुत्व में दो धारों स्पष्ट हैं—ग्राम की सीमा के भीतर समस्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर उसकी भव्योपरि सक्ता और विदेशी नियन्त्रण में मुक्त। पहला पहलू वो दों की व्याख्या में स्पष्ट हो जाता है। उसने कहा है कि नागरिकों तथा प्रजा पर कानून ने अमर्दादित राज्य की भव्योपरि गता। ता नाम प्रभुत्व है। जेलिवेक ने अपनी परिभाषा में इसे पहलू पर ज़ोर दिया है। प्रभुत्व 'राज्य' का यह विशेषता है जिसके कारण राजनीति से वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त अन्य इसी इच्छा द्वारा अपना अपनी भूता के अतिरिक्त अन्य रिसी उत्ता द्वारा मर्यादिन नहीं है। वर्गों में प्रभुत्व को परिभाषा निम्न प्रकार की है: "वह समस्त व्यक्तियां एवं संस्थाओं पर

मौलिक, निरपेक्ष और अर्थामित सत्ता है।” “यह आदेश देने तथा उसका पालन कराने की अग्राप्त एवं स्थतन्त्र सत्ता है।” इस परिभाषा में प्रभुत्व की निरपेक्ष तथा अर्थामित प्रकृति पर जोर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि राज्य को कानून बनाने तथा अपने पूर्ण बल से उनका अमल करवाने की सत्ता प्रभुत्व है। इस सिद्धान्त को जिसके अनुयार समाज में राज्य की ही एकमात्र सर्वोच्च सत्ता होती है प्रभुत्व का अद्वैतवादी या एकवादी सिद्धान्त (Monistic theory) रहते हैं।

प्रभुत्व का इतिहास—

राज्य के प्रभुत्व का (कानून) सिद्धान्त आधुनिक है। यह राज्य-विजात की सबसे महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय विषय रामर्याद विवाद में इसका प्राधान्य है। अरस्तू की ‘पॉलिटिक्स’ पुस्तक में प्रभुत्व शब्द कही नहीं है और न इसका प्रयोग रोमन विचारकों ने ही किया। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे इस धारणा से परिचित नहीं थे। अरस्तू ने राज्य का सर्वोच्च सत्ता (Supreme Power of State, की चर्चा की है। रोमनों ने भी सर्वोच्च सत्ता (Summa potestas) का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट है कि वे राज्य में सर्वोच्च सत्ता की आवश्यकता का अनुभव करते थे। किन्तु ऐसी सर्वोच्चता, जिसी उन्होंने कल्पना की, आधुनिक प्रभुत्व-सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। रोम तथा यूनान में ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें प्रभुत्व के आधुनिक सिद्धान्त का ग्राहिकाव सम्भव होता। राज्य तथा व्यक्ति एवं संस्थाओं के बीच उस समय विरोध नहीं था और यह विचार कि राज्य ही कानून का थोन है, यूनान में विश्वामान नहीं था। वहाँ राज्य कानून के अधीन था। मध्य-युग में राज्य के लिये कोई भावना नहीं थी और घेन्ट्रीय सत्ता पर कोई एक-स्व-निर्भरता नहीं थी। एक प्रदेश में सत्ता कुछ प्रतिद्वन्द्वी संस्थाओं के बीच वितरित था। उस सुग में चर्च, रोमन सम्भाट, सामन्त तथा व्यापारिक संघ व्यक्तियों पर अपने-अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिये प्रयत्नरोल थे। ऐसी स्थिति में प्रभुत्व-सिद्धान्त के प्रादुर्भाव के लिये कोई अनुकूल अवसर ही नहीं था। मध्य-युग के अन्त में उस समय की अव्यवस्था में समाज में शान्ति एवं व्यवस्था की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय राज्यों (National State) का उदय हुआ। इन राज्यों के एकत्रित अधिकार का दावा किया। इसके लिये यह आवश्यक था कि शासक लोग पोप, सामन्तों और स्वशा-

सित नगरों की सत्ता रा निपेध करते। इन प्रकार आन्तरिक तथा बाह्य प्रभुत्व के मिदान का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हु यह शासक (Monarch) का प्रभुत्व था, राज्य का नहीं। वहाँ वहाँ यह शासक के प्रभुत्व में राज्य का एवं प्रभुत्व विधायक तथ्य माना जाने लगा। बोद्धाँ ने ईश्वरी गद्वी में गवर्नर प्रथम राज्य प्रभुत्व का दृष्टि विचरण प्रभुत्व किया। उसके अनुमार प्रभु का मुख्य कार्य बानून बनाना है। प्रभु को अपने निमित्त बानूनों ने ऊपर बनलाइर उसने प्रभुत्व को निरपेक्ष बना दिया। उसने इतना अधस्य स्वीकार किया कि प्रभु (Sovereign) ईश्वर विधान तथा प्राहृति निवाम से अध्य है और वह ईश्वर के गमक अथवे गमस्त कृत्यों के लिये उत्तरदायी है। बोद्धा ने तो आन्तरिक प्रभुत्व रा प्रतिपादन किया और ग्रोटियस ने उसके बाहरी पहलू पर जोर दिया किन्तु लोक-प्रभुत्व (Popular Sovereignty) के मिदान परन नो बोद्धाँ ने और न ग्रोटियस ने और न बाद में हॉब्स तथा लॉर्ड ने ही कोई प्रकाश डाला। रूमो के 'मामान्य इच्छा' के तिदान में ही लोक-प्रभुत्व के आधुनिक सिद्धान्त का विचार हुआ। इस मिदान के आधुनिक व्याख्यारागों में ओम्बिन, ग्रीन और चौसनके प्रमिद हैं। ओम्बिन ने इम पर कानूनी दृष्टि से विचार किया और राज्य के भानूनी प्रभुत्व के मिदान की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या की। ग्रीन तथा बोसनके रा विचेचन दार्शनिक अधिक था। ग्रीन ने ओम्बिन के मत और नमों के मत में गामत्रस्य म्यापिन बरने का प्रयत्न किया। हाल में प्रभुत्व के परम्परागत मिदान की तिमर अनुमार राज्य निरन्तर और सर्वशक्तिसम्पन्न माना जाता है बहुतादी लेखकों ने बड़ी तीव्र आलोचना की है। उन्होंने परम्परागत मिदान में विलक्षण विपरीत राज्य की नई भावना प्रभुत्व की है।

प्रभुत्व के लक्षण—

परम्परागत मिदान के अनुमार राज्य प्रभुत्व के निम्नलिखित लक्षण माने गये हैं : (१) असामता, निरपेक्षता अथवा निरंकुशता, (२) एकता, (३) अनन्यता अथवा वर्जनशालता, (४) सर्वज्ञापनता, (५) म्यापित्व और (६) अविच्छेदनता।

(१) निरपेक्षता—

राज्य का प्रभुत्व निरपेक्ष अथवा अर्गीम होता है। इसका अर्थ यह है कि समाज में प्रभु से महान् और कुन्ती अन्द कोई सत्ता नहीं होती। प्रभु को भानून बनाने की सत्ता पर कोई प्रतिवन्ध या रिस्ता प्रसार का भानूनी

मर्यादा नहीं है यद्यपि प्रभु स्वयं उन कानूनों में ऊपर है। यह बात आँगिटिन के मिदान में सर्वथा स्पष्ट है। उसने यह माना है कि निश्चिन मानव-प्रभु गमन कानूनों का बोत है और इस कामण उस पर हिंगी उच्छानून द्वारा कोई मर्यादा नहीं लगाई जासकती। राज्य में प्रभुत्व गमन अधिकारियों की कोई एक सीढ़ानुमा शृंखला नहीं हो सकती। कानूनी दृष्टि में यह मिदान मानना ही पड़ेगा कि प्रभु कानूनी भूमि में अनियंत्रित है। यह मानना कि प्रभु पर भीतरी या बाहरी हिंगी वजा गता का नियन्त्रण है, स्वयं प्रभुत्व का नियेष होगा। यह सर्वथा रिंगार्डान्कि होगा।

अनेक व्यक्ति इस ग्रन्तिमित प्रभुत्व के मिदान को न्यायालय नहीं करते। वे हिंगी अनेक बातें हमारे गताने पेश करते हैं जो यह मिदान करती है कि राज्य की अगोद गता जैसी कार्ड चीज़ नहीं है। प्रभुत्व भीतर में व्यक्तियों तथा समूहों के अविकारों, देवों कानूनों की मर्यादाओं, न्याय भी भासना, धार्मिक विधि-नियेष आदि तथा परम्परा में स्थापित लोकाचार एवं देशाचार में सीमित है। संसार में आज तक पेसा कोई भी मन्दस्वाचारी शासक नहीं हुआ और न कभी हो सकता है जो सर्वथा अनियंत्रित गता का उपयोग करता हो। तुर्की के मुलान और स्स के ज्ञान भी ग्रन्ते-अपने देश के लोकाचार के विपरीत नहीं चल सके। जो राज्य ने निकु विचारों की उपेक्षा करता है और नागरिकों के धार्मिक व्यापारों में हस्तक्षेप करता है उसका नाश हो जाता है। प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक स्थान में गाय की मत्ता उसके आदेशों की अवधा की सम्भावना के रागत भीमित रही है। भारत में ब्रिटिश पार्लिमेंट की मत्ताएँ कानूनी दृष्टि में ग्रन्तिमित थीं किन्तु वह भारतीय जनता की इच्छा के विकास भारत पर कोई सविधान नहीं लाद सकी। इस विचार में कई लेपक प्रभुत्व को 'भीमित' करना पर्यन्द करते हैं।

एक अर्थ में राज्य का प्रभुत्व भीमित कहा जा सकता है; जिन प्रतिवर्त्यों की चर्चा ऊपर की गई है वे वास्तविक हैं। न्यायालयार्थी ने स्वेच्छाचारी शासक भी अपनी प्रजा की मौगियों को अधिक गमय तक नहीं दुक्ष भरता। प्रत्येक सभ्य गाय को मदाचार तथा न्याय के मिदानों को मान्यता देनी पड़ती है और उनका आड़र करना पड़ता है। मनुष्य के प्राणिति तथा जन्मगिद्ध स्वत्यों के कारण भी प्रभुत्व पर जो प्रतिवर्त्य उत्पन्न होते हैं, वे भी वास्तविक हैं। किन्तु इन गमन प्रतिवर्त्यों के गमयन में गवर्नर बड़ी आपत्ति यह है कि वे कानूनी नहीं हैं। वे उसी सीमा तक

राज्य का लिट क्षमताराता है, जिस सोमा तर वह उन्हें स्पोकार करता है। वे गवर्नर द्वारा स्वयं आसीपित हैं। जो प्रतिवन्धि इसी अकिंद्रारा स्वयं ग्राफ्टे उपर लगाया जाए, वह बास्तव में प्रतिवन्धि नहीं बहा जा सकता क्योंकि जब वह चाहे तथा उसे हटा सकता है। और गवर्नर के अनिवार्य ऐसा कौन है, जो इन बातों का निर्णय कर सके कि गवर्नर ने इन नैनिक मध्यांदियों का उल्लंघन किया है या नहीं। अतः हम गार्नर के हस कथन में महमत है कि बानूनी दृष्टि में भूमिकालै धार्यव भूमि शास्त्र-प्रभुत्व की मध्यांदियों नहीं है। “प्रहृति के नियम, गवान्वार के मिदान, डेवरीय नियम, मानवता तथा विषय बुद्धि के आदेश, लोकमन का भय तथा प्रभुत्व पर अन्य तथा कथित प्रतिवन्धों का कोई भी बानूनी प्रभाव नहीं है। यह प्रभाव केवल उसी समय आएगा जो सोमा तर है जहाँ तर राज्य उन्हें स्पोकार कर लेना है और उन्हें अमल में लाना है” अतः हमें इसी नियर्थ पर पहुँचना पड़ता है कि गवर्नर प्रभुत्व पर कोई बानूनी प्रतिवन्धि नहीं है। गार्नर ने लिखा है कि—“जब तक हम उस गति तक नहीं पहुँच जाने जों बानूनी स्प में असीमित है, तब तक हमें प्रभुत्व का साकात्कार नहीं होता।” आौस्टिन ने कहा है कि बानून द्वारा सीमित गवांदिय सना विरोधान्वित है।

ऐसे भी मिदान हैं जो असीमित प्रभुत्व के मिदान का गणेशन अपने इन मनव्यों के आधार पर करते हैं कि वह नागरिकों की स्वतन्त्रता पर प्रतिकूल है; इसमें राज्य संचयान्वारा घन जायगा; आज की भित्ति में गम्भीरों ननाश्रीरों की मानवता देने की अपेक्षा नागरिक स्वतन्त्रता पर अविकृ जोर देने की आवश्यकता है। यह आत्मप्रांहगां श्रान्ति ने बारता किया जाता है। सर्वप्रथम, यह मिदान नार्मिक स्प में हम हम नियर्थ पर पहुँचता है कि वह राज्य का बानूना ग्रविशार है कि वह अपने अर्धांत प्रजा के गमन स्वापारों पर नियन्त्रण करते। इसमें राज्य का ऐसा रखने का नैनिक अविराम समाविष्ट नहीं है। समस्त राज्य में राज्य की नैनिक अधिकार-सीमा दें परं व्यक्तिगत जापन रा क्षेत्र स्पृहृत है। दूसरे यह समझना भी कठिन है कि राज्य रा प्रभुत्व नागरिकों का स्वतन्त्रता के दैर्घ्ये प्रतिसूल है। जिनमा कि आगे दिल्लीया जायगा, रा-व रा प्रभुत्व नागरिकों की स्वतन्त्रता रा रिंगर्धी न होकर उसकी नर्दशा अनियाय शुरू है। अब में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता की जों चांत गंस्टर में डालती है वह ग्राम्य वीं अनियन्त्रित गति है—राज्य की गता नहीं। यह मिदान राज्य के प्रभुत्व का प्रतिगादन करता है, शासन के प्रभुत्व का नहीं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भावात्मक दृष्टि से प्रभुत्व अर्सीमित है। इसके विशद् जो आपत्तियाँ उठाईं गई हैं, वे भ्रान्तिजन्य हैं। इन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि कानून-निर्माण के क्षेत्र में जिसमें प्रभुत्व के सिद्धान्त को विशेष रूप में लागू किया जाता है, यह बात केवल मैदानिक रूप में ही सत्य है। कानून-निर्माण करने वाली सम्पत्तियों का व्यवस्था में ऐसी मत्ता ग्रवश्य होनी चाहिये जिसने ऊपर कोई उच्च मत्ता नहीं हो और जिसमें क्षमता इस प्रकार आवश्यक स्पष्ट से असीमित हो। इन्तु व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्रों में अर्सीमित प्रभुत्व का विचार अवान्तविक है। बहुत गी यातें ऐसी हैं जिन्हें करने की कानूनी हाई ने राज्य को क्षमता है परन्तु जिन्हें वह बान्धव में कर नहीं सकता।

(२) एकता अथवा अविभाज्यता—

प्रभुत्व का एकता में प्रयोजन यह है कि उसकी हम सदौ में विभाजित नहीं कर सकते। वह सदैव अविभाज्य ही रहता है। प्रभुत्व का सार दृष्टा की सर्वोच्चता में है और राज्य के भीतर केवल एक ही सर्वोच्च दृष्टा हो सकती है। यदि एक ही राज्य में दो अधिकारियों द्वारा प्रभुत्व-सत्ता का प्रयोग किया जाता है, तो वह एक राज्य नहीं, दो राज्य हैं। एक लेखक केल्हाड़न ने जोरदार शब्दों में कहा है कि—“प्रभुत्व समृद्धि चोज है; उसे विभाजित करना उसका नाश कर देना है। वह राज्य में सर्वोच्च सत्ता है। ग्रांड-प्रभुत्व का बान करना वैमा ही है जैसा आवे वर्ग अथवा आवे त्रिभुत्र का बान करना।”

प्रभुत्व की अविभाज्यता उसकी असीमता का अनिवार्य परिणाम है। विभाजित प्रभुत्व उसी प्रकार विरोधोक्ति है जिस प्रकार कानूनों में भवोदित प्रभुत्व। वो लेखक राज्य की असीमता का विरोध करते हैं, वे उसकी एकता का भी निपेद्ध करते हैं। वे विभाजित प्रभुत्व का बाने करते हैं। इस प्रकार लेखिल ने लिखा है कि एक ही राज्य में दो प्रभुत्वसम्पन्न अधिकारी एक ही प्रत्ता को आदेश दें सकते हैं इन्तु भिन्न मामलों में। लॉईं का भी विचार है कि दो भमन्त्र अधिकारियों के बीच प्रभुत्व का विभाजन हो गता है। ऐसा संघ-राज्य में होता है। सहृदयासन सहृदीय विषयों के सम्बन्ध में प्रभुत्व-सत्ताओं का प्रयोग करता है और स्थानीय या राज्यों के शासन राज्य के मामलों में प्रभुत्व-सत्ताओं का प्रयोग करते हैं। इन्तु इन मामलों में जिस मत्ता का विभाजन किया गया है, वह राज्य-प्रभुत्व नहीं, शासन सम्बन्धी मत्ता है। एक ही प्रभुत्व-सत्ता अनेक रूपों में प्रकट

होती है। अहु गव्य में जनता नी भवेंच इच्छा सहीय विकास के सम्बन्ध में अहु-शामन के द्वारा अभियक्त होती है और राज्यों के विषय के सम्बन्ध में राज्यों के शामन द्वारा। प्रभुत्व इच्छा की सर्वोच्चता है; यद्यपि उसका विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि इच्छा का विभाजन नहीं हो सकता। बहुवादा सेसक प्रभुत्व को गव्य तथा अन्य समुदायों के वीच विभाजित भरते हैं। इस विचार सा समर्थन नहीं हो सकता। समुदाय राज्य के समर्तता नहीं हो सकते, व राज्य के आधीन ही रहते हैं, चाहे उनके स्थान शामन का छेत्र बिना हो विस्तृत हो। बहुवाद को पुर्णतः अमल में लाने में राज्य सा ही घन्ता हो जायगा।

(३) अनन्यता—इसका अर्थ यह है कि गव्य में एक ही प्रभु सका हा गठनी है।

(४) सार्वभौमता—प्रभुत्व की वह विशेषता जिसके कारण गव्य के भीतर गभी व्यक्ति एवं सहयोग^५ उसकी अधीनता में रहती है, सार्वभौमता बहलानी है। कोई भी व्यक्ति या सहयोगके नियन्त्रण में सुकि पाने सा अधिकार नहीं रखता। इन्हु इसके कुछ अपवाद भी हैं। वैदेशिक राजदूत तथा व्यापारिक प्रतिनिधि, किसी राज्य के भीतर में निकलनी हुई विदेशी सेनाएँ, विदेशी राजा जैसे अस्पाली व्य से उस राज्य में रह रहे हों, अन्तर्राष्ट्रीय शिकाचार के अनुसार उस राज्य की प्रभुत्व नता के नियन्त्रण में मुक्त होते हैं। समा-कभा एक निर्बल राज्य अपना गीमा के अन्दर रहनेवाले किसी गव्य भाष्ट के नागरिकों द्वा रेखा अधिकार दे दता है जिसके द्वारा वे आपने हा राज्य के कानूनों में वाच्य होता है। ऐसा अवस्था भ निर्बल राज्य का प्रभुता वा उत्तराधिकार होता है। यिन्हें उच्च वर्गों नहीं ऐसी मिथि दम्पत् जाती थीं परन्तु अब ग्रामः नहीं रही।

(५) स्थायित्व—राज्य के स्थायित्व के सम्बन्ध में हम आज्ञा प्रसादी दालना चुनू रहे हैं। यद्यपि प्रभुत्व के स्थायित्व के सम्बन्ध में अधिक प्रसादी दालना अविश्यक नहीं है। इस गुण के कारण तब ना राज्य कानून रहता है तब नर उसका प्रभुत्व भी विवरण डायम रहता है। किसी प्रभुत्व सत्तारागी रहे मृत्यु के कारण प्रभुत्व रा अन्त नहीं हो जाता। वह तुरन्त ही नदीन उनराधिकारी को प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित वाच्य का यही वास्तविक महत्व है: 'राजा सा स्वर्गवास हो गया; राजा निराश हो।' (The King is dead; long live the King)।

(६) अविच्छेद्यता—प्रभुत्व को अविच्छेद्यता (Inalienability) का अर्थ यह है कि राज्य अपनी प्रभुत्ता का स्वागत अपना विनाश किये दिना नहीं कर सकता। प्रभुत्व राज्य का प्राण है। उसका स्वागत करना आमह या करता है। प्रभुत्व दिया जा सकता है या नहीं यह प्रश्न पहले बढ़ा महत्वार्थी था। अब इसका कोई महत्व नहीं रहा।

इस बात को यदा ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रभुत्व के उपर्युक्त लक्षण कानूनी अधिकार वैध प्रभुत्व के ही हैं। प्रभुत्व को कानूना भावना उससी अनेक भावनाओं में फैल गए हैं। अब हम उन अन्य भावनाओं पर विचार करेंगे।

प्रभुत्व के विभिन्न अर्थ—

यह वास्तव में नितनीय बात है कि राज्य का एक मुख्य तत्त्व होते हुए भी प्रभुत्व शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं।

नाममात्र का प्रभुत्व (Nominal Sovereignty)—प्रभुत्व के विविध अर्थों का स्पष्टीकरण उंप नम्य अच्छी प्रकार हो जायगा, जबकि हम इसी वास्तविक राज्य के सम्बन्ध में विचार करें। विदेश का ही प्रश्न है। वहाँ कौन प्रभु है? माधारणे व्यक्ति उत्तर देगा कि राजा ही प्रभु है। राजकीय भाषा में भी इंग्लैंड के राजा को प्रभु (Sovereign) कहा जाता है। जब अतीतकाल में इंग्लैंड के राजा को वास्तविक सत्ता प्राप्त थी तभी से ऐसा प्रयोग होने लगा। आज इंग्लैंड के राजा को वास्तविक सत्ता प्राप्त नहीं है, उससी खत्ता नाममात्र की है। वह राज्य का नाममात्र या प्रभु है। उससी वास्तविक सत्ता अन्यथा है। एक पद के रूप में ही राजा को प्रभु कहा जाता है। हम प्रकार का प्रभुत्व नाममात्र का प्रभुत्व है।

कानूनी प्रभुत्व (Legal Sovereignty)—जो मध्यक्षियों पर लागू होने वाले कानून बनाने की मध्यांच मत्ता को प्रभुत्व का मुख्य लक्षण मानते हैं वे तुरन्त ही कहेंगे कि पालामेंट अधिकार राजा सहित पालामेंट डी प्रभु है। इस प्रकार का प्रभु कानूनी प्रभु है और इस प्रकार के प्रभुत्व को कानूनी प्रभुत्व कहते हैं। यह राज्य-प्रभुत्व को एक चर्चाल की कल्पना है। यह राज्य में प्रभु और मध्यांच नियामक में प्रकृतपता मानता है। इसके द्वारा जिस कानून की घोषणा की जाती है वहा राज्य का कानून होता है और मध्य नागरिकों पर बन्धनकारी होता है। न्यायालय उसी कानून पर अमल करते हैं जिसका कानूनी प्रभु निर्माण करता है। उससी

राजन बनाने की गता पर रोड़ मर्यादा नहीं होती। कानूनी दृष्टि से प्रिटिश पालीमेंट गवर्नर्शिप शाली है। जैसा दायरी का कथन है, 'वह एक वाला जो पूर्ण वरम्ह घोषित कर भर्ती है, वह मृत्यु के खाद इसी भी व्यक्ति को।' गजदारी सिद्ध कर मर्ती है, वह दोगली मन्तान को आंतरर मन्तान बना मर्ती है और यदि वह उचित समझे तो इसी व्यक्ति को अपने ही मामले में नायाधीश बना मर्ती है।' ऐसे रोड़ भी नागरिक अधिकार नहीं हैं जिन्हें वह रद न कर सक।

कानूनी प्रभु मदैव निश्चित और स्पष्ट होता है। वह एक शासन, (जेन एक्सेन्यर राज्य में) या एक परिषद् (जैसे प्रजातन्त्र में) ही मर्ता है। परिषद् बड़ी हो या छोटी, इसी भी ममत उसमें एक निश्चित मछ्या में शदृश होते हैं। इस प्रकार कानूनी प्रभु एक निर्दिष्ट मानवी गता होता है। वह निश्चित स्पष्ट में मग्निं और कानून द्वारा स्वीकृत होता है। यहीं कानूनी भाषा में राष्ट्र की इच्छा जो घोषित कर मर्ता है। मन अधिकार उसी में प्राप्त होते हैं। इसी भी व्यक्ति को इसके सिद्ध अधिकार नहीं होता। कानूनी प्रभु सर्वोच्च और निरपेक्ष होता है।

राजनीतिक प्रभुत्व (Political Sovereignty)—एक अर्थ में इन्हलैंड में प्रिटिश पालीमेंट सर्वोच्च नहीं है यद्यपि इन्हलैंड में ऐसो कोड़ मर्ता या अधिकारी नहीं है जो पालीमेंट के निर्णय को रद कर सके या जिसके मत या निर्णय से उसे मानना पड़े; इन्हुंने उसके पाठ एक गता है जिसके बादेश वा उसे पालन करना पड़ेगा और अन्य में जिसी इच्छा प्रिटिश राज्य में प्रवान होता है। वह निर्माचनमरडल अथवा लोकमन का चल या जनना की शक्ति है। इमलिये यदि इसे गता के अन्तिम आश्रय का नोड भरनी है, तो इसे करना प्रभुत्व तक पहुंचार ही नहीं ठरह जाना चाहिये। हमें अपना दिलेपण आगे बढ़ाना चाहिये और प्रभुत्व की संतोष करनां चाहिये जिसके मामले कानूनी प्रभु भी ननमस्तक होता है। उसे राजनीतिक प्रभु रहने हैं और उसकी गता राजनीतिक प्रभु ये कहलाती है।

कानूना नथा राजनीतिक प्रभु में भेड़ तो स्पष्ट है जिन्हुंने तब राजनीतिक प्रभु का मायना ना एक निश्चित स्पष्ट देने का प्रयास किया जाता है तो बड़ा उटिनाड़े उपरिथन होती है। राजनीतिक प्रभु को लोकमन मानना उचित नहीं है वर्तीं प्रजातानिक देश में निर्वाचित दिधान मरडता ही लातच्छ्रा वा व्याल्याना भाना जाता है। इसका अर्थ तो यह होता कि जो वामपक्ष में कानूनी प्रभु है, वही राजनीतिक प्रभु भी है। इसके अनि-

रिक्त लोकमत ऐसी बस्तु है जो स्थायी नहीं होना। वह सदा किसी न किसी बात से प्रभावित होनी रहती है और बड़ी चश्मल है। जनता को भी राजनीतिक प्रभु मानना उचित नहीं होगा क्योंकि वह भी धर्माधिकारियों, जमीदारों अथवा सैनिकवादियों के प्रभाव में हो सकता है। ऐसी अवस्था में जनता नहीं वरन् वे व्यक्ति हों जो राजनीतिक प्रभु बन जायेंगे। जब निवानन्द-भण्डल को राजनीतिक प्रभु मान लेने ही तब भी ऐसी ही फटिनाइयाँ पैदा हों जानी हैं। जहाँ मनदान जनता के एक भाग न कहीं सीमित होता है, वहाँ मन न देनेवाला विशाल जन-समुदाय भी मनदानाओं पर अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार या कटिनाइया के कारण वीरुद्ध लेखक राजनीतिक प्रभुना को बल्यना से व्यर्थ मानते हैं। इस प्रकार लीकॉफ का कथन है कि राजनीतिक प्रभुत्व के लिये “जिननी हो अधिक सोज की जाती है, उनना ही वह अधिक दूर देश पड़ता है।” यों देखने में तो राजनीतिक प्रभुत्व का विचार अन्यथिक विषेषपूर्ण और तारिक प्रतीत होता है किन्तु इसका अधिक पर्याप्त वरने पर यह एक राजनीतिक ‘आदि कारण’ बन जाता है; जिसका भौतिक विशाल का नरह राज्य विशाल के ढेत्र में व्याख्या नहीं की जा सकती। ऑस्टिन की निश्चित वानूनी भावना के बाहर सर्वत्र भ्रान्ति हीं भ्रान्ति देख पड़ती है। आधुनिक राज्य में जिन व्यक्तियों को कानून निर्माण करने को असंभित भक्ता होनी है, वे निर्दिष्ट और स्पष्ट होते हैं किन्तु जिस व्यक्ति या व्यक्ति-भण्डल में वास्तविक सत्ता होती है वह विश्लेषण करने पर अव्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार गेंडल का कथन है कि कानूनी प्रभु के पीछे राजनीतिक प्रभु की गोज के लिये प्रयास करने में प्रभुत्व की भावना न पष्ट हो जाती है और प्रभुत्व के बल अनेक प्रभावों का ढेर रह जाता है। नूँकि राजनीतिक प्रभु असंगठित, अनिश्चित और कानून के लिये अपनिश्चित होता है और राज्य को इच्छा को कानूनी भाषा में प्रकट करने को चाहता उसमें नहीं होता इसलिये उसकी बल्मना राज्य-विशाल के लिये अधिक उपयोगी नहीं होना। उससे केवल एक ही उपयोगिता है कि वह लौकिक प्रभुत्व (Popular Sovereignty) के लिये मार्ग तैयार करता है जो आधुनिक प्रजानन्द की आधार-शिला है।

लोक-प्रभुत्व—

खेच्छाचारी एकतन्त्र या अल्पजनतन्त्र में, अनिश्चित होते हुए भी, राजनीतिक प्रभु का अस्तित्व हो सकता है और वह कानूनी प्रभु पर

अपना प्रभाव भी डाल सकता है। परन्तु प्रजातन्त्र में उसमें विस्तृत होने का प्रयत्नि होता है और वह मामूलिक रूप में जनता के साथ अभिन्न हो जाता है। तो मिदान्त अनिम राज सत्ता को जनता में मानता है, उसे लोक प्रभुत्व का मिदान्त कहत है। वह मिदान्त बोरोप के इतिहास में समय समय पर प्रस्तृत हुआ और मिटा है। गोम के राजनीतिक विचार में एक भूत था कि साजर ने अपना पड़ तथा सत्ता अनिम रूप में रोम से जनता से प्राप्त की। परवर्ती भूष्य सुग में पादुआ के भारतोलियों तथा ग्रोम के विलियम ने इस पर जोर दिया। अठाहरवीं शताब्दी में सूर्यों ने बड़े जोर से साथ इससा प्रतिपादन किया और तभी में वह प्रजातन्त्र का एक आधारभूत एवं मौलिक मिदान्त बन गया है। समस्त प्रजातन्त्रों देश में यह माधारणतया माना जाता है कि जनता हीं राजनानिम भना रा अनिम समर्पिता है।

लोक प्रभुत्व का मिदान्त वहा ग्रोमपर्स प्रतीत होता है किन्तु जब उसे हम निरिचत रूप देने का प्रयत्न रखते हैं तो ग्रोमर बठिनाट्या गामने गयाती है। राज्य का अनिम प्रभु 'जनता' नहीं है, इससा निर्व्यव बरना मरल नहीं है और वह किस भाव में प्रभु है, इससी व्याख्या करना और भी उठिन है। तथा गम्भीर ग्रमंगदित जनता जिसमें विशदों तथा बालक भी सम्मिलित है, प्रभु है? इससा उत्तर है—'नहीं'। ग्रमंगदित जनता कभा एक प्रभु के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यदि हम 'जनता' में नायद मनदानाश्रा में लैं, तो भी यह स्पष्ट है कि वे भी प्रभु नहीं हो सकते, जब तक कि वे राजन द्वारा स्वीकृत माम्यम में अर्वान् अपने निवांचित प्रतिनिविदियों के द्वारा कार्य न करें। मनदानाश्रा द्वारा ग्रनियमित दग में किया गया निर्णय उस प्रकार भावना नहीं माना जा सकता जोमें विवान मण्डल के गुहान्या द्वारा स्वाहृत किया गया गैर मरणाग प्रत्याप। यदि हम नक्क द लिये यह मान भी ले कि किया ग्रनियमित भाव में निवांचर प्रभु है, तो वा उनसी और म प्रभुत्व-सत्ता का प्रयाग निर्गमन नहीं हो सकता, वे प्रदक्ष प्रस्तुत पर अपना निर्णय नहीं द सकते। प्रभुत्व ना गैर्दि प्रोग कि व जाने की वश्चु है किन्तु निर्वाचक ना गम्य प्रस्तुत पर ही कार्य करत है। ग्रन. वह स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रों राज्य म दूसरे गद्द के बिना भा प्रचलित ग्रथ म निवांचका का प्रभु नहीं माना जा सकता। इनक उन्हीं राज्यों में जहाँ किया गया भावृत्त द्वारा ग्रोमृत कानूनों पर जनता का मन ग्रनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाता है अथवा जनता को इनका

यनते का ग्रारम्भिक अधिकार (Initiative) है या जहाँ सामान्य इच्छा को व्यक्त करने के लिये जनता एकत्रित होती है, लोक-प्रभुत्व की भावना की उपलब्धि होती है।

इन्हुं अप्रत्यक्ष जनतन्त्रवाले वडे राज्यों में भी लोक-प्रभुत्व के सिद्धान्तों को पुर्णतः अस्थोकार नहीं किया जा सकता। यदि इसमें मायता नहीं होती तो इसे प्रजातन्त्र का आधार नहीं मान लिया जाता। इसका अर्थ यह जनता चाहिये कि राजनीतिक गत्ता ना एकमात्र मत्ता स्थोत जनता है आगे नममत गत्ता का उद्गम जनता से ही होता है। वह (जनता) प्रभुत्व-गत्ता ना प्रयोग स्वयं नहीं करती बरन ऐसी गत्ता ना प्रयोग समाज में ज़िम्म मस्था द्वारा होगा वह जनता की मद्भावना और उससी अनुमति पर ग्राधारित होगी। जनता विधान मण्डल के कार्य में तथा नीति-निर्माण के कार्य में भाग चाहे न ले इन्हुं उसे ममत्व वेद्ध मत्ता का स्थोत मानना चाहिये। इस अर्थ में यह सिद्धान्त ग्राह्य है और असाध्य भी है। डॉ आशीर्वादम् ने इस सिद्धान्त के निम्नलिखित परिणाम बतलाये हैं —

(न) शासन का अस्तित्व स्वयं अपने हित के लिये नहीं, जनता के हित ने लिये है।

(न) यदि जनता की इच्छा की जानबूझ कर उपेक्षा की जाय, तो क्रान्ति की सम्भावना रहती है।

(न) लोकसत् की कानूनी रूप में अभिव्यक्ति के लिये सरल साधन प्रस्तुत करने चाहिये।

(न) शासन को निम्नलिखित साधनों द्वारा जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाना चाहिये जैसे समय-समय पर निर्वाचन, स्थानीय समग्री, जनमत उंग्रह, जनता द्वारा कानून का ग्रारम्भिक निर्माण तथा प्रतिनिधियों का वापस इलाना (Recall) आदि।

(न) शासन को अपनी सत्ता का प्रयोग देश के कानून के अनुसार ही करना चाहिये, स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं।

राष्ट्रीय प्रभुत्व—

फैमिज्म ने राज्य का एक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। यह लोक-प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता और उसके स्थान पर राष्ट्र (Nation) के प्रभुत्व का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धान्त का यह अभिप्राय है कि राष्ट्र के बल व्यक्तियों के समूहमात्र से कुछ अधिक है; वह एक रहस्यमय एकता है जिसमें अनीत, वर्तमान तथा भावी सन्तानि का भी समावेश रहता है।

उसी व्यक्तियों सी इच्छाओं से भिन्न अपनी इच्छा होती है। यह इच्छा प्रजातन्त्रीय विद्यान् द्वारा माना हुई लोह-इच्छा या ग्राम्य इच्छा से भी भिन्न होता है। राज्य के रूप में समर्थित राष्ट्र ही प्रभु है। राष्ट्र के हितों विधि व्यक्तियों के हितों में जब सवार्य या विरोध हो तो राष्ट्र का हित ही सर्वान्वित होना चाहिए। इस विद्यान् के अनुसार अन्ति राज्य की पूर्ण अधीनता में रहते हैं। यह विद्यान् लोक-प्रभुत्व के विद्यान् के, जिसमें व्यक्ति के मूल्य का इतना महत्व है और जो प्रजातन्त्र का मूल्य आधार है, गवर्या विपरीत है।

कानूनों पर वास्तविक प्रभुत्व —

कुछ लेखकों ने योनिर वर पर आधारित प्रभुत्व और जाननी अविभार पर आधारित प्रभुत्व में भेद माना है। पहले को वास्तविक प्रभुत्व (De Facto Sovereignty) और दूसरे को वैध प्रभुत्व (De Jure Sovereignty) कहते हैं। यह भेद कानून इत्यादि में स्पष्ट होता जा सकता है। जब कोई विद्या या अपहरणकर्ता पुराने शासक को बलपूर्वक राज्यमिहायन में उत्तर रख सकती अपनी शक्ति के साथ शासन करने लगता है तब उन वास्तविक प्रभु माना जाता है। हिन्दूराज जननीयों के वैनिक राज्यपाला राष्ट्राधि शासन उनके मन् १६५८ ई० में १६८५ ई० तक हॉल्ड राजा नाथों का वास्तविक प्रभु रहा। कानून में अमानुल्लम के प्रतायन न बोल देया भक्ता अकागानिम्नान का वास्तविक प्रभु था। जो प्रश्न अपना नहा तो नविपाल या जानन पर आधारित रहता है और जनता का अनुमति में शासन रखता है, यह वैध प्रभु कहलाता है। ग्राम्य प्रृथिवी यह है कि धारेधारे होना पर हो जाने हैं। जो वास्तविक प्रभु होता है वह वैध प्रभु बन जाता है जब उसके द्वारा निर्मित नियमान का कानून को जनता स्वास्थ्य कर लेता है। अद्वीर्यानिया पर इटला के गजा वा प्रभुत्व आरम्भ में वास्तविक या नियुक्त जन गवार के गव्य राज्यों में विजय सर्वान्वार करता, तब वह वैध प्रभुत्व हो जाता।

ओन्टिन द्वारा भेद को अन्योनास रखता है। उसके अनुसार प्रभु नहीं होता है व्यापि प्रभु को इच्छा हो जाती है। यह भेद शासनों के सम्बन्ध में लागू हो जाता है जो वास्तविक और वैध हों गए हैं। इस प्रसार का भेद करना गलत नहीं है परन्तु इसका ठीक महत्व नहीं है।

आँस्टिन का प्रभुत्व-सिद्धान्त—

प्रभुत्व के द्विन रूपों का हमने विवेचन किया है उनमें से राज्य-विज्ञान की हाइ से कानून तथा लोक-प्रभुत्व हो सबसे अधिक महत्व के हैं। अर्थात् गम्भीर में पहले इस सिद्धान्त का विवेचन अनेक पिनारकों ने किया है जिनमें बोदौं, हांडम तथा वेन्यम के नाम प्रमिद्द हैं। इसका मर्यादात्म विवेचन उत्तोमवी शतान्द्रों के त्रैप्रेज विद्वान जान आँस्टिन ने किया है। उसने इसके सम्बन्ध में लिखा है कि “यदि एक निर्दिष्ट थेट मानव, जो इस प्रसार के किसी अन्य थेट मानव के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त न हो, किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देना है और वह अभ्यस्त रूप से उसका पालन करता है, तो उस गम्भीर में वह निश्चित मानव प्रभु होता है और वह समाज (उस थेट व्यक्ति ‘सहित’) राजनीतिक तथा स्वतन्त्र समाज होता है।” प्रभुत्व को वह परिभाषा उससे कानून की उस परिभाषा पर आधारित है जिसमें उच्चतम व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को दिये गये आदेश को कानून माना गया है। आँस्टिन ने आगे यह भी लिखा है प्रभुत्वमपन्न व्यक्ति या संस्था द्वारा स्वतन्त्र राजनीतिक समाज के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या परोद्ध रीनि से जो युद्ध भी आदेश दिया जाय उनके अनिरिक्त कानून और युद्ध नहीं है।

इसे ठोक-ठोक समझने के लिये इस पर्यान का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है। (१) प्रभुत्व सत्ता प्रत्येक राजनीतिक समाज के लिये आवश्यक है व्योंकि उसके बिना कोई कानून नहीं हो सकता और कानून के अभाव में कोई राजनीतिक समाज नहीं हो सकता। (२) यह प्रभु सदैव निश्चित होता है चाहे वह एक व्यक्ति हो या संस्था। इसके द्वारा प्रभुत्व के अस्तित्व को अनिरिक्त जन-समाज में या अव्यक्त सामान्य इच्छा में मानने वाले तिद्दान्त का लगाड़ हो जाता है। (३) इस निश्चित थेटम भाव के आदेश वा समाज का अधिकांश अभ्यस्त रूप से पालन करता है। इन प्रकार प्रभुत्व का जनता द्वारा आदेश-पालन से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। जिस समाज का बहुमत प्रभु के आदेश का पालन करने का अभ्यासी नहीं होता उसमें वह स्थगित हो जाता है। (४) मानव प्रभु को समस्त नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिये। उसे समाज के अन्दर या बाहर किसी अन्य मानव से आदेश प्राप्त करने का प्रबन्ध सत्ता नहीं होना

चाहिये। उसके ऊपर और कोई नहीं होता, वह सर्वोच्च होता है। प्रभुत्व असीमित और निरपेक्ष होता है। (५) कानून प्रभु का आदेश होता है। प्रभु को जो इच्छा होती है, उसी का नाम कानून है। समाज के लिये स्वतन्त्र रूप से कानून बनाने की सत्ता प्रभुत्व का मुख्य लक्षण है। चूँकि कानून प्रभु की इच्छा के अभिव्यक्ति है इस कारण कोई भी कानून उसके लिये बन्धनकारी नहीं होता। प्रभुत्व कानूनी हाई से असीमित है। यह उदैय स्मरण रखना चाहिये कि ऑस्ट्रिन ने यह कहाएँ नहीं माना कि प्रभु को सत्ता पर कोई भीतिक, नैतिक, वीदिक या सामाजिक प्रतिबन्ध नहीं है। उसने बेवल राज्य के कानूनी नियंत्रण प्रभुत्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

ऑस्ट्रिन के सिद्धान्त की आलोचना—

उपर्युक्त सिद्धान्त वो प्रत्येक वात को तीव्र आलोचना की गई है किन्तु उन सबमें कुछ सत्यांश अवश्य है। इस सिद्धान्त के विषद् सबसे पहली आपत्ति यह की जाती है कि यह पूर्वी साम्राज्यों पर और आधुनिक राज्यों पर भी लागू नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रिन ने विय प्रकार के प्रभु (Sovereign) का प्रतिपादन किया है, उसका अस्तित्व हम कहीं भी नहीं पाते; यहाँ तक कि मुर्की के मुलतान, रुस के ज़ार और भारत के मुगल सम्राटों को भी हम हम रूप में नहीं देखते। सर हेनरी मेन ने अपने महान् ऐतिहासिक हाल के बल पर यह आप्रहृष्टक बतलाया है कि पूर्वी समाजों में स्वेच्छाकारी राजाओं को इच्छा ही सर्वोच्चर नहीं थी। उनके आदेश ऐसे नहीं थे जिनको ऑस्ट्रिन कानून कह सकता। जो नियम प्रजा के जीवन का नियमन करते थे उनसा सोन अर्तीत काल से पचलित लोकाचार, भाषनाश्रों, विश्वासों और अधिविश्वासों में था। अधिकांश मामलों में उनका अमल घरेलू न्यायालयों द्वारा होता था, राजाओं द्वारा नहीं। यह विचार कि कानून राजा द्वारा निर्धारित किया जाता है, आधुनिक है; अचौक समाजों में इसका अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार ऑस्ट्रिन का सिद्धान्त अचौक समाजों पर लागू नहीं होता। आधुनिक राज्यों में भी यह सिद्धान्त उसी गुनय लागू हो सकता जब कि हम समाज तथा शासन के सभी लक्षणों को एक और उठाकर रख दें और केवल बल को ही रखने दें। इस आपत्ति का अर्थ यही है कि यह सिद्धान्त समाज में तथा कानून के पीछे काम करनेवाले प्रभावों तथा शक्तियों वो उद्देश्य करता है। इस प्रकार यह अपनी प्रहृति ने बेवल श्रीमत्त्वारित (Formal)

तथा अव्यावहारक एवं भावात्मक (Abstract) है। जैसा कि सर जेम्स स्टोफन ने संकेत दिया है, “यह सिद्धान्त केवल भावात्मक रूप में ही सत्य है क्योंकि प्रकृति में एक पूर्ण वृत्त नाम की कोई चीज़ नहीं है और न पूर्णतः कठोर पदार्थ; या जिस प्रकार कोई ऐसो यांत्रिक प्रणाली नहीं है जिसमें कोई संवर्धन हो अथवा उसी कोई सामाजिक स्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य केवल अपने लाभ के लिये ही काम करता हो, उसी प्रकार प्रकृति में भी कोई पूर्ण नियंत्रण प्रभु (Absolute Sovereign) नहीं है।”* जिस प्रकार वास्तविक वृत्त ज्ञानिति-विशदारा निर्दिष्ट समस्त सत्यों को पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर सकता उसी प्रकार किसी वास्तविक समाज में ऑस्टिन के प्रभु का भी अस्तित्व सम्भव नहीं है। परन्तु इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि राज्य और उसके प्रभुत्व की कानूनी प्रकृति की कल्पना के रूप में यह सिद्धान्त बिलकुल ही अप्राप्त है। ऑस्टिन ने राज्य में प्रभु द्वारा प्रयुक्त सत्ताओं को व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं किया। वह सो केवल प्रभुत्व की कल्पना का अर्थ समझने के लिये उसका विश्लेषण कर रहा था। इस आपत्ति के मूल्यांकन के लिये हमें राज्य को वास्तविक ज्ञाना और ज्ञानी कल्पना के रूप में प्रभुत्व के बीच भेद करना चाहिये।

इस सिद्धान्त के विवर दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि वह राज्य में मच्चों प्रभुत्व-गति, के विश्लेषण एवं खोज का कार्य पूर्णता के साथ नहीं करता। वह केवल कानूनी प्रभु की विवार करके रुक जाता है और राजनीतिक प्रभु के सम्बन्ध में भौति रहता है जिसके सामने वास्तव में उन्ने मुक्तना पड़ता है। वह आपुनिक राज्य में लोकमत के प्रभाव को उपेक्षा करता है। इस प्रकार वह अपर्याप्त है। राजनीतिक प्रभुत्व के सम्बन्ध में विचार करने की कठिनाइयों का पिछले पृष्ठों में उल्लेख हो चुका है; अतः उसके सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचन अनावश्यक होगा।

इसके विवर तीसरा आपत्ति यह है कि निरिचित भेषणम् मानव की कल्पना प्रभुत्व की दार्शनिक कल्पना के विपरीत है जिसके अनुसार प्रभुत्व मामान्य इच्छा में है। मामान्य इच्छा को व्याख्या करना बहिन भले ही डॉ परन्तु उसे वेष्टन कपोल-कल्पना समझना गलत होगा। प्रजान त्र में विवाद उनों के आधार पर टिका हुआ है। जो प्रभुत्व-सिद्धान्त सामान्य इच्छा पर विचार नहीं करता, वह वास्तव में अपर्याप्त है। प्रीन ने यह-

*Quoted by Leacock: Elements of Political Science p. 57.

मली-मार्गि प्रमाणित किया है कि ऑस्ट्रिन के मिद्दान के निश्चिन भेदभान मानव के आदेशों का समाज का बहुमत इन राज्य पालन करता है कि वह जन-माध्यारण की इच्छा का प्रतिनिधि नाना जाता है। समाज से जो चीज़ महाद्विन स्पष्ट में रगता है वह प्रभुत्व यत्ता की शक्ति या बल नहीं चूर्ण सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना है जिसका दमरा नाम सामान्य इच्छा है। ऑस्ट्रिन का मिद्दान इस तथ्य की स्वीकार नहीं करता कि समाज इच्छा पर आधारित है, बल प्रग नहीं। वह बल ऐसे अनास्थिक और देता है और इच्छा के तत्त्व की उपेक्षा करता है।

इस सिद्धान्त का एक दृष्टा दोष यह है कि इसकी कानून की कल्पना अधूरी है। यह मत्त्य है कि कोई भी नियम कानून का रूप उस युनय तक धारण नहीं कर सकता जब तक उसका निघारण कानूनों प्रभु द्वारा नहीं होता मिन्हु यह भी मत्त्य है कि कानून का बोत विधान-मण्डल की इच्छा में पिंवर है। कानून का सोन लोकाचार, न्याय-मानना आदि है। कानून को केवल प्रभु का आदेश मानना बिलकुल गलत है। इस पर आगे विचार किया जायगा।

अन्त में, इस मिद्दान के विषद् यह भी आक्षेप किया जाता है कि इसने राज्य से दूर्योग देखाचारी बना दिया है। आजसल अनेक लोक क यह मानते हैं कि राज्य का प्रभुत्व भीमित है। वे निरंकुण प्रभुत्व के मिद्दान को स्वीकार नहीं करते। इस पर विचार किया जा चुका है।

यब कुछ देखते हुए, कानूनी दृष्टि में ऑस्ट्रिन का सिद्धान्त गही है। एक आधुनिक राज्य में जितने भी प्रमाज काम करते हैं उन सब पर हम विचार कर सकते हैं और इस सिद्धान्त में उनमा लाभजन्य स्थापित कर सकते हैं परन्तु ऐसा करने से इस मिद्दान की व्यापर्यंता और निश्चिनता नष्ट हो जायगी। यदि हम इन गुणों को पगद करते हैं तो हमें ऑस्ट्रिन का मिद्दान स्वीकार करना पड़ेगा।

प्रभुत्व का स्थान—

बुद्ध राज्यों में यह जान लेना मरल है कि निश्चिन उद्यम मानव कीन है जो समाज के बहुमत से अपने आदेशों का अन्यतत रूप से पालन करता है और जिससे भेष्ठ अन्य कोई ऐसा नहीं है जिसके आदेश की मानने का वह अस्यासी हो। इन्हें जैसे देश में जहाँ वैधानिक कानून तथा साचारण कानून में कोई भेद नहीं है, राजा यहित पानीमेट ही कानूनी प्रभु है। उसकी कानून बनाने की सत्ता पर कोई प्रतिवेद नहीं है।

किन्तु अमेरिका के संयुक्त राज्य जैसे देश में, जहाँ विधान-मण्डल की कानून बनाने की सत्ता पर लिखे संविधान द्वारा प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिन्हे विधान-मण्डल नहीं हटा सकता और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है, कानूनी प्रभुत्व के स्थान को खोजना बहुत ही कठिन है। मुख्य विचारकों के अनुसार ऐसे राज्य में प्रभु ऐसी संस्था है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार के उत्तर में कठिनाई यह है कि संविधान परिपद् समय-समय पर ही काम करती है, निरंतर नहीं परंतु प्रभुत्व का प्रयोग अविराम रूप में होता है।

गेटेल प्रभुत्व को “शासन की समस्त कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं की समिति में मानता है।” कानून बनाने वाली संस्थाओं में विधान-मण्डल, न्यायालय (क्योंकि वे कानून का निर्माण कानूनों की व्यापारा करके करते हैं), प्रशासनाधिकारी (जब कि वे अध्यादेश आदि जारी करते हैं) तथा निर्वाचक मण्डल (जब वह जनमत-संग्रह आदि का प्रयोग करता है), आदि सब आ जाते हैं। यह विचार राज्य तथा शासन में भेद नहीं करता। अनेक कानून बनाने वाली संस्थाएँ, जिनका उल्लेख करर किया गया है, शासन के अंग हैं, उनकी सत्ताएँ मौलिक नहीं हैं। यह मत संतोषजनक नहीं है।

क्या सामान्य इच्छा प्रभु है—

प्रभुत्व की दार्शनिक कल्पना के अनुसार सामान्य इच्छा (General Will) को ही प्रभु माना जाता है। यह सिद्धान्त कानूनी प्रभुत्व के सिद्धान्त के विरुद्ध है। यह सामान्य इच्छा की कल्पना आनुनिक राज्य-विज्ञान को रूपों की देन है। इस विचार की व्याख्या करना कठिन है। यह सर्वथा भावात्मक है जिसकी स्थिति दृश्य जगत में नहीं है। ग्रीन की व्याख्या के अनुमार सामान्य उद्देश्य वाली सामान्य चेतना को सामान्य इच्छा कह सकते हैं जिसके बिना समाज एक सामूहिक इकाई के रूप में कायम नहीं रह सकता। राज्य केवल व्यक्तियों के समूह का ही नाम नहीं है। वह उनकी नैतिक तथा सामूहिक एकता का नाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्तियों को नैतिक एकता के सूत्र से कौन बोधता है? ग्रीन का उत्तर है— प्रजा या जनता एकता के सूत्र में सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना के कारण बैधों रहती है। सामान्य उद्देश्य की सामान्य चेतना को सामान्य इच्छा कहा जा सकता है। यह सामान्य चेतना ही अधिकारों को जन्म देती है और उन्हें कायम रखने के लिये आवश्यक स्थितियाँ प्रस्तुत करती हैं।

इसलिये इसे प्रभु मानना उचित है। अँगस्टिन के निश्चय श्रोप मानव के आदेशों का पालन समाज का बहुमत इस कारण करना है कि जनता उसे सामान्य इच्छा की साकार प्रतिमा मानती है, वह यह अनुभव करती है कि उसके आदेश समान्य उद्देश्य की प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित है। जिस समय वह उच्चतम मानव समान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करना त्याग देता है या जनता का विश्वास-भाजन नहीं रहता तो वह जनता की भक्ति का मी पात्र नहीं रहता। अतः अतिम विश्वेषण में; सामान्य इच्छा या सामूहिक ढंग से समान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्य वरन् बाले समाज से कम कोई वस्तु प्रभु नहीं है।

रसो के अनुसार सामान्य इच्छा एकात्मक इच्छा है परन्तु वह एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है। वह एकात्मक इच्छा इस अर्थ में है कि वह अपने सद्वात रूप में समस्त समाज की इच्छा है। बोनाकरे की भाषा में वह समाज की इच्छा है। उसे जो एकात्मकता प्राप्त होती है, वह उस सामान्य उद्देश्य के कारण होती है जो व्यक्तियों को सम्बद्ध कर एकता के रूप में बौधता है और जो उसके बनने में प्रभाव डालता है। वह इच्छा सामान्य तथा एकात्मक उस समय नहीं रहती, जब कि उसको बनाने समय व्यक्तियों का लक्ष्य सामान्य हित नहीं रहता। वह सबको इच्छा भी नहीं है जिसका अर्थ वैयक्तिक इच्छाओं का योग होता है और जिससे उसका (सामान्य इच्छा का) संघर्ष हो सकता है। वह आवश्यक रूप से बहुमत की इच्छा भी नहीं होती। बहुमत सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता यदि वह स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत लाभ की भावना से प्रेरित होता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा जनसंख्या का प्रश्न नहीं है, वह तो भावना या प्रयोजन की बात है। उसका प्रादुर्भाव उस समय होता है जब कि समाज का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक हिन को अपना हित बना सका है और इस प्रकार अपने आपको सब लोगों के जात समान उद्देश्य में बौध लेता है। बादल्ड ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है—‘एक बुद्धिमान मनुष्य को उस हित की ओर अमिट प्रेरणा जो (हित) अपना विश्वार करके सामान्य हित में परिणत हो जाता है।’ जो बात ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि इच्छा की सामान्यता उसके योग्यकार्यों की संख्या से नहीं बनती बरन् सामान्य हित से बनती है। कर्मी-नर्मी महात्मा गांधी जैसी एक आत्म-त्यागी तथा पवित्र अत्मा समाज के बहुमत की अपेक्षा समाज की सामान्य इच्छा का सर्वधेष्ठ ढंग से प्रतिनिधित्व करती है।

इससे हमसे यामान्य इच्छा का एक दूसरा लक्षण मिलता है। साधारण इच्छा विवेकपूर्ण एवं तर्क-संगत है। यामान्य इच्छा विवेक से कम नहीं है क्योंकि मानव-जीवन के कार्यों के पथ-प्रदर्शन में वह मन्त्रिय रहता है। भनुत्य यामान्य इच्छा को अपनी इच्छा समझते हैं और जान-बूझकर उसके आदेश का पालन करते हैं क्योंकि प्रत्येक को उसमें अपनी इच्छा दिखाई देती है जो अपनी वास्तविक प्रकृति में विवेकपूर्ण है। हम उसको नागरिकों को असली इच्छाओं का सगठित रूप अभवा उसमें जो कुछ सर्वोत्तम है उसकी अभिव्यक्ति समझ नहीं है। डॉ० आशीर्वादम् ने उसे नागरिकता की मूर्त भावना कहा है। यामान्य इच्छा पवित्र और निरपेक्ष है क्योंकि वह विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण एवं पवित्र होने के कारण वह मदैव ठीक होती है। उसका ऐस्य उस बन्तु को प्राप्त करना है जो निर्धारित परिस्थितियों में सर्वथ्रैष्ट है उसके सम्बन्ध में यदि हमारा निर्णय गलत है, तो यामान्य इच्छा भी गलत हो सकती है परन्तु फिर भी वह ठीक है क्योंकि उसका लक्ष्य यामान्य हित है। जैसा कि स्थयं रूसो ने कहा है—“यामान्य इच्छा मदैव ठीक होती है किन्तु जो निर्णय उसका पथ-प्रदर्शन करता है वह सदैव उचित नहीं होता।” लॉर्ड ने यामान्य इच्छा के एक दूसरे लक्षण—उसके स्थायित्व—को और समेत किया है। यह विचारों तथा हितों के सादृश्य में पाया जाता है जो लोगों में परिव्याप्त होकर उन्हें एक निश्चित रूप देता है। चरित्र, जैसा कि दर्शन-शास्त्र के शाता हमें बतलाते हैं, इच्छा को स्थायी वृत्ति का नाम है। यह अपेक्षाकृत स्थायी एवं निश्चित होती है। यामान्य इच्छा स्थायी होने के कारण “जनता की भावना के तृफान में या राजनीतिज्ञ की तरंगों में, चाहे वह कितना ही लोकप्रिय हो, नहीं होती। वह तो जनता के चरित्र में होती है। इस प्रकार यामान्य इच्छा अद्य होती है। उसका नाश जनता के नाश के साथ हो हो सकता है अन्तर्था नहीं।

यह कल्पना भावात्मक है; यह एक आदर्श की व्याख्या है जिसे पूर्ण रूप में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। किन्तु अन्य आदर्शों के समान यह यामाजिक जीवन का नियमन करता है और उस गीमातक इस आदर्श की नित्य प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार वह आदर्श तथा वास्तविक घलु दोनों ही है।

यामान्य इच्छा की कल्पना का काफी राजनीतिक महत्व है। इसका अर्थ यह है कि राज्य एक सावधव एकता है जिसकी अपनी इच्छा है।

वह स्मार्थी तथा असम्बद्ध व्यक्तियों का गमूहमात्र नहीं है। इस इच्छा का नागरिकों की इच्छाओं से पृथक् अस्तित्व नहीं हो सकता इन्हुं उसको नागरिकों की इच्छाओं से एकत्र नहीं माना जा सकता। वह उनके आगे निकल जानी है और उनमें प्रेरणा कर जानी है और उनमें से किसी में मां उमड़ी पूर्ण अभियक्षि नहीं होती। दूसरे, वह इस कथन की पुष्टि है कि 'राज्य एक जीवित ग्रादर्थ योर ग्राच्यात्मिक वास्तविकता है।' वह कोई ऐसी सुनि नहीं है कि जिसमें व्यक्ति या व्यक्तिमूह अपना स्वार्थ गिर कर गए। 'राज्य का वास्तव में ग्रपने नागरिकों वे जीवन से पृथक् कोई जीवन नहीं है इन्हुं उसका जीवन किसी भी व्यक्ति या उसके नागरिकों को किसी पाड़ा ने जीवन में अधिक लगा, पूर्ण एवं विस्तृत है।' आँस्टिन के विद्यान् वो एक मुख्य ग्रन्थता दर्शा में है कि वह सामान्य इच्छा का वल्यना के विपरीत है।

राज्य प्रभुत्व के विद्यान् की आलोचना—

प्रभुन्द वी परिभाषा, उनके अर्थ तथा प्रसारों के सम्बन्ध में विचार करने के बाद हम प्रभुत्वगम्भीर राज्य वी वल्यना भी आलोचना पर विचार करेंगे। उनकी आलोचना अनेक विद्यानों ने अनेक प्रयोजनों से की है। उनका विद्यानिक ही नहीं व्यापकारिक महत्व भी है। प्रभुत्व विद्यान पर मन्त्रमें बड़ा प्रहार बहुआदी करते हैं जो उसे गवर्नमेंट और व्यर्थ मानते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यान के लेखक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के प्रेमी राज्य की बाध्य प्रभुत्वा को अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं महायोग की अभिवृद्धि में एक यहां बाधा मानते हैं। तीसरा आलोप यह दिया जाना है कि ब्राह्मन राज्य से भी पूर्व का है और इस कारण वह राज्य से स्वतन्त्र है। ऐसे भी लेखक हैं जो प्रभुत्व को राज्य का विधायक तत्व नहीं मानते। अब इन पर विचार के माध्य विचार दिया जायगा।

(१) राज्य प्रभुत्व का निषेध—

राज्य विज्ञान के अनेक लेखक प्रभुत्वगम्भीर राज्यों की स्थीकार करते हुए भी यह मानते हैं कि राज्य के निर्माण में प्रभुत्व बोइं आवश्यक तद्द नहीं है। वे यह कहते हैं कि प्रभुत्व कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है। राज्य के विकास में उसका आवश्यिक योग्यता के रूप में विद्यापूर्वक है। गंद्वेष में, वह एक ऐतिहासिक वस्तु है। प्राचीन भाल में ऐसे मां राज्य थे जो प्रभुत्व-गम्भीर नहीं थे, उदाहरणार्थ, मध्य-युग के सामन्ती राज्य। भाविध्य में ऐसे राज्य हो सकते हैं जो प्रभुत्वगम्भीर न हों। उनके अनुमार राज्य और

प्रभुत्व आवश्यक रूप से एकरूप नहीं है। राज्य का सार तत्व प्रभुत्व में नहीं; राज्य-सत्ता में अपार्ट आदेश देने और उनका पालन करने तथा शासन करने की सत्ता में है। वे इसे आधिपत्य (Domination) की नहीं, समाज को आदेश देने और अपने ही अधिकार से शासन करने का सत्ता कहते हैं। इस अर्थ में सहू के राज्य भी राज्य कहलायेंगे।

प्रभुत्व को गाज्य का आवश्यक तत्व माना जाय या नहीं यह लेखक की प्रमुख तथा राज्य की कल्पना पर निर्भर है। यदि यह सहू-राज्य के अन्तर्मन द्वारा दो को राज्य (State) माने तो वह अमीमित राज्य-प्रभुत्वा के भिन्नाने को स्वीकार नहीं करेगा। बहुमत इन पक्ष में नहीं है कि राज्य की कल्पना इन्हीं पर्याप्त है कि उसमें सहू के विधायक राज्य भी नमिलिन हो जायें। अनेक लेखक प्रभुत्व और आधिपत्य की सत्ता में कोई भेद नहीं मानते। दोनों ही एक बन्तु हैं, केवल नाम का भेद है।

बहुवाद (Pluralism)

(३) प्रभुत्व पर बहुवादी आक्रमण—

बहुवादी लेखक प्रभुत्व को आवश्यकता को ही अत्योक्तार नहीं करते, वे गाज्य-प्रभुत्व के अस्तित्व को भी नहीं मानते। वे उसे कोई कपोलकल्पना मानते हैं जिनका वर्णन काल के नयों में कोई मानवत्व नहीं है। प्र० निरडने का कथन है कि “यदि हम नयों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुत्वसमझ राज्यों के भिन्नात का वरदान हो चुका है।” बाकर का भी मत है कि कोई भी राजनीतिक भिन्नान इतना निष्पल नहीं है जिनका कि प्रभुत्वसमझ राज्यों का सिद्धान्त। प्र० लौस्को का नियर्द है कि “राजनीतिक दर्शन के जिन कानूनी प्रभुत्व के भिन्नान को मनुचित मानता असम्भव है।” उसका विचार है कि प्रभुत्व कल्पना को त्याग देना राज्य-विज्ञान के लिये त्यारी रूप से उपयोगी होगा। अब हमें उन आधारों पर विचार करना है जिन पर ये विचार टिके हुए हैं।

(क) बहुवादी राज्य की पुरानन अद्वैत कल्पना को स्वीकार नहीं करने क्योंकि ऐसी राज्य-कल्पना जिसके अनुसार राज्य के अन्दर के सभन्न समुदाय उसको दबा पर निर्भर रहते हैं, आजमल के नयों के अनुकूल नहीं हैं। राज्य हमारे सम्बन्ध मानाजिक जीवन की आवश्यकताओं का पुति नहीं करता। मनुष्य की मानाजिक प्रकृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये अन्य संसार में आवश्यक है। उनका मत है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह-भाव ही नहीं है जिनका राज्य को छोड़कर एक दूसरे से कोई

मुम्बन्ध न हो; वह समुदायों का समुदाय है। उसकी इकाइयाँ असम्बद्ध या पृथक् व्यक्ति नहीं हैं बरन् वे व्यक्ति हैं जो पहले में ही सामाजिक जीवनयुन समुदायों के रूप में मझाठिन हैं। ये समुदाय व्यक्तियों तथा राज्य के मध्य में स्थित हैं। बहुवादी 'राज्य घनाम व्यक्ति' की नहीं 'समुदाय घनाम राज्य' की बात करते हैं। अधिकाश में ये समुदाय राज्य के किसी रचनात्मक प्रणाली के बिना जम्म लेने ही और व्यक्तियों की उनके प्रति भक्ति होनी है। मैंक आद्वर का विचार है कि ये महान् समुदाय न तो राज्य के भाग हैं और न केवल उसकी प्रजा हो है, उनका अतिनित्य राज्य के सनान अपने ही अधिकार में है। राज्य की सत्ता के समान ही उनकी स्थित अपनी सत्ताएँ होनी हैं। उनमें से कुछ स्थिताएँ तो ऐसी हैं जो अपने मदस्यों के हितों का राज्य की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं और मदस्य उनके आदेशों का पालन अधिक अड़ा के साथ करते हैं; उनके प्रति उनकी भक्ति भा अधिक होनी है। जब ऐसी संस्थाओं के प्रति भक्तिमाप का राज्य के प्रति मस्तिभाव के साथ विरोध होता है, तो सम्भागों के प्रति मस्ति की विजय हो सकती है। ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि राज्य के प्रति भक्ति को किसी अन्य संस्था के प्रति भक्ति की अपेक्षा प्राथमिकता क्यों मिलनी चाहिये। राज्य को खुले बाजार में नागरिकों की भक्ति के लिये अन्य संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिये। दूसरे शब्दों में, बहुवाद यह नहीं मानता कि राज्य कोई ऐसा अनुपम संस्था है जिसका अन्य संस्थाओं पर अपेक्षन का नैतिक अधिकार है या जो अन्य संस्थाओं से आवश्यक रूप में अधिक नहूत्वगूण है। राज्य समुदायों का ऐवल एक समुदाय है जो अन्य समुदायों के समरक्ष है और जो किसी प्रकार भी उनसे ऊँचा नहीं है। उसे ममाज की अद्वितीय प्रभुता नहीं दी जा सकती। उनके बावजूद पारस्परिक सञ्चन्ध समानता का है, अर्धानता का नहीं। यदि राज्य मीं एक समुदाय ही है तो उसे नागरिकों का भक्ति का अन्य समुदायों से अधिक अधिकार नहीं है। इस प्रसार उसका यह द्वायु छि वह एक स्वतंत्रता तथा अनिवार्य संस्था है, निराधार हीं जाना है और अन्य समुदायों का यह दाम प्रमाणित हो जाता है छि उन्हें बिना किसी वाप्ति एवं नियन्त्रण के कार्य करने का अधिकार है। उन्हें कार्य करने वां अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून-नियमांश तथा नियमन ईं सत्ता पर इस समय राज्य का जो एकाधिकार है उसका उसे स्वाम कर देना चाहिये और उसमें अन्य समुदायों की भी माग मिलना चाहिये। राज्य को कारणों में काम रे परेटे आदि निश्चिन करने

का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। यह प्रश्न तो उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिये जो कारखानों में काम करने हैं। इसी प्रकार राज्य को विश्वविद्यालयों तथा धर्मसंस्थाओं पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रखना चाहिये। उन्हें अपने हितों की अभिवृद्धि के लिये स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देना चाहिये। समाज का सुझावन प्रकार तथा समाज पर सहायता होना चाहिये। समाज के विधायक अङ्गों को अपने दायों के सम्पादन की स्वतन्त्रता होनी चाहिये; उन्हें अपने ज्ञेय में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिये। दूसरे शब्दों में राज्य के कार्य, कानून और ध्यवस्था का रक्षा, अपराध का रोकयाम और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा आदि भागान्य कागों तक ही संमित रहने चाहिये।

(ख) ग्रौकेसर लॉस्की का यह तर्क है कि राज्य का प्रस्ताविन योजनाओं एवं कानूनों का जब कुछ समुदाय दृढ़ता से विरोध करते हैं तो राज्य उन्हें वापिस कर लेने के लिये वाप्त हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के प्रभुत्व का सिद्धान्त अव्यावहारिक और असमर्थनीय है। उसने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं— मन् १६१४-१८ ई० के महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार वेल्स की खानों के विद्रोही मजदूरों के विरुद्ध म्युनिशन एकट को लागू नहीं कर सकी। संयुक्त राज्य अमेरिका को रेलवे यूनियन ने आम हड़ताल का घमकी देकर कॉम्प्रेस को आठ परेट का दिन स्वीकार करने को बाय कर दिया। अपने ही देश में राष्ट्रीय भारतीय कॉम्प्रेस के नेतृत्व में जनना के विरोध के फलस्वरूप रोलट चिल का व्यवहार में प्रयोग नहीं हो सका। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। इनसे यह चिद होता है कि राज्य अपने नागरिकों के संबंध में सर्वशक्तिसम्पन्न नहीं है। उसे ऐसी नोतियों को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है जिनके बह विश्व हो। लॉस्की ने राज्य का स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध एक नैतिक तर्क भी दिया है। राज्य व्यक्ति को भक्ति का उस समय तक अधिकारा नहीं, जब तक उसकी अन्तरात्मा उसे आज्ञा न दे और अन्तरात्मा उस समय तक आज्ञा नहीं देगी जब तक कि राज्य का आदेश नैतिक आधार पर नहीं होगा। राज्य का भुक्त पर अधिकार उसके आदेशों को नैतिकता के अनुपान में है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा कि राज्य के प्रभुत्व पर बहुआदियों द्वारा जो आक्रमण किया गया है, वह इस दृष्टि से प्रेरित है कि समाज में विविध समुदायों को अधिक स्वतन्त्रता मिले और उनके तथा व्यक्तियों

के अधिकारों की रखा हो जो शासन की बड़तों हुई उत्ता के कारण बड़े सहकृष्ट में है। आज जिस बात की आवश्यकता है वह राज्य को सत्ताग्रां पर जोर देने की नहीं बरन् उसकी सत्ताग्रो पर मर्यादा लगाने की है। नैतिक तथा व्यावहारिक इष्टिहास से राज्य के अधिकारित प्रभुत्व के सिद्धान्त का समर्थन नहीं किया जा सकता। यदि हम प्रभुत्व के सिद्धान्त को कायम रखना चाहते हैं, तो यह उचित होगा कि हम व्यक्तियों एवं समुदायों के जन्मसिद्ध नैतिक अधिकारों द्वारा समिति प्रभुत्व की बात करें। इस प्रस्तर बहुवाद आवश्यक रूप से राज्य-विरोधी नहीं है। वह राज्य का अन्त नहीं चाहता, केवल उसकी अपरिमित शक्ति को समिति करना चाहता है।

जिन तथ्यों का बहुवादी हवाला देते हैं, वे यथार्थ और महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल में, जब राज्य और समाज में कोई भेद नहीं थिया जाता था, कुछ भी उचित रहा हो किन्तु आज हम राज्य के व्यक्ति के सम्मुख भाषाजित जीवन को अपने में समाविष्ट करने नहीं दे सकते। धर्मसंस्थाएँ पुण्यशाला, अम-महू तथा राजनीतिक दल आदि वैकल्पिक समुदाय हमारी ऐसी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं जिन्हें राज्य पूरा नहीं कर सकता। ये वे हमारी भक्ति चाहते हैं। व्यावसायिक समुदायों को अधिक स्व-शासन आवश्यक मिलना चाहिये। राज्य को चाहिये कि वह उनके हितों के सम्बंध में विचाराधीन बनने के समौदों पर उनके प्रतिनिधियों से परामर्श करे। यह सब स्वीकार कर लेने का मतलब यह नहीं है कि राज्य अन्य समुदायों से उच्चतम नहीं है अथवा उसे अन्य समुदायों के समकक्ष कर देना चाहिये। राज्य प्रभुत्व का परित्याग नहीं कर सकता और न अन्य समुदायों को उसमें भाग दिया जा सकता है। ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि हम मत्त्य-कालोनि अर्ड-अराजक स्थिति में पहुँच जायेंगे। विभिन्न स्वशासित समुदायों की स्थाईति वा अर्थ यह नहीं है कि राज्य अपनी सत्ता का स्थान बर दे। यहाँ नहीं, विविध मंस्तकाओं एवं समुदायों के बीच गहरा या विवादों तो दूर रहने के लिये तथा समुदायों के सदस्यों को उनके अत्यानार से बचाने के लिये राज्य-सत्ता की पहले से भी अधिक आवश्यकता होगी। ग्रोक्सर वाकिंस ने इस बात को बड़े मुन्दर ढङ्ग से कहा है, 'हम यह देखते हैं कि राज्य को व्यापारिक सहू, राष्ट्रीय सहू या धर्म-सहू की प्रगति के सामने पीछे हटने के लिये निमन्त्रण दिया जाता है। नयापि ये समुदाय चाहे जिन्हे अधिकार प्राप्त कर लें, राज्य परस्पर सामझन्य स्थापन करने वाली शक्ति बना रहेगा। यह भी सम्भव है कि यदि ऐसे

मनुदायों को नये अधिकार मिलते हैं तो इससे राज्य को भी लाभ होगा; शायद उसे दृष्टि की अपेक्षा लाभ अधिक होगा क्योंकि उसे उस समय अधिक महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा जटिल समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा।^१

सामाजिक न्याय की रक्षा, प्रतिद्वन्द्वी व्यक्तियों एव समुदायों के विवादों का निर्णय करने तथा सामान्य हितों की अभिवृद्धि के लिये राज्य की सदा आवश्यकता रहेगी। इन वायों के सम्पादन के लिये जिस दमनकारी सत्ता की आवश्यकता है, वह एक प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य में ही सम्भव है। समुदाय चाहे जितने महत्वपूर्ण क्यों न हो उन्हें राज्य के अधीन रहना होगा। प्रभुत्वहीन राज्य की बहुवार्दा कल्पना समर्थनीय नहीं है। प्रभुत्व की कल्पना राज्य-विज्ञान से बहिरूपत करने का उमसा विचार भी अप्राप्त है। राज्य तथा नागरिकों के सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रभुत्व की कानूनी कल्पना अत्यन्त आवश्यक है फिर भी प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों की ओर से जो अनुचित दावे किये गये हैं उनकी ओर बहुवादियों ने ध्यान आरूपित करके महान् सेवा की है। यह स्मरण रखना उचित होगा कि राज्य की सत्ता पर नैतिक मर्यादा का बन्धन है। इससे परम्परागत सिद्धान्त भी इन्कार नहीं करता। वह नैतिक स्वच्छन्दनता से भिन्न कानूनी स्वच्छन्दनता का दावा करता है।

जिन तथ्यों की ओर लास्की ने हमारा ध्यान आरूपित किया है, वे अद्यतनीय हैं। यह देखा गया है कि कभी-कभी राज्य के मनुदायों द्वारा प्रतिरोध के कारण शासन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में अशक्ति का अनुभव करता है; उसे सार्वजनिक दबाव के सामने झुकना पड़ता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य अपनी नीतियों के लिये हमारा समर्थन उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वे नैतिक धारणा के विपरीत प्रतीत होती हो। किन्तु इन सब बातों का राज्य के प्रभुत्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये आपत्तियाँ तो शासन के स्वेच्छान्वाचार के विद्ध हैं। लास्की ने राज्य और शासन के भेद के सम्बन्ध में भ्रान्ति में पड़कर यह आपत्ति की है।

(ग) राज्य-प्रभुत्व और अन्तर्राष्ट्रीयता—राज्य-प्रभुत्व पर दूसरा अक्षमण अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के कारण दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राज्य के विकास से राज्य के प्रभुत्व पर कई प्रतिबन्ध लग गये हैं। राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के त्रैत्र में प्रभुत्व के सिद्धान्त ने अराजकता की स्थिति

पैदा कर दी है। राज्यों के बीच विवादों के शान्तिमय समाधान के मार्ग में यह सिद्धान्त वाधक रहा है। इसने राष्ट्रमंत्र (League of Nations) का मानववादी तथा अन्य कार्यों के मार्ग में भवकर वाधाएँ उपस्थिति प्रा। सत्रोच्चता की भावना, जिस पर यह सिद्धान्त आधारित है, राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध के द्वेष में विलुप्त लागू नहीं हो सकती। समस्त राष्ट्र समान हैं (उनके समान अधिकार हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के निर्णय में उनके मत समान नहीं हैं), कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य से श्रेष्ठ नहीं है। अनः किसी भी राज्य को अपने मनमाने ढग से कोई ऐसा कार्य करने नहीं दिया जा सकता जिसका अन्य राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। उसे उनके हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है और उनकी स्वाधीनता के लिये समुचित आदर-भाव रखना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीयता के शक्तिशाली ममर्क ईरालंड लॉस्टी ने राज्य प्रभुत्व के विषद् इस प्रकार अपना विचार प्रस्तु किया है—‘अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष में स्वतन्त्र प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिये धानक है। जिस ढग से एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ व्यवहार करना चाहिये वह ऐसा विषय नहीं है जिसके सम्बन्ध में राज्य को ही एसमान निर्णायक मान लिया जाय। राज्यों का सामान्य जीवन राज्यों के सामान्य समझौते का विषय है। इडलैण्ड को यह निर्णय नहीं करना है कि वह किस प्रकार के शस्त्र बनायगा और किसने प्रशानियों को अपने देश में आवास की अनुमति देगा। इन बातों का राष्ट्रों के सामान्य जीवन से सम्बन्ध है और इसलिये इसका मतलब यह है कि दसके सम्बन्ध के लिये कोई एक विश्व-संगठन हो।’¹⁸

एक ऐसे विश्व-संगठन का आदर्श, जिसमें पृथक्-पृथक् राज्य अपनी राष्ट्रीय प्रभुता का परिस्थाग कर दें, व्यवहार्य हो या नहीं परन्तु इससे कोई भी इकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य द्वारा अपने प्रभुत्व पर ज़ोर दिया जाना राज्यों के बीच सहयोग की भावना के विराम में बाधर रहा है और इसने युद्ध की भावना को ग्रोत्माहन दिया है। हम उग ममय तक गमार में न्याय से प्रतिष्ठा नहीं कर सकते और युद्ध बन्द नहीं कर सकते, जब तक कि प्रत्येक राज्य एक दूसरे के सम्बन्ध में अपने हितों का स्वयं अपने को निष्पांचल मानता रहेगा और युद्ध के द्वारा अपने हितों की रक्षा करने से प्रणाली का आश्रय लेना रहेगा। मानवता ने हितों को यह माँग

¹⁸ Laski : A Grammar of Politics, P. 65-66

हे कि प्रभुत्व-मम्पन्न राज्य की कल्यना को अन्तर्राष्ट्रीय विधान से बहिष्ठत कर दिया जाय।

राज्य की आन्तरिक प्रभुता को कायम रखते हुये चाह ग्रभुता का अन्त कर देना अमर्भम नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधान से सम्बद्ध राज्य की गवर्नेंसियर का किसी भी प्रकार से उस मवर्नेंस सत्ता से संबंध नहीं होता जिसका प्रयोग नागरिकों के सम्बन्ध में किया जाता है।

(घ) राज्य-प्रभुत्व और कानून—

राज्य-प्रभुत्व के सिद्धान्त की आलाचना करने वालों में प्रो० युग्मी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसका यह कथन है कि प्रभुत्वमम्पन्न राज्य मर जुका है या मरणामन्न है। यह एक अन्य के ब्रेलक नालूस बेनॉइट के राज्य-प्रभुत्व के सम्बन्ध में इस विनार का समर्थन करते हुए कहता है कि 'प्रभुत्व का सिद्धान्त अपनी उत्पत्ति में मिथ्या है; इतिहास ने भी उसे मिथ्या सिद्ध कर दिया है और सभी वालों का विनार करते हुए यह व्यर्थ एवं खतरनाक भी है।' कानून की प्रकृति के विशय में उसका अपना मिथानत है जिसके आधार पर वह इस मत का निषेध करता है। वह ऑस्ट्रिन के इस मत को उनित नहीं मानता कि कानून प्रभु का आदेश है जिसे बल का समर्थन प्राप्त है। वह इस विनार को भी स्वीकार नहीं करता कि राज्य ही वह मना है जो वैध या अवैध वस्तु में भेद स्थापित करती है। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता। प्रो० युग्मी वे अनुगार कानून राजनीतिक संगठन में पूर्व का है, वह उससे भेष्ट है और स्वतन्त्र भी है; वह वस्तुगत है नेतृत्वात्मक नहीं। कानून व्यवहार के नियम है, जिन्हें समाज द्वारा प्रदत्त हिन्दों एवं लाभों की रक्षा के लिये व्यक्तियों को मानना चाहिये और उनका पालन करना चाहिये। वे सामाजिक जीवन के परिणाम है और सामाजिक एतता की आवश्यक शर्त है। जनता उनका पालन इसलिये नहीं करनी कि उसकी रक्षा ऐसे अधिकारी द्वारा की गई है जिसके पास दमनकारी गता है वरन् इसलिये कि उनका पालन करके ही सामाजिक जीवन की रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार उनसा बल मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक नहीं। मनुष्यों भी कानून का पालन करने में दण्ड-भव उतना काम नहीं करता जिन्होंने कि सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति। किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो सामाजिक एकता के नियम का उल्लंघन करता है, अवैध है। इस प्रकार कानून की मान्यता कानून के स्रोत या उत्पत्ति पर निर्भर नहीं है। उसका निर्णय तो उस उद्देश्य से होता है

जिने वह पुरा बतना चाहता है। इस प्रकार रानूल राज्य को सीमित करता है, राज्य रानूल को सीमा विधारित नहीं करता। नेतृत्व के भी ऐसे ही विचार हैं। वह भी कानून को राज्य के ऊपर और उसके स्वतन्त्र मानता है। इस प्रकार वह इस विचार का समर्थन करता है कि कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है और प्रभु ने इच्छा हो कानून है। इससे आधार समाज ने न्याय भावना है, सार्वजनिक उपयोगिता नहीं।

कानून के इस सिद्धान्त में सत्यांश है। कानून रोजा या व्यवस्थापक परिपद के शांदेश मात्र ही नहीं है। उन पर प्रबन्धित सामाजिक न्याय-भावना लगती मत का भी प्रभाव पड़ता है। राज्य की कोई एक संस्था कानूनों के सार (Content) का निर्धारण नहीं कर सकती। परन्तु वह स्मरण रखना चाहिये कि जनता का मत, उनकी सामाजिक न्याय-भावना, अथवा सार्वजनिक उपयोगिता का विचार हो कानून बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक कोई नियम उमुचित अधिकारी द्वारा प्रचारित न किया जाय तब तक वह कानून नहीं हो सकता। कानून के लिये इन उपर्युक्त बातों से अधिक किसी वस्तु की आवश्यकता है। उक्त प्रभावों द्वारा हमें कानून का सार तो प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके रूप (Form) के लिये हमें व्यवस्थापिक परिपद का आधार लेना होगा। कानूनी प्रभुत्व या सिद्धान्त रानूल के रूप पर अधिक ज़ोर देता है, उसके नाम पर कह। युग्मी, क्रोध आदि वहुवादी लेखकों ने कानूनी प्रभुत्व के दोषों पर प्रकाश डालकर अच्छी भेवा की है। मिन्तु हम पूर्ण रूप से उसके इस विचार का गमर्थन नहीं कर सकते कि कानून राज्य से स्वतन्त्र है। वास्तविक रूप में राज्य ही कानून बनाता है; वही विभिन्न व्योंगों ने कानून का रात प्रहरण कर उने कानून का रूप देता है।

अतः हम इस निष्पर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राज्य-प्रभुत्व का परम्परागत मिदान काफी सही है। यहुवादियों ने यह कथन कि इस शुग में उसका समर्थन हो जुका है, अतिशयोक्ति है। इगमें मन्देह नहीं कि उन्होंने राज्य के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, व्यापारायिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि समुदायों के सामाजिक जीवन में महत्व की ओर ध्यान आरपित किया है। हम उनसी इस माँग का भी गमर्थन करते हैं कि राज्य में इन समुदायों को कार्य करने के लिये पूर्ण सुदोग एवं स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके कुछ प्रदिकार हैं जिनसे शामन द्वारा अतिक्रमण से रक्षा होनी चाहिये। मिन्तु हम यहुवादियों के गमान

द्वन संस्थाओं को राज्य के समकक्ष नहीं मान सकते। राज्य को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिये और वे सब आवश्यक सत्ताएँ भी होनी चाहिये जिससे वह जनता के नेतृत्व कल्याण की रक्षा और अभिवृद्धि कर सके। उसके प्रभुत्व पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, हाँ, उस नेतृत्व भर्यादाओं का धालन अनुरूप करना चाहिये। किन्तु राज्यविज्ञान के लिये राज्य के प्रभुत्व का मिदान्त किनना ही आवश्यक क्यों न हो, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में से उसका बहिफार होना चाहिये। इस ज्ञेन्त्र में उसने बुराई और अव्यवस्था के अतिरिक्त और किसी वस्तु को जन्म नहीं दिया है। कानून का सार निश्चिन करने में राज्य पर कई बातों का प्रभाव हो सकता है परन्तु ममस्त नागरिकों पर लागू होने वाले कानून बनाने का एकमात्र अधिकार उसे हो होना चाहिये।

अध्याय २

कानून (विधि)

पिछले अध्याय में हमने कई स्थानों पर कानून की चर्चा की है। हमें अब इस विषय पर विस्तृत रूप से पिचार करना है। इस शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। प्राचीन जगत में इस शब्द से कार्यकारण गम्भीर प्रकार दोतरा है और मालूम होता है कि पटनाएँ द्वितीय प्रकार होती हैं, उदाहरणार्थ, पानी दाल के नीचे की ओर बहता है, यह प्राचीन विधान है। मनुष्य के सामाजिक जीवन या नियमन करने वाले नियम भी कानून कहलाते हैं। यदि उनका गम्भीर मनुष्य की इच्छा और इरादे से होता है तो ये नीतिक कानून कहलाते हैं और यदि उनके बाहर कामों से तो उनके गामाजिक या राजनीतिक कानून बहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कानून कई प्रकार के होते हैं जिनका मुखिया यी टटिक से निम्नलिखित घर्मीकरण हो। गमता है—(१) प्राचीन, जिनके अनुगार प्राचीन जगत में पटनाएँ पड़ती हैं। इन नियमों का मनुष्य निर्माण नहीं करता यद्यपि प्राचीन जगत में होने वाली पठनाओं को देखकर उन्हें दूँढ़ निकालता है। मनुष्य जीवन के गम्भीर में ये नियम भी प्राचीन कानून कहलाते हैं जो मनुष्य का प्राचीन अवस्था शर्यांत् तथाहित प्राचीन गामाजिक अवस्था में थाम भेजते हैं। (२) नीतिक कानून जिनका गम्भीर मनुष्य की इच्छा या इरादे से रहता है। इनसे उचितानुचित तथा अच्छे बुरे या भेद गान्धी होता है। (३) मनुष्य के बाहर आनंदगम्भीर कानून जो दो प्रकार होते हैं। (४) ऐपल गमाज द्वारा स्त्रीहृत कानून जिनमें रीति-रियाज, प्रार्चीन रुकिशी आदि गामाजिक जीवन के ये प्रतिष्ठित नियम शामिल हैं जिनका परन्तु सोभाग्य के भव से होता है और जिनके उल्लंघन के लिए उपहारण, निदान, गामाजिक बहिकार आदि के अनिरिक्त योंदे

शारीरिक दण्ड नहीं मिलता। (आ) राजकीय कानून जो राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिनके भग होने पर राज्य दण्ड देता है। राज्य-विज्ञान का सम्बन्ध इसी प्रश्न के कानून से है और यहाँ उस पर ही विचार किया जायगा।

राजकीय कानून—

राज्य-विज्ञान दो अन्य भागनामों के समान कानून को कल्पना भी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न की है। विलोची के अनुसार 'आचरण के वे नियम राजसीय कानून कहलाते हैं जिनके अनुसार न्यायालय न्याय करते हैं, जो उन अनेक नियमों ने, जो सभाज में नूनाधिक मात्रा में सामान्यतया माने जाते हैं, भिन्न होते हैं और जिनका पालन अनतोगत्वा राज्य की पुरी शक्ति के दबाव के कारण होता है।' हालौएड ने भी कहा है कि कानून बाहरी आचरण का 'वह सामान्य नियम है जिस पर प्रभुत्वसम्पद राजनैतिक सत्ता अमल करवानी है।' गेटेल के अनुसार 'कानून प्रतिष्ठित विचारों एवं आदतों के उस अश का नाम है जिसको शासन की सत्ता और शक्ति का समर्थन प्राप्त सामान्य नियमों के रूप में स्पष्ट और नियमानुसार मान्यता प्राप्त हो चुका है।' उसका कथन है कि केवल वही नियम जिनकी सृष्टि राज्य करता है या जिन्हे राज्य मानता है और जिन पर अमल करवाना है कानून बनते हैं। ऑस्टिन के मन में प्रभु का आदेश ही कानून है।

उपर्युक्त परिभासाओं में इतना तो मनैख्य है कि राजसीय कानून बाहरी आचरण के नियम हैं और राज्य उन पर अमल करवाता है। परन्तु उन नियमों का एक रूप क्या है इस पर मनमेद है। ऑस्टिन का कथन है कि प्रभु का आदेश ही कानून है परन्तु गेटेल के अनुसार वे नियम भी कानून कहलाते हैं जो पहले से विश्वान हैं और जिन्हे राज्य ने मान लिया है। इसी प्रश्न जवाब कानून को क्यों मानती है इस पर भी मनमेद है। कानून का व्यापर्य स्वरूप समझने के लिये यह ग्रावेश्डर्क है कि हम उन विभिन्न सिद्धान्तों का चर्चा करें जिनके अनुसार विभिन्न लेखकों ने कानून की गलती की है।

(१) विश्वेषणात्मक अध्यवा आदेशात्मक सिद्धान्त—

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक लोदों, हास्य, वेन्यम, ऑस्टिन आदि ये। वर्तमान काल में इन्हें दो लोडों और अमेरिका में विलोची भी इसी सिद्धान्त के समर्थक हैं। यह लोद वर्तमान कानूनों का विश्वेषण करके

तथा उनसी अभियक्षि के स्प, उनकी मान्यता तथा उन्हें व्यवहार में लाने के ढंग आदि के ग्राधार पर उनसा वर्गीकरण करके कानून के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं। ऑस्ट्रियन के अनुसार कानून प्रभु का आदेश है। उनकी यूटि प्रभु द्वारा होती है और वह कानून दसलिये हैं कि वह उसमा आदेश है। उसका पालन इस बारण होता है कि प्रभु की शक्ति उसके पीछे है। जिस नियम को इस शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं है वह कानून नहीं बहला सकता। हॉलैंड का कथन है कि कानून का स्वयं स्वयं लक्षण यह है कि वह निकन्नणमारां है।

(२) ऐतिहासिक सिद्धान्त—

विश्वेषणात्मक विद्वान का एक मुख्य दोष यह है कि उसके अनुसार कानून प्रगतिशील न होनेर निश्चल बन्तु रह जाता है, उसका कानून के विकास की ओर व्याप्त नहीं जाता। इस दृष्टि से ऐतिहासिक विद्वान के समर्थनों ने उनकी वही कड़ी आलोचना की है। उनसा कथन है कि कानून प्रभु का आदेश नहीं बरन् प्राचीन धार्मिक तथा सामाजिक रीति-रिवाजों का विभासित स्पृष्टि है। मनुष्य ग्राम्य से ही समाज में रहता आया है और तभी से आवश्यकतानुपार सामाजिक नियम बनते रहे हैं जिन्हें लोग मानते आये हैं। सम्भवा की उद्धति के माध्यम से इन नियमों से आवश्यक हेरफेर और वृद्धि होती रही। इन नियमों में ने अनेक राज्य द्वारा स्वीकार कर लिये गये और उनसा पालन करने का भार राज्य ने अपने ऊपर ले लिया। शेष अब भी समाज में बिना राज्य के समर्थन के वैसे ही माने जा रहे हैं। आवश्यक भी जो नव कानून बनाये जाते हैं उसमें जनता के रीति-रिवाजों का पूरा-पूरा व्याप रखा जाता है। इस विद्वान के प्रतिपादकों में से मुख्य जर्मनी का जनविद्वान तथा इडलैंड के सर हेनरी मेन, मेटलैंड तथा सर क्रेडरिक पॉलर हुए हैं। मेन ने 'एन्स्ट्रेटलॉ' नामक पुस्तक में विश्वेषणादियों की कड़ी आलोचना की है। इस पर हम प्रथम भाग में कुछ प्रमाण डाल चुके हैं। उसका कथन है कि प्राचीन जातियों में कानून धर्म के अद्वय में, राजा स्वयं उनसी मानता था, उनसा निर्माण नहीं बर मरना था और न उनमें कोई परिवर्तन हो कर सकता था। उसने पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह का उल्लेप करते हुए लिखा है कि अत्यन्त शक्तिशाली और निरंकुश होते हुए भी उसे प्राचीन रीति-रिवाजों के अनुसार ही शासन करना पड़ता था, वह उन्हें हटाकर नये कानून बनाने का गाहस नहीं कर सकता था। इस प्रमाण इतिहास से प्रकट होता है कि यह

आवश्यक नहीं है कि कानून प्रभु का आदेश हो। इसके उत्तर में अँस्टिन का कथन है कि प्रभु जिसके लिये अनुमति दे दे वह उसका आदेश ही है। मिनु प्रभु अनुमति देने या न देने में स्वतन्त्र नहीं होता, जिन रीति-रिवाजों को जनता मानती है उनके लिये प्रभु को अनुमति देना ही पड़ती है। प्रतिशित रीति रिवाजों में परिवर्तन करने का प्रभु साहस नहीं कर सकता, नहीं तो उसका अस्तित्व ही खनरे में पड़ सकता है।

(३) दार्शनिक सिद्धान्त—

रूमो, कॉर्ट आदि दार्शनिकों का मत है कि कानून जनता की असली इच्छा (Real will) को प्रकट करते हैं जिसके सामने त्रिपिक्ष, तात्कालिक इच्छा (Actual will) से भिन्न सदा नैतिक लक्ष्य ही रहता है। जब हम कानून मानते हैं तो हम अपनी ही अन्नरात्मा की नक्की बाणी को मानते हैं। दार्शनिक दृष्टि से प्रजातन्त्र में तो यह मत ठोक ही सकता है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से प्रजातन्त्र में जहाँ शासन दलधन्दा के आधार पर होता है इस मत को स्वीकार करना कठिन है। निरंकुश राज्यों में तो जनता की इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) समाजशास्त्रीय सिद्धान्त—

प्रश्नत क्रेन्च समाजशास्त्री युग्मी और दब लेखक केव वा मत हम कपर बृहुवादी सिद्धान्त की चर्चा करते समय प्रकट कर आये हैं। उनके विचार में कानून सामाजिक जीवन के परिणाम है। समाज में ठीक तरह से रहने और सामाजिक जीवन से लाभ उठाने के लिये व्यक्तियों को कुछ नियम पालने पड़ते हैं। यहीं नियम कानून है। लोग उनका पालन इस कारण नहीं करते कि उनका प्रभु ने आदेश दिया है और उनकी भंग करने पर दण्ड मिलेगा वरन् इस कारण उनका पालन करते हैं कि उनका पालन किये बिना सामाजिक जीवन ठहर नहीं सकता। प्रभु इन कानूनों का निर्माण नहीं करता, केवल हूँड निरालता है। कानून प्रभु को उसके कर्तव्यों वा शान करते हैं और इस कारण वे उससे भी बढ़कर हैं।

(५) नैतिक सिद्धान्त—

यह सिद्धान्त कानून के स्वरूप पर प्रकाश नहीं ढालता, केवल यह बताता है कि हम उनका पालन क्यों करते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार हम राज्य के कानूनों द्वा इस कारण नहीं मानते कि वे प्रभु के आदेश हैं या शारीर रीति-रिवाज हैं वरन् इसलिये कि वे इमारे अधिकारों और

कर्तव्यों का निर्देश करते हैं और हम उन्हें उचित गम्भीर हैं। इस प्रशासन कानूनों के पालन का आधार हमारी नैतिक प्रहृति के अनुकूल होने के कारण उनसे ग्रीष्मित्य है। यहाँ कारण है कि जनता युद्ध कानूनों को मानती है और कुछ का विरोध करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी कानूनों का समान रूप में पालन होता। इस सिद्धान्त के समर्थक लॉक्टी,^{*} रॉक्टी पाउरेंड आदि हैं।

उपर्युक्त सिद्धान्तों में भी कोई भी ऐसा नहीं है जो कानून के स्वरूप का व्याख्यान कर सके, यद्यपि ग्रत्येष में कुछ गत्यांश अवश्य हैं। आदेशात्मक सिद्धान्त के अनुगार कानून प्रभु के आदेश होने हैं परन्तु सभी कानून आदेश नहीं होते। कुछ कानून तो आदेशात्मक होते हैं जैसे कर-सम्बन्धी कानून, जिनके द्वारा हमें नियमानुकूल वर्तना पड़ता है और यदि न हो तो हम राज्य की ओर में दरड के भागी होते हैं। ऐसे कानूनों में निपेधात्मक नावन भी सम्मिलित है जिनके द्वारा कुछ प्रशासन के कार्य करने की राज्य की ओर से मनाही वी जानी है और जिनको भड़क करने पर दरड मिलता है। परन्तु कुछ कानून ऐसे होते हैं जो आदेशात्मक नहीं, अनुमतिसूचक होते हैं जैसे मनदान सम्बन्धी कानून। जिस व्यक्ति में मनदाता की योग्यता हो वह मन दे नस्ता है परन्तु यदि वह अपना मन न दे तो उसे कोई दरड नहीं मिलता। यह भी सत्य है कि कानूनों का आधार बहुत बड़े अंश तक हमारे प्राचीन रीति-रियाज हैं और कानून का धोरेधीरे विकास होता है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी मानता पड़ते हैं, जैसे कारब्बानों में आस्तिनक दुर्घटना के लिये श्रमिक को हजारों दिलाने की व्यवस्था करने पाले कानून, जिनसे हमें प्राचीन गीनि-रियाज में जिन्हें भी नहीं मिलता। बहुत से कानून हमारी यन्त्रणाओं के अनुकूल होते हैं परन्तु सभी नहीं। यह भी सत्य है कि कानून सामाजिक जीवन के परिणाम है और यह उन्हें सामाजिक जीवन दे लिये आवश्यक मानते हैं मिल सामाजिक जीवन के ग्राहक तथा न्याय वी भावना सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती और सभी व्यक्ति इस भावना में उन्नतों का पालन नहीं करते। इस बात में भी हम इन्कार नहीं करते कि हम कानूनों को बेबल हसालिये नहीं मानते कि वे प्रभु के आदेश हैं परन्तु इन्हिं भी मानते हैं कि वे हमारी नैतिक प्रहृति के अनुकूल होने के कारण उचित हैं। इस प्रकार

* Laski : Grammar of Politics, p. 288-89.

हम देखते हैं कि अपूर्ण होते हुए भी प्रत्येक मिदान्त में कुछ गत्य एवं ग्राव्य तत्व हैं। गभी मिदान्त एक दूसरे के पूरक है और इनके तत्वों का उचित समन्वय करके ही हम कानून का यथार्थ स्वरूप ज्ञान मर्ने हैं। कानून के स्रोत अनेक हैं जैसा हम अभी आगे देखेंगे; उन्हें हम मानते भी अनेक कारणों से हैं। परन्तु इतना नो अवश्य मीकार करना पड़ेगा कि कानून के लिये राज्य वी सीमित आवश्यक है और उसके पक्ष में राज्य का घल होना चाहिये अन्यथा वहुत मे लोग उचित होने हुए भा कानूनों को नहीं मानेंगे और व्यवस्था विगड़ जायगी। इन दृष्टि में आदेशान्मुख मिदान्त अपूर्ण होते हुए भी अधिक ग्राव्य है, उसकी उटियों की पूर्ण ग्रन्थ मिदान्तों की सहायता मे की जा सकती है। कानून मे जिन-जिन वानों का समावेश होता है वे अनेक स्रोतों से प्राप्त होतो हैं परन्तु उनको निश्चित और नियमित रूप देने वाली शक्ति प्रभु ही है जिसकी मान्यता प्राप्त किये विना कोई नियम राज्य को नमस्त जनता पर समान रूप से बन्धनकारी नहीं हो सकता और न उसका उपयोग ही न्यायालय न्याय करने मे कर सकते हैं।

कानून के स्रोत—

डॉलीएड ने कानून के ६ स्रोत बताये हैं—

(१) रीति-रिवाज—

यह कानून का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। प्राचीन काल मे समाज मे लिखित कानून नहीं होते थे। उस समय लोग अपने पारस्परिक व्यवहार में कुछ रीति-रिवाजों का पालन करते थे जो आदत, अनुभव, उपर्योगिता, न्याय-भावना आदि के कारण अपने-ग्राम धोरे-धारे बन गये थे या जान-बूझकर बना लिये गये थे। उनके निर्माण में राज्य का कोई हाथ नहीं था। उनका विकास समाज वी आनश्यकता के अनुसार होता रहा है और समय-समय पर उनमें परिवर्तन होते रहे हैं। वहुत मे रीति-रिवाज प्राचीन काल से रिंगो न किंगो न्प में आज तक चले आ रहे हैं। उनमा कानून के समान आदर होता है और न्यायालयों मे भी वे माने जाते हैं। कई रीति-रिवाजों को तो प्रभु कानून का ही रूप दे देना है और वे राज्य के लिखित कानूनों मे नमिलिन हो जाते हैं। डॉलीएड का कौमन लों प्राचीन रीति-रिवाजों का ही गंग्रह है।

(२) धर्म—

धर्म का आगम से ही मनुष्य-जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन काल मे रीति-रिवाजों तथा धार्मिक नियमों मे बड़ा धनिष्ठ गम्भीर था और

उनमें कोई भेद नहीं समझा जाता था। अनेक रीति-रिवाज तो ऐसे थे जो धर्म के हो अङ्ग माने जाते थे। समाज में जिनके नियम बनाये जाते थे उन पर धर्म की हाइ से विचार किया जाता था, उन नियमों का उल्लंघन पाए गए भासा जाता था और ऐसा विश्वास किया जाता था कि उनका उल्लंघन करने पर ईश्वर दण्ड देगा। इन प्रकार रीति-रिवाज अधिक पुष्ट हो जाते थे और लोग उनका अच्छा प्रभाव पालन करते थे। विलयन ने बतलाया है कि रोम व प्रारम्भिक कानून धार्मिक नियमों के सम्बन्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं थे। भारतवर्ष में तो व्यक्ति के समस्त जीवन पर धर्म का बड़ा नियंत्रण रहा है और हिन्दुओं के अधिकार लाभाविक नियम उनके धर्म-अन्यों के आधार पर स्थित हैं। आजकल भी हिन्दुओं के वैयक्तिक कानून (हिन्दूलो) का आधार धर्मशास्त्र है। इस प्रकार मुख्लमानों के वैयक्तिक कानून (मुख्लिम लों) कुरान तथा शरियत का आधार पर बने हुए हैं।

(३) न्यायालयों के निर्णय—

न्यायाधीश न्याय बरते समय बैकल कानूनों को लागू हो नहीं करते, वे बहुधा नये कानून का निर्माण कर देते हैं। कई बार उनके गामने ऐसे अभियोग आते हैं जिनके सम्बन्ध में कानून अस्पष्ट होता है। ऐसे अवसर पर उन्हे अपनी न्याय बुद्धि और नैतिकता के अनुगार कानून की दृढ़म व्याख्या करनो पड़ती है और उस स्पष्ट करना पड़ता है तथा उस व्याख्या के अनुगार अपना निर्णय देना पड़ता है। इस तरह वे कानून का विनाशक बरते हैं और एक प्रकार से नये कानून का सुषिट करते हैं। बड़े-बड़े न्यायाधीशों के पेर्चादा मामलों में दिये हुए निर्णय आगे के लिये प्रमाण बन जाते हैं और इसे न्यायाधीश निर्णय करने में उनका अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार बने हुए कानून न्यायाधीश निर्मित कानून कहे जा सकते हैं।

(४) न्यायाधीश की न्याय-भावना (Equity)—

न्यायाधीश अस्पष्ट कानूनों को अपनी व्याख्या द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त एक काम और करते हैं। कभी-कभी उनके गामने ऐसे अभियोग भी आते हैं जिनके सम्बन्ध में कानून मौन होता है। ऐसे मौकों पर वे अपने विवर तभा अपनी न्याय भावना के अनुगार अपना निर्णय देते हैं और नये कानून का निर्माण करते हैं। इस स्रोत को एम नीरुर में ही शामिल कर यहते हैं क्योंकि इस प्रकार बना हुआ कानून भी न्यायाधीश निर्मित ही है।

(५) वैज्ञानिक विवेचन—

उपर्युक्त रोति के जो काम न्यायाधीश करते हैं वही काम अन्य कानून विशारद भी करते हैं। प्रस्त्रेक देश में प्रत्येक युग में बड़े-बड़े नोतिज़, दार्शनिक और कानून-विशारद हुए हैं जिन्होंने बड़े परिभ्रम से आचार-विचार के नियमों का सम्प्रह और विवेचन किया है। भारतवर्ष में मनु, पाण्डवलक्ष्म तथा विजानेश्वर; ग्रीस में सोलन, इडलैण्ड में कोरु और ब्लैकस्टोन, अमेरिका में स्टोरी और केस्ट इनी प्रकार के कानून-विशारद हुए हैं। आजकल भी बड़े-बड़े अधिकारी कानून-विशारद, कानून की व्याख्या और समालोचना करते हैं, जिसके द्वारा कानून स्पष्ट हो जाता है और उसका विस्तार होता है। वे कभी-कभी कानून की जुटियों की ओर ध्यान दिलाते हैं और उनको दूर करने के लिये दुखोत्त प्रस्तुत करते हैं। अधिकारी नियामदों के मन का न्यायाधीश आदर करते हैं और न्याय करने समय उसको कानून के समान प्राप्ताधिक भानकर उच्चा उपयोग करते हैं।

(६) विधान-मरडल (धारा-सभा)—

कानून का यह सोन सबते अधिक महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी लिखित कानून हैं वे सब जिसी अधिकारी द्यक्ति या संत्वा द्वारा बनाये हुए होते हैं। निरंकुश राज्यों में कानून बनाने वा अधिकार राजा को ही होता है परन्तु जननन्त्रीय राज्यों में यह अधिकार जनता के प्रतिनिधि विधान-मरडलों द्वारा होता है जो नये कानून बनाने हैं और पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं या उन्हें अनावश्यक समझकर रद्द करते हैं। आजकल अधिकारी कानून इन्हीं संस्थाओं द्वारा बनाये जाते हैं। कहीं-कहीं जहाँ प्रत्यक्ष जननन्व है वहाँ समलै नागरिक भी मिलकर कानून निर्माण करते हैं। विधान-मरडलों द्वारा निर्मित कानून जनता की अभिव्यक्ति इच्छा हो है। कानून बनाने की इस परिपाठी के कारण अब कानून के अन्य सोनों का नहर बहुत कम हो गया है। रीति-रिवाज का स्थान अब धारा-सभा द्वारा निर्मित हुनिश्चित कानूनों ने से लिया है। कानून बनाने समय विधान-मरडल द्वारा मनुचित विचार होने तथा एक ही विषय से मन्दद विभिन्न कानूनों का संभव करने के कारण अब न्यायाधीश-निर्मित कानूनों का द्वेष भी भंडुचित हो गया है और शास्त्रीय व्याख्याएँ अब मुख्यतः विवाद में काम आती हैं। नये कानून के निर्माण में रीति-रिवाज, धार्मिक भूत, विवेश-मालवा आदि भी काम करते हैं परन्तु अब कानून के स्रोत के रूप

म उनका महत्व नहीं रहा, वे केवल प्रभाव ढालने वाले तत्व के रूप में रह गये हैं।

राजकीय कानून के भेद—

राजकीय कानूनों के भेद अनेक प्रकार के बताये जा सकते हैं। हॉलीएड ने राजकीय कानून दो प्रकार के बताये हैं—निजी (Private) और सार्वजनिक (Public)। जो कानून नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित करते हैं जैसे सम्पत्ति, वालीयत, घरण आदि के सम्बन्ध में, वे निजी कानून कहलाते हैं। ऐसे मामले व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में हो होते हैं। जो कानून व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों को निर्धारित करते हैं वे सार्वजनिक कानून होते हैं। जब कोई व्यक्ति राज्य के विश्व कोई अपराध करता है जैसे चोरी, उत्तीर्ण अवज्ञा हत्या करते, तो उससा मुकदमा सार्वजनिक कानून के अनुसार होता है। ऐसे अपराधों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाना है परन्तु ऐसे अपराध सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था में भी वाधा होते हैं। चूँकि सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करना राज्य का दाम है इगलिये इस प्रकार के अपराध राज्य के विश्व समझे जाते हैं। सार्वजनिक कानूनों में वे कानून भी सम्मिलित होते हैं जिनसा राज्य के सङ्गठन तथा शासन की शक्तियों के विवरण से सम्बन्ध होता है और जो वैधानिक भी कहलाते हैं।

राजकीय कानूनों में राष्ट्रीय (Municipal or National) और अन्तर्राष्ट्रीय (International) कहकर भी भेद किया जाता है। हॉलीएड द्वारा निर्दिष्ट निजी और सार्वजनिक कानून राष्ट्रीय कानून है क्योंकि उनके द्वारा राज्य के अन्दर व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन होता है। प्रियंग राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का नियमन करने वाले कानून अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं।

राजकीय कानून भा एवं नीतियों प्रकार से भी वर्गीकरण किया जाता है—वैधानिक तथा साधारण। वैधानिक कानून की दीप्ति हम ऊपर कर चुके हैं। राज्य के अन्दर शेष जिनसे कानून रह जाते हैं वे गव गाधारण कानून कहलाते हैं। गाधारण कानून, भा अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कानून के न्योतों का उल्लेख करते समय हम उनको कुछ चर्चा कर आये हैं। जिस ढंग के अनुसार कानून का निर्माण होता है उमरे अनुसार गाधारण कानून निम्न प्रकार हो सकते हैं।

(१) नाधारण कानून या विधि (Statute law) जो राज्य के निधान-

कानून

मरडल द्वारा बनाये जाते हैं। कई देशों में वैधानिक कानून का निर्माण भी विधान-मरडल करते हैं परन्तु इन दोनों प्रकार के कानूनों में भेद है जिसका उल्लेख अभी हो चुका है।

(२) अव्यादेश (Ordinance)—असाधारण परिस्थिति में राज्य के मुख्य अधिकारी को अस्थायी कानून बनाने का अधिकार रहता है। जिनके समय के लिये वे बनाये जाते हैं उसके बाद वे अपने आप ही रद्द हो जाते हैं। उनकी अवधि का विस्तार भी हो सकता है या निर्दिष्ट विधि के अनुसार अवधि के पहले भी वे रद्द हो जाते हैं या किये जा सकते हैं।

(३) न्यायाधीश निर्मित कानून जिसका स्पष्टीकरण ऊपर हो चुका है।

(४) रीति रिवाज तथा प्राचीन परम्पराओं पर आधित कानून। इसका वर्णन भी ऊपर किया जा चुका है।

(५) प्रशासनीय कानून (Administrative Law)—ऐसे कानून प्रत्येक देश में नहीं होते। इन्हें, अमेरिका तथा भारतवर्ष में इस प्रकार के कानून नहीं हैं। प्राचीन तथा दोरोप के कई अन्य देशों में प्रशासनीय कानून है जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों की विशेष स्थिति और तत्सम्बन्धी उत्तरदायित्व स्थिर किये जाते हैं और उनके प्रति नागरिकों के अधिकारों का निर्देश किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की हैमियत से सरकारी कर्तव्य पालन करते समय कोई अपराध करता है तो उसका न्याय एक पृथक् न्यायालय—प्रशासनीय न्यायालय—में प्रशासनीय कानून के अनुसार होता है। उनका मामला साधारण न्यायालयों में नहीं जाता।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून—ये वे कानून हैं जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन होता है। वे कानून विभिन्न राज्यों में ग्राप्त में की हुई संघियों, पारस्परिक समझौतों, प्रथाओं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौतों के निर्णयों और उनके आधार पर निर्मित नियमों पर आधित रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून यहीं तक राजकीय कानून की कोटि में ग्राते हैं जहाँ तक राज्य उन्हे अपना कानून मानकर देश में लागू करता है। जिन कानूनों को राज्य स्वीकार नहीं करता तो राजकीय कानून नहीं कहे जा सकते।

यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करना या न करना

राज्य की इच्छा पर निर्भर है। स्वीकार कर लेने पर भी यदि कोई राज्य उनसा उल्लंघन करता है तो उस राज्य को दण्ड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी बारण से कानून विशारद जिनमें अँस्ट्रिट जैसे विश्वेषणवादी मुख्य हैं, उनको कानून की कोटि में रखने के लिये तैयार नहीं हैं। उनके मन के अनुभाव कानून प्रभु का उसके अधीनस्थ जनता का आदेश होता है, उनसा स्रोत सुनिश्चित होता है, जनता को उससा पालन करना पड़ता है और उल्लंघन होने पर प्रभु द्वारा निर्दिष्ट ढग में न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इन बातों में पर भी नहीं है। वह किसी प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता का आदेश नहीं है, उससा स्रोत भी सुनिश्चित नहीं है, राज्य उसे मानने या न मानने में स्वतन्त्र है और उनका उल्लंघन करने वाले राज्य को दण्ड देने को युद्ध के अनिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रभाव उनकी हप्ति में अन्तर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं घरन् अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार के नियम हैं जिनका पालन युद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय लोकमन के भय से होता है।

इस मन के विपरीत, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, मैंने जैसे ऐतिहासिक कानूनजी का वर्थन है कि कानून आपश्वर रूप के प्रभुत्वसम्पन्न भत्ता का सुनिश्चित आदेश नहीं होता, उसमें कई ग्रानीन रोनि रिवात्र भी शामिल होते हैं जिनको किसी प्रभु ने कभी जन्म नहीं दिया। कानून की वास्तविक बगीटों दण्डभय नहीं, जनता का नैतिक अनुमोदन और उसके फलस्वरूप उसको गामान्य मान्यता है। राज्य में कई सुनिश्चित कानून होते हैं जिनका पालन नहीं होता और जनता के विरोध के भय से शामन उन पर अमल करवाने का प्रयत्न नहीं रहता। इस हप्ति से कानून वास्तव में उन नियमों के गमह का नाम है जिनको कानूनी रूप दे दिया गया है, जिनको सामान्यतया लोकमन का गमर्थन प्राप्त है और जिनका पालन वे लोग करते हैं जिनके आचरण का नियमन करने के लिये वे बनाये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की हम यदि इस कमीटी पर कहें तो वह ठीक उत्तरता है और कानून की कोटि में आ जाना है।

यह समस्त विश्वाद परिभाषा का है। यदि हम कानून के आदेशात्मक गिरावट की स्वीकार करें तो 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून' पद में ही विरोधोक्ति है। आदेश देने वाला और उस पर अमल करवाने वाला दोई सुनिश्चित राजनीतिक प्रभु होना चाहिये। इस हप्ति में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को वास्तविक कानून बनाने के लिये एक विश्व राज्य और विश्व प्रभु होना चाहिये।

और यदि वह वास्तविक कानून है तो वह एक विश्व राज्य का राष्ट्रीय कानून हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के अनुसार आदेश प्रभु द्वारा अधीन लोगों को दिया जाता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून तो समान राज्यों के पारस्परिक समझौते द्वारा बनाये हुए नियम हैं, जिनी सर्वोपरि शक्ति की इच्छा को अभिव्यक्ति नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून नीतिक नियमों का सम्प्रेह मान रह जाता है। किन्तु यदि वास्तव में देश जाय तो यह कानून नीतिक नियमों का सम्प्रहमात्र ही नहीं है। उसके सांत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को एक प्रकार का राजनीतिक सत्ता में है, उनके द्वारा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का नियमन होता है और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनका प्रयोग भी होता है। उनके भङ्ग नियंत्रण पर आधिकार, कृष्णानिक विद्यारथ आदि दण्ड दिये जाते हैं और कभी-कभी भङ्ग करने वाले राज्य में मशाल्य हस्तक्षेप भी होता है, जिस प्रकार कुछ वर्ष पहले उत्तरी कोरिया में हुआ था। सासार के अधिकांश राष्ट्र उन्हें मानते भी हैं और उनके अनुसार आचरण भी करते हैं। उनका ग्राधार भी वही अनुमति और बल है जो राजकीय कानून और राजनीतिक प्रभु का होता है। इन्हीं बातों को देखते हुए गेंट्स का कथन है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपूर्ण रूप से संगठित राजनीतिक संसार में एक अधिकारित और अपूर्ण कानून है तो भी उसके नियम कानून की सीमा पर जा पहुंचे हैं और केवल नीतिक नियमों का सम्प्रहमात्र न हो कर वह वास्तविक कानून है। उनमें जो त्रुटियाँ हैं वे वही हैं जो विकास की प्रायमिक अवस्था में सभी कानूनी व्यवस्थाओं में होती हैं। यदि हम कानून की परिभाषा को दुख विशद कर दें ताकि उसमें किसी जनसमूह के बाल्य आचरण के वे सब नियम आ जायें जिन पर उस जनसमूह को आन्तरिक विवेक बुद्धि नहीं वरन् सामान्य अनुमति से कोई बाल्य शक्ति अमल करवा सके तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम वास्तविक कानून कहे जा सकते हैं।*

प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून—

इस अध्याय के आरम्भ में हमने कानून शब्द के अनेक अर्थों का उल्लेख किया था और भोटी तोर पर कानून का विविध वर्गीकरण किया था—प्राकृतिक, नीतिक तथा मानवीय (जिनका मनुष्य के बाल्य आचरण

*Gellell : Political Science. p. 455.

से सम्बन्ध होता है)। यहाँ इन विभिन्न प्रकार के कानूनों के भेदों पर
कुछ विशेष प्रकाश आनना उचित होगा।

जिस प्रकार कानून शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसी प्रकार प्राकृतिक
कानून के भी अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ में तो इससे प्राहृतिक (भौतिक)
जगत की घटनाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध प्रकट करने वाले नियमों का
बाध होता है। इस अर्थ में यदि हम इन कानूनों को भौतिक कानून कहे
तो अनुचित नहीं होगा। मामाजिक समझौते वालों ने मनुष्य को प्राहृतिक
अवध्या में काम में आने वाले नियमों को प्राहृतिक कानून कहा है। नाग-
रिकों को सबोच एवं सर्वनोकुलों उचित के लिये जो आदर्श कानून इसी
भी राज्य में माने जाने चाहिये उन्हें भी प्रीत जैसे लेखकों ने प्राहृतिक
कानून कहा है। ० इसी प्रकार प्राकृतिक कानून के अन्य अर्थ भी हैं।

भौतिक नियमों के अर्थ में प्राहृतिक कानून और मानवीय कानून
में बड़ा अन्तर है। भौतिक नियमों से यह प्रकट होता है कि भौतिक
जगत में घटनाएँ विस प्रकार घटनी हैं परन्तु मानवीय कानून बदलते
हैं कि मनुष्य को विस प्रकार आचरण करना चाहिये; वे मनुष्य के
आचरण पर नियन्त्रण लगाते हैं। भौतिक नियमों की प्राहृतिक घटनाओं
पर निरीक्षण द्वारा रोज़ की जाती है, वे बनाये नहीं जाने विन्तु मानवीय
कानूनों का मनुष्य द्वारा निर्भाग होता है। भौतिक नियम सर्वदा सत्य है
और उनके अनुसार गदा काम होता रहता है, चाहे मनुष्य जाने या न
जाने। विन्तु मनुष्यकृत मानवीय नियमों के विषय में यह बात नहीं कही
जा सकती; कुछ लागू किये जा सकते हैं, कुछ नहीं और कुछ अनानेक
प्रमाणित होने पर रद्द कर दिये जाने हैं। यदि चोई घटना भौतिक नियम
ये प्रतिकूल होती है तो वह घटना गलत नहीं होती बरन् यही समझा
जाता है कि उन नियम में त्रुटि या और उस त्रुटि को दूर कर सत्य
नियम का रोज़ की जाती है। विन्तु यदि मनुष्य इसी मानवाय कानून के
विपरान आचरण करता है तो कानून गलत नहीं समझा जाता, उसका
आचरण हो जाने विस्त और दण्डनीय समझा जाता है। भौतिक नियम
गर्वन्द और गदा निर, निश्चिन और एवं ने होते हैं; उनका भग नहीं
हो सकता और उनके विरोध का प्रश्न हो नहीं उठता। विन्तु मानवीय
कानून देशनाल से परिस्थिति पे अनुसार भिन्न होते हैं और बदलते
रहते हैं। उनका विरोध हो सकता है और ये भद्दा भी किये जा सकते हैं।

मानवों व्यवहार का नियमन करने वाले नियमों के रूप में प्राकृतिक कानून के अर्थ के सम्बन्ध में, जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, वहाँ मत-भेद है और उससे कोई सर्वभान्य परिभाषा देना सम्भव नहीं है। समय-समय पर इसके अलग-अलग अर्थ किये गये हैं। प्राकृतिक कानून की वल्पना सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने की थी। उनमा विश्वाम था कि विश्व का सञ्चालन किसी आधारभूत सिद्धान्त द्वारा होता है। इस सिद्धान्त को उन्होंने प्रकृति का नाम दिया। उनके विचार के अनुमार भौतिक और नैतिक जगत की पटनाएँ कुछ सरल और सामान्य नियमों के अनुमार होती हैं जिन्हे प्राकृतिक नियम कह सकते हैं। यह वल्पना स्टॉइक (Stoic) दार्शनिकों के महितष्म में विकसित हुई। उन्होंने बदलाया कि विश्व का सञ्चालन करने वाला सिद्धान्त ईश्वरीय विवेक है और प्राकृतिक नियम उसी ईश्वरीय विवेक की अभिव्यक्ति है। मनुष्य भी विश्व का अङ्ग है, इस कारण उसका भी नियमन वही विवेक करता है। इस प्रकार प्राकृतिक नियम विवेक के नियम के अतिरिक्त कुछ नहीं है और बुद्धि के द्वारा उनका पता लगाया जा सकता है। ईश्वरीय विवेक पर आधारित होने के कारण यह नियम नित्य और सर्वत्र सत्य है। समस्त राज्यों ने कानून इन्हीं नियमों के अनुरूप होने चाहिये।

जब रोम ने ग्रीष्म पर विजय प्राप्त कर ली तो प्राकृतिक नियम का सिद्धान्त रोम की कानून व्यवस्था में प्रविष्ट हो गया। पहले रोम में केवल एक प्रकार का कानून था—‘जस सिविल’ (Jus Civilis)—जो केवल रोमन लोगों पर लागू होता था परन्तु बाद में स्टॉइक दार्शनिकों के प्रभाव के और कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक दूसरे प्रकार का कानून ‘जस जेन्टियम’ (Jus Gentium) का निर्माण हुआ जो रोम के अधीन उन समस्त जातियों के लिये था जिन पर ‘जस सिविल’ लागू नहीं हो सकता था। धीरे-धीरे यह विश्वाम बन गया कि ‘जस जेन्टियम’ प्रास्तव में प्राकृतिक कानून है जो समस्त जातियों पर लागू हो सकता है और ‘जस जेन्टियम’ का नाम भी ‘जस नेचुरल’ (Jus Naturale) हो गया। बाद में मध्य-युग के धार्मिक तथा दार्शनिक लेखकों ने भी इस कल्पना की अपनाया। इस प्रवार यह कल्पना कानून के क्षेत्र से धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जा पहुंची और प्राकृतिक कानून एक नैतिक आदर्श बन गया। कई लेखकों ने उससे ईश्वरीय नियम से एक-स्पता बनाई और इस प्रकार यह ग्राविश्वक हो गया कि राजा उसके

अनुगार शानन करे तथा प्रजा उनका पालने करे। यदि राजा प्राहृतिक नियमों अर्थात् ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करे तो प्रजा उससी आजा का पालन रुने के कारण से मुक्त हो जाती है। इस विचार में हमें आपुनिक प्रजानवीय विचारों का पूर्णाभास मिलता है।

आपुनिक युग में हॉब्स, लॉक, स्पिनोजा, रसो आदि ने अपने गमभीने के गिराव़ा नींव प्राहृतिक अवस्था और उनमें काम में आने वाने प्राहृतिक कानून पर रखा परन्तु, जैसा हम देख सकते हैं, इन लोगों की प्राहृतिक कानून की कल्पना समान नहीं थी। आगे चलकर इस कल्पना का प्रयोग व्यक्तिगत के समर्थन में हुआ। स्पेन्यर ने बतलाया कि प्राहृतिक कानून के बल पर है और वह है मनुष्यों का स्वतन्त्रता का मनान अविभार। इसके आधार पर उसने व्यक्तिगत का समर्थन किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राहृतिक कानून के विषय में एकमत का बिलुल अमान है। प्राहृतिक कानून ही क्या, प्रकृति शब्द के ही अन्तर अर्थ निये जाते हैं। ब्राइट ने बतलाया है कि रोमन कानूनज प्रहृति शब्द का प्रयोग ६ अर्थों में करते थे। ऐसी दशा में प्राहृतिक कानून की कल्पना का कार्य व्याप्तिगत भूल्य नहीं रह जाता। हाँ, इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि उसे मनने वाले कई अधिकारी लेपनों का उद्देश्य तुल्य ऐसे आदर्श नियमों को बनाना रहा है जिन पर व्याप्तिगत जावन में आचरण हो सके। आज भी हम इस कल्पना को आदर्श कानून के अर्थ में अहण करते हैं और उसके आधार पर राजनीय नियमों में सुधार होने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस कल्पना का आपुनिक कानून पर कई प्रभार से प्रभाव पड़ा है। हमने ऊपर कानून के स्रोतों में विनेश की जचों को है जो स्टॉइर दार्यनिर्माण को कल्पना के अनुगार प्राहृतिक कानून का तत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार में भी प्राहृतिक कानून की कल्पना विद्यमान है। जून द्वारा जो न्याय होता है उसमें भी इस कानून की कल्पना काम करती है क्योंकि ऐसा विश्वास दिया जाता है कि संभव मनुष्य मिलकर स्वाभाविक न्याय को अधिक अच्छी तरह प्रस्तु कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल प्रत्येक सम्बन्ध राज्य में जोगत और गम्भीर के अधिकार सुरक्षित रहते हैं जो प्राहृतिक कानून की धारणा के अनुकूल है।

इस प्रकार यदि हम प्राहृतिक कानून को आदर्श कानून के अर्थ में अहण करें तो भी हमें प्राहृतिक कानून और मानवीय कानून में बड़ा अन्तर

दिखाई देता है। प्राकृतिक कानून आदर्श हैं। उनका किसी ने निर्माण नहीं किया, विवेक और तरु से उनकी केवल कल्पना की जा सकती है। इसके विपरीत मानवीय कानून मनुष्यकृत और सुनिश्चित होते हैं। आदर्श हीने के कारण प्राकृतिक कानून सर्वत्र और सदा एक रहते हैं परन्तु मानवीय कानून देश काल की परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। प्रारम्भिक कानून आदर्श होने के नाते परिपूर्ण और उटिरहित होते हैं परन्तु मानवीय कानून पूर्णता में उनको नहीं पाते, उनमें अनेक उटियाँ रहती हैं जिनका समय-समय पर सशोधन द्वारा निराकरण किया जाता है। सर्वत्र मानवीय कानूनों को यथासम्भव पूर्ण और निर्दोष बनाने का प्रयत्न किया जाता है और इस प्रकार आदर्श कानून तक पहुँचने की कोशिश की जाती है।

राजकीय कानून और नैतिक कानून—

दूसरे अध्याय में हम राज्य-विज्ञान और नीतिशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन कर चुके हैं और उसके द्वारा राजकीय कानून और नैतिक कानून का पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। कानून और नैतिकता के सम्बन्ध का अध्ययन करते समय हमें नैतिकता के दो रूपों में भेद करना चाहिये। सिजिविक ने आदर्श नैतिकता (Individual morality) और यथार्थ नैतिकता (Positive morality) में भेद किया है। आदर्श नैतिकता से तात्पर्य व्यक्ति की नैतिक भावना, उसकी उचितानुचित, भले-बुरे की भावना का है। इस प्रकार वह वैदिक नैतिकता है। यथार्थ नैतिकता से तात्पर्य सामाजिक नैतिकता का है। किसी भी समय समाज में उचितानुचित तथा भले-बुरे की जो सामान्य भावना होती है उसे सिजिविक ने यथार्थ नैतिकता कहा है। जब हम कागून और नैतिकता की तुलना करते हैं तो वह तुलना कानून और यथार्थ नैतिकता की होती है।

कानून और नैतिकता में बहुत अन्तर है। नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति के चरित्र से होता है। उसका उद्देश्य व्यक्ति को सुप्रवृत्तियों को जागृत करना और तुप्प्रवृत्तियों को दबाकर उसके चरित्र की उन्नति करना है। वह उचितानुचित, अच्छे-बुरे का भेद बतलाकर व्यक्ति को आदर्श जीवन विताने के लिये प्रेरित करती है। वह बतलाती है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। इसके विपरीत कानून का आशय केवल व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करना है जिससे राज्य में

सुन्धवस्था बनी रहे और इस दृष्टि से वह बनलाता है कि व्यक्ति का कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति के आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रभार के आचरणों से रहता है अर्थात् उसका सम्बन्ध मन, वचन, कर्म सभी से है जब कि कानून का सम्बन्ध व्यक्ति के केवल बाहरी आचरण से है। उदाहरणार्थ, कानून तो यही बनाता है कि चोरी नहीं करनी चाहिये और चोरी करने पर वह दण्ड देता है। नैतिकता भी बनातानी है कि चोरी बुरी है परन्तु इसके साथ ही वह यह भी बताती है कि चोरी करने का विचार भी बुरा है। कानून तो उसी समय दण्ड देना है जब कोई काम कानून के विरुद्ध हो, केवल विचार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु नैतिकता बुरे विचार तथा बुरे काम दोनों को बुरा बनाती है। इतना ही नहीं, कानून बहुत से ऐसे कामों को और जो नैतिक दृष्टि से बुरे हैं आन नहीं देता, जैसे कृतपञ्च और धोखेवाज मनुष्य को वह जानते हुए भी कि वह इनमें और धोखेवाज है वह तब तक दण्ड नहीं देता जब तक कि उसके इन दुरुणों के कारण नियी प्रकार सुन्धवस्था को हानि नहीं पहुँचती। इस प्रभार के नैतिक दोष कानून की दृष्टि में दोष नहीं है। इसके साथ ही यह ऐसे कामों के लिये दण्ड देता है जिनमें नैतिक दृष्टि से कोई दोष नहीं है जैसे मुदक पर दाहिनी और चलना या रात को याइनिल पर बिना रोशनी के चढ़ना। साराय में, कानून का सम्बन्ध व्यक्ति के बाह्य आचरणों से भी उसी सीमा तक है जहाँ तक वे समाज की शान्ति एवं सुन्धवस्था पर प्रभाव ढालने हैं, इससे आगे नहीं। कानून निश्चिन होने हैं, उन्हें या तो राज्य बनाना है या मान्यता देना है और उनसे पांछे राज्य का बल रहता है। उनका उल्लंघन होने पर राज्य दण्ड देता है। किन्तु नैतिक कानून मुनिषिचत नहीं होते। उनके विषय में दो व्यक्तियों में भन-भेद हो सकता है और उनका सोन व्यक्ति की नैतिकता को मावना में रहता है। उनका पालन व्यक्ति अपनी अन्तरोत्तमा के आदेश से या लोकमन के भव से करता है।

इन्हु इतना अन्तर होने हुए भी दोनों में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। मानवीय कानून और नैतिक कानून दोनों का गम्भन्ध मनुष्य के आचरण से है और चूँकि मनुष्य वहो है इस कारण इन दोनों में बुद्ध समानता होना स्वाभावित है। दोनों की उत्पत्ति गामाजिक जीवन के प्रारम्भ सुग में मनुष्य की आदतों और उसके अनुभवों से हुई, जब कि नैतिक और

राजनैतिक विचारों में कोई भेद नहीं था। प्राचीन काल में दोनों एक ही थे। इन्तु जब राज्य ने एक स्पष्ट संस्था का रूप धारण कर लिया और राजनीति कानून नैतिक नियमों से पृथक् हो गये तो भी दोनों का सम्पर्क बना रहा। समाज में जिन नैतिक विचारों का प्राधान्य होता है उनका समावेश राज्य के कानूनों में धोरे-धीरे हो जाना है तथा जो कानून समाज की नैतिक मानवना के प्रतिकूल होते हैं उन पर अमल नहीं हो पाता और उन्हें रद्द करना पड़ता है। जो कानून समाज पर ऐसे नैतिक विचार लादना चाहता है जिनके लिये वह तैयार नहीं, उन पर भी अमल नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में मध्यनिषेध का उल्लेख किया जा सकता है। इसके साथ ही किमी अंश तक कानून भी समाज के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक देश में समाज का नैतिक आदर्श होता है और वह कानून की सहायता से उस आदर्श तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। किसी समाज का नैतिक आदर्श कैसा है वह उसके कानून को देखकर भालूम किया जा सकता है। कानून समाज की नैतिकता का दर्पण है।

कानून का उद्देश्य—

हम अभी कानून और नैतिकता के पारत्परिक गम्बन्ध का उल्लेख करते हुए बतला ग्राह्य हैं कि कानून समाज के अपने नैतिक आदर्श को और बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें हमें कानून के उद्देश्य का आभास मिलता है। यहाँ हम इस विषय पर विस्तार ने विचार करेंगे। जेरा हम बतला चुके हैं कानून मनुष्य के बाह्य आचरण के नियम हैं। वे नियम अनेक प्रकार के हैं परन्तु जिन नियमों को राज्य स्वीकार कर लेना है या बनाना है वे कानून की कोटि में ग्राते हैं। इस तरह एक प्रकार से, जैसा कि ऐतिहासिक कानून विचारदों ने कहा है, कानून राज्य से भी पहले की वस्तु है। वास्तव में नियम सामाजिक जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जहाँ कई लोग भिलकर एक साथ रहते हैं वहाँ नियमों का होना अनिवार्य है। नियमों द्वारा मनुष्य की स्वच्छता पर नियन्त्रण लगता है। यदि नियम न हों तो प्रत्येक मनुष्य अपर्णा मनमानी करने लगेगा और ऐसो अवस्था में सामाजिक जीवन संकट में पड़ जायगा। जो शक्तिशाली होंगे वे अपने बज से निर्बलों का जीना हराना कर देंगे। इसीलिये जहाँ कई लोग भिलकर एक साथ रहते हैं वहाँ नियम ग्रपने आप ही बन जाते हैं। प्रारम्भिक समाज में जब जीवन सरल था तब नियम थोड़े ही थे परन्तु

जब जोयन में जटिलता आने लगी तो नियमों की संख्या बढ़ने लगी और सामाजिक संगठन भी बढ़ने लगा। धोरे-धोरे राज्य का संगठन हुआ और जो नियम सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन के लिये बहुत ही आवश्यक थे उनका पालन कराने का भार राज्य ने ले लिया। इस प्रकार वे कानून बन गये। उनका प्राथमिक उद्देश्य या समाज में शान्ति और सुव्यवस्था बनायें रखना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनुष्य की अनियन्त्रित स्वतन्त्रता पर रक्षावट डालकर वैयक्तिक शक्ति के प्रयोग के स्थान पर पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्तमाहन देना, लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या करना और उनके पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करना आदि कामों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समाज में शान्ति एवं सुव्यवस्था कायम होती है और कानून का प्राथमिक उद्देश्य पूरा होता है। अब ने कानून की जो परिमाण भी है उसमें उसके उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख है। उसके अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों की जित व्यवस्था पर राज्य अमल करवाता है उसी का नाम कानून है। परन्तु कानून का काम इसने ही से पूर्ण नहीं हो जाता। इम ऊपर लिये नुक्के हैं कि कानून समाज को अपने नेतृत्व आदर्शों की ओर अप्रशंसनीयता देता है। समाज का नेतृत्व आदर्श है व्यक्ति का अधिकृतम् नेतृत्व धिका और उसके द्वारा समाज की प्रगति। अधिकारों तथा कर्तव्यों के व्यवस्था से राज्य में सुव्यवस्था तो कायम हो सकती है परन्तु उससे व्यक्ति के नेतृत्व विवास में सहायता भी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था राज्य के उद्देश्य पर निर्भर रहती है। सास्की का कथन है कि कानून राज्य के उद्देश्य को पूर्ति करते हैं जो किसी भी समय राज्य में वर्तमान वर्ग-सम्बन्ध (Class-relation) द्वारा निर्धारित होता है। इस तरह कानून का काम समाज के वर्तमान वर्ग-सम्बन्धों को कायम रखना होता है। ‘सामन्ती राज्य में राज्य का उद्देश्य वही होता है जो भूमिगणियों का होता है और कानून उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। पूँजीवादी राज्य (जैसे इंग्लैण्ड) में कानून के द्वारा का नियांरण पूँजीपतियों द्वारा होता है। समाजवादी राज्य (जैसे रूस) में, जहाँ उत्पादन के साधनों के सामान्य स्वाम्प (Common Ownership) के कारण एक वर्ग के हित समस्त समाज के हितों के अधीन हो गये हैं, कानून का द्वारा हमीं तथ्य के द्वारा निर्धारित होता है।’^{१०} यदि वर्तमान

* Laski : A Grammar of Politics, p. IX-X.

राज्यों के कानूनों पर हृष्टि डाली जाय तो लॉस्की के कथन की सत्यता प्रमाणित हो जायगी। किसी भी देश में राजनीतिक सत्ता उसी वर्ग के हाथ में होती है जिसके हाथ में आर्थिक सत्ता होती है। फलतः राज्य के कानून भी उसी के हित में होते हैं और ऐसे समाज में व्यक्ति का पूर्ण विकास सम्भव नहीं होता। इसलिये व्यक्ति की उन्नति के मार्ग में बाधा डालनेवाली जितनी बुराइयाँ हैं (जैसे अशान, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि देशों में अमानता आदि) उन्हे यथाशक्ति दूर करना और व्यक्ति की आनन्दिक शक्तियों को विस्तृत करने में सहायता देने के लिये उसकी बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कानून का दूसरा और आन्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। टॉल्को पाउरेंड ने कानून के चार प्रयोजन बतलाये हैं—(१) शान्ति-स्थापन, (२) सभी व्यक्तियों के लिये अवसर की समानता सुलभ करना, (३) व्यक्ति के विकास में उपस्थित बाधाओं का निराकरण और (४) व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यकताओं को अधिकतम पूर्ति।^{*} ये प्रयोजन वही है जिनका हमने अभी उल्लेख किया है।

अच्छे और बुरे कानून—

राज्य में सभी कानूनों का समान रूप से पालन नहीं होता। किन्हीं कानूनों का पालन लोग अपनी इच्छा से और सरलता से करते हैं, किन्हीं का पालन दरेंड के भय से होता है और कई कानून ऐसे होते हैं जिनका लोग दरेंड का भय होते हुए भी विरोध करते हैं। इस सम्बन्ध में हम अच्छे और बुरे कानून के भेद पर कुछ प्रकाश डालेंगे। कानून-विशारद कानून के सम्बन्ध में अच्छे-बुरे के भेद को निरर्थक समझते हैं। उनका मत है कि अच्छा और बुरा यह नैतिक भेद है, कानून का नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं, वे तो अपने स्वरूप में अनैतिक होते हैं। वे कानून इस कारण नहीं हैं कि उनका कोई नैतिक उद्देश्य है वरन् इस कारण है कि वे प्रमुख के आदेश हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। उन्हें कानून का स्वरूप इसी जरिये से मिलता है, न कि उनके उद्देश्य या आशय से। सभी कानून प्रभु के आदेश हैं, इस कारण सभी समान रूप से माननीय हैं। परन्तु यह मत मान्य नहीं हो सकता। कानून का केवल रूप (Form) ही नहीं होता, बिना आशय और उद्देश्य के कानून कानून

* R. Pound : An Introduction to the Philosophy of Law, p. 72-89, quoted in I. Ahmad : The First Principles of Pol., p. 192.

नहीं हो सकता। कानून घैर उद्देश्य के नहीं हो सकते और वह उद्देश्य है सार्वजनिक बल्बाला। कानून के अच्छे-पुरे को पहिचान इसी कमीटी पर होनी चाहिये। जो कानून इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायता होता है वह अच्छा है और जो वाधक है वह बुरा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह आवश्यक है कि कानून निष्पत्त हो और समाजता के उद्दान्त का धारन न हो। ऐसा न हो कि किसी एक वर्ग को उसके उचित अधिकारों से भी अधिक प्राप्त हो सके और दूसरे वर्ग के न्यायोचित अधिकार भी छिन जायें। उसे समाज की नैतिक भावना के अनुरूप होना चाहिये। बेन्यम ने ग्रन्थ कानून के निम्नलिखित लक्षण बतलाये हैं : (१) स्थायित्व—कानून जल्दी-जल्दी नहीं बदलना चाहिये। इससे जनता को अहंकर होती है और उनका पालन करने का अभ्यास नहीं हो पाता। परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिये कि कानून आवश्यकता पड़ने पर भी न बदला जाय और हितपालक बन जाय। यदि ऐसा हुआ तो वह प्रगति में बाधक हो जायगा। (२) व्याप्रता—कानून निष्पत्त रूप से समस्त जनता के लिये समान होना चाहिये। (३) सरलता—जिससे लोगों को उसे समझने में कठिनाई न हो। (४) पालने में सरलता—कानून ऐसा होना चाहिये जिसका लोग सरलता से पालन कर सकें। यदि उसका पालन करना कठिन होगा तो उसके भग किये जाने की सम्भावना रहगी। बेन्यम ने अच्छे कानून के जो लक्षण बताये हैं वे टीक है परन्तु उसके कानून की सच्ची कलौटी, उसके उद्देश्य—सार्वजनिक हित—की चर्चा नहीं की। किसी कानून में उसके बतलाये हुए सब लक्षण हो गए हैं परन्तु यदि उसमें सार्वजनिक हित की सिद्धि नहीं होती तो वह कानून अच्छा नहीं कहा जा सकता।

आवश्यक प्रायः सभी सम्बद्ध देशों में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाने की व्यवस्था है जिससे ग्रांडिक्ट कानून बनाने का दर नहीं रहना किर भी ऐसे कानून बन जाने की संभावना रहती है जो हानिर छों। ऐसे कानून का विरोध करना और उसे रद्द करवाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। परन्तु इसके लिये प्रयत्न करने के पहले यह निश्चय करना आवश्यक है कि कानून बास्तव में बुरा है वा नहीं। यदि यह कानून किसी की व्यक्तिगत हानि करता है तो वह बुरा नहीं कहा जा सकता यद्यपि उसकी कमीटी तो सार्वजनिक हित है। हाँ, यदि कोई कानून किसी पूरे वर्ग के विरुद्ध हो तो वह अवश्य बुरा है। किसी कानून को बुरा बतलाने

के पहले यह भी देख लेना चाहिये कि जनता में से अधिकांश समझदार व्यक्ति भी उसे बुरा समझते हैं या नहीं। जब यह निश्चय हो जाय कि कोई कानून वास्तव में बुरा है और समझदार व्यक्ति उसे बुरा समझते हैं तो उसे रद्द कराने के लिये नागरिक का कर्तव्य है कि जनता का ध्यान उसकी बुराइयों की ओर आरूपित करे, असचारों में लेख लिखे, सभाओं में भाषण दे, प्रदर्शन करे तथा सरकार के पास आदेनपत्र भेजे। इस आनंदोलन का परिणाम यह होगा कि सरकार को उस कानून के विषद् जनमत का पता चल जायगा और वह उस पर पुनर्विचार करने को मजबूर होगी। यदि देश में जनता को प्रतिनिधिगम्याएँ हैं तो उनमें प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें और चुनाव के गम्य उसी प्रश्न को समने रखें। यदि देश में पूर्ण जनतन्त्र हो तो इस प्रकार के वैध आनंदोलन द्वारा उस कानून को रद्द करवाने में सफलता मिलेगी। परन्तु फिर भी यदि वह रद्द नहीं होता तो उस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध आवश्यक हो जाता है। मौन का मत है कि सभा वैद उपायों के असफल हो जाने पर विरोध उचित होगा, अनिवार्य नहीं क्योंकि सरकार का विरोध करने से राज्य को शान्ति और सुव्यवस्थाओं में बाधा पड़नी है। सार्वजनिक शान्ति और सुव्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। एक या दो अन्यायपूर्ण वातों का मूल्य उसके सामने कुछ नहीं है। राज्य को अवहेलना करना सार्वजनिक शान्ति को एकरे में डालकर समस्त सामाजिक जीवन को अव्यवस्थित कर देता है और एक या दो आवश्यक अधिकारों की प्राप्ति के लिये अन्य समस्त अधिकारों की हानि का यतरा उठाना है।^{*} लास्की का मत है कि यदि लोकमत मेरे पक्ष में न भी हो और मैं अन्याय से सहमत न हो तरह[†] तो भी विरोध करना मेरा कर्तव्य है।[‡] परन्तु विरोध करते समय उसके लिये एक अच्छे नागरिक की तरह दण्ड स्वीकार करने के लिये तैयार रहना चाहिये। दण्ड से दूर भागना कायरता ही नहीं, राज्य के प्रति, जिसने हमारे साथ इतनी भलाई की है, कृतज्ञता भी है। सुरक्षात ने सरकार का विरोध किया और सहर्य मृत्यु-दण्ड स्वीकार किया। महात्मा गांधी का भी यही मत था। उन्होंने अहिंसात्मक असहयोग द्वारा जो उपाय अन्यायपूर्ण कानून के विरोध करने का बतलाया

* Green : Lectures on the Principles of Political Obligation, p, 115-120.

† Laski : A Grammar of Politics, p, 289-90.

वह अद्वितीय है। उससे सफलता मिलती है और साथ ही अवधारणा फैलने का ढर नहीं रहता। परन्तु इस उपाय को बहुत सोच विचार कर और अनिश्चय होने पर ही बाम में लाना चाहिये। कानून का विरोध करने का अधिकार साधारण नहीं है। यदि बारम्बार इस अधिकार का प्रयोग किया जाय तो जनता में कानून के लिये जो आदर-भावना होनी चाहिये वह शिखिल पद जायगी और उसके साथ राज्य की व्यवस्था में भी शिखिलता आ जायगी जो उसके अस्तित्व के लिये धनेरनाक होगी।

अब यादूर्ध कानून का विरोध तो आवश्यक होता है परन्तु, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, अच्छे कानूनों पर अमल बरना और दूसरों की उन पर अमल करने में सहयोग देना नागरिकों का कर्तव्य है। राज्य में शानि एवं सुन्यवस्था बनाये रखने और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपत्ति के लिये स्वतन्त्रता देने के लिये कानूनों पर असता बरना आवश्यक होता है। इसी कारण जो लोग कानून तोड़ते हैं उन पर रुकावट लगाना आवश्यक होता है। प्रत्येक राज्य कानून का उल्लंघन करनेवालों को दण्ड देने की व्यवस्था करता है। सरकार का दण्ड देने का अधिकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता में उसी प्रकार बाधा नहीं होता जिस प्रकार कानून बाधक नहीं होते। वास्तव में अपराधी को दण्ड देकर ही राज्य नागरिकों को एक दूसरे की स्वतन्त्रता में बाधा होने से रोकना है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता और दण्डनीति पर हम आगे विचार करेंगे।

अध्याय ३

स्वतन्त्रता और समानता

इपन आध्याय में यह निर्देश किया गया था कि इन्हें विचारकों का राज्य-प्रभुत्व के लियाल को इस्तोड़ार करने का एक कारण यह था कि यह लक्षि की स्वतन्त्रता के प्रतिकूल है। यह इस बिंदा जाता है कि नदि राज्य नामोनाम ऐव सर्वेक्षितान् हो तो लक्षि उनमें कैसे स्वतन्त्र रह सकता है। राज्य की सत्ता नामरिक की स्वतन्त्रता का प्रतिकूल है। इन दोनों में सामंजस्य नहीं है। नदि राज्य स्वेच्छालाभीया या निरंकुश हो तो लक्षि स्वतन्त्र नहीं हो सकता और यदि लक्षि की स्वतन्त्रता हो तो राज्य की प्रभुत्वा टिक नहीं सकती। राज्य-प्रभुत्व तथा नामरिक की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध पर इस बारे विचार करने का कारण है राज्य और उनके लक्षि के सम्बन्ध में जलत विचार। इसमें विचेतन व्यष्टिवाद तथा इस्तराव-करा गम्भीरों साहित्य में लिखता है। जिन्हुंने यह सर्वेषां स्वतन्त्र धारक हैं। ये दोनों परस्पर सम्बन्धित विचार हैं। राज्य की प्रभुत्वा के इस्तराव में लक्षि के लिये सभी स्वतन्त्रता सम्भव नहीं और राज्य के इस्तित्व का हेतु इस तथ्य में है कि यह प्रभुत्व-सत्ता के बाप्पन द्वारा स्वतन्त्रता का यह प्राप्तिवर्त्त उत्पन्न करता है जिसमें लक्षि इस्तरे जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। इस आध्याय का उद्देश्य यह दियागता है कि स्वतन्त्रता राजनीतिक रूप में संगठित लोगों ने हो सम्भव है और प्रभुत्व-सत्ता को माने बिना स्वतन्त्रता धारक में कोई सार नहीं रहता। स्वतन्त्रता शब्द का अर्थों द्वारे क्षेत्र अपने में लिया जाता है। इसके उन दर नहीं विचार करना उचित होता। यथार्थ स्वतन्त्रता (Positive Liberty) तथा निषेधात्मक स्वतन्त्रता—

महत्व प्रयन पथार्थ तथा निषेधात्मक स्वतन्त्रता में भेर करना आवश्यक है। जब लोग यह कहते हैं कि इन्हें व्यष्टि की दूर स्वतन्त्रता होना चाहिये और उस पर आरोपित प्रत्येक प्रतिकूल प्रतुगित है जहाँ उसका फल कर दिया जाता चाहिये (जैसा कि इसरावक्तव्यात्मक भावते हैं), तो ऐसे

लोगों का नात्यर्थ नियंत्रणात्मक स्वतन्त्रता से होता है, जिसका अर्थ है स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्धमात्र का अभाव। इसे प्राकृतिक स्वतन्त्रता भी कहा जा सकता है। यह इस शब्द का अवैज्ञानिक प्रयोग है और लोग इसके अपनी कुदि के अनुतार भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं। साधारण रूप में इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विना किसी बाधा के अपनी इच्छानुसार कार्य करे। इसका अर्थ है व्यक्ति को प्रतेरा छोड़ दिया जाय। जिन लोगों का ऐसा विश्वास है कि राजनीतिक समाज की स्थापना से पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे वे मानते हैं कि उन कल्पित अवस्था में लोग इनी प्रकार की स्वतन्त्रता का उपभोग करते थे। नागरिक स्वतन्त्रता की स्थापना प्राकृतिक स्वतन्त्रता का अतिनमण है। इसी प्रकार हमें का विचार है कि सामाजिक समझौता (Social Contract) से मानव ने अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता तथा अपनी इच्छानुसार को प्राप्त करने के असामिन अधिकार को ले दिया।

इन पर थोड़ा विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो स्वतन्त्रता सब चाहते हैं और जो मानव-जीवन की सबसे आवश्यक और आधार-भूत रूप है वह इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है। एक व्यक्ति की जैसा चाहे वैमा काम करने की स्वतन्त्रता एक समय में एक व्यक्ति के लिये ही हो सकती है। अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसो स्वतन्त्रता का भोग कर सकता है; दूसरे व्यक्तियों को उसका दाम बनकर रहना पड़ेगा। इस प्रकार जो ऐसे व्यक्ति की स्वतन्त्रता है वह अन्य व्यक्तियों की दामता होगी। यदि कुछ दलवान व्यक्ति हों, जो अपनी इच्छा को सन्तुष्ट करने की क्षक्ति रखते हों, तो उनमें लगानार भंगर्ष होता रहेगा और इसका परिणाम यह होगा कि उनमें से कोई भी स्वतन्त्र नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक गमय में यमस्त व्यक्तियों की असामिन स्वतन्त्रता असम्भव है। यह ग्रन्तविरोधो विचार है। एक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतन्त्रता दूसरे व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतन्त्रता का अतिनमण करेगी और इस प्रकार यद्यपी प्राकृतिक स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी। इस प्रकार प्राकृतिक स्वतन्त्रता कदापि यद्यपी स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। यह स्वतन्त्रता का नियेष है। इस अर्थ में स्वतन्त्रता स्वोरार नहीं की जा सकती।

नागरिक स्वतन्त्रता—

जिस यस्तु की आवश्यकता है और जो असामिन है वह है यमार्थ स्वतन्त्रता (Positive Liberty)। इसका अर्थ है एक व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता परन्तु इस शर्त पर कि दूसरे व्यक्ति की

स्वतन्त्रता और समानता

कार्य करने की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का अतिनमण न हो। यह प्रत्येक ऐसे कार्य करने की स्वतन्त्रता है, जिससे दूसरे को हानि नहीं होती। यही सर्वाधिक स्वतन्त्रता है, जिसको एक व्यक्ति मौग कर सकता है अर्थात् व्यक्ति को अपनो इच्छानुसार बाज़ करने की उस समय तक स्वतन्त्रता हो जब तक वह इसी प्रकार की दूसरे की स्वतन्त्रता में कोई वाधा न डाले। इस प्रकार की स्वतन्त्रता सदैव सीमित होती है। इन प्रतिशब्दों का सब व्यक्तियों पर समान प्रभाव पड़ता है। यथार्थ स्वतन्त्रता का सब व्यक्ति समान शर्तों पर समान रूप से भोग करते हैं। इसके यथार्थात्मक और निपेधात्मक दोनों पहलू हैं। निपेधात्मक स्वतन्त्रता का अर्थ है दूसरों की ओर से स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप का अभाव। यथार्थात्मक पहले में उसका अर्थ है ‘स्वतन्त्र कार्य करने का अधिकार,’ आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म-विस्तार की मुदिधा। लास्कों के शब्दों में स्वतन्त्रता अपना विस्तार करने की शक्ति है, बाहर से आरोपित किसी प्रतिवन्ध के बिना व्यक्ति द्वारा अपने जीवन का पथ पसन्द करने की स्वतन्त्रता।

दूसरों के द्वारा स्वतन्त्रता के उपभोग में हस्तक्षेप से मुक्ति प्राप्त करने के लिये किसी अधिकारी की आवश्यकता है। इस प्रकार की सत्ता बिना किसी समुचित केन्द्रीय संगठन के संभव नहीं। जो संगठन समस्त व्यक्तियों की प्राकृतिक स्वतन्त्रता को सीमित करके समाज के समस्त व्यक्तियों के लिये दूसरों के हस्तक्षेप से मुक्त स्वतन्त्रता को प्राप्त करा सकता है वह राज्य ही है। अपनी प्रभुता के कारण और कानून की व्यवस्था द्वारा राज्य सब व्यक्तियों को समान स्वतन्त्रता की गारंटी देता है। यथार्थ स्वतन्त्रता राज्य में ही संभव है। वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के क्षेत्र को सीमित कर देने की राज्य की सत्ता द्वारा वास्तविक स्वतन्त्रता बनती है। इसे ही कभी-कभी नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberty) कहते हैं। राज्य की प्रभुता और निपेधात्मक या प्राकृतिक स्वतन्त्रता में चाहे जो असंगति हो विन्तु राज्य-प्रभुत्य तथा नागरिक स्वतन्त्रता में कोई विरोध या असंगति नहीं हो सकती। नागरिक स्वतन्त्रता से राज्य-सत्ता का विरोध तो तनिक भाँ नहीं है बरन् राज्य-सत्ता करने योग्य कामों को करने को स्वतन्त्रता के अस्तित्व के लिये आवश्यक है। राज्य-सत्ता के अभाव का अर्थ है नागरिक स्वतन्त्रता का बिनाश। रिचो ने सत्य ही कहा है कि “आत्म-विकास के लिये मुयोग के अर्थ में स्वतन्त्रता कानून का स्थिति है। वह कोई ऐसी बलु नहीं है जो राज्य के कार्य से स्वतन्त्र होकर रह सके। राज्य-सत्ता द्वारा कानून का पालन

स्वतन्त्रता की शर्त है, उसका निपेध नहीं।” लोकॉक के इन शब्दोंमें इसका सार मिलता है—“कोई भी स्वतन्त्रता केवल एक व्यक्ति को छोड़, भिन्नी के लिये पूर्ण एवं निरपेक्ष नहीं हो सकती। जो स्वतन्त्रता गवके उपभोग की है उसके लिये प्रभेक व्यक्ति के कार्य पर अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया होता है। यद्य राज्य का कार्य है कि वह इस प्रकार के प्रतिक्रिया लगाये और इह तरह स्वतन्त्रता को जन्म दे।”*

यह प्रमेय कि राज्य-सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता परस्पर एक दूसरे से पृथक् नहीं होती वरन् राज्य-सत्ता स्वतन्त्रता के उपभोग के लिये अत्यन्त आवश्यक है, स्वतंसिद्ध मत्य मालूम होता है। लॉक के इस कथन को सच्चासे काँइ इन्कार नहीं कर सकता कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोइ स्वतन्त्रता भी नहीं हो सकती। परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि देश में अनेक कानून होते हैं किन्तु सभी कानून स्वतन्त्रता की गारंटी नहीं देते। परतंत्र राज्यों में विदेशी सत्ता ग्रायः ऐसे कानून बनानी हैं जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दमन करते हैं। ऐसे दमनशारी कानून स्वतन्त्रता की शर्त नहीं कहे जा सकते। केवल वे ही कानून स्वतन्त्रता की शर्त कहे जा सकते हैं जो न्यायपूर्ण तथा हुद्दिगंगत है और जो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वतन्त्रता स्वयं आरोपित कानून का पालन करने में है; उस कानून का पालन करने में नहीं जो हमारे आत्म विस्तार की प्रकृति यो विफल कर देता है। मनुष्य उस समय स्वतंत्र नहीं होता जब कि उसे ऐसे कानूनों को मानना पड़ता है जिसे उसकी विवेद-कुदि अवाद्यनीय ठहराकर अस्वीकार कर देना है और जिसमा वह विरोध करता है। ऐसी परिस्थितियों में उस तथा मनुष्यतन्त्रता के बीच विरोध अवश्य है किन्तु जब तक राज्य स्वयं अपने प्रति सच्चा हो और वह अपने उच्च नैतिक ध्येय की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील रहता हो तब तक कानून नागरिकों को स्वतंत्रता की प्राप्ति में गहायता अवश्य देता है।

नागरिक स्वतन्त्रता का सार—

चूँकि यथार्थ स्वतन्त्रता, जिसमा श्रम है जिना भिन्नी बाहरी वाधा के पिस्तार तथा विस्तार करने की गता, व्यक्ति के लिये राजनीतिश स्प से संगठित समाज द्वारा उभयत है इसलिये उसका नाम नागरिक स्वतन्त्रता अधिक उपयुक्त है। नागरिक स्वतन्त्रता राज्य द्वारा निर्मित एवं रक्षित

* Leacock op. cit., p. 70.

अधिकारों तथा विमुक्तियों का नाम है जैसे शरीर को स्वतन्त्रता, जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा, कानून के समक्ष समता, अन्तरालों की स्वतन्त्रता, भाषण तथा विचार एवं कार्य की स्वतन्त्रता, जीविका की स्वतन्त्रता आदि। सत्त्वेष में नागरिकों की स्वतन्त्रता उन समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से बनती है जिनको राज्य द्वारा नागरिकों को गारसटी दी जाती है। भिन्न-भिन्न युगों तथा राज्यों में ये अधिकार भिन्न-भिन्न रहे हैं। आज भी समस्त सभ्य राष्ट्र अपने नागरिकों को समान अधिकार नहीं देते। नागरिक स्वतन्त्रता की वह मात्रा जिसका हमारे देश-बन्धु ब्रिटिश राज्य में उपभोग करते रहे हैं, उससे कहीं कम थी जिसका अँग्रेज अथवा क्रेश अपने देश में उपभोग करते हैं। इसका कारण यह है कि भारत में ब्रिटेन तथा फ्रान्स की भाँति लोकप्रिय शासन नहीं था। इन प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी राज्य में नागरिक स्वतन्त्रता के वित्तार से इस बात का पता चल सकता है कि उस देश में लोकप्रिय शासन कहाँ तक है। सोवियत रूस के संविधान द्वारा उसके नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किये गये हैं जो अँग्रेजों को भी प्राप्त नहीं हैं; जैसे वेतन के साथ काम करने का अधिकार, वृद्धावस्था तथा रोगावस्था में भौतिक सुरक्षा का अधिकार आदि।

जहाँ तक नागरिक स्वतन्त्रता का यह अर्थ है कि राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपभोग में दूसरों द्वारा हस्तक्षेप से मुक्ति हो वहाँ तक उसकी रक्षा करना सदैव राज्य का मुख्य कर्तव्य माना गया है किन्तु यह मान्यता कि शासन द्वारा नागरिक स्वतन्त्रता पर होनेवाले अतिक्रमण से उसकी रक्षा की जाय, नवीन है। ऐसे भी संविधान हैं जो नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं जिनसे उसकार भी उन्हें वंचित नहीं कर सकती। यह बात अमेरिका के संयुक्त राज्य के संविधान के सम्बन्ध में सत्य है। वह संविधान शासन को व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप करने, निर्यात पर कर लगाने तथा किसी नागरिक को पदबी प्रदान करने का निषेध करता है। ऐसे अधिकार तथा विमुक्तियाँ भी नागरिक स्वतन्त्रता में सम्मिलित हैं। ब्रिटेन में ऐसे अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं क्योंकि वहाँ संवैधानिक कानून तथा साधारण कानून में कोई भेद नहीं है। कुछ लेखक ऐसी विमुक्तियों को संवैधानिक स्वतन्त्रता भी कहते हैं। किन्तु यह शब्दान्तरी अधिक लोकप्रिय नहीं है। जहाँ इस प्रकार की स्वतन्त्रता है, वहाँ वह नागरिक स्वतन्त्रता का ही अंग मानो जा सकती है। कुछ अमेरिकनों के समान केवल संवि-

धान परिपद् द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही नागरिक स्वतन्त्रता मानना उचित नहीं मानूम होता। यही अच्छा है कि राज्य जितने भी अधिकार और विमुक्तियों प्रदान करता है वे सभी नागरिक स्वतन्त्रता में समाविष्ट रहते ही जायें।

राजनीतिक स्वतन्त्रता—

प्रारम्भ में नागरिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत राजनीतिक अधिकार वा समावेश नहीं था। स्वेच्छाचारी शासकों अथवा बुलीन-त श के विषद् जो लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़े थे उनमें नागरिक स्वतन्त्रता से केवल यही मतनब था कि उनके नागरिक अधिकार स्वीकृत हों और स्वेच्छाचारी सत्ता के प्रयोग से उन्हें सुरक्षा मिले। रोमनों तथा यूनानियों ने इसका यही अर्थ ग्रहण किया था और जिन ब्रिटिश रईसों एवं पाद-रियों ने राजा से मेगानाराटा नामक अधिकार-व्यव प्राप्त किया था, उनका भी यही विचार था। फिनु यह शीत्र ही विदित हो गया कि नागरिक अधिकारों की स्वीकृतिमात्र से ही स्वेच्छाचारी एवं निरंदुश सत्ता से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। इसके लिये जनता के हाथ में ऐसी सत्ता होनी चाहिये कि वह शासन को इन नागरिक अधिकारों का आदर करने के लिये बाह्य बर सके। यह कार्य राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political freedom) की प्राप्ति से ही हो सकता था। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों को राज्यकारों में सक्रिय भाग लेने का, विधान-परिषद् में अपने प्रतिनिधि चुनने भेजने तथा पद-महसू बरने का अधिकार होना चाहिये। जहाँ प्रजातन्त्र है, वही राजनीतिक स्वतन्त्रता है। यह लोकप्रिय शासन या स्वशासन का दूसरा नाम है। यह नागरिक स्वतन्त्रता की पूरक है। राजनीतिक सत्ता के अभाव में सविधान अथवा देश के डानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बुद्ध भी मूल्य नहीं। अब तर हमारे यहाँ देशी रियासतों में जनता को कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे क्योंकि उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे।

आधिक स्वतन्त्रता—

जिस प्रसार प्राचीन बाल में रोमनों तथा यूनानियों और औपेजों को यह प्रस्तु हुआ कि राजनीतिक सत्ता के बिना नागरिक अधिकारों का कोई अधिक मूल्य नहीं, उसी प्रसार जिस दण से आज के पूँजीयादी प्रजातात्त्विक देशों में शासन प्रबन्ध होता है, उससे मज़दूरों को यह भनी-मौनि प्रस्तु हो गया है कि केवल मनदान के अधिकार तथा प्रतिनिधि

का पद पा लेने मात्र से शासकों द्वारा उनके आर्थिक शोषण से रहा नहीं हो सकती। वर्तमान श्रीयोगिक युग में राजनीतिक सत्ता आर्थिक राजा की दासी बनी हुई है। जो राष्ट्र में आर्थिक जीवन का नियन्त्रण करते हैं, वे ही राजनीतिक सत्ता का भी प्रयोग करते हैं। मज़दूरों को राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों के मिल जाने पर भी वे आज अपने पूर्वजों से अधिक स्वतन्त्र नहीं हैं जिन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। वे अपने जीवन-स्तर को उच्च नहीं बना सकते। इसमें पद-पद पर उन्हें नैराश्य एवं विफलता का सामना करना पड़ता है। अतः राजनीति यही मौग सुनाई पड़ती है कि जनता को सच्ची स्वतन्त्रता देने तथा उसे अपने आत्मविकास के लिये मुयोग देने के लिये उसे आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र बनाना चाहिये; श्रीयोगिक जीवन का संगठन इस प्रकार से होना चाहिये कि मज़दूर पूँजीपति के वन्धन से मुक्त हो जायें और उन्हें अपने अम का समुचित पल मिले। दूसरे शब्दों में, समाज की सबसे महान् आवश्यकता जनता के लिये आर्थिक ज्ञेन में स्वतन्त्रता की प्राप्ति करना है। समाजगारी लेराफ स्वतन्त्रता के इस अर्थ पर अधिक ज़ोर देते हैं।

उपर्युक्त दलीलों का सार इस प्रकार दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्राप्त हो इसके लिये कई बातों की आवश्यकता है। प्रथम, जिस समुदाय से उसका सम्बन्ध है उसे स्वतन्त्र होना चाहिये। इसे हम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कह सकते हैं। द्वितीय, प्रजातन्त्र की स्थापना होनी चाहिये। जब राज्य की नीतियों का निर्धारण एक निरंकुश शासक अथवा कुछ लोगों के हाथ में ही होता है तो व्यक्ति को जो कुछ वह अच्छा समझता है उसे करने की कोई वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। तृतीय, निजों पूँजी का अन्त होना चाहिये। जब तक पूँजीपति वर्ग का शासन में प्राधान्य है और वह मज़दूरों की अवस्थाएँ निर्धारित करता है तब तक समाज के एक बहुत बड़े भाग को कोई सच्ची स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। इस कारण जिस बस्तु की आवश्यकता है वह है राजनीतिक, आर्थिक अथवा श्रीयोगिक स्वतन्त्रता को स्थापना या यों कहिये एकतन्त्र, अल्प-जनतन्त्र और पूँजीवाद का नाश। इस प्रकार 'स्वतन्त्रता' की समस्या व्यक्ति को रोज निकालने की तथा उसे उन यनेक सामाजिक परतों से मुक्त करने की समस्या है जो उसका दम धोंटते रहते हैं और उसके कार्य में बाधक बने रहते हैं।^{१०}

* Wilde, op. cit., p. 194.

नैतिक स्वतन्त्रता—

वह सम्मत है कि नागरिक, राजनीतिक तथा आधिक स्वतन्त्रता मिल जाने पर भी व्यक्ति का इनसे कोई लाभ न पहुँचे, यदि उसे नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो। नैतिक स्वतन्त्रता सबसे महान् स्वतन्त्रता है; यहौं वास्तव में अन्य प्रकार की स्वतन्त्रताओं को वास्तविक मूल्य या महत्व प्रदान करती है। नैतिक स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि हम सत्य का पालन पर रहें और जो वास्तव में उचित है, उसों को हम कर सकें, इसलिये कि वह उचित है, हम विवेक द्वारा काम कर सकें और अपनी इनिद्रियों की विशेष के बाहर में रख सकें। महाराज मिलटन ने कहा है—‘यह समझ लो कि स्वतन्त्र होना सदाचारी होने, बुद्धिमान् होने, संयमी, न्यायकारी, मितव्ययों, सन्तोषी, उदार तथा वीर होने के समान है।’ जो व्यक्ति अपनी विवेक-बुद्धि के विश्वद इच्छा रखता है और कार्य करता है, वह अबसे बड़ा गुजाम है और उसका जीवन अबसे दुःखी है। वह अपने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपने सुभार के लिये नहीं बरन् पतन के लिये करेगा। किन्तु नैतिक स्वतन्त्रता किन्तु ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, राज्य उसे व्यक्तियों के लिये प्राप्त नहीं कर सकता। उसे तो नागरिकों को स्वयं प्राप्त करना है। राज्य उसे प्राप्त करने में भावायता करता है। नैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति समाज या राज्य में ही सम्भव है क्योंकि उसके द्वारा ही व्यक्ति अपनी प्रच्छन्न शक्तियों को जान पाना है और उनके विकास के साधन प्राप्त करता है। इस प्रकार राज्य भनुष्य के नैतिक जीवन का आधार है।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता—

लाल्हों जैसे बहुवादी और मिल जैसे व्यक्तिवादी नैतिक स्वतन्त्रता के स्थान पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता की चर्चा करते हैं। इससे उनका आशय यह है कि व्यक्ति की विचार, भाषण और सभा-सम्बन्धों स्वतन्त्रता पर कोई अनुचित प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। व्यक्ति को अपने जीवन का निर्माण बरने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। जिन सामाजिक अवस्थाओं पर उसका वैयक्तिक नुस्ख निर्भर है उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। जिन वस्तुओं से उसका प्राप्तिक सम्बन्ध है जैसे उसका भोजन, उसके धार्मिक रोति रिवाज, संस्कार, व्यवसाय, धन्या तथा काम के घरें, रहन-यहन आदि उनके सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध तय तरह नहीं होना चाहिये जब तक कि वे नैतिक व्यवस्था के प्रतिकूल न हों। दूसरे राज्यों में वैयक्ति-

स्वतन्त्रता और समानता

स्वतन्त्रता उस बातावरण को बनाये रखना है जिसमें व्यक्तियों को अपनी सर्वोत्तम उन्नति करने के लिये सर्वोत्तम अवधि मिल सके।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता—

अब तक जिन स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में विचार किया गया है, उनका सम्बन्ध व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों से है। कभी-कभी स्वतन्त्रता शब्द का प्रयोग राष्ट्र के सम्बन्ध में भी किया जाता है जैसे भारतवर्ष की स्वतन्त्रता अथवा इंडिया एड की स्वतन्त्रता। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि राजनीतिक रूप में सज्जित एक जनता दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप के बिना अपना शासन का रूप निर्धारित करने में स्वतन्त्र हो। इसे केवल 'स्वतन्त्रता' कह सकते हैं। यह बाह्य प्रभुत्व है। इसका तार्किक परिणाम आत्म-निर्णय का सिद्धान्त है।

राजनीतिक धारणा के रूप में स्वतन्त्रता—

हमने ऊपर जिन स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में विचार किया है, उनमें से नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता राज्य-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, नागरिक स्वतन्त्रता के यथार्थ तथा नियेधात्मक दोनों पक्ष होते हैं। नियेधात्मक रूप में स्वतन्त्रता का यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कार्य करने की स्वतन्त्रता पर कोई अनुचित बन्धन न हो। हम कह सकते हैं कि मनुष्य उस समय स्वतन्त्र है अथवा स्वतन्त्रता का उपभोग करता है जब कि उन सामाजिक स्थितियों पर कोई मर्यादा नहीं होती जो मानव के सुख तथा आनन्द के लिये आवश्यक है। यह परतन्त्र उस समय कहा जाता है जब कि उसे ऐसी अवस्था में रहना पड़ता है जिसमें उसे ऐसा आवरण करना पड़ता है, जिसे उसकी विवेक-बुद्धि एवं नहीं करती जैसे जब वह विदेशी या निरंकुश शासन के अधीन रहता है। यथार्थ रूप से विचार करने पर नागरिक स्वतन्त्रता का अर्थ है आत्म-विकास के सुवोग जिससे व्यक्ति अपना विकास सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सके। यह सक्रिय आत्म-निर्णय है। इसका मार उन अनेक अधिकारों में है, जिनका उल्लेख किया जा चुका है और जिनमें से विचार, भाषण, कार्य तथा सभा की स्वतन्त्रता मुख्य है। प्रत्येक व्यक्ति शासन से यह आग्रह कर सकता है कि वह इन अधिकारों का गरवण करे।

इस प्रकार जिस स्वतन्त्रता का व्याख्या को मिल है, उसके लिये अनेक सुनारे हैं। ऐसी स्वतन्त्रता के लिये ग्रन्थ नागरिकों तथा राज्य दोनों की

ओर से रातरे रहते हैं। इन दोनों से उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। देश का कानून उसकी पहले रातरे से रक्षा करता है और संविधान में “मौलिक नागरिकों” की स्थान देने से दूसरे रातरे से रक्षा होता है।

उपर्युक्त दोनों बातें होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि राज्य में सबके लिये स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। लाल्की का कथन है कि बहु संख्यक जनता स्वतंत्रता का उपभोग कर सके इसके लिये तोन बातों की आवश्यकता है।

(१) समाज में विशेष अधिकारों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सत्ता एवं प्रतिष्ठा के पद से बचित रहता है तो उसके जीवन में नैराश्य की छाया रहती है, उसे अपनी वर्तमान स्थिति को ही जीवन की स्थायी स्थिति मानकर सन्तोष करना पड़ता है। इस प्रकार वह समाज में अपनी योग्यतानुसार पद प्राप्त नहीं कर सकता यह स्वतंत्रता का नियेध है।

(२) समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये जिसमें कुछ लोगों के अधिकार दूसरों की प्रसन्नता पर निर्भर हों। कानून की टाप्टि से सभी लोगों के समान अधिकार होते हुए भी यह प्रायः देखा जाता है कि एक नौकर की जीविका मालिक की दबा पर निर्भर होती है। मालिक कानून की परिपति के अन्दर रहते हुए भी मज़हूर की स्थिति को कष्टमय बना रखता है। ऐसी अवस्था में राज्य के नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

(३) राज्य का नियंत्रण निष्पत्र होना चाहिये। राज्य के काम सर्वथा निष्पक्ष होंगे इसकी कभी गारण्टी नहीं की जा सकती। अधिक से अधिक ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे पक्षान्त कम से कम हो सके। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारण्टी कारण वहां महत्व है।^{*}

इन्हु मौलिक अधिकारों की केवल गारण्टी से ही काम नहीं चल सकता। नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सदा तत्पर और जागरूक रहने की आवश्यकता है। लाल्की ने ठीक ही कहा है कि ‘उन्नत सतर्कता स्वतंत्रता का मूल्य है’ (Eternal vigilance is the price of liberty)। यदि नागरिक जागरूक होकर शासन के कायों को न देखने रहे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिये तत्पर न रहे तो उनकी स्वतंत्रता अनिश्चित रहेगी और उसके छिन जाने का सदा भय बना रहेगा।

* Laski : A Grammar of Politics, pp. 149-152.

स्वतंत्रता और समानता

समानता—

नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें और उसकी रक्षा के लिये सदा तत्पर रह सकें इसके लिये समानता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता उस समय तक वास्तविक नहीं हो सकती और न वह अपने धैर्य को प्राप्त ही कर सकती है जब तक उसके साथ समानता न हो। समानता के अभाव में स्वतंत्रता एक स्वप्नमात्र रह जाती है। समानता स्वतंत्रता का पूरक है।

समानता पर विचार करने के पहले यह आवश्यक है कि हम उसका यथार्थ आशय समझ लें। इस शब्द के अनेक अर्थ किये जाते हैं। लास्की का कथन है कि राज्य-विज्ञान के समूर्ख दोष में समानता की कल्पना से अधिक कठिन अन्य कोई कल्पना नहीं है।^{*} लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि प्रजानंदीप्रक्रियाओं में जो भूलें हुई हैं उनमें से आधी समानता शब्द को गलत समझने ही के कारण हुई है।†

समानता का जो अर्थ सामाज्यतया कियो जाना है वह है सब मनुष्यों की समानता। कहा जाना है कि जन्म के समय सब मनुष्य समान होते हैं; वे उनान इनियों और समान शक्तियों को लेकर उत्पन्न होते हैं। अमेरिका की स्वातंत्र्य-घोषणा में उल्लेख है—‘सब मनुष्य स्वतंत्र और समान उत्पन्न हुए हैं।’ ऐसा के शिष्य संत पॉल ने कहा था कि ‘ऐसा में न कोई यहूदी है, न यूनानी; न बर्बर है न सीधियन, न स्वतंत्र है न बन्धन युक्त है।’ यह प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक समानता का सिद्धान्त है। इसके अनुसार प्रकृति से समान होते हुए भी मनुष्यों में जो भेद पाये जाते हैं वे दूषित सामाजिक व्यवस्था के परिणाम हैं। सभी समान उत्पन्न होते हैं परन्तु उन्हाँनि एवं विकास करने के समान अवकाश न मिलने के कारण कुछ लोग दुर्बल, अशिक्षित एवं गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग सबल, शिक्षित एवं धनी हो जाते हैं। ये भेद अस्वाभाविक हैं।

यह सत्य है कि समाज में इस प्रकार के जो अनेक भेद दिखाई देते हैं वे अधिकांश में दूषित सामाजिक व्यवस्था के परिणाम हैं, परन्तु इसके साथ ही यह बात भी उत्तरी ही सत्य है कि प्रकृति से सब मनुष्य समान नहीं होते। जन्म के समय ऊपर से देखने में समान होते हुए भी मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ, क्षमताएँ और सम्भावनाएँ होती हैं।

* Ibid., p. 152.

† Bryce : Modern Democracies, Vol. I., p. 60.

बुद्ध लोग बढ़ने पर शक्तिशाली, मेधावी, परिथमशील और साहसी होते हैं और बुद्ध लोग निर्बल, बुद्धिहीन, आलसी और कायर निरुलते हैं। इन भेदों का कारण केवल यही नहीं होता कि उन लोगों को अपनी शक्तियों के विकास के लिये समान अवसर नहीं मिले। हम देखते हैं कि एक ही परिवार के बालकों में सबको समान अवसर प्राप्त होने हुए भी, इस प्रकार के भेद देखे जा सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य की असमानता भी उतनी ही प्राकृतिक है जितनी समानता।

किन्तु इस बात को स्वीकार करने का तात्पर्य यह नहीं है कि वर्तमान समाज में जो असमानताएँ दिखाई देती हैं वे सब प्राकृतिक हैं। यह निर्विचाद रूप से सत्य है कि वर्तमान समाज की अनेक विषमताएँ दूषित सामाजिक व्यवस्था के कारण हैं। गरीबों के बच्चे प्रायः बचपन में हृष्ट-पुष्ट होते हैं परन्तु उन्हें समुचित पीटिक भोजन प्राप्त न होने से वे दुर्बल हो जाते हैं और अपनी रारीटिक शक्ति का ठीक-ठोक विकास नहीं कर पाते। उनमें बुद्धि एवं प्रतिभा होती है परन्तु शिक्षा की सुविधा न होने से उनको बुद्धि तथा प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता और वे जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। इसके विपरीत धनियों के निर्बल बालक भी पुष्टिकारक भोजन प्राप्त करके हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं और उनके मूर्ख बालक भी शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त करके उन्नति कर जाते हैं। यदि गरीबों के बालक कठिनाइयों उठाकर और घोर परिथम करके शिक्षा भी प्राप्त करले तो उन्हें अपनी योग्यता के अनुकूल पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। साधारण नीकरी या साधारण धन्या करके ही गरीबों की दशा में ही उन्हें सन्तोष करना पड़ता है, जबकि धनियों के साधारण बालक भी अपनी सम्पत्ति के प्रभाव से उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं तथा विलासमय जीवन व्यतीत करते हैं। यह सब इसी कारण होता है कि समाज की व्यवस्था ऐसी है जिसमें गरीबों को उच्चति के अवसर प्राप्त नहीं होते। समाज का बहुत बड़ा यर्ग गरीब और दुःखी इसलिये नहीं है कि उसमें बुद्धि अधिक व्यवहार की कमी है वरन् इसलिये है कि उसे अन्य योगों के समान अपनी स्वामानिक शक्तियों का विकास कर अपनी उच्चति करने की सुविधाएँ नहीं मिलतीं, अर्थात् समाज में समानता का अभाव है। समाज के सभी लोग उच्चति कर एक और और समाज की उच्चति में योग दे सकें इसके लिये आवश्यक है कि समाज में समानता की व्यवस्था हो।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम जिस समानता की मांग करते हैं

स्वतन्त्रता और समानता

उसका क्या अर्थ है जब प्रहृति में ही असमानता है तो समानता की मांग का आधार क्या है ?

समानता की कल्पना का नैतिक आधार यह है कि शारीरिक शक्ति, बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य आदि में असमान होते हुए भी सब मनुष्य इस बात में समान हैं कि उनमें बुद्धि है, सदसत् विवेक है, और अपने व्यक्तित्व के विरास की दामता है।

इसका अर्थ यह नहीं होता कि चूंकि सब मनुष्य इस दृष्टि से समान हैं तो सबके ऊपर एक यात्रिक समानता लाद दी जाय। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब मनुष्यों के साथ एकसा व्यवहार हो, सबको एक ही काम दिया जाय या सबको एक ही वेतन अथवा पारिश्रमिक मिले। यह असंभव है। मनुष्य, जैसा इम अभी देख चुके हैं, अपनी शक्ति, स्वभाव, रुचि, आकृत्ता, प्रतिभा आदि में भिन्न है और इनके अनुसार समाज में उनके भिन्न-भिन्न कार्य होंगे। कोई शासक होंगे, कोई उद्योगपति होंगे, कोई कृपक होंगे और कोई मज़दूरी करेंगे, कोई बला के क्षेत्र में कार्य करेंगे, कोई साहित्यिक होंगे, कोई सैनिक होंगे। ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, न उन्हें एकसा काम हो दिया जा सकता है और न उन्हें समान पारिश्रमिक ही दिया जा सकता है। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जिनके लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यताएँ आपेक्षित होती हैं और वे कार्य आपेक्षित योग्यता वाले व्यक्तियों को ही सौंपे जा सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिये। एक मंत्री और एक लेखक के कार्य भिन्न भिन्न हैं, इसी प्रकार एक इंजिनीयर और एक मज़दूर के कार्य भिन्न हैं। अतः उनके वेतन में भी अन्तर होगा। असमान काम के लिये समान वेतन देना समानता नहीं, असमानता स्थापित करना है जो अन्याय है। इसके साथ ही उससे समाज की भी हानि है। क्योंकि यदि एक इंजिनीयर को एक मज़दूर के समान ही वेतन मिले तो उस काम को करने के लिये योग्य व्यक्ति समने नहीं आयेंगे।

ऐसी दशा में समानता का यास्तविक अर्थ निप्पत्ता और आनुपातिकता है अर्थात् समान व्यक्तियों के बीच समानता और असमान व्यक्तियों के बीच असमानता। असमानता स्थाभाविक है और वह समाज में सर्वदा रहेगी परन्तु इस असमानता का आधार योग्यता और समाजसेवा को

सामर्थ्य का भेद ही होना चाहिये। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व के विकास द्वारा अपनी सामर्थ्य के अनुमान सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि की सामर्थ्य है इसलिये मूल सिद्धान्त यह होना चाहिये कि अन्य सब बातों के समान होने पर किसी भी व्यक्ति के हित के उतना ही मूल्यवान् या महत्वपूर्ण समझना चाहिये जितना किसी अन्य व्यक्ति के हित को। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब कि समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग के लिये विशिष्ट अधिकार या सुविधाएँ न हों, अधिकारों के दुष्पर्योग के विस्तृत नवकार कानून का संरक्षण समान रूप से प्राप्त हो, उसका वाडप योग व्यक्तिगत या वर्गगत स्वार्थों की पूर्ति के लिये न होकर सार्वजनिक हित के लिये ही हो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो कि रथ की अपन विकास करने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। सब लोगों को उन्नति उत्तरने के लिये समान अवसर देना न तो सम्भव है और न वाहिनी ही है क्योंकि एक मूर्ख बालक को एक शुद्धिमान् बालक ने समान उन्नति की सुविधाएँ प्रदान करना व्यर्थ है; वह उनसे लाभ नहीं उठा सकता। उसके उत्तरे ही अवसर दिये जा सकते हैं जिनका वह उपयोग कर सके। वह जितना उन्नति कर सके उसके लिये उसे पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिये। यह शर्त अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हम देखते हैं कि आजमूल आवश्यक के अभाव में न जाने रितनी प्रतिभा और ज्ञानता नष्ट हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अवसर मिलना चाहिये कि वह अपनी योग्यता और प्रतिभा का अधिकारिक विकास कर सके। किर मी समाज में विषय मत्ताएँ बनी रहेंगी परन्तु ऐसी विषमताएँ तभी तक स्वीकार की ज सकती हैं जब तक प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध हों। उसके एक न्यूनतम स्तर उसमान होने वे बाद ही असमानताएँ उचित ठहराई जा सकती हैं।^१

समानता के विविध प्रकार—

हमने अभी इन बाल की आवश्यकता बतलाई है कि सामाजिक जीवन में किसी व्यक्ति या वर्म को विशिष्ट अधिकार या सुविधाएँ प्राप्त नहीं होनी चाहिये। व्यक्ति के जीवन के अनेक पहलू ही—नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। समानता का सम्बन्ध इन सब क्षेत्रों से है। लॉर्ड ब्राउन ने समानता पैकं प्रकार को यतेलाई है—प्राइवेट, नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक।^२

^१ Laski : A Grammar of Politics, p. 159.

^२ Bryce. Modern Democracies, Vol. I, pp. 60-69.

प्राकृतिक समानता—इसके विषय में हम ऊपर विचार कर जुके हैं और देख जुके हैं कि सामान्यतया प्राकृतिक समानता का जो अर्थ समझा जाता है वह ठीक नहीं है। प्रकृति सबको बराबर नहीं बनाती। प्राकृतिक समानता को हम नैतिक समानता के अर्थ में ही ग्रहण कर सकते हैं जिसके अनुसार केवल इस अर्थ में सब समान है कि सब नैतिक प्राणी हैं और सब में अपने विकास द्वारा सामाजिक हित में योग देने की क्षमता है। यह नैतिक समानता ही मनुष्य की स्वतन्त्रता एवं उसके अधिकारों तथा जनतन्त्र का आधार है।

नागरिक समानता—इसका तात्पर्य यह है कि कानून की दण्डित से सब अचिकित समान है। घनी, निर्धन, छोटे, बड़े, स्त्री, पुरुष सब लोगों के लिये कानून समान होना चाहिये। सबैप में नागरिक समानता का आशय यह है कि राज्य के कानूनों का समस्त नागरिकों पर समान रूप से नियंत्रण होना चाहिये और सबको समान रूप से उनका सरदारण प्राप्त होना चाहिये। इसके अन्तर्गत 'कानून के शासन' (Rule of Law) की भावना का उमारेश है जिसके अनुसार साधारण नागरिक तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता और दोनों का न्याय एक ही कानून के अनुसार होता है। दो शब्दान्वयी पहले इस प्रकार की समानता शायद ही कहीं थी परन्तु आजकल प्रायः सभी सभ्य देशों में कुछ नगरण अपवादों को छोड़ यह समानता नागरिकों को प्राप्त है। भारत के संविधान में उल्लेख है कि कानून के समक्ष सब व्यक्ति बराबर हैं; जाति, लिंग, धर्म आदि के कारण किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जावेगा।

राजनैतिक समानता—इस समानता का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को शासन कार्य में भाग लेने का समान अधिकार होना चाहिये अर्थात् प्रत्येक मनुष्य को समस्त राजनैतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त होने चाहिये। राजनीतिक अधिकारों के विषय में हम आगे विस्तार से लिखेंगे। यहाँ अभी इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि निर्वाचन में मत (वोट) देने, निर्वाचन के लिये उम्मेदवार बनकर रहे होने तथा सरकारी पद प्राप्त करने के अधिकार मुख्य राजनीतिक अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिना किसी योग्यता की शर्त के कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों पर उपभोग कर सकता है। सर्वप्रथम शर्त तो यह है कि इन अधिकारों का दावा एक वयस्क पुरुष को वर सकता है। मत देने का अधिकार वयस्क स्त्री और पुरुष को ही मिल सकता है क्योंकि अवयस्क लोग समझ-

दारी के साथ इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकने। निर्वाचित समाजों का नदस्य निर्वाचित होने के लिये उम्मेदवार से कुछ योग्यता अपेक्षित होती है ताकि वह अपना कार्य समुचित रूप से कर सके। सुरकारी पदों को प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक योग्यता होनी चाहिये। इस प्रकार इस समानता का तात्पर्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति वयस्क है और उसमें अन्य प्रकार की कोई अयोग्यता नहीं है तो उसे विना निसी भेदभाव के मत देने का अधिकार होना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति में ऐसी सरकारी पद के लिये अपेक्षित योग्यता हो तो उस पद को प्राप्त करने के लिये उसके मार्ग ने लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के भेद को बाधा नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार की समानता अभी सब देशों में नहीं है।

कुछ राज्यों में, जैसे फ्रांस और स्विट्जरलैंड में स्त्रियों को मताधिकार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में मूल निवासियों तथा भारतवासियों को समान रूप से मताधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिका के संयुक्त राज्य में मो नीप्रो लोगों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से भेदभाव किया जाता है। कई राज्यों में विधान-भग्नाल के द्वितीय भवन के सदस्यों के लिये अधिक आयु की शर्त रहती है। इंग्लैंड में लॉर्ड भवन के सदस्य केवल इंस लोग ही हो सकते हैं या वे लोग जिन्हें राजा सॉर्ड पदवी प्रदान कर देता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले भारतवर्ष में भी राजनीतिक समानता नहीं यी परन्तु अब विधान के द्वारा प्रायः पुरुष राजनीतिक समानता प्राप्त हो गई है। ये असमानताएँ तो भिन्न भिन्न देशों में कानून द्वारा स्वीकृत हैं परन्तु उन के प्रभाव के कारण प्रायः प्रत्येक देश में राजनीतिक असमानता दिखाई देती है। घनी लोग शासन पर नाना प्रकार से अपना प्रभाव रखते हैं और कानूनी दण्ड से समान राजनीतिक अधिकार रखते हुए भी गरीब लोग शासन पर कोई प्रभाव नहीं ढाल सकते।

सामाजिक समानता—सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि सामाजिक जीवन में लोगों के विभिन्न वर्गों में कानून या रीतिविवाज के बारें कोई भेदभाव न हो और सब लोग समान हों। हमारे भारतवर्ष में भासाजिक क्षेत्र में वही असानता रही आई है और अब भी वनों हुँदे हैं। हमारे यहीं अब भी लोग जन्म से कैचे और नीचे माने जाते हैं और देश की जनता का एक विशाल भाग तो अलूत ही खमका जाता है, हालाँकि विधान के द्वारा अस्थैरता वा नियेष कर दिया गया है। हमारी वर्ण-व्यवस्था और जाति-प्रथा सामाजिक समानता की विरोधी है। इसी

प्रकार अफ्रीका में प्रजाति-भेद भी सामाजिक समानता का शब्द है। संक्षेप में, सामाजिक समानता का आशय यह है कि समाज में सब सामाजिक दृष्टि से समान होने चाहिये और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समाज जिवनी सुविधाएँ प्रस्तुत करता है उनका उपभोग सब लोग जाति, कुल, वर्ण, धर्म आदि के भेदभाव के बिना समानरूप से कर सकें और कोई इन भेदों के आधार पर उनसे वचित न किया जा सके। सामाजिक समानता अभी तक संसार के समस्त देशों में स्थापित नहीं हो पाई है। कई देशों में अनेक रूपों में सामाजिक विषयमान् है।

आर्थिक समानता—प्रायः लोग आर्थिक समानता का यह अर्थ समझते हैं कि सम्पत्ति में सब लोग बराबर हो। वास्तव में जो लोग आर्थिक समानता की माग करते हैं उनसा यह आशय नहीं होता और न यह बात संभव ही है कि धनियों और गरीबों का अन्तर मिट जाय तथा सब सम्पत्ति में बराबर हो जाय। यदि किसी प्रकार यह भेद मिटाया जा सके और समाज की सारी सम्पत्ति एकत्र करके सब लोगों में बराबर बटोंटी जा सके तो भी इस प्रकार की समानता अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। शुद्धिमान एवं अध्यवसायी लोग सरलता से अपनी सम्पत्ति की वृद्धि कर लेंगे और मूर्ख, पुज्जलएवं लोग अपनी सम्पत्ति को उड़ाकर फिर गरीब बन जायेंगे।

इसी प्रकार, जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, आर्थिक समानता का यह अर्थ भी नहीं होता कि विभिन्न प्रकार के कामों के लिये सब को समान पारिश्रमिक मिले। इसका अर्थ केवल इतना है कि भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये जो पारिश्रमिक दिये जायें उनमें इतनी असमानता न हो कि उसके कारण कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के जीवन पर अपना अधिकार स्थापित कर सकें। भिन्न-भिन्न प्रकार के कामों के लिये पारिश्रमिक में अन्तर तो नदा रहेगा और रहना भी चाहिये परन्तु यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को दिये जाने वाले पारिश्रमिक का एक न्यूनतम स्तर हो। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना पारिश्रमिक मिले जिसमें वह अपने तथा अपने परिवार वालों के लिये निवास के लिये घर तथा पर्याप्त भोजन एवं वसादि प्राप्त कर सके और रोगादि के समय औपचार्य आदि की ध्यवस्था कर सके। इस न्यूनतम पारिश्रमिक के बाद ही कार्य के अनुसार पारिश्रमिक में भेद होना चाहिये। इसके साथ ही इन भेदों का सम्बन्ध सामाजिक कल्याण से होना चाहिये। सबको न्यूनतम आर्थिक सुविधाएँ

प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति सामाजिक वस्त्याण के सम्पादन में जितना अधिक योग दे उतना ही अधिक पुरस्कार उससे मिलना चाहिये। लास्की का कथन है कि पहले सबके लिये आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त याचा में प्राप्त होनी चाहिये, उसके बाद ही किसी के लिये विलास की वस्तुओं की व्यवस्था हो सकती है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक समानता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त हों—उसे काम मिले, उसके लिये पर्याप्त पारिथमिक प्राप्त हो, उसके काम की अवस्थाएँ तथा काम के घटें उचित हों और आमोद-प्रमोद के लिये भी उसे अवकाश हो। यह मबदी हो सकता है जबकि समाज में कोई चर्ग दूसरे वर्गों का आर्थिक शोषण न बर सके। इसके लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वाम्य अपवाहा नियंत्रण हो और उच्चोग्न्यों में स्वशासन हो।

जितना प्रस्तार की समानताओं की चर्चा हमने ऊपर की है उनमें आर्थिक समानता का महत्व सबसे ज्ञायित है। वास्तव में हर समानता के बिना अन्य समानताएँ व्यर्थ हैं। आर्थिक समानता के बिना व्यक्ति अन्य प्रकार की समानताओं से भी वंचित रह जाते हैं। कानून के समदृ सब लोगों के समान होते हुए भी यह स्पष्ट है कि देश के कानूनों एवं न्यायालयों से धनी लोग ही लाभ उठाते हैं। वे अपने धन के द्वारा अपनी सहायता के लिये बड़े-बड़े थकोल नियुक्त कर सकते हैं जबकि बेनारे सरोवर व्यक्ति को एक साधारणता थकोल भी दुर्लभ होता है। फलतः न्यायालयों के निर्णय भी धनी व्यक्तियों के अनुबूल होते हैं और तथा-विधित नागरिक समानता निरर्थक हो जाती है। इसी प्रस्तार निर्वाचन करने और निर्वाचित होने का अधिकार धनी तथा गरीब सबको समान रूप से होते हुए भी गरीब लोग इन अधिकारों का उपयोग नहीं बर पाते। धनवान लोग इश्वरते देकर गरीबों के मत खरीद लेते हैं और हजारों रुपया प्रचार आदि में घर्ज बरके निर्वाचित हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति के पास इनना धन कहाँ कि निर्वाचन के लिये खड़ा हो और अपने लिये प्रचार बर सके। इसी प्रकार दशप्रिय राज्य में शिद्धा प्राप्त करने का सबको अधिकार है परन्तु धनाभाव के कारण गरीबों के होनहार बालक भी शिद्धा प्राप्त नहीं बर सकते जबकि धनवान लोगों के साधारण बालक भी उच्च शिद्धा प्राप्त करके उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि राज्य में उच्च अधिकारयुक्त पदों पर धनवान् लोग ही पहुँचते हैं।

राजनीतिक शक्ति सदा आर्थिक शक्ति की दासी होती है। लास्की का कथन है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता असंभव है; आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी आर्थिक शक्ति ही करेगा। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जिस समाज में सम्पत्ति की बड़ी असमानताएँ होती हैं वहाँ राजनीतिक शक्ति भी धनी वर्ग के हाथों में होती है और उन्हीं के हित में काम करती हैं।

आर्थिक समानता का तो अभी संसार में प्रायः सर्वत्र अभाव है परन्तु अब लोग इसकी आवश्यकता मानने लगे हैं और प्रायः सर्वत्र राज्य प्रगति-शाल कर-पद्धति के द्वारा तथा समाजिक बल्याण के अनेकानेक काम करके आर्थिक विप्रमताओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

स्वतंत्रता तथा समानता—

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है उन्नति के अवसरों की उपलब्धि और अधिकारों का उपभोग। हम अभी देस नुके हैं कि विभिन्न प्रकार की समानताओं के अभाव में अधिकार निरर्थक होते हैं और स्वतंत्रता स्वप्नमात्र रह जाती है। आर० एच० टानी के अनुसार समानता स्वतंत्रता के लिये शक्तु होने की जगह परमावश्यक है।

परन्तु लॉर्ड एकटन जैसे कुछ बड़े विद्वान् भी हैं जो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। उसे खेद है कि समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। मिन्तु यह भ्रम है। जो लोग स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं वे स्वतंत्रता को अनियंत्रित स्वतंत्रता अथवा स्वच्छुंदता और समानता को निरपेक्ष समानता समझते हैं। यह निस्सन्देह सत्य है कि यदि स्वतंत्रता का अर्थ यही हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपनो सम्पत्ति एवं सत्ता को भूम को मिटाने के लिये जो चाहे करे तो ऐसी अवस्था में समानता असंभव हो जायगी। यदि व्यक्तियों की स्वेच्छानारिता पर बोई स्वावट नहीं होगी तो समाज वे कुछ थोड़े से चालाक और योग्य व्यक्ति समस्त धन एवं शक्ति अपने हाथों में समेट लेंगे, अधिकांश जनता दुःखी हो जायगी और समाज में धोर विप्रमता उत्पन्न हो जायगी। यह सर्वविदित सत्य है कि आर्थिक ढेत्र में अपनी इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप समाज में भीषण आर्थिक और राजनीतिक 'असमानताएँ' विद्यमान् हैं। ऐसी दशा में समानता तो लुप्त हो ही जाती है, स्वतंत्रता भी नहीं टिक सकती क्योंकि

वह थोड़े से व्यक्तियों की ही स्वतंत्रता होती है। यदि समाज में सब निरपेक्ष रूप से समान हों तो उसमें किसी को अपनी इच्छानुगार काम करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इस प्रभार निरपेक्ष अर्थ में स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी होती है।

किन्तु, जैसा हम ऊपर घटला सुके हैं, यथार्थ स्वतंत्रता नियंत्रित स्वतंत्रता होती है जो सबके लिये सुलभ होती है और वास्तविक समानता का अर्थ है सबके लिये उन्नति करने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धि। इन अर्थों में दोनों एक दूसरे के विकल्प होने की जगह एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता समव नहीं और स्वतंत्रता के बिना समानता संभव नहीं। लाल्ही ने वहा है कि 'यदि स्वतंत्रता का अर्थ है मानव की आत्मा के निरन्तर विसाम की शक्ति सो वह समान व्यक्तियों के गमाज की छोड़ अन्यत्र वहीं नहीं मिल सकती। जहाँ धनों और गरीब हैं, यिद्धित और अशिद्धित हैं, वहाँ हमें सदा स्वामी और सेवक ही मिलेंगे।' ऊपर हम विस्तारपूर्वक समझा गया है कि समानता के बिना स्वतंत्रता कैसे असंभव है। इसी प्रकार स्वतंत्रता के बिना समानता भी असंभव है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले हमारे देश में अनेक प्रभार की असमानताएँ विचमान् थीं परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम उन असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न करने योग्य हो सके हैं और इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्याय ४

अधिकार

पिछले अध्याय में हमने कई बार अधिकार शब्द का प्रयोग किया है। अधिकार राज्य-विज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारणा है श्रीम. मनुष्य की उचिति नया मानव-समाज का विकास बहुत बड़ी मात्रा में समुचित अधिकार-व्यवस्था पर ही निर्भर रहता है। अतः इस महत्वपूर्ण धारणा पर विचार करना आवश्यक है।

अधिकार का वास्तविक स्वरूप समझने के लिये पहले यह उचित होगा कि समय-समय पर विभिन्न विचारकों ने इस सम्बन्ध में जिन विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उन पर हम विचार करें और उनकी समोद्दाह करके उसके सच्चे स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। इन सिद्धान्तों में से निम्नलिखित ध्यान देने योग्य हैं।

(१) प्राकृतिक अधिकार सिद्धान्त—

अधिकारों के सम्बन्ध में यह रबसे प्राचीन सिद्धान्त है परन्तु सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों के लेखकों ने प्राकृतिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त है। अधिकार मनुष्य की प्रकृति में ही निहित है; यह उनके साथ ही जन्म लेता है। वे उसकी प्रकृति के वैसे ही अंग हैं जैसे उसकी चमड़ी का रंग। हॉब्स का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपने प्राणों की रक्षा के लिये अपनी शक्ति का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने की स्वतन्त्रता है, यह उसका प्राकृतिक अधिकार है। अपने इस उद्देश्य का प्राप्ति के लिये अपने निर्णय तथा अपनी बुद्धि के अनुसार किसी भी ताम को करने की उसे स्वतन्त्रता है। ऐसो अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वस्तु पर, यहाँ तक कि एक दूसरे के शरीर पर भी, अधिकार है। जॉन लॉक का भत या कि सब व्यक्ति स्वतन्त्र और समान उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति ने बुझ अधिकार दिये हैं जैसे जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार

जिनका उपयोग मतुभ्य उस प्राकृतिक अवस्था में भी करता था जबकि समाज एवं राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। इन लेखकों के अनुसार ये अधिकार स्वयंसिद्ध हैं, उन्हें उचित सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज मनुष्यों को इन अधिकारों से बंचित नहीं कर सकता जो प्रहृति ने उसे प्रदान किये हैं। उनके लिये राज्य तथा समाज को स्वाकृति आवश्यक नहीं है, उनका प्रयोग कही भी और सर्वत्र दृढ़तागूर्वक किया जा सकता है।

यही प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त है। सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के हॉम्म, लॉक, रूसो जैसे समर्थकों के अतिरिक्त अन्य कई विचारकों, जैसे मिल्टन, बोल्नेयर, टॉमस पेन, डेस्टोन आदि ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। इस सिद्धान्त ने मानवता के विकास में बड़ा महत्व-पूर्ण योग दिया है। लॉक ने सर्वप्रथम सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिये इस सिद्धान्त का प्रयोग किया। अठारहवीं शताब्दी में उदारवादी विचारकों ने अपकिं की स्वतन्त्रता को रक्षा के लिये इसका आश्रय लिया। व्यावहारिक राजनीति में भी इस सिद्धान्त का अभाव पड़ा है। अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य कानूनियों पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अमेरिका के संसुक्त राज्य की स्वातंत्र्य-घोषणा (४ जुलाई १७७३) में यह घोषित किया गया है कि 'सर मतुभ्य समान बनाये गये हैं, निधान ने गवर्नरों कुछ अविच्छेद्य अधिकार दिये हैं, जिनमें जोकि, स्वतन्त्रता तथा सुव की खोज के अधिकार सम्मिलित है।' फ्रांस की राज्यकान्ति के दीरान में भी प्राकृतिक अधिकारों का घोषणा की गई। १७८९ की घोषणा में स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा और सम्पत्ति के अधिकारों को गणना मनुष्य के महत्वपूर्ण प्राकृतिक तथा अदेश अधिकारों में की गई है। अमेरिका उच्चोसनी शताब्दी में प्रख्यात अंग्रेज लेस्ले हर्बर्ट स्पेनर ने भी इस सिद्धान्त को अपनाया और 'समान स्वतन्त्रता' को सब मनुष्यों का आधारभूत अधिकार बतलाया। आज भी यह सिद्धान्त लुप्त नहीं हुआ है और जिस इडन के माय भोजन, बस्त, निवास-स्थान, आजीविका आदि के अधिकारों की मांग की जानी है उसमें प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता निहित रहती है।

आलोचना—

वडे-वडे विचारकों ने इस सिद्धान्त का गमर्थन किया है और इनकी परम्परा घड़ी प्राचीन है किन्तु जिम अर्थ में प्राकृतिक अधिकारों का इन-

सिद्धान्त में प्रतिपादन किया जाता है उसमें वह स्वोरुप नहीं किया जा सकता। इस सिद्धान्त में अनेक दोष हैं।

इस सिद्धान्त में सबसे बड़ी बुटि तो यह है कि 'प्रकृति' और 'प्राकृति' शब्दों को कोई ऐसी एक व्याख्या नहीं है जो सर्वसम्मत हो और जिस अर्थ में इन शब्दों का प्राकृतिक अधिकारों के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सके। डी० जी० रिची ने अपने 'Natural Rights' नामक ग्रन्थ में उन अनेक अर्थों को बतलाया है जिनमें प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी प्रकृति का अर्थ समस्त विश्व समझा जाता है, कभी उससे विश्व के उस भाग का अर्थ लिया जाना है जिसमें मनुष्य नहीं है, कभी उसका अर्थ किया जाता है आदर्श, कभी प्रारम्भिक, कभी अपूर्ण, कभी पूर्ण विरुद्धित रूप और कभी सामान्य या अौसत। इन विभिन्न अर्थों के कारण यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि हम प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ करें।

जब प्राकृतिक क्या है इस विषय में ही लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं तो यह स्थाभाविक है कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करने वालों में भी मतभेद हो। प्राकृतिक अधिकारों की ऐसी कोई सूची नहीं है जो प्रामाणिक अथवा सर्वमान्य हो। कुछ लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, दूसरे उसको अप्राकृतिक बतलाते हैं; कुछ लोग दास-प्रथा को प्राकृतिक बतलाते हैं, दूसरे लोग उसे कृत्रिम एवं अप्राकृतिक कहते हैं; कुछ लोग स्त्री और पुरुष को प्रकृति से समान समझते हैं, दूसरे लोग प्रकृति से स्त्री को हीन मानते हैं।

इतना ही नहीं, जो अधिकार प्राकृतिक बतलाये जाते हैं उनमें भी परस्पर विरोध है। फ्रांस को राजकान्ति के समय नेशनल एसेम्बली ने स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व को मनुष्य के प्राकृतिक, अविच्छेद्य एवं निरपेक्ष अधिकार बतलाया था और वे स्वतंत्रित घोषित किये गये थे। परन्तु व्यवहार की दृष्टि से इस सम्बन्ध में कठिनाई उपस्थित होती है। जैसा हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं समाज में निरपेक्ष स्वतंत्रता और निरपेक्ष समानता साथ-साथ नहीं रह सकती। यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम करने की अनियंत्रित स्वतंत्रता हो तो समानता नहीं रहती और यदि निरपेक्ष समानता स्थापित की जाती है तो अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं रहती। हमने पीछे स्वतंत्रता और समानता का अविरोध सिद्ध किया है परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि यह अविरोध वास्तविक स्वतंत्रता (अर्थात् नियंत्रित स्वतंत्रता) और वास्तविक समानता

(अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिये पर्याप्त अवसरों की प्राप्ति) में है। प्राहृतिक अधिकार के समर्थकों के विचार से स्वतंत्रता और समानता निरपेक्ष है और इस कारण उनमें विरोध स्वाभाविक है।

इस सिद्धान्त में एक बड़ा दोष यह भी है कि इसके अनुसार राज्य और समाज कृतिम अथवा अप्राहृतिक हो जाते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, जैसा सामाजिक समझौते के सिद्धान्त से प्रकृट होता है, आरम्भ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था और उपने प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करता था। उस समय समाज या राज्य नहीं था। मनुष्य ने चाद में समझौते से समाज और राज्य का निर्माण किया। इस प्रभार ये कृतिम है। इसका यह भी तात्पर्य है कि समाज और राज्य ने मनुष्य के उन जन्मसिद्ध अधिकारों को छीन लिया है जो उसे प्राहृतिक अवस्था में प्राप्त थे। यह विचार गलत है। हम देख चुके हैं कि मनुष्य सदा से समाज में रहता आया है, वह प्रकृति से ही सामाजिक है। इतिहास से मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता। समाज और राज्य दोनों प्राकृतिक हैं।

इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त की ये मान्यताएँ हैं कि (१) अधिकार राज्य से स्वतंत्र रूप में और राजनीतिक समाज से पूर्ण भी विद्यमान् ये और (२) राज्य मनुष्य को प्रहृतिदत्त अधिकारों से बचिन कर देता है, गलत है। हम आगे चलकर देखेंगे कि अधिकार केवल 'नागरिक समाज' (Civil Society) में ही हो सकते हैं; राजनीतिक दृष्टि से सज्जित समाज के सदस्य के रूप में हो व्यक्ति उनका उपभोग कर सकता है। समाज की सदस्यता इनका आधार है और इनके उपभोग के लिये परम आवश्यक है।

निरकर्प—

प्रहृति से मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है वह मत्ता (Power) है जैसे देखने, सुनने, खाने पीने आदि को शक्तियाँ; ये शक्तियाँ अधिकार नहीं हैं बिन्दु वे अधिकारों के आधार हो सकती हैं। प्रहृतिदत्त कुछ शक्तियाँ तो जन्म के समय परिप्रक दोती हैं, अन्य शक्तियों के विकास के लिये समय तथा बानावरण को अपेक्षा होती है। मानव शिशु में अनेक शक्तियों का भलडार होता है बिन्दु शैशव में वह कई काम नहीं कर सकता। उसमें यह होने, भाषण करने तथा विचार करने को शक्ति है बिन्दु आरम्भ में वह इन कार्यों को तुरन्त नहीं कर सकता। उनका विकास शनैः शनैः होता

है। वह गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर सकता, और न निवन्ध लिख सकता है, यद्यपि उसमें प्रतिमा और बुद्धि होती है। इन शक्तियों के विकास की आवश्यकता होती है। इनका विकास समाज में और समाज द्वारा ही सम्भव है। समाज में ही व्यक्ति को अपनी समस्त शक्तियों के विकास के लिए उपयुक्त माध्यम और प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलते हैं। जीवन की वे समस्त सामाजिक आवस्थाएँ हों, जो उसके विकास के लिये आवश्यक हों, मानव के अधिकार हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उनकी व्यवस्था करे। इस प्रकार अधिकारों की यह परिभाषा की जा सकती है कि वे मानव-विकास के लिये आवश्यक बाहरी आवस्थाएँ हैं। वाइल्ड के अनुसार कुछ कार्यों के सम्पादन को स्वतन्त्रता का उचित दावा ही अधिकार है। इस विश्लेषण में यह स्पष्ट है कि अधिकारों की प्रकृति सामाजिक है। वे व्यक्तियों के अधिकार समाज का सदस्य होने के कारण ही हैं। वे सामाजिक जीवन के पहलू हैं। एक योगिराज जो हिमाचल की कन्दरा में योगसाधना करता है या जो किसी वनप्रदेश में एकान्त जीवन व्यतीत करता है तथा जिसका मानवों से कोई सम्पर्क नहीं, उसके कोई अधिकार नहीं हो सकते।

इस प्रकार प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करना शालत है, यदि उनसा प्रयोजन उन अधिकारों से है जिनका मनुष्य समाज तथा राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक आवस्था में उपभोग करते थे और जिनकी प्रकृति को देन कहा जाता है। परन्तु यदि उनसे हमारा प्रयोजन उन अधिकारों या अवस्थाओं से है जो मानव की प्रकृति के विकास के लिये आवश्यक हैं, ताहे वे राज्य द्वारा स्वीकृत हो या न हों और उनकी राज्य ने व्यवस्था की हो या न की हो, तो राज्य-विज्ञान में एक आवश्यक धारणा के रूप में इनसा स्थान बना रहना चाहिये। ‘प्राकृतिक अधिकारों’ से हमें उन अधिकारों का भतलब लेना चाहिये जो प्रत्येक नागरिक को दिये जाने चाहिये जिससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। उदाहरणार्थ हम ‘काम के अधिकार’ को इस अर्थ में प्राकृतिक अधिकार कह सकते हैं। ‘उन्हें आदर्श’ अधिकार, कहर, जर, मक्कला, दृ, जनक, दूरर, हम समाज में स्वीकृत तथा प्रचलित वास्तविक और कानूनी अधिकारों की परीक्षा कर सकते हैं। राज्य द्वारा संरक्षित अधिकार इन आदर्श अधिकारों से जिनने दूर होंगे, राज्य उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। इससे यह स्पष्ट है कि समस्त प्राकृतिक अधिकारों के लिये समाज द्वारा स्वीकृति

आवश्यक नहीं है। वे समाज की नैतिक बुद्धि द्वारा अवश्य स्वीकृत होने चाहिए। यदि जनना ग्रिगो अधिकार की निस्तर माँग करेगी तो नैतिक स्वीकृति के फलस्वरूप उसे कानूनी स्वीकृति वभो न कभी अवश्य मिल जायगी।

अधिकारों का कानूनी अथवा वैधानिक सिद्धान्त—

यह सिद्धान्त प्राकृतिक अधिकार-सिद्धान्त का विरोधी है। इस सिद्धान्त के समर्थक कहते हैं कि अधिकार प्रकृति दत्त नहीं, राज्य से प्राप्त होते हैं। अधिकार जन्मजात नहीं होते और न वे निरपेक्ष ही होते हैं। राज्य उनसी सुष्ठि करता है और वे राज्य विज्ञान सांखेज होते हैं अर्थात् राज्य के विज्ञान पर निर्भर होते हैं। जो अधिकार राज्य हमें देता है वही हमारे अधिकार है और जो अधिकार राज्य हमें नहीं देता वे हमारे अधिकार नहों हो सकते। वेन्यम के मत में 'जिन अधिकारों को उचित हाप्टि में अधिकार कह सकते हैं वे उचित रूप में कानून कहे जाने वाले कानूनों की सुष्ठि है' १० राज्य कानून के द्वारा हमें अधिकार देता है। हमारे जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति आदि के अधिकारों का निर्णय राज्य के कानूनों द्वारा ही होता है। कानून उन विधियों का निर्धारण करता है जिनमें हम स्वतंत्रता, सम्पत्ति आदि के अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि जीवन तक का अधिकार राज्य द्वारा नियंत्रित होता है क्योंकि वही वह निर्णय करता है कि किन परिस्थितियों में हम से हमारा जीवन छीना जा सकता है। राज्य कभी भी हमारे किसी भी अधिकार का अपहरण कर सकता है। इस प्रकार वास्तविक अधिकार वे ही हैं जो हमें राज्य से कानून द्वारा प्राप्त होते हैं। उनसे भिन्न कोई अधिकार नहीं हो सकते। प्राकृतिक अधिकार निरर्थक है। वे प्राकृतिक कानून के अनुकूल समझे जाने हैं परन्तु जिनसे हम प्राकृतिक कानून कहने हैं वे या तो राज्य के कानून से मेल लाते हैं या उनके विपरीत होते हैं। पहली दशा में वे अनापश्यत हो जाते हैं और दूसरी दशा में वे व्यर्थ होते हैं क्योंकि उनके अनुयार आचरण सम्भव नहीं। ऐसी दशा में प्राकृतिक अधिकार की वाल करना व्यर्थ है। इस मिद्दान के समर्थन हॉब्न, वेन्यम, अर्टिन, हॉलीएड आदि हैं।

बर्तमान वाले में समाज शास्त्र के अध्ययन वीं प्रगति के राय अधिकारों वे कानूनी मिद्दान की एक दूसरा रूप दिया गया है जिसे हम समाज शास्त्री अथवा यथार्थवादी मिद्दान कह सकते हैं। सुगमिद्द समाज-

*Quoted in Barker : Political Thought in England, p. 26.

राहरो गमज्जाविज्ञ (Gumplowicz), जो आधुनिक समाज को शक्ति का परिणाम मानता है, अधिकारों की चर्चा करते हुए कहता है कि अधिकार नामांजिक जीवन में बाम आने वाले वे नियम हैं जिन्हें समाज स्वीकार करके कानून के द्वारा कार्यान्वित करता है। इस प्रकार अधिकार कोई ऐसो वस्तु नहीं है जो हिसों नैतिक मानदण्ड के अनुसार होनी चाहिये वरन् वह वस्तु है जो यथार्थ में है, जिससा अस्तित्व है। उसका कथन है कि मनुष्य के अधिकारों अधिकारों को मानवा मनुष्य को देवता समझने और मानव जीवन का अत्यधिक मूल्य मान लेने का तपा राज्य के अस्तित्व के एह मान राभव आधार को राजन गमभने का परिणाम है। अधिकार न्याय पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके विपरीत न्याय को सुधि के प्रल उन वास्तविक अधिकारों से होती है जो राज्य में विद्यमान हैं। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यही है कि राज्य, उसके कानून और अधिकार तर का आधार शक्ति है। उनका नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आलोचना—

इस लिद्धान्त में सर्वप्रथम दोष तो यह है कि इसमें अधिकार के कानूनी तत्व पर ही ध्यान दिया जाता है और उगके नैतिक तत्व को उपेक्षा की जाती है। जैसा घोसान्वये का कथन है, प्रत्येक अधिकार में कानूनी तथा नैतिक तत्व होते हैं। इसके समर्पक यह बात भूल जाते हैं कि जो अधिकार इसे कानून द्वारा भिलते हैं वे केवल इसी कारण अधिकार नहीं हैं कि उन्हें कानून की स्त्रीकृति प्राप्त है, बल्कि इसलिये भी है कि वे नैतिक दृष्टि से उनित हैं। कोई भी वस्तु केवल राज्य के आदेश से उनित या अनुचित नहीं बन जाती। राज्य चोरी या व्यभिचार को उनित नहीं ठहरा सकता। वाइल्ड का कथन है कि 'राज्य हमारे अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता, वह केवल उन्हें भान्ता देता है और उनमें रक्षा करता है। अधिकारों या अस्तित्व स्वयं अरने आप रहता है, उन्हें कानून का स्प चाहे मिने भान मिते। कानून द्वारा उन्हें लागू इसलिये किया जाता है कि वे अधिकार हैं, कानून द्वारा कार्यान्वित किये जाने के कारण वे अधिकार नहीं बनते।' लास्टो ने भी 'अधिकारों पी केवल कानूनी दृष्टिकोण से विचेचना करना सतत बतलाया है। उसका कहना है कि यह सिद्धान्त 'हमे यह बात सहता है कि यथार्थ में राज्य कैसा है, परन्तु उससे यह मालूम नहीं होता कि राज्य में जिन अधिकारों को मान्यता दी गई है वे वास्तव

में ऐसे अधिकार हैं जिन्हें मान्यता दो जानी चाहिये ।^{*} वास्तव में यहाँ रूप में अधिकार वह है जो कानून द्वारा मान्य होने के साथ ही नैतिक इष्टि से भी उचित हो ।

इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त को स्वीकार करना राज्य को निरकुण बना देना है क्योंकि इसके अनुमार जब राज्य ही अधिकारों को सुषिक्ष-करता है तो वह किसी भी वस्तु को उचित या अनुचित ठहरा सकता है । यह हिति स्वीकार नहीं की जा सकती । यह तो सत्य है कि वैधानिक इष्टिकोण से राज्य में प्रभुता होती है परन्तु वास्तव में उसमीं सत्ता बिलकुल अमर्यादित नहीं होती । उस पर रीति-रिवाजों, परम्पराओं, नैतिकता आदि का बन्धन रहता है जिसे वह नोड नहीं सकता । लास्टी का कथन है कि अधिकारों की प्रतिष्ठा और रक्षा का सम्बन्ध लिपिद्वयित्वात् अपेक्षा अभ्यास और परम्पराओं से अधिक है । अधिकांश में समाज व रीति-रिवाज ही कानून का निर्धारण करते हैं ।[†] अधिकतर रीति रिवाज ही कानून का रूप धारण कर लते हैं और बहुत से समाजों में न्याय समाज के दीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का अनुकरण करता है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि सभी अधिकार कानून के द्वारा ही प्राप्त होते हैं । कानून ही अधिकारों का अन्तिम खट्टा नहीं है । यह बात इससे भी लग्त होती है कि कानून समय-समय पर समाज को औचित्य भावना के अनुरूप बदलते रहते हैं । जो चात एक परिहिति में उचित होती है वह दूसरी परिहिति में अनुचित हो जा सकती है । इस परिवर्तित परिहिति में कानून बदलते पड़ते हैं । कानून के रूप अधिकारों में भा परिवर्तन हो जाता है । व्यक्ति को कानून से असीमित निजी सम्पत्ति का अधिकार हो सकता है परन्तु समाज की भावना बदलने पर और असीमित निजी सम्पत्ति अनुचित समझो जाने पर राज्य को कानून बदलकर इस अधिकार को नष्ट करना पड़ेगा, जैसा रूप में हुआ है । आवश्यकता पड़ने पर यहि वो राज्य का विरोध करने का अधिकार भी है, हालाँकि इस सिद्धान्त के अनुमार व्यक्ति को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं हो सकता । लास्टी के अनुमार व्यक्ति को राज्य के विश्व उसो प्रकार अधिकार हो सकते हैं जैसे राज्य की व्यक्ति के प्रति होते हैं क्योंकि वास्तव में व्यक्ति का जनन सत्त्व राज्य के

* "कृष्ण न ग्रामम् च विप्रांतः, p 31.

[†] Ibid, p. 103.

ति है वह वास्तव में उस आदर्श के प्रति है जिसकी सिद्धि का प्रयत्न इन्हें करना चाहिये ।*

नैतिकता के तत्व की उपेक्षा से उत्पन्न होने वाली कठिनाई से बचने के लिये इस सिद्धान्त के समर्थक कहते हैं कि राज्य केवल कानूनी अधिकारों पर स्थाप्ता है अर्थात् कानून केवल कानूनी अधिकारों का निर्माण करता है । यदि तो केवल पुनरुक्ति हुई । इस कथन से इस प्रश्न का समाधान नहीं होता कि कानून अनुचित को उचित कैसे ठहरा सकता है । वास्तव में यह सिद्धान्त अपूर्ण है । इसमें अधिकार के वास्तविक आधार—नैतिकता—के लिये कोई गुजारण नहीं है । अधिकार चाहे इतिहास से उत्पन्न हुए हों, या परम्परा में या कानून से; प्रत्येक दशा में उनके लिये एक नैतिक प्राधार की आवश्यकता छोटी है ।

नेट्वर्क

उपर्युक्त तरफ से अधिकार का कानूनी सिद्धान्त असन्दोषप्रद सिद्ध होता है परन्तु असन्दोषप्रद होते हुए भी वह नितान्त गलत नहीं है । उसमें कुछ उत्पाद है । राज्य से अलग अधिकारों की स्थिति संभव नहीं है । प्राकृतिक (अर्थात् आदर्श) अधिकार हमारे नैतिक अधिकार हैं । उन्हें कार्यान्वित होने वाली कोई शक्ति नहीं है । ऊपर हम बोगाक्षे का मत बतला चुके हैं कि शानकारण कानूनी और नैतिक दो पक्ष होते हैं । उसका कथन है कि 'अधिकार एक दावा है जिसे कानून द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है परन्तु किसी भी नैतिक आदेश को कानून द्वारा अमल में नहीं लाउकते । किन्तु यह भी स्वीकार किया जाता है कि अधिकार ऐसा दावा है जैसे कानून द्वारा लागू किये जाने योग्य होना चाहिये और इस तरह उसका यह नैतिक पक्ष है । एक लाक्षणिक अधिकार में ये दोनों पक्ष मिले होते हैं । वह कानून द्वारा अमल में लाने योग्य होता है और उसे ऐसा होना भी चाहिये ।'‡ इस प्रकार केवल नैतिक आधार पर स्थित दावे प्रभवनीय अधिकार मान हो सकते हैं । वे हमारे अधिकारों के आधार हो सकते हैं परन्तु उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं कह सकते । पूर्ण अधिकार बनने के लिये नैतिक मान्यता के साथ उनके लिये कानूनी स्वीकृति आवश्यक है जिससे सब लोग उनका उपभोग कर सकें । और उनका अतिक्रमण करने वालों को दरड़ दिया जा सके; संघेप में, अधिकार का वास्तविक आधार

* Ibid, p. 96.

‡ Bosanquet : The Philosophical Theory of the State, p. 187.

नैतिक है परन्तु कोई भी दावा नैतिक होते हुए भी अधिकार का रूप उसी समय धारण करता है जब उसे राज्य हीरार तरके कानूनी रूप दे देता है।

ऐतिहासिक सिद्धान्त—

यह मिदान अधिकारों के कानूनी सिद्धान्त का विरोधी है। इसके समर्थनों का कथन है कि अधिकारों को सृष्टि इनिहाउ में होता है। वज्र दिनों से चले आने वाले रीतिरिवाज धीरे धीरे बुद्ध गमय बाद अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। सम्पत्ति का अधिकार इसी प्रकार उत्पन्न हुआ। प्राचीन वीर राज्य वर्षानि के पहले वहाँ ऐ रईम कृप्तरों को अपनी सम्पत्ति समझने थे और शिकार थे गमय उन्हें खेतों का उनमें अपने धोड़े दीजा कर नष्ट कर दिया करते थे। यह उनसा अधिकार माना जाना था जिसे राज्यवर्षानि ने गमाप्त किया। उसी देशों में ग्राम्यस्थल अपराध माना जाता है परन्तु जापान में हरामिरी का अधिकार बड़ा गोरवपूर्ण माना जाता है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्तव्यस्थुत होने पर स्थग्य अपने प्राणों का अन्त कर देने में गोरत्व का अनुभव करता है। रिची का कथन है कि 'जिन अधिकारों के विषय में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने ही चाहिये वे ऐसे ही अधिकार होते हैं जिनके वे ग्राम्यस्थल होते हैं या जिनके विषय में गलत या सही एवं परम्परा होती है कि वे उन्ह कभी प्राप्त न हों।'* इस प्रकार इस मिदान्त के अनुसार अधिकारों का जन्म रीतिरिवाजों एवं परम्पराओं से हीता है। अधिकार रीतिरिवाजों का ठोंग रूप है।

आलोचना—

यह सत्य है कि हमारे बहुत में अधिकारों वा सोन हमारे रीतिरिवाजों तथा हमारी परम्पराओं में है परन्तु हमका यह अर्थ बदायि नहीं होता कि हमारे यसी अधिकार पुगाने रीतिरिवाज है या अधिकारों सा जन्म केवल रीतिरिवाजों से हो होता है। यदि रीतिरिवाजों से ही अधिकार बनते तो प्राचीनताल की दास-प्रथा अथ भा चलनी चाहिये और दास रखना ग्रान्ड व्यक्ति वा अधिकार होना चाहिये। यदि यह मान भा लिया जाव कि जिस समय में दास-प्रथा थी उस समय यह एक अधिकार या परन्तु जैसा इस ऊपर लिय जुके है अधिकार में ग्रान्चित्य की भावना कर भास्त्रश ग्राम्यक है और दास-प्रथा कभी भी उन्नित नहीं गम्भीर जा-

* Ritchie : Natural Rights, pp. 78-79.

समर्ती। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दास-प्रथा एक सापेक्ष अधिकार था। एक समय था जब लोग उसं उचित समझते थे परन्तु अब समाज की नैतिक भावना उसे उचित नहीं समझती अतः वह अब अधिकार नहीं बन सकती। परन्तु क्या सब दाम लोग उसं उचित समझते थे?

यदि हम अधिकारों को उत्पत्ति केवल रीतिरिवाजों और परम्पराओं से ही मान ले तो सुधार असम्भव हो जायगा। बहुत से ग्रामीन रीतिरिवाज हानिकार सिद्ध होने पर छोड़ दिय जाते हैं। भारतवर्ष में सर्वीप्रथा तोड़ दी गई। इसी प्रकार अमृशना का अन्त कर दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर हम नवे अधिकारों की सुषिटि करते हैं जो पहले कभी रीतिरिवाज के रूप में नहीं थे। ग्रामीन काल में शिक्षा एवं काम के अधिकार नहीं थे परन्तु अब सभ्य देश इसी आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं। सभ में तो ये अधिकार लोगों की ग्राहन भा है।

इस प्रकार यह सिद्धान्त अधिकार का स्फरण ठाँस ठाँस नहीं समझता। इसमें इतना तो सत्य है कि हमारे बहुत से अधिकार रीतिरिवाज पर आधारित हैं परन्तु हम उसके इस दाम को स्वीकार नहीं कर सकते कि रीतिरिवाज अर्थात् इतिहास हाँ अधिकारों का एकमात्र खोत है।

अधिकारों का सामाजिक कल्याण या उपयोगिता का सिद्धान्त—

इस सिद्धान्त के मर्मधर्म केन्द्रम, मिल जैसे उपयोगितामादी विचारक है। उनका कथन है कि क्या होना चाहिये इसका निश्चय करने के लिये एक ही कमीटी है और वह है 'उपयोगिता' अर्थात् 'अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख'। उनका मत है कि राज्य तथा व्यक्ति गवर्नर कामों का निर्धारण इसी सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिये। जिन कामों से समाज में अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, वे ही उचित हैं। इस प्रकार अधिकारों का आधार उपयोगिता अर्थात् सामाजिक उपयोगिता है।

अमेरिन्ना के विधानशास्त्री डीन रॉस्टो पाड़एड नथा ग्रोफेसर चेस्टी का भी मत है कि अधिकार नामाजिक कल्याण की शर्त है। समाज उनकी सुधि स्वरूप है। कर्मकाल, रीतिरिवाज, प्राकृतिक अधिकार आदि सब बलुओं को जो समाज के लिये उपयोगी अथवा वाद्यनीय हैं उसके नामने मुक्तना चाहिये। कोई भी अधिकार निरपेक्ष या अमर्यादित नहीं होता। उसका निर्धारण सामाजिक उपयोगिता के विचार में होता है। व्यक्ति को वे ही अधिकार मिल सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के अनुभूल हैं।

लास्टी ने भी कुछ परिवर्तन के माय इस सिद्धान्त को अंपनाया है और इस परिवर्तन वे माय वह करीब-करीब आदर्शवादी सिद्धान्त के निकट पहुँच गया है जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। वह भी उपरोक्तियों की अविभारों की वसौटी मानता है मिन्तु उपरोक्तियों से उसना तात्पर्य है राज्य के सभी लोगों के लिये उसका मूल्य[†] उसके अनुगार अविभार सामाजिक जीवन की वे परिवितियाँ हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति साधारणतया अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकता। परन्तु उसना ऐसा नहीं है कि हमारे अविभार समाज से स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे पास अविभार है क्योंकि हम समाज के मध्यस्थ हैं। हमारे अधिकार समाज से स्वतंत्र नहीं वरन् उसमें निहित हैं। हमारे पास अधिकार समाज की तथा अपनी दोनों की रक्षा के लिये है। हमें अधिकार इसलिये है कि हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इस प्राप्त अधिकार का सम्बन्ध कर्तव्य से है। हमें समाज के विद्यु वार्य करने का अधिसंर नहीं है। जो कुछ हम प्राप्त करने हैं कम में कम उसना कोमत चुराने का प्रयत्न स्थिर बिना उसमें महण करने का हमें कोई अविभार नहीं है। मेरे कामों का सामाजिक वल्याण से जो सम्बन्ध है उसी के ओरांग पर मेरे अविभारों का निर्माण होता है। मैं जो दाना बरता हूँ वह भी ऐसा होना चाहिए जो मेरे कर्तव्य के समुचित पालन के लिये आवश्यक हो। सामाजिक कल्याण के विद्यु मेरा कोई अधिकार नहीं हो यहता क्योंकि उस कल्याण में स्वयं मेरा कल्याण मो घनिष्ठ तथा अविच्छेद्य रूप से जुड़ा हुआ है। चूँकि अविभारों का ग्राम्यर सामाजिक कल्याण है, इसलिये लास्टी प्रत्येक नागरिक को, यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण को छोड़ रिया वर्गविभेद के हित में काम करता हो, उसका विरोध करने का अधिकार देता है क्योंकि राज्य के प्रति भक्ति का केवल यही आधार है कि राज्य सार्वजनिक कल्याण का सम्पादन करने के लिये और नागरिकों को अपने विसाम के लिये पूरी सुविधाएँ देने के लिये है।

इस प्रकार अविभारों का कर्तव्य से सम्बन्ध स्थापित करके लास्टी अधिकार की कल्पना का और भी विस्तार करता है। जहाँ कर्तव्य है, वहाँ अविभार आवश्यक रूप में है। व्यक्ति के कर्तव्य केवल राज्य के प्रति ही नहीं है। समाज में अनेक समुदाय होते हैं जिनसे मनुष्य का सम्बन्ध होता

* Laski: A Grammar of Politics, p. 92.

† Ibid., p. 94.

है और जो उसकी अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनके प्रति भी व्यक्ति के कर्तव्य है। और चूँकि समुदाय व्यक्तियों के प्रति अनेक कर्तव्य करते हैं इसलिये उनके भी अधिकार होने चाहिये। अन्त में समाज एवं राज्य भी कर्तव्य करते हैं, अतः उनके भी अधिकार हैं। इम प्रकार अधिकार का कल्पना बड़ी विशद है और किसी भी समुचित अधिकार-व्यवस्था में सामाजिक जीवन के इन तीनों पक्षों—चक्षि, समुदाय तथा समाज—में समाजस्य स्थापित होना चाहिये। उम्में व्यक्तियों, समुदायों तथा समाज के हितों का विचार रखते हुये उन सबके अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिये।* दर्शनिक दृष्टि से सबका एक सामान्य हित होते हुए भी व्यावहारिक जगत में इन विभिन्न पक्षों के हितों में संघर्ष होने की सदा संभावना रहती है। हमारा प्रयत्न उन हितों में समाजस्य स्थापित करने के लिये होना चाहिये जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके।

आलोचना—

हमने आभी तक जितने अधिकार-सम्बन्धी सिद्धान्तों का वर्णन किया है उनमें यह सब से अधिक सन्तोप्त्रद है। सामाजिक कल्याण अधिकारों का ग्रन्थी कमीटी है। परन्तु इसमें ग्राम्य में ही एक कठिनाई उपस्थित होती है। हम सामाजिक कल्याण का क्या अर्थ समझें? समाज के प्रत्येक सदस्य का हित, वा अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख, या समाज के बहुसंख्यक भाग का हित? यदि इनमें से कोई एक अर्थ भी हम प्रहण करलें तो भी कठिनाई का अन्त नहीं होता। ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित हो सके। अधिक से अधिक लोगों के सुख का यदि अर्थ लें तो जो लोग यचे रहते हैं उनके सुख की उपेक्षा होती है। फिर, सुख से क्या तात्पर्य है? क्या प्रत्येक व्यक्ति का सुख एक ही प्रकार का होता है? सुख की माप कैसे होगी? बहुसंख्यक लोगों के हित का सम्पादन करने में अल्पसंख्यक लोगों के हित की हानि होती है।

इसके अतिरिक्त इस मिदान्त में एक त्रुटि और है। सामान्यतया यह बात सत्य है कि सार्वजनिक कल्याण से व्यक्ति का कल्याण घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और अधिकतर मामलों में व्यक्तिगत हित सामाजिक हित के अनुरूप ही होता है। परन्तु इन दोनों में संघर्ष संभव है और ऐसी दशा में सामाजिक हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान किये जाने का

* Laski : A Grammar of Politics, p: 141.

डर है। लास्की व्यक्ति को राज्य रा विरोध करने का अधिकार देता है परन्तु इस अधिकार को व्यवहार में लाना कठिन है क्योंकि राज्य अपने विशद् दिवं जाने वाले प्रत्येक कार्य को समाजिक हित ने विशद् बतलाने का प्रयत्न करेगा।

आदर्शवादी अथवा व्यक्तित्ववादी सिद्धान्त—

इस मिद्दान के अनुमार अधिकार व्यक्ति के आनन्दरित विभाग के लिये आपश्य याद परिस्थितियाँ हैं। ये वे शब्दियाँ हैं जो व्यक्ति के नैतिक विभाग ने लिये ग्रानश्यत हैं। इन्हा ने द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विभाग कर लगता है। आदर्शवादी विचारक मनुष्य को एक नैतिक प्राणी भान कर चलत है जिसका उद्देश्य अपने नैतिक व्यक्तित्व का पूर्णतम विभाग करना है। मनुष्य अनेक गुणों के साथ जन्म लेता है और वह उन गुणों (सद्गुणों) का उपरोक्त करके अपने व्यक्तित्व का उच्चतम विभाग करना तथा इस प्रसार अपनी आदर्श दशा को प्राप्त करना चाहता है। यह ऐस्य ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य है क्योंकि नैतिक होने के नाते मनुष्य इस धर्य का प्राप्ति के लिये बाध्य है। प्राकृतिक शक्तियों एवं गुणों का विभाग तथा इस धर्य की प्राप्ति समाज में और समाज के द्वारा ही सभप है क्योंकि उनके विभाग के लिये उपयुक्त मात्र्यम, प्रेरणा तथा प्रोत्साहन समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं। अपने ऐस्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य ने अनुकूल परिस्थितियाँ तथा सुविधाएँ चाहिये। वह समाज से इन परिस्थितियों एवं सुविधाओं का मांग करता है। समाज इस माग की स्वीकार करता है क्योंकि समाज के सभी सदस्य नैतिक व्यक्ति हैं और यह इस धर्य वहाँ है—अपने नैतिक व्यक्तित्व का विभाग अर्थात् अपनी आदर्श दशा की प्राप्ति। चूंकि यह धर्य यव का धर्य है इस रारण वह धर्य सामान्य धर्य है। इस प्रसार चूंकि मन का धर्य एक ही है इसलिये व्यक्ति के हित और सामान्य हित में सोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं और जब व्यक्ति अपने हित अथवा धर्य की प्राप्ति इस प्रयत्न करता है तो वह सामान्य हित की प्राप्ति का भी गाय ही गाथ प्रयत्न करता है। इस कारण व्यक्ति अपने विभाग के लिये आपश्य सुविधाओं का समाज में दागा करता है तो वह दाया करने स्थित उपरा के लिये नहीं होता, वह मानता है कि इनी प्रसार की सुविधाएँ अन्य युग लोगों को भी प्राप्त होनी चाहिये। समाज भी इन दायों को समाप्त कर लेता है क्योंकि वे व्यक्तिगत हित में न होस्तर समाजिक हित में होते हैं। समाज को स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ये दाये अधिकार बन

अधिकार

जाते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास करना प्रत्येक व्यक्ति का सबोंच प्रत्येक निरपेक्ष अधिकार है; उसके लिये किसी शर्त की आवश्यकता नहीं है। अन्य सब अधिकार इसी आधारभूत अधिकार की पूर्ति के लिये है अर्थात् व्यक्तित्व के विकास के साधन रूप है और इस प्रकार मापेक्ष है। मैं उन्हीं अधिकारों को प्राप्त बर सकता हूँ जो व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक है।

उपर्युक्त निम्नन से यह स्पष्ट हो जाता चाहिये कि अधिकार की आदर्शवादी कल्पना में कई बातें निहित हैं।

(१) अधिकार व्यक्ति की माग है जिसमा उद्देश्य आत्मोन्नति अर्थात् नैतिक व्यक्तित्व का विकास है।

(२) यह माग समाज की स्वीकृति प्राप्त कर सकने पर अधिकार बनती है।

(३) समाज इस माग को स्वीकृति इस कारण देता है कि वह मांग केवल व्यक्ति के हित में नहीं, बल्कि समाज के हित में भी है वयोंकि व्यक्ति के वल्याण और समाज के कल्याण में अभेद है।

(४) व्यक्ति रा प्रत्येक मांग अधिकार नहीं बन सकती, केवल वही मांग अधिकार का रूप धारण कर सकता है जो नैतिक है अर्थात् व्यक्तित्व के विकास के लिये है। कोई व्यक्ति आत्महत्या अथवा किसी दूसरे की हत्या कर सकने के अधिकार की मांग नहीं कर सकता।

(५) अधिकार व्यक्ति में निहित है परन्तु एकान्त रहनेवाले व्यक्ति में नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति में जो समाज का सदस्य है जिसकी स्वीकृति से उसमा दावा अधिकार बनता है। जंगल में एकान्तवास करने वाले व्यक्ति के अधिकार नहीं हो सकते। इस प्रकार अधिकार सामाजिक होते हैं।

(६) अधिकार एक नैतिक प्राणी के ही हो सकते हैं जिसमें अपने नैतिक विकास को ज्ञान होती है। एक सिंह का अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि वह नैतिक प्राणी नहीं है। एक मनुष्य के भी, जब वह कोई धूणित अपराध करता है और नैतिकता से ध्युत हो जाता है, अधिकार नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र जब कारावास का दण्ड देता है तो उसके अधिकार स्थगित हो जाते हैं।

(७) अधिकार आवश्यक रूप से सार्वलौकिक और निष्पक्ष होते हैं। यदि अधिकार व्यक्ति के आत्मविकास के लिये आवश्यक हैं तो वे सबके लिये आवश्यक हैं और सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिये।

(८) अधिकारों के साथ कर्तव्य अविच्छेद्य रूप से खम्बद है। अधिकारों ना अद्वितीय कर्तव्य-जगत् भी हो सकता है। एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्य है। मेरे सम्पत्ति के अधिकार का अर्थ है कि अन्य गत लोग मेरे द्वारा अधिकार का आदादर करें और मेरी अनुमति के बिना उनमें हस्तांकेप न करें। जीवन ममन्वी मेरे अधिकार का यह अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति मेरे जीवन को बिसी प्रकार भी क्षति नहीं पहुँचायिंग। मेरे अधिकारों का मुक्ते उपभोग करने देना दूसरों का कर्तव्य है और दूसरों को उनके अधिकारों ना उपभोग करने देना मेरा कर्तव्य है। सिजविस का कथन है कि जरामा भी विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि हम किसी एक व्यक्ति के अधिकारों की उनके द्वारा दूसरों पर आरोपित कर्तव्यों ने बिना कल्पना नहीं कर सकते।^{*} इस प्रकार अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं।

एक दूसरे अर्थ में भी अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अधिकार केवल आन्ध्रविज्ञान की ही शर्त नहीं है, वह सार्वविनियुक्ति की तृदि का भी साधन है। समाज व्यक्ति को अधिकार की गारणटी इमलिये देना है कि वह अपने नैतिक व्यक्तित्व का विकास कर सके और साथ ही सामाजिक हित गावन में योग दे सके। इस प्रकार एक व्यक्ति का अधिकार स्वयं उस पर टगभार प्रयोग सामाजिक कल्पाण के लिये करने का कर्तव्य आरोपित करता है। इस प्रकार अधिकार (अर्थात् उसका सनुपयोग) स्वयं एक कर्तव्य है। जिस समय व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग ऐसे टग से करने लगता है जो समाज के लिये हानिकर होता है, उस समय वह उसका अधिकारी नहीं रहता। यही कारण है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों को बन्दी बना देता है जो समाज के लिये सुतरा बन जाते हैं। हॉब्हाडम का कथन है कि 'अधिकार तथा कर्तव्य सामाजिक कल्पाण की, सामंजस्य-पूर्ण जीवन की, शर्तें हैं'... समाज के प्रत्येक मदस्य का इस कल्पाण से द्विविध सम्बन्ध है। उगमा उसमें एक भाग है, वह उसके अधिकार है। उसे उस कल्पाण के निर्माण में योग देना है। वह उसके कर्तव्य है।†

यह घ्यान रगना चाहिये कि आदर्शवादी विचारक जिन अधिकारों की जर्ची करते हैं वे आदर्श अधिकार हैं, कानूनी नहीं। वे नैतिक हैं। उसका नैतिकता से मुम्बन्ध है कानून से नहीं। जिस सामाजिक स्वीकृति

* Sidgwick : Elements of Politics, p. 39.

† Hobhouse : The Elements of Social Justice; p. 39.

अधिकार

की वे आवश्यकता बतलाते हैं वह भी समाज की नैतिक चेतना की स्वोकृति है, राज्य की विधानसभा की नहीं। अधिकारों का नैतिकता से सम्बन्ध इन शर्थ में है कि वे नैतिक ध्येय की प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं और उनके लिये समाज की नैतिक चेतना की स्वोकृति को आवश्यकता है। परन्तु उनका कानून से भी सम्बन्ध है क्योंकि उनका उपभोग नब लोगों के लिये कानून की सहायता से ही संभव हो सकता है। कई अधिकार ऐसे हो सकते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत न हो परन्तु जिन अधिकारों को समाज की नैतिक स्वीकृति प्राप्त है और जिनकी मांग जनता दृढ़तापूर्वक करती है उसे कभी न कभी कानूनी स्वीकृति मिल जायगी और वह कानूनी अधिकार बन जायगा।

आलोचना—

अधिकार के स्वस्प-सम्बन्धी सिद्धान्तों में यह सिद्धान्त सबसे सन्तोष-जनक मानून पड़ता है। इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आधार एक नित्य और असंदिग्य आधार है—मनुष्य का नैतिक व्यक्तित्व जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। इस सिद्धान्त में कोई आन्तरिक विरोध नहीं है क्योंकि वह एक अधिकार को—व्यक्तित्व के विकास के अधिकार को—निरपेक्ष और आधारभूत मानता है; अन्य सब अधिकार इस एक अधिकार की पूर्ति के लिये होते हैं और इस प्रमाण सापेक्ष होते हैं। यह ममस्त अधिकारों की कसौटी है जो सदा काम दे सकती है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त में कई निरपेक्ष अधिकार हैं—स्वतन्त्रता, समानता, समत्ति आदि जिनके पारस्परिक विरोध पर पहले प्रकाश ढाला जा चुका है। कानूनी ऐतिहासिक तथा सामाजिक वल्याण के सिद्धान्तों में एक भी निरपेक्ष अधिकार नहीं है और इस कारण उनमें अधिकारों की परीक्षा के लिये कोई कसौटी नहीं निलंबी। सामाजिक वल्याण के सिद्धान्त ने अवश्य मामाजिक वल्याण की कसौटी है परन्तु, जैसा हन देख नुके हैं, वह वही अत्यन्त कसौटी है।

इस सिद्धान्त के विषय में भी यही आपत्ति की जा सकती है कि इसकी कसौटी—व्यक्तित्व का विकास—भी उतनी ही अस्पष्ट है। व्यक्ति परस्पर भिन्न होते हैं और उनका व्यक्तित्व भी भिन्न होता है। व्यक्तित्व की कल्पना भी चेतना-सम्बन्धी सूक्ष्म वल्यना है। उसे व्यावहारिक रूप देना बड़ा कठिन है। राज्य उन परिस्थितियों का कैसे निश्चय करेगा जो उसके समस्त नागरिकों के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं। कोई व्यक्ति कितनी

उन्नति कर सकता है यह कोई नहीं कह सकता। ये बठिनाइयाँ वह गभोर हैं परन्तु आदर्शवादी लोग यह कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त मुश्किलों एवं परिस्थितियों से प्रमुख करने का दावा नहीं करता जो उसके विभाग के लिये आवश्यक है। वह तो यह मानकर चलत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्णतम उन्नति करना चाहता है और इसने लिये वह कुछ न्यूनतम अधिकार समस्त व्यक्तियों के लिये समान रूप से नुलम रूप देता है। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह फिरने अधिकार का उपभोग करता है। अधिकार भी ऐसो समाज के विभाग के स्तर पर निर्भर रहते हैं। ज्यों-ज्यों समाज अधिकाधिक सम्य एवं मुख्यस्तुत होता जायगा त्या त्यों उसे अधिकाधिक अधिकारों की आवश्यकता होती जायगी और राज्य समाज की नैतिक चेतना के अनुमार उन्हें स्वीकार करता जायगा। इस प्रकार इस मिद्दान के अधिकारों की कोई अचल कलना नहीं, प्रगतिशील बल्पना है। इतिहास से प्रमाट होता है कि धीरे धीरे अधिकार का न्यूनतम बढ़ना जा रहा है। आज हमें वे अधिकार प्राप्त हैं जिनसी प्राचीन, मात्यमिन, यहाँ तक कि आनुनिक युग के आरंभ में भी कोई करना हा नहीं कर सकता था। प्राचीन समाजों में तो मनुष्य को जीवन ना अधिकार तर प्राप्त नहीं था।

अपर हमने सामाजिक बल्याणु के मिद्दान के गम्भीर में बनलाया था कि यह मिद्दान आदर्शवादी मिद्दान के रूपान ही है पर्योंकि दोनों में गामाजिक बल्याण पर ज्ञोर दिया जाता है तथा दोनों में व्यक्ति का बल्याण और गामाजिक बल्याण घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध माने जाते हैं। परन्तु दोनों में एक भट्टन्यूर्ण भेद है। गामाजिक बल्याण के सिद्धान्त के अनुमार व्यक्ति और समाज के द्विओष होने पर व्यक्ति का बलिदान निश्चय है परन्तु आदर्शवादी मिद्दान व्यक्ति को इसके उद्देश्य-पुनि ना गाधन नहीं बनाना। यह यह कभा स्वीकार नहीं कर सकता कि दूसरों के हित गाधन के लिये ऐसी व्यक्ति का विकास किया जाय। समाज को पूर्ण महत्व देने हुए भी वह व्यक्ति के महत्व को कम नहीं करता और उसे स्वयं नाय नातना है। यहाँ यह बात स्थान में रखना चाहिये कि जिस आदर्शवाद का वर्णन हम कर रहे हैं वह मर्यादित आदर्शवाद है जिसका प्रमुख प्रतिपादन प्राप्त है।

अधिकार की परिभाषा—

ऊपर हमने अधिकार का स्वरूप बनलाने वाले विभिन्न सिद्धान्तों का

विवेचन किया है जिनमें आदर्शवादी सिद्धान्त सब से अधिक सन्तोषप्रद बतलाया गया है। विभिन्न सिद्धान्तों के प्रतिपादकों ने अपने अपने मत के अनुमार अधिकार की परिभाषा की है। हॉलैण्ड के अनुमार अधिकार मनुष्य की वह ज्ञानता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज की शक्ति के बल पर प्रभावित कर सकता है। ग्रॉस्टिन के अनुमार एक व्यक्ति की दृमरे व्यक्तियों से सहनशीलता के काम करा लेने की अर्थात् कुछ प्रकार के कामों से उनको रोकने की ज्ञानता का नाम अधिकार है। लास्की के मत में अधिकार जीवन की वे अवस्थाएँ हैं जिनके बिना कोई मनुष्य सामान्यनया अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। मेकन (Maccunn) के शब्दों में अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ लगभगदायक अवस्थाएँ हैं जो नागरिक के मन्त्रों विकास के लिये अनिवार्य हैं। ग्रीन के अनुमार अधिकार व्यक्ति वे आनंदित विकास के लिये आवश्यक बाहरी अवस्थाएँ हैं। लॉर्ड के मत के अनुमार अधिकार वे अवस्थाएँ हैं जिनके लिये व्यक्ति न्यायपूर्वक दावा कर सकता है कि प्राकृतिक (आदर्श) अधिकारों और प्राप्ति तथा व्यक्तित्व के विभाग के लिये राज्य को उन्हें प्रस्तुत करना चाहिये।

हॉलैण्ड और ग्रॉस्टिन द्वारा प्रमुख परिभाषाएँ कानूनी सिद्धान्त के अनुमार हैं जिसे हम असन्तोषजनक बतला चुके हैं। मेकन, ग्रीन, लॉर्ड आदर्शनार्दी हैं। लास्की ने जो अधिकार की परिभाषा की है वह भी आदर्शवादी परिभाषा जैसी ही है। हम अधिकार के ममत्व मिद्दान्तों में आदर्शवाद को ही सम्बोधित करते हैं और इस कारण अधिकार की आदर्शवादी परिभाषा ही मन्त्रोपचार हो सकती है। आदर्शवादी भावना के अनुकूल हम कह सकते हैं कि अपने आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने की अनुमति के लिये आत्मवेतनायुक्त व्यक्ति द्वारा किया हुआ तथा समाज द्वारा स्वीकृत दावा अधिकार है।

अधिकारों का वर्गीकरण—

अधिकारों को हम तीन वर्गों में बॉट सकते हैं—(१) प्राकृतिक या आदर्श, (२) कानूनी और (३) नैतिक।

प्राकृतिक या आदर्श अधिकार—प्राकृतिक अधिकार का विवेचन ऊर छोड़ा है और हम देख चुके हैं कि इसका जो अर्थ सामाजिक ममत्वों के सिद्धान्त को माननेवाले तथा उन्हीं के समान अन्य लोग लगाते हैं उस को महण करना संभव नहीं है परन्तु आदर्श अधिकार

के रूप में उन्हें भ्रहण किया जा सकता है। आदर्श अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं। उन्हें हम प्राकृतिक इस कारण कह सकते हैं कि व्यक्तिगत के विकास यी जो प्राकृतिक आवश्यकता है उसमें पूर्ति के लिये वे आवश्यक हैं। इस अर्थ में सभी ग्रन्थस्थाएँ जो व्यक्तिगत के विकास के लिये आवश्यक हैं प्राकृतिक अधिकार हैं, चाहे उन्हें राज्य ने स्वीकार किया हो या न किया हो।

कानूनी अधिकार—जिन प्राकृतिक अधिकारों को राज्य स्वीकार कर लेना है और जिन पर आधार फरने के लिये कानून दण्ड देता है वे कानूनी अधिकार होते हैं। कानूनी अधिकारों की सल्ला, प्राकृतिक अधिकारों को उख्या से सदा कम होती है। जैसे-जैसे समाजिक जीवन अधिक विकसित होता जाता है और लोकमत उन्नत होता जाता है वैसे ही वैसे अधिकाधिक प्राकृतिक अधिकार राज्य की स्वीकृति प्राप्त करके कानूनी अधिकार बनते जाते हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक ग्रन्थन महत्वपूर्ण अधिकार है। समाज इसे समझता है परन्तु वब तक लोकमत इसके पक्ष में जोरदार नहीं होता तब तक आवश्यक होने हुए भी वह प्राकृतिक अधिकार ही बना रहेगा; राज्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह कानूनी अधिकार हो सकेगा। यह अधिकार और इसी प्रकार काम का अधिकार रूप को छोड़ शायद सभी राज्यों में अभी प्राकृतिक अधिकार बना हुआ है; रूप में अब वह कानूनी अधिकार बन गया है। जिस राज्य में जिनसे अधिक प्राकृतिक अधिकार कानूनी अधिकारों की ओटि, में होगे वह राज्य और समाज उतना ही उन्नत समझा जायगा।

नैतिक अधिकार—इच्छा अधिकार ऐसे भी हैं जिन्हें समाज की नैतिक चेतना ग्रन्थार्थी और आवश्यक समझती है परन्तु जो कानूनी नहीं बन सकते क्योंकि उन पर किये जाने वाले आधार के लिये कानून दण्ड नहीं दे सकता; उदाहरणार्थ, हूबते हुए को धनाये जाने का अधिकार, बृद्धावस्था में माना पिना का पुनर्से सेवा लेनेका अधिकार आदि। इस प्रकार के कर्तव्य का पालन राज्य-दण्ड के भय से नहीं बल्कि लोकमत तथा समाज के भय और भय व्यक्ति को नैतिक चेतना एवं कर्तव्य धुदि से ही मरना है। ऐसे अधिकार नैतिक कहे जाते हैं। वे वास्तव में प्राकृतिक अधिकार हैं परन्तु उनमें एक विशेषता यह है कि वे कभी कानूनी अधिकार नहीं बन सकते। इसी कारण हम इनको प्राकृतिक अधिकारों से भिन्न ओटि में रखते हैं।

विशिष्ट अधिकार—

अधिकार के स्वरूप को समझने के पश्चात् यह देखना आवश्यक है कि सभ्य समाज में व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि, जैसा हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, अधिकार की कल्पना स्थिर नहीं है, वह प्रगतिशील है। अधिकार स्थिर-नहीं रहते, उनका विस्तार और विकास होता रहता है। सभ्यता के आरंभ में, जब मनुष्य की बुद्धि अविकसित ही थी, लोगों को अधिकार का भान ही नहीं था। प्राचीन समाज में अन्य अधिकारों की बात तो दूर रही, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जांचित रहने का भी अधिकार नहीं था। परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया और सभ्यता की उन्नति होने लगी वैसे ही वैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ने लगी और अधिकारों का उदय होने लगा। जिन अनेक अधिकारों का हम वर्णन करेंगे उनमें से अधिकाश आधुनिक युग के आरंभ में नहीं थे और कई का जन्म ही इस युग के आरंभ में हुआ। स्वतन्त्रता और समानता के बैस महत्वांग अधिकारों का वास्तविक अर्थ में जन्म अटारहवीं शताब्दी में हुआ, हालांकि धर्म के क्षेत्र में स्वतन्त्रता की मांग मध्यकाल के अन्त में होने वाले चर्च और राज्य के भूगर्भों में उत्पन्न हो चुकी थी। प्राचीन काल में जो बातें उचित और इसी कारण अधिकार समझी जाती थीं, जैसे दास-प्रथा, वे अब अनुचित समझों जाती हैं और उनका अधिकार अब नहीं रहा। जो किसी समय एक दर्गविशेष के विशेषाधिकार थे वे अब राबड़े समान अधिकार बन गये हैं। सामाजिक जीवन की जटिलता और उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण नये अधिकारों की सृष्टि होती जा रही है जैसे शिक्षा, कानून, संगठन, हड्डताल आदि के अधिकार। ऐसी दशा में अधिकारों की कोई ऐसी सूची नहीं बनाई जा सकती जो पूरी हो और प्रत्येक दशा में सन्तोषजनक हो सके। हम केवल उन मुख्य-मुख्य अधिकारों का उल्लेख कर सकते हैं जिनकी राज्य गारण्डी देता है या जिन्हें समाज सामाजिक कल्याण के लिये आवश्यक समझा है।

अधिकार प्राप्ति दो कोटियों में विभक्त किये जाने हैं—(१) राजनैतिक और (२) सामाजिक। राजनैनिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके द्वारा जनता अपने देश के शासन-कार्य में भाग ले सकती है—जैसे मताधिकार, व्यवस्थापिका सभाओं के लिये निर्वाचित होने का अधिकार, ग्रास-कीय पद प्राप्त करने का अधिकार आदि। इन अधिकारों को प्राप्त करके

ही मनुष्य राज्य में नागरिक का पद प्राप्त करता है। जिन लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते वे देश के निवासी होते हुए भी पारिभाषिक अर्थ में नागरिक नहीं कहे जा सकते। दूसरे प्रकार के अधिकार वे अधिकार हैं जो देश में रहने वाले सब व्यक्तियों को, चाहे वे नागरिक हों या न हों, जिन विसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं और जो सामान्य सामाजिक जीवन का मुनाफ़ स्वप्न से निवाह करने के लिये आवश्यक है। वे सब मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। किंगे देश में अस्थायी स्वप्न में रहनेवाले विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकार जीवन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानून के समक्ष समानता, स्वतन्त्र मापण, समठन, सम्पत्ति आदि के अधिकार हैं। यह ध्यान रहे कि ये दोनों प्रकार के अधिकार विलम्ब पृथक् नहीं हैं और उन्हें से अधिकार उनके प्रयोग के अनुचार दोनों कोटियों में आते हैं। यदि स्वतन्त्र मापण का अधिकार सामाजिक अधिकार होगा और यदि उसका प्रयोग राजनीतिक प्रयोजन के लिये हो, जैसे शायन की नीति की आलोचना करने के लिये, तो वह राजनीतिक अधिकार होगा। इसके साथ ही दोनों में बड़ा अनिष्ट सम्बन्ध है। राजनीतिक अधिकारों के बिना सामाजिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते और सामाजिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का उचित उपयोग नहीं हो सकता।

आजसल एभी सभ्य राज्यों में जनता को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह देखने के लिये कि कौन-न्हीन से अधिकार मनुष्य को प्राप्त होने चाहिये, हमें अधिकार का स्वरूप सदा ज्ञान में रखना चाहिये। हम देख चुके हैं कि अधिकार व्यक्ति के नेतृत्व विकास तथा सामाजिक कल्याण के सम्पादन के लिये होते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास करना यह व्यक्ति का निरपेक्ष आधारभूत अधिकार है। अन्य सब अधिकार वेवल इस अधिकार की पूर्ति के लिये हैं। उन सबकी कसीटी यही है। हम उन्हीं अधिकारों का दावा दर रक्खते हैं जो हमें अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायता हों और जिनसे सामाजिक कल्याण के सम्पादन में सहायता प्राप्त होती हो। उनसे भिन्न किसी भी अधिकार का दावा नहीं हो सकता।
जीवन का अधिकार—

यद्यपि महत्वपूर्ण अधिकार जीवन का अधिकार है जियमा अर्थ है कि मेरा जीवन सब प्रकार से सुरक्षित रहे और उसे किसी प्रकार भी कोई

दृष्टि नहीं पड़ूँगे । यह अन्य गमस्त अधिकारों का आधार है । मनुष्य के अन्य गव व्यापार तभी हो सकते हैं और वह अपना विज्ञान तभी कर सकता है जब वह जीवित रहे । यदि जीवन न रहे तो गव व्यर्थ है । यदि निमी मनुष्य को गदा मृत्यु का मय लगा रहे तो वह कुछ नहीं कर सकता; उगरके लिये अन्य अधिकार व्यर्थ हैं । परन्तु जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने का अधिकार है तो इसका यह आशय नहीं है कि यह अधिकार निष्पापित् अर्थात् विना निमी शर्त के है । एम पहले बतला चुके हैं कि केवल व्यक्तिय के विज्ञान के अधिकार को द्वीप अन्य दांड़ अधिकार निरपेक्ष एवं निष्पापित् नहीं होता । जीवन का अधिकार भी निष्पापित् नहीं है । वह भी व्यक्ति के आत्मविज्ञान तथा गामाजिक कल्याण में गहायक होने के लिये है । इसका यह अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति अपने आत्मविज्ञान के लिये प्रयत्न नहीं कर रहा ही और जो गमाज के कल्याण गम्यादान में योग नहीं दे रहा हो, जैसे एक भिनुर, उस जीवन से अधिकार नहीं रहता । गमाज या राज्य जब अधिकार प्रदान करता है तो वह वह आशा नहीं करता कि प्रत्येक व्यक्ति उन अधिकारों का उपभोग उनके उद्देश्य की पुति के लिये अवश्य करेगा । वह अधिकार इस विचार से प्रदान करता है कि ये व्यक्तिय के विज्ञान तथा गामाजिक कल्याण के लिये आवश्यक हैं और इसीलिये ये प्रत्येक व्यक्ति को गुलम होने चाहिये । यैसे तां पक भिनुर भी दया, गदानुभूति आदि गदगुणों को प्रत्यक्षित करके अन्य लोगों के नेतृत्व उत्थान में योग देता ही है ।

इस ऊपर बतला चुके हैं कि प्रत्येक अधिकार के गाथ द्विधिक कर्तव्य लगा रहता है । यदि मुझे जीवित रहने का अधिकार है तो इसके राध ही मेरे दो कर्तव्य हैं—प्रथम, मैं जीवित रहूँ और द्वितीय, मैं अन्य लोगों के जीवन-अधिकार का आदर करूँ तथा उनके जीवन को निमी प्रसार भी दृष्टि नहीं पड़ूँगा ।

(१) व्यक्ति अपने जीवन का स्थामा नहीं है । उसे जीवन-अधिकार अपने आत्मविज्ञान के गमन-गाथ गामाजिक कल्याण के लिये भी है । अर्थ अपने और गमाज दोनों के विचार से व्यक्ति को अपने जीवन का अनंत कर देना उचित नहीं है । यहाँ कारण है कि आत्महत्या को प्रायः गमी उमाज निन्दनीय गमकते हैं और प्रायः गमी राज्य टगके प्रयत्न के लिये दण्ड देते हैं । प्रायः व्यक्ति खंसार की नपेटों से निश्चाह होकर घोर निराशा की श्रद्धस्था में आत्महत्या कर लेते हैं परन्तु यह काम कायरता

के कारण होता है। इस प्रकार आत्महत्या करनेवाला व्यक्ति अपनी भावों उन्नति की समाधान का तो अन्त कर ही देता है, वह समाज को भी अपनी सेवा से वंचित कर देता है और इस तरह समाज को हानि करता है। असाध्य रोगों को छोड़ किसी अवस्था में भी आत्महत्या करना कृम्य नहीं है। परन्तु वह कृम्य ही है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

यहाँ एक प्रश्न उठता है। क्या व्यक्ति समाज के हित में आत्महत्या कर सकता है? हरिजनों को सर्वर्ण हिन्दुओं से अलग करने के विटिश सरकार के प्रबल को देखकर महात्मा गांधी ने उसके विरोध में मित्रमंडल १९३२ में 'ग्रामरण अनशन व्रत' लिया था और उसकी आवश्यकता एवं उसके औचित्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने भारतमंडों तथा विटिश प्रधान मंत्री को बो पत्र लिखे थे उनमें उन्होंने बतलाया था कि मैं अनशन द्वारा अपने ग्रामों का बलिदान हिन्दू समाज तथा समस्त मानव समाज के हित में अर्थात् सत्य, न्याय, बन्धुस्व, स्वतन्त्रता, स्वजनयेम आदि मानवता के सर्वोच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिये कर रहा हूँ। असृष्टयता हिन्दू समाज का एक महान् पाप है जो वह शतान्दियों से अद्युत कहे जाने वाले मनुष्यों के प्रति करता आरहा है। इस पाप के लिये प्रायशिन्त करना अत्यन्त आवश्यक है और मैं स्वयं अपने ग्रामों की बलि देकर इस प्रायशिन्त को करने जारहा हूँ। मेरा अनशन सर्वर्ण हिन्दुओं की अन्तरात्मा को अद्युतों के साथ न्याय करने के लिये जगाने के निमित्त है। मैं अपने अनशन द्वारा न्याय के पलड़े को भारी कर देना चाहता हूँ और यदि उससे हिन्दू लोगों में वर्तम्य की भावना जाग जाय तो अनशन का प्रयोग लिद हो जायगा। यह मेरा एक विशेषाधिकार है और साथ ही एक वर्तम्य मी है।

इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिये यहाँ स्थान नहीं है। येवल दो तीन बातें कहीं जा सकती हैं। सर्वप्रथम बात तो यह है कि इसमें घोर नैराश्य की भावना और पराजय की स्वीकृति निहित है। द्वितीय, इस प्रकार एक महान् आत्मा के निवन में येवल उसके समाज की ही नहीं, समस्त मानव समाज की अख्यानीय हति होनी है। यह कोई नहीं कह सकता कि उसके इस महान् त्याग का दैवा ही परिणाम होगा जैसा उसका अमोट है। महात्मा गांधी के आमरण अनशन से कुछ तात्पालिक परिणाम नहीं हुआ या परन्तु इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि

अब्लूतों के प्रति अधिकारांश सवण हिन्दुओं की मनोवृत्ति में कोई मारी परिवर्तन हो गया है। यदि उभो सुधारक इसी प्रकार के उपाय काम में लाने लगें तो सुधार के काम की ही हानि होगी। एक महान् व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सम्पर्क और प्रभाव से जितना काम कर सकता है उतना शायद उसके प्राणों के बलिदान से नहीं हो सकता। भारतवर्ष में आजकल महात्माजी का अनुकरण कर प्रायः लोग आमरण अनशन की धमकी देने लगे हैं। एक पृथक् आन्ध्र राज्य की स्थापना के लिये तो एक व्यक्ति ने अनशन द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर ही दिया। यह जत्य है कि महात्मा गांधी ऐसे अनशन करने से अन्य लोगों को मना करते थे क्योंकि उनका कहना था कि यह काम स्वयं उनके समान विशेषता का ही हो सकता है, अन्य किमी व्यक्ति का नहीं और किसी आत्मन्त महावृष्ण प्रयोजन के लिये तथा केवल आत्मनिक स्थिति में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु उनकी चेतावनी की उपेक्षा हो की गई है। इसके अतिरिक्त एक बात और है। यद्यपि महात्मा गांधी के विचार में उनके अनशन में हिसा (दबाव) की लेशमात्र भी भावना नहीं थी तो भी दूसरे व्यक्ति उसमें दबाव की भावना देखते थे और सोचते थे कि महात्माजी अपने प्राणोत्सर्ग की धमकी देकर इसको दबाना चाहते हैं। आजकल जो आमरण अनशन किया जाता है और करने की धमकी दी जाती है उसमें हिसा की भावना का काफी भाग में समावेश होता है।

उन दिनों कई लोगों ने महात्माजी के अनशन का विरोध किया परन्तु उसको ने यह कह घर उनका समर्थन किया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य समाज के कल्याण के लिये अपने मुचिनित निर्णय को कार्यान्वित करना है और यदि वह समझता है कि उसकी मृत्यु से समाज का कल्याण होगा तो चाहे समस्त संसार उसके विरुद्ध हो उसे अपने प्राणों को बलि देने का अधिकार है।

(२) व्यक्ति का दूसरा कर्तव्य है दूसरों के जीवन अधिकार का आदर करना, दूसरों की हत्या न करना। परन्तु उसका एक अपवाद है। यदि मुझ पर कोई आक्रमण करे तो मुझे आत्म-रक्षा का अधिकार है और आत्म-रक्षा करने में मुझ से आततायी की हत्या हो जाती है तो मैं हत्या का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। हत्या बड़ा धोर अपराध समझा जाता है और साधारणतया राज्य इसके लिये प्राणदण्ड देते हैं।

(अ) यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य मृत्युदण्ड देकर उस

व्यक्ति के जीवन अधिकार का उत्तलहृन नहीं करता ! हम देख सुके हैं कि कोई भी अधिकार एक नैतिक व्यक्ति का और आत्मोचन तथा सामाजिक कल्याण के लिये होता है। एकाथ हस्तया की बात तो जाने दीजिये जो द्विषिक आवेश में को जा सकती है, परन्तु एक ऐसा हस्तारा जो जानबूझ कर टड़े दिल से निर्मम हस्तया कर सकता है और समाज विरोधी मनोहृति का परिचय देता है और साधारणतया उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। इसी विचार से उसे मृत्युदण्ड दिया जाता है। परन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता कि वह इतना गिर गया है कि अब उसका सुधार हो इसी नहीं सकता। उसे पुनः सुधार कर सामाजिक कल्याण में योग देने योग्य व्यक्ति बनार यमाज में पुनः प्रत्यक्ष किये जाने का अधिकार है। यह अधिकार 'प्रत्यावर्त्तन अधिकार' (Reversionary right) कहलाता है। यह अधिकार कभी नहीं छाना जा सकता। उससे उसके अन्य समस्त अधिकार छोनकर आजन्म कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, मृत्युदण्ड नहीं। आवरण संसार में लोकमन मृत्युदण्ड के विहद होना जा रहा है।

(ग्रा) एक प्रश्न आ रहा है। जब राज्य अपने सेनियरों को युद्ध में भेजता है जिसमें अनेकों मारे जाने हैं तो क्या वह इस प्रकार अपने नागरियों के जीवन-अधिकार का अपहरण नहीं करता ? साधारणतया यह व्यक्ति के जीवन-अधिकार का ग्रतिकरण नहीं। माना जाता क्योंकि समाज का रक्त करना और उसके लिये प्राणों तक का वलिदान कर देना व्यक्ति का वर्त्तव्य है। हेगेल तथा बोआर्डे जैसे आदर्शवादी युद्ध को उचित समझते हैं परन्तु आनंद युद्ध को ग्रनुचित एवं अनैतिक मानता है। उसका कथन है कि राज्यों के बीच युद्ध अनिवार्य या आवश्यकात्मक नहीं है। संघर्ष इसलिये आवश्यक नहीं है कि राज्यों का अस्तित्व है। संघर्ष इसलिये आवश्यक हो जाते हैं कि राज्य मामान्य अधिकारों की प्रतिष्ठा तथा उनमें परस्पर यामज्ज्ञान स्थापित करने के अपने वर्त्तव्य को पूरा नहीं करते। युद्ध राज्य का समावन ही है। यह राज्य का अपूर्णता का परिणाम है। यह चाहे गिरी भूमि प्रयोजन के लिये हो मिल्नु वह नदा ग्रनुचित ही रहेगा और युद्ध व्यक्तियों के प्राण लेना उनके जीवन-अधिकार का उत्तलहृन ही रहेगा।¹⁴ युद्ध दो प्रकार के होते हैं—(१) आनंदशात्मक, जब कि एक राज्य अपनी स्वार्थ-पूति के लिये दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है और (२) रक्षात्मक

* Barker : Political Thought in England, pp. 34-35.

जब कि एक राज्य को अपनी रक्षा के लिये युद्ध करना पड़ता है। प्रीन दोनों प्रकार के युद्धों को अनैतिक बतलाते हुए भी रक्षात्मक युद्ध को उतना बुरा नहीं मानता। ऐसे युद्ध में अपने समाज, राज्य तथा अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये भाग लेना और प्राणों को बलि देने के लिये तैयार रहना नागरिक का कर्तव्य होता है।

जीवन के अधिकार के साथ दो अधिकार घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं—
(१) आत्मरक्षा का अधिकार और (२) इसी उद्देश्य के लिये शस्त्र-धारणा का अधिकार। हम ऊपर लिख चुके हैं कि आत्मरक्षा के प्रथम में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आततायी की हत्या भी हो जाय तो वह हत्या का दोषी नहीं होता। बिना शस्त्र के आत्मरक्षा करना कठिन है। परन्तु शस्त्र का प्रयोग आत्मरक्षा के लिये ही होना चाहिये, आक्रमण के लिये नहीं।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार—

केवल जीवन का अधिकार उस समय तक निरर्थक रहेगा जब तक कि व्यक्ति को शारीरिक या वैयक्तिक स्वतन्त्रता नहीं रहेगी। वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार का अर्थ है मनुष्य का अपने जीवन, अपने शरीर तथा अपने स्वास्थ्य का कानून और निर्वाध उपयोग। उसका यह भी तात्पर्य है कि व्यक्ति को राज्य के अन्दर कानून की परिधि के अन्दर इच्छानुसार भ्रमण करने तथा बसने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार होना चाहिये कि उस पर कोई आक्रमण न करे, उसे कोई चोट न पहुंचावे और न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध किये बिना उसे कारागार में बन्द न कर सके। वह भ्रमण, अध्ययन, वाणिज्य आदि के लिये त्वतन्त्रापूर्वक देश में चाहे जहाँ जा सके और वह सके। परन्तु यह अधिकार इस सीमा तक नहीं हो सकता कि उससे समाज के हित में तथा अन्य व्यक्तियों के समान अधिकार में बाधा पहुंचे।

प्रीन ने इस स्वतन्त्रता के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ शामिल करके दोनों का एक 'स्वतन्त्र जीवन' का अधिकार माना है क्योंकि स्वतन्त्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। दासत्व की अवस्था में व्यक्ति आत्मविकास नहीं कर सकता जो प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है और प्रत्येक अधिकार का आधार है।

परिवार का अधिकार—

व्यक्ति के जीवन तथा समाज दोनों में ही परिवार का बड़ा महत्व-

पूर्ण स्थान है। व्यक्ति के विभाग के लिये यह एक अत्यन्त आवश्यक शर्त है और इसी कारण परिवार का अधिकार अत्यन्त महत्यपूर्ण अधिकार है। यह एक अधिकार नहीं अनेक अधिकारों का समुच्चय है—विवाह का अधिकार, पति-पत्नी का साथ रहने का अधिकार, माता पिता का बच्चों के ऊपर अधिकार, स्वामी और सेवक के पारस्परिक अधिकार आदि।

इन गभी अधिकारों की मुखी पारिवारिक जीवन के लिये आवश्यकता है। विवाह के विषय में पुढ़प तथा स्त्री दोनों को स्थानन्त्रित होना चाहिये नहीं तो वैपाहिक जीवन मुखी नहीं रह सकेगा, यह स्पष्ट ही है। आज कल एक पर्याप्तता ही आदर्श समझा जाता है यद्यपि कुछ समाजों में बहु पत्नीत्व तथा ऐसी समाज में बहुपतित्व के भी रिचाज हैं। बहुपत्नीत्व के विषद् अनेक आपत्तियाँ हैं—(१) इसके कारण उन पुढ़पों के विवाह के अधिकार का उल्लंघन होता है जो विवाह से बंचित रह जाते हैं और इस प्रकार पारिवारिक जीवन से नैतिक एवं आच्यात्मिक विभाग की ओं आवश्यक मुविधाएँ ग्रात होती हैं उनसे भी वे बचित रह जाते हैं। (२) इससे पत्नियों का भी नैतिक पतन होता है। वे केवल विभाग ये गाधनमात्र रह जाती हैं। पत्नी का परिवार में जो प्रतिष्ठा का स्थान होता है उसमें वह बचित रह जाती है। (३) इससे परिवार में कलह की संभावनाएँ भी बढ़ती हैं और (४) माता पिता के स्नेहगुण जीवन से बच्चों के पालन-पोषण तथा उनके विभाग पर जो बड़ा अस्त्वा पड़ता है और उनके जैसे अच्छे नैतिक संस्कार बनते हैं उनसे वे बंचित रह जाते हैं।

पति-पत्नी का प्रेमपूर्वक साथ रहना उत्तम पारिवारिक जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दू धर्म में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और पति-पत्नी का संबन्ध अविच्छेद्य माना जाना है। यह पति या पत्नी की मृत्यु पर ही छृटा है। किसी सिमी जानि में विवाह-विच्छेद हो सकता है। पाश्चात्य देशों में साधारणतया पति या पत्नी का दुराचरण, अत्यधिक नूरना, स्थायी पागलपन, आदि के आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार माना जाता है और पति या पत्नी न्यायालय में अनुमति प्राप्त करके अलग हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न गमाजों में वडा मतभेद है। भारतवर्ष में भी अब यह अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु यह अधिकार इस भीभा तर नहीं होना चाहिये कि छोटी छोटी बातों पर विवाह-विच्छेद हो जाय अन्यथा इस अधिकार का दुरुपयोग

होने लगेगा तथा पारिवारिक जीवन में अनिश्चितता, अस्थायित्व आदि दोष पुस पड़ेगे जिससे पारिवारिक जीवन का नैतिक एवं आख्यात्मिक मूल्य नष्ट हो जायगा ।

बच्चों का लालन-पालन तथा उनकी शिक्षा माता-पिता का कर्तव्य है । यह नैतिक कर्तव्य तो ही हो, साथ ही कानूनी कर्तव्य भी है । माता-पिता की वृद्धावस्था में सन्तान का भी कर्तव्य है कि उनकी सेवा करे । यह नैतिक कर्तव्य है, किसी गमाज में इसे कानूनी रूप प्राप्त नहीं है । स्वामी-सेवक के गम्भय भी उभित होने चाहिये । सेवक क्रोत दाम नहीं होता; उसके साथ कूरना नहीं बरतो जानी चाहिये । इसके साथ ही सेवक को भी, जब नन् यह परिवार में सेवक है, अपना काम कर्तव्य की भावना से पूरा-पूरा करना चाहिये ।

शिक्षा का अधिकार—

मनुष्य की उन्नति के लिये शिक्षा के महत्व पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । शिक्षा से मानसिक विस्तार होता है और मानसिक विस्तार के विना व्यक्ति की तथा गमाज की उन्नति सम्भव नहीं । अतः प्रत्येक गमाज का यह कर्तव्य है कि यह गवके लिये निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करे ताकि धनी तथा निर्धन सब लोगों के बालक प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सकें । प्रारम्भिक शिक्षा के आगे उच्च शिक्षा भी सबके लिये मुलभ होनी चाहिये । इस दृष्टि से राज्य को सब प्रकार के शिक्षालय, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करनी चाहिये । शानवर्धन के लिये नाना प्रकार की प्रदोगशालाएँ, संग्रहालय आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिये । शिक्षा के अधिकार का यह तात्पर्य नहीं है कि देश में सबको प्राप्ति शिक्षा हो । इसका तात्पर्य इतना हो है कि एक न्यूनतम स्तर तक गवको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हो और उसके आगे सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना सुन्नभ हो । आदर्श व्यवस्था तो वह होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति जितनी भी तथा जैसी भी शिक्षा प्राप्त करना चाहे कर गए और यदि उसके मार्ग में अधिक कठिनाई हो तो उसे राज्य की ओर से गव प्रकार की गहायता मिले ।

उच्चीखी शतान्दी तक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य नहीं गम्भा जाता या । परन्तु अब गमी गम्भ देशों में शिक्षा का प्रबन्ध करना राज्य के मुख्य कर्तव्यों में समझा जाने लगा है किन्तु रूप को छोड़ अभी तक किसी अन्य देश में नागरिक को शिक्षा का कानूनी अधिकार

प्राप्त नहीं है। भारतमध्ये मेरी इस अधिकार का भवत्व स्वीकार पर लिया गया है परन्तु अभी तक उसे कानूनी अधिकार का रूप नहीं दिया गया है। केवल संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में उल्लेख किया गया है कि संविधान के प्रारम्भ होने के १० वर्ष के अन्दर राज्य १४ वर्ष तक को आयु वाले सब बालकों को अनियाम एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध रखने का प्रयत्न नरेगा।

काम तथा आजीविका का अधिकार—

यह अधिकार जीवन अधिकार में निहित है। जीवित रहने और अपनी आत्मोनति के लिये मनुष्य की युछ न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिये जिसके लिये उसे स्वयं परिभ्रम करना चाहिये। परन्तु यदि परिभ्रम रखने के लिये उच्चत होने हुए भी किसी व्यक्ति को आजीविका का आधान प्राप्त न हो तो राज्य का यह कर्तव्य है कि उसे काम दे। यह व्यक्ति का अधिकार होना चाहिये। परन्तु काम के अधिकार का यह अर्थ नहीं होता कि व्यक्ति को उसको दिये के अनुगार काम मिले। इसका अर्थ इतना ही है कि मनुष्य बेसार न बैठे और समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के कार्य में लगा रहे। इसके साथ ही इस अधिकार का तात्पर्य यह भी है कि व्यक्ति फौ उसके काम के लिये जो पुरस्कार या पारिअमित मिले यह इतना पर्याप्त हो कि उसकी तथा उसके परिवार की भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा आदि भी आवश्यकताएँ पूरी ही सकें। लास्की का कथन है कि उचित वेतन के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि सबभी आमदनी वरावर ही परन्तु इसका यह अर्थ आवश्य है कि उस लोगों के पास आवश्यकता से अधिक हो उसके पहले सब लोगों के पास आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् साधन हों।^{*}

इस अधिकार की आवश्यकता वर्तमान बाल में उपस्थ है क्यों कि समाज की आनुनिक और्योगिक प्रणाली ने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि बहुत बड़े अश तक समाज में निरन्तर बेरुआरी दर्ता रहता है। जहाँ बेरुआरी और गरीबी समाज के दोनों से उत्पन्न हो यहाँ यह समाज का वर्त्त्व है कि वह अपना संगठन ऐसा बनायें कि नागरिकों का वल्लभ भोजन हो जाए। लास्की का कथन मत्य है कि या तो राज्य अपने नागरिकों के हित में और्योगिक शक्ति का स्थाय नियंत्रण करे या और्योगिक शक्ति ही उच्चोगमनियों के हित में राज्य का नियंत्रण

* Laski : A Grammar of Politics, p. 107.

अधिकार

करेगी। यह समाज जिन दोषों का उत्पन्न करता है उनका निराकरण करना भी समाज का ही कर्त्तव्य है। जब व्यक्ति को काम न मिले तो या तो समाज को उसे काम देना चाहिये या बेकारी के दौरान में उसका भरण-पोपण करना चाहिये। आजकल कई राज्यों में इसी दृष्टि से बेकारी के बीमे की व्यवस्था को जानी है और बेकारों की सहायता के लिये जो निधि होती है उसमें मज़दूर लोग भी दुछ अश जमा करते हैं। केवल रूप हो एसा देश है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार है।

काम के अधिकार से यह भी तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवसाय कर सके। अपना व्यवसाय पसंद करने में उसके सामने जानि, धर्म, आदि को बाधा नहीं होनी चाहिये। परन्तु इसके माथ ही इसका यह आशय नहीं है* कि व्यक्ति कोई अनुचित व्यवसाय करने के लिये स्वतन्त्र है। वह ऐसा हो काम कर सकता है जिससे समाज के लिये आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पन्न हों। सामाजिक कल्याण के विशद व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं हो सकता।

स्वतन्त्रता का अधिकार—

पिछले अध्याय में हम स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मिस्तारपूर्वक लिया आये हैं। हम देख चुके हैं कि स्वतन्त्रता येवल नियन्त्रण के अभाव का नाम ही नहीं है; नियन्त्रण का अभाव तो फैल निषेधात्मक स्वतन्त्रता है। यथार्थ स्वतन्त्रता आत्म-विकास के अवसरों की प्राप्ति का नाम है। आत्म-विकास के अवसरों का ही दूसरा नाम अधिकार है। हमने पिछले अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतन्त्रता का वर्णन करते हुये उसमें निहित अधिकारों की चर्चा की थी। वास्तव में स्वतन्त्रता और अधिकारों में अभेद है। 'स्वतन्त्रता से मेरा आशय उस वातावरण को उत्सुकतापूर्व कायम रखने से है जिसमें मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। अतः स्वतन्त्रता अधिकारों का परिणाम है।'† मनुष्य को यथार्थ स्वतन्त्रता तभी होती है जब उसे आत्मोन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हों अर्थात् जब उसे अधिकार प्राप्त हों। अधिकारों के अभाव में स्वतन्त्रता येवल निषेधात्मक और इसी कारण निरर्थक होती है।

यहाँ हम विभिन्न प्रकार की स्वतन्त्रताओं की पुनरावृत्ति न करके कुछ योड़ी सो स्वतन्त्रताओं पर ही प्रकाश ढालेंगे जो नागरिक स्वतन्त्रता की कोटि में आती है।

* Ibid., p. 109.

† Ibid., p. 142.

विचार, भाषण तथा लेखन अथान् अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार—

विचार की स्वतन्त्रता तो सबसे प्राप्त है यदोंकि मनुष्य के विचारों पर सिगा प्रसार की दशावट लगाना असंभव है। परन्तु विचारों से उम समय तक कई प्रयोजन गिरनहीं होता जब तक मनुष्य को अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तु करने और उनके अनुकूल कार्य करने की स्वतन्त्रता न हो। आत्मोन्नति तथा सामाजिक स्त्वाण में योग देने के लिये वह अप्रश्यत है कि प्रत्यक्ष व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के गमन प्रस्तु करे। इनमें विचारों का आदान प्रदान होना है, व्यक्ति के जान की बुद्धि हाती है, यथासत्य का निर्णय होता है, समाज की विभिन्न समस्याओं पर विचार हा सकता है, दोपा का निरामरण हो गता है और सामाजिक जीवन में सुधार होकर उच्चति होता है। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिये कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के गमनमें उसके जो विचार हैं उन्हें वह निर्भीम होकर निवारण हृषि में प्रस्तु कर सके, समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं की तथा राज्य के कार्यों की आलोचना कर सके और अपने सुझाव प्रस्तुत कर सके। यह बात सामाजिक स्त्वाण के लिये अत्यन्त ग्रावश्यक है।

विचार और विवाद की स्वतन्त्रता को यकृत प्राचीन वाल से बड़ा महत्व दिया जाता रहा है। यूनान के प्रखिद दार्शनिक सुकूरान ने विचार स्वतन्त्र को छोड़ने के स्थान पर मृत्यु की आलिगन प्रमाण किया। रिची का कथन है—“ऐसा विचार जो व्यक्ति न किया जा सके एक यातना बन जाना है जो व्यक्ति को आत्मा की कष्ट देता है। जो बुद्धि अपनी ही अंवेषी कोटरी में बन्द रहती है वह सिगाद की ताजा इवा तथा मानव सहानुभूि की भूप के अभाव में नट हो जाती है।”^{*} मिल ने कहा है कि कोई भी विचार जो हमारे सामने आता है या तो विलकूल गत्य हो गता है या विलकूल रालत या जैसा कि अधिक गंभीर है तुद्य अंशों में गही और कुछ अशों में गत्य हो गता है। इन सभी अपश्याओं में हमें विचार श्री विवाद की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिये। यदि कोई विचार गत्य है तो उसे हम प्रकट नहीं होने देते तो हम यह मान लेते हैं कि हम गलतों नहीं कर गते जो महान् भूल है। यदि अभिव्यक्ति विचार गत्य हो तो हमें दूसरों को उसमा गवड़न करने का अवगत देने में भय क्यों होना चाहिये? इसमें

* Ritchie : Natural Rights, p. 148.

तो उस विचार की सत्यता में सन्देह प्रकट होता है। यदि अभिव्यक्ति विचार गलत हो तो उसे छोड़कर स्वतन्त्र विवाद द्वारा सत्य को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यदि वह विचार बुद्ध एही और मुद्ध गलत हो, जैसी सदा संभावना रहती है, तो उस विषय पर विवाद की शूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये ताकि हम एक दूसरे से मील सड़े और सत्य की प्रतिष्ठा हो सके। प्रायः देखा जाना है कि फिरो समय जिस मत का उसे शालत समझ कर विरोध किया जाता है आगे चलकर वही मत सर्वमान्य हो जाना है।

प्रजानन्द की सफलता के लिये विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वास्तव में वह विचार-विमर्श द्वारा शासन है। स्वतन्त्र विचार एवं वादविवाद से शासकों को जनता के अनुभवों तथा उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। शासन वो उससे भयभीत नहीं होना चाहिये और प्रत्येक अवसर पर उसे यह कह कर दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये कि वह राज्य की सुरक्षा के लिये धातक है। सरकार आगिर मनुष्यों की ही बनी होती है और मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। यदि सरकार स्वतन्त्र वादविवाद पर रोक लगाती है तो इसका अर्थ यह तो होता ही है कि सरकार यह समझती है कि उससे कोई भूल नहीं हो सकती, इसके साथ ही इसका यह भी अर्थ होता है कि सरकार के कानूनों में समाज को समस्त आवश्यकताओं के स्थान पर उन शक्तिशाली व्यक्तियों या वर्ग की आवश्यकताएँ प्रतिविभित होती हैं जो राज्य में प्रभावशाली होते हैं। विचारों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति भय से दबाई नहीं जा सकती। उससा दमन ऐतरनाक होता है क्योंकि दमन से उन विचारों पर गुप्त रूप से कार्य होने लगता है।

मिल ने कहा है कि एक व्यक्ति एक मत का हो और अन्य समस्त लोग दूसरे मन के हो तो समाज को उस व्यक्ति को चुप करने का उतना ही अधिकार है जितना उस एक व्यक्ति को समाज को चुप करने का। लास्की के अनुसार नागरिक का यह अधिकार ही नहों कर्तव्य भी है कि वह अपना सुचिनित निर्णय समाज के समक्ष प्रस्तुत करे।

इम अधिकार की भी अन्य अधिकारों के समान मर्यादाएँ हैं। अधिकार आत्मोन्नति तथा सामाजिक बल्याण के सम्पादन के लिये होते हैं। अभिन्यक्ति की स्वतन्त्रता इन्हीं बातों के लिये हो सकती है। एक व्यक्ति को सर्वजनिक महत्व के विषयों पर, सामान्य विषयों पर अपने विचार

प्रस्तु बताने का अधिकार है, किसी व्यक्ति के चरित्र पर आलेप करके उसे बल लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति को बदनाम बताने का प्रयत्न करता है राज्य दण्ड देता है। इसी प्रकार व्यक्ति विचार-स्वातंत्र्य के अधिकार का उपयोग राज्य में ग्रन्थव्यवस्था या देशद्वारा ह भड़काने के लिये नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के विचार राज्य को अपनी रक्षा बरने के लिये कार्यवाही करने का अधिकार है।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह स्वतन्त्रता युद्धकाल में भी होनी चाहिये? इतना तो सभी स्वीकार करते हैं कि देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता की रक्षा की दृष्टि से साधारण समय की अपेक्षा ऐसे आपत्तिकाल में व्यक्ति को अधिक नियन्त्रण स्वीकार करना चाहिये। उसे ऐसी नोई बात नहीं कहना चाहिये जिससे शत्रु को सहायता मिले। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि व्यक्ति विश्वास करता हो कि युद्ध मात्र अनुचित है या सरकार को युद्ध सम्बन्धी नीति अथवा उसके बाम गलत है तो क्या उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह युद्ध में शामिल होने के तथा युद्ध संचालन के विचार प्रचार करे अथवा सरकार को नीति एवं उसके युद्ध-संचालन की आलोचना करे। साधारणतया सभी सरकारें युद्धकाल में देश में एकता बनाये रखने की आवश्यकता की दृष्टि से युद्ध-संचालन में योग डालने घाले विचारा पर दण्ड लगाती है। परन्तु इस प्रकार दण्डकट लगाने में यह समझ लिया जाता है कि सरकार विलक्षुल सही है और उसका विरोध बरनेवाला गलत है। यह बात संदिग्ध है। लास्टो के अनुसार, जैसा हम अभी बतला चुने हैं, एक नागरिक का अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है कि वह अपने अनुभव के आधार पर निर्मित मुचिनित निर्णय को गमाझ के समझ प्रस्तुत करे और इस प्रकार मामाजिक हित-माध्यन में योग दे। यदि वह समझता है कि युद्ध संचालन है तो उसे उसका विरोध अवश्य बरना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को ऐसे गमय दरिद्रत करना जिस गमय प्रत्येक नागरिक के लिये अपना कर्तव्य करना अत्यन्त आवश्यक है राज्य दे नैनिः आधार के लिये घातक है।¹⁰

अभी तक हमने वैज्ञान मापण की स्वतन्त्रता पर विचार किया है। निचारों की अभिव्यक्ति भापण के अनिरिक्त लेग्मन तथा मुद्रण (समाचार-पत्र) द्वारा भी देखी है। जो स्वतन्त्रता नागरिक को भापण के गम्बर्य में होनी चाहिये वही लेग्मन एवं मुद्रण के गम्बन्ध में भी होनी चाहिये।

* Laski : A Grammar of Politics, p. 125.

लेखन तथा मुद्रण की स्वतन्त्रता पर भी वहो मर्यादाएँ हैं जो भाषण की स्वतन्त्रता पर लगी हुई हैं।

समुदाय एवं संगठन का अधिकार—

विचारों को अभिव्यक्ति के माध्यम भाषण, लेखन तथा मुद्रण हैं। विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्हें कार्यान्वयित करने का काम संगठन करके अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है और इस कारण समुदाय निर्माण करने तथा समाएँ करने का अधिकार विचार-स्वतन्त्रता के अधिकार में सम्मिलित है। मनुष्य केवल अपने विचारों के प्रचार तथा उन्हें कार्यान्वयित करने के लिये ही नहीं, अपनी अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी नाना प्रसार के समुदायों का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के जीवन में ऐसे समुदायों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक राज्य में नागरिकों को संगठन करने और समुदाय बनाने तथा उनके द्वारा सानूदिक रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। भीमी देशों में सामाजिक, आर्थिक, भास्कृतिक, राजनीतिक आदि अनेक प्रकार के समुदाय हैं जिन्हें अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतन्त्रता रहती है। किन्तु समुदाय-निर्माण के अधिकार का यह तात्पर्य नहीं होता कि व्यक्ति चाहे जैसे समुदाय बना सके। किसी भी ऐसे समुदाय को कार्य करने को स्वतन्त्रता नहीं हो सकती जिसका उद्देश्य अनैतिक अथवा समाज-विरोधी हो। डाकेटलने के लिये अथवा देशद्रोह भड़काने के लिये किसी भी समुदाय का निर्माण नहीं किया जा सकता। कई समुदायों का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी ढंग से परिवर्तन करना होता है। क्या ऐसे समुदायों को कार्य करने की स्वतन्त्रता दी जा सकती है? यह स्पष्ट है कि कोई शासन हिंसात्मक कार्यवाही की छूट नहीं दे सकता। परन्तु लास्टों का कथन है कि ऐसे सप्रदायों को भी काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये क्योंकि यदि उन्हें खुलकर काम करने की स्वतन्त्रता न हुई तो वे गुप्त रूप से काम करेंगे जिससे व्यतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि उन्हें खुलकर काम करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय तो उसमें अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको जनता की सहायता और उसका महयोग तभी प्राप्त होगा जबकि अधिकांश जनता समझती हो कि वर्तमान व्यवस्था जिसे बदलने का प्रयत्न किया जारहा है अनुचित है। स्वभाव से मनुष्य क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं चाहता। यदि जनता का बहुमत परिवर्तन चाहता है तो सरकार को उसका विरोध नहीं करना

चाहिये। यदि वह विराम करेगी तो उनका उसे धैर्यनिरुद्ध ढग से अलग कर दगा और यह परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढग से ही हो सकता; इसात्मक ज्ञानि का आवश्यकता नहीं होगी।

समानता का अधिकार—

समानता के विषय पर इम पछले ग्रन्थाय में विस्तारण्यूर्बुद्ध लिख आये हैं। इम देश तुम्हें ही समानता का अर्थ निरपेक्ष समानता नहीं है। उसका अर्थ यह नहीं है कि सबके साथ एक ही व्यवहार हो, सबको एकसा काम और एकसा पारिवर्त्यक प्राप्त हो। उसका अर्थ है निरपेक्षता अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उच्चति करने के बे सब अधिकार निष्पत्त स्व स मुलम ही जिनकी राज्य गारण्टी देता है। इसके साथ ही इसका अर्थ आनुपातिकता भी है अर्थात्, समान व्यक्तियों के बीच समानता और असमान व्यक्तियों के बीच असमानता। इसका तात्पर्य है कि अन्य नव बातों के समान होने पर मेरा हित उतना ही मूल्यवान है जिनका और इसी व्यक्ति का। इसके लिये यह आवश्यक है कि समाज भ किसी भी व्यक्ति या वर्ग के लिये विशिष्ट अधिकार न हों, अदिसारों के दुष्प्रयोग के विश्व सभी समान रूप से कानून का सरदारण प्राप्त हो, सक्ता का उपयोग व्यक्तिगत या वर्गगत स्वाधीनों वी पूनि के लिये न होमर सार्वजनिक हित के लिये ही हो और मध्यमों अपना विकास करने के लिये एकान्त अवसर प्राप्त हो। इसमें नागरिक, राजनीति, मामाजिर, आर्थिक नव प्रसार भी समानता का समावेश है। स्वतन्त्रता के समान ही समानता भी समस्त अधिकारों के उपयोग वी गारण्टी है और यह स्पष्ट है कि यहकि आत्मोन्नति तथा सामाजिक बल्याण में योगदान समा नहीं के अधिकार के बिना नहीं कर सकता।

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार—

इस अधिकार का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृढ़जुनुगार चाहे जिस धर्म को भाने, राज्य नव धर्मों को गमान गमके और जिसी धर्मविशेष को अन्य धर्मों ने ऊपर स्थान न दे अथवा उसके साथ अवश्य न करे। इसमें अपने धर्मानुकूल आचरण करने तथा अपने धर्म ऐ प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है। राज्य को धार्मिक मामले में इसलिए नहीं बरना चाहिये। आनुनिक कानून में प्रायः गभी सभ राज्यों में धार्मिक स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली गई है। परन्तु इम अधिकार की भी मर्यादाएँ हैं। धार्मिक विश्वास वी स्वतन्त्रता गनुभ्य के आधिक

विश्वास के लिये अनिवार्य है परन्तु उसको आइ में कोई व्यक्ति अनाचार नहीं कर सकता, अनैतिक बातों का प्रचार नहीं कर सकता अर्थात् कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे समाज का अहित हो। धार्मिक प्रचार के नाम से वह अन्य धर्मों के विद्वद् धृणा का प्रचार भी नहीं कर सकता।

धार्मिक स्वतन्त्रता में अपनी अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता भी निहित है। अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता भी संभित ही हो सकती है। गेटल का कथन है कि इस प्रकार की स्वतन्त्रता से किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह रात्रि के कानूनों का अवश्य करे वयोंकि वे उसके नैतिक विचारों से मेल नहीं खाते। राज्य मनुष्य के विश्वास पर तो नियन्त्रण नहीं कर सकता परन्तु विश्वास के अनुकूल किये जाने वाले कार्य अवश्य उसके नियन्त्रण में है।* यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा अथवा अपने विवेक के अनुकूल काम करने लगे तो समाज का व्यवस्था चौपट हो जायगी।

सम्पत्ति का अधिकार—

प्राचीने काल से सम्पत्ति के अधिकार का महत्व बना हुआ है और इस को द्विह अन्य सभी देशों में राज्य की ओर से व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को गारण्टी प्राप्त है। प्राकृतिक अधिकार के समर्थकों ने तो स्वतन्त्रता और समानता के साथ सम्पत्ति को भी प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखा है। सम्पत्ति का अर्थ है भौतिक पदार्थों पर समाज द्वारा स्वीकृत स्वाम्य। सम्पत्ति के अधिकार का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि व्यक्ति उसे अपने पास रख सके। उसका अर्थ यह है कि एरु व्यक्ति ने जो कुछ प्राप्त किया है, चाहे वह भूमि हो या वस्तुएँ, उसका निर्बाच-प्रयोग दर सरे, उसका केवल वही उपयोग कर सके, अन्य किसी का उसमें कोई हक न हो, उसे वह नप्ट कर सके, किसी को बेच सके, दान में दे सके और उसकी वसीयत कर सके। इस अधिकार के अर्थ के विषय में बड़े मतभेद हैं। उदाहरणार्थ सिजविक सम्पत्ति के अधिकार में वसीयत करने का अधिकार नहीं मानता। व्यक्तिवादी तथा समाजवादी सिद्धान्तों में भी संपत्ति के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है जिसके विषय में आप आगे पढ़ेंगे। सामाजिक सम्पत्ति के अधिकार से अंसीमित सम्पत्ति के इसी प्रकार के अधिकार का अर्थ होना है जो ऊपर समझाया गया है।

* Gettell : Political Science, p. 156.

अन्य अधिकारों के यमान इस अधिकार का आवार भी नैतिक है। व्यक्तिगत के विकास के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति अत्यन्त आवश्यक है। लान्धी का कथन है कि यदि मनुष्य को अपना सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त करने के लिये सम्पत्ति की आवश्यकता है तो उसका अधिकार होना ही चाहिये।^{*} इसके अनिरिक्त अन्य कई प्रभार के तरफ सम्पत्ति के मर्मान्त में दिये जाते हैं। कहा जाना है कि सम्पत्ति का अधिकार प्रवृत्तिदत्त है, मनुष्य से प्राप्त नहीं। गांधी उसके उपयोग पर नियन्त्रण लगा सकता है, उसे दून नहीं सकता। यह माल कहा जाना है कि सम्पत्ति व्यक्ति के परिश्रम का फल है इस कारण उस पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिये। इसके पक्ष में यह नहीं भाली दिया जाना है कि मनुष्य को परिश्रम करने के लिये कुछ प्रतोभन चाहिये। सम्पत्ति प्राप्त कर सकने की आदा में यह प्रतोभन प्राप्त होता है। यह भी कहा जाना है कि सम्पत्ति पारिवारिक ग्रेम, अधिकार की प्रवृत्ति, उदारता आदि गुणों की जगती है जो समाज के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसके पक्ष में इनिहाय में जिन समाजों ने प्रगति की है वे समाज व्यक्तिगत सम्पत्ति को व्यवस्था पर हो आवारित रहे हैं। उपर्युक्त तर्कों के अनिरिक्त सम्पत्ति से अन्य कई लाभ बनाकर भी इसका समर्थन किया जाना है। जिस मनुष्य के पास सम्पत्ति होता है वह सुरक्षा का अनुभव करता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरों का मुँह नहीं तस्ना पड़ता। वह स्वतन्त्रता का भी अनुभव करता है और अपनी दच्चि के अनुमार काम कर सकता है। अपनी सम्पत्ति की सहायता से वह परोपकार कर सकता है, गामान्जिक कल्याण-साधन में योग दे सकता है और अपना समय कला, साहित्य, विज्ञान आदि की उन्नति में लगाकर समाज के सांस्कृतिक उत्थान में भी योग दे सकता है। ऐसे मनुष्यों में चारित्रिक दृढ़ता एवं उदारता भी होती है जो समाज के लिये हितकार है।

इन प्रभार निर्जीव सम्पत्ति के अनेक लाभ हैं। परन्तु लाभ के साथ असोमित अविष्यत सम्पत्ति से अनर्थ भी बहुत हुए हैं। आजकल समाज में जो घोर आर्थिक दिशनाता दैनंदी जारी है वह असोमित सम्पत्ति के अधिकार का ही दुष्परिणाम है और इसी आवार पर समाजपाद असोमित निर्जीव सम्पत्ति का मिरोब ढरता है। असोमित निर्जीव सम्पत्ति का परिणाम है पूँजीवादी किसका फल कुआ है बहुसंख्यक व्यक्तियों का योड़ से व्यक्तियों द्वारा शोषण,

* Laski : A Grammar of Politics, p. 130.

समाज के बहुसंख्यक भाग का दैन्यमय तथा निराशापूर्ण जीवन, उसके लिये शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य को हानि, चारित्रिक पतन और समाज में नाना प्रभार के रुलह एवं देख। ऐसे बहुसंख्यक व्यक्ति न अपना शारीरिक स्वास्थ्य कर पाते हैं और न उनका आत्मिक विकास ही हो पाता है। सरा ग्राम योड़े में व्यक्ति कुछ परिश्रम न करने हुए भी आनन्दमय रीढ़न विनाने हैं। समाजवाद का यह नक्क यथार्थता पर आधारित है और आजमूल प्रायः सभी राज्य सम्पत्ति का अधिकार स्थोकार करते हुए भी उससे डरना होने वाला विषमताओं के निराकरण का प्रयत्न करते हैं।

अन्य अधिकारों के समान सम्पत्ति का अधिकार भी अमर्यादित नहीं हो सकता। यह अविकार उसी सीमा तक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जहाँ तक उसमें समाज को हानि न पहुँचे। यह तो मानना ही पड़ेगा कि व्यक्ति को आभोगति के लिये निजों सम्पत्ति अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु प्रश्न यह है कि उसकी सीमा क्या हो ? सम्पत्ति दो प्रकार की होती है—
 (१) उपयोग के लिये—वह सम्पत्ति जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक है, जैसे अद्य, वस्त्र, मकान तथा दैनिक प्रयोग में आने वाली प्रन्दाय वन्नुएँ। (२) शक्ति के लिये—वह सम्पत्ति जिसे हम् भूमि के स्वरूप में काम में लाते हैं और जिससे हम अधिक सम्पत्ति कमाते हैं तथा जिसके बल पर शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे भूमि, सार्व, कारणाने आदि। स्पष्ट है कि व्यक्ति को पहली प्रकार की सम्पत्ति का अधिकार ही दिया जा सकता है। दूसरी प्रकार की सम्पत्ति उसका न होकर समाज को होनी चाहिये ताकि उसका उपयोग समाज के हित में हो सके और समाज में वह आर्थिक समानता स्थापित हो सके जो व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक कल्याण दोनों के लिये आवश्यक है।

राजनीतिक अधिकार—

हम पहले बतला आये हैं कि जिन अधिकारों के द्वारा व्यक्ति अपने देश के शासन में भाग लेते हैं वे अधिकार राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। लास्टों का कथन है कि शक्ति से पृथक् किये जाने का अर्थ है शक्ति के लाभों में वंचित किये जाना। शासन एक सत्ता है। जनतन्त्र जनता का शासन होता है और इस कारण जनता को शासन-सत्ता में भाग अनश्य भिन्नना चाहिये। समस्त जनता शासन नहीं कर सकती। यह केवल इतना नुर सकती है कि अपनी ओर से शासन करने के लिये बुद्ध व्यक्तियों

को निर्वाचित करते और उनके कार्यों को उनके होनेर देखनी रहे। इस कार्य का करने के लिये जनता को कुछ अधिकार दिये जाते हैं :—

(१) मनदान का अधिकार—यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, केवल उन्हीं को दिया जा सकता है जिन्हें देशहित गिर हो, जिनका मन्त्रिष्ठ महा हो और जो समझदारों के साथ अपने मन का उपयोग कर सके। ऐसी भी राज्य में वह लोग ऐसे होते हैं जिन्हें साथी देश से कोई हित नहीं होता वैसे पिंडरी लोग या जिनका महिलाएँ महा नहीं होता जैसे अपराधी, दिवालिये नथा विद्विष्ट लोग। उन्हें मनाधिकार प्राप्त नहा हा सका। इसे अनिरिक्त अवधेस्क स्त्री-पुरुष भी मनाधिकार का समझदारी के साथ उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को दोहरा देश के सम्म यस्क दिव्यों-पुरुषों को मताधिकार होना चाहिये। उन्हें निये लिंग, शिर्जा, ममनि, वर्ण, घर्म आदि की शर्त नहीं होनी चाहिये। लाल्हा का क्षयन है कि जहाँ भी मनदानाओं की मंख्या मीमित होती है, वहाँ मनाधिकार से वचित व्यक्ति उन कल्पण में भी वचित रहते हैं जिसका राज्य संपादन करता है।^{*} शक्ति में वंचित लिये जाने का अर्थ है, अन्न में जाफर शक्ति के लाभों में वचित लिया जाना। अतः यह ग्रामशब्द है कि मताधिकार अधिक भे अधिक लोगों को प्राप्त हो।

(२) निर्वाचन के लिये उम्मेदवार बनने का अधिकार—जो व्यक्ति मन देने का अधिकारी है उसे निर्वाचित होने का भी अधिकार होना चाहिये। यावारण्यतया सभी देशों में उम्मेदवारों के लिये अधिक आम की शर्त होती है जो उचित है। भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति जो २१ वर्ष का है मन दाना बन सकता है परन्तु निर्वाचित होने के लिये उसकी आम कम से कम २५ वर्ष की होना चाहिये।

(३) भाराधिक निर्वाचन का अधिकार—मनदाना निर्वाचन करने प्रतिनिधि व्यवस्थापिता भागीदारों में भेजते हैं और उन्हें ग्रापनी और में कार्य करने की गता भी देते हैं। वे प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनमें उत्तरदायिन्य भी भागता करतम रहे और वे अपने दायित्वों का टीक-टीक निर्माण उत्तरे हैं इसके लिये आम शब्द

कि उनका कार्यालय एक नियन्त्र अपरि के बाद समर्पित हो जाय और उनका पिर में निर्वाचन हो।

(४) वोयका होने पर सरकारं पद प्राप्त करने रह अधिकार—

* Leski : A Grammar of Politics, p. 115.

प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार होना चाहिये कि यदि उसमें किसी सरकारी पद के लिये आवश्यक योग्यता हो तो वह उसे मिल सके और जम्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर उस पर आयोग्यता का आरोप न हो।

(५) राज्य का विरोध करने का अधिकार—

राज्य में कभी-कभी नागरिक के सामने राज्य के किसी ऐसे कानून का विरोध करने की समस्या उपस्थित हो जाती है जिसे वह उचित नहीं समझता। क्या उसे राज्य का विरोध करने का अधिकार होना चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक दूसरे प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। राज्य साध्य है अथवा साधन ? यदि राज्य स्वयं साध्य है तो वह मुख्य हो जाता है और व्यक्ति गौण रह जाता है; राज्य का हित उद्योगपरि हो जाता है और व्यक्ति उसका साधन भाग रह जाता है। ऐसी अवस्था में राज्य के अधिकार ही होते हैं, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता और व्यक्ति के केवल कर्तव्य ही होते हैं, कोई अधिकार नहीं होते। यदि राज्य साधनमात्र है अर्थात् व्यक्ति के हित का साधन, तो राज्य गौण हो जाता है; व्यक्ति का हित उद्योगपरि होता है; उसके केवल अधिकार ही होते हैं, कोई कर्तव्य नहीं, और अपना अहित होने पर उसे राज्य का विरोध करने का अधिकार होता है; राज्य के कोई अधिकार नहीं रहते, केवल कर्तव्य ही होते हैं। यास्तविक बात यह है कि राज्य न केवल साध्य है और न केवल साधन ही है। वह साध्य और साधन दोनों ही है। उसके अधिकार भी है और कर्तव्य भी। राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों के लिये आत्मोन्नति की सुविधाएँ प्रस्तुत करना है और ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें सब लोग बिना किसी भेदभाव के उन सुविधाओं का उपभोग कर सकें। दूसरे शब्दों में उसे सार्वजनिक कल्पाण के लिये प्रयत्न करना है, किसी वर्गविशेष के हित-सम्पादन के लिये नहीं।

ऐसी दशा में व्यक्ति का कर्तव्य स्पष्ट है। उसे यह देखना है कि जो कानून उसे उचित नहीं दिखाई देता वह वास्तव में अनुचित है या नहीं। यदि उससे केवल उसकी व्यक्तिगत हानि होती हो तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। किन्तु यदि वह केवल किसी वर्गविशेष के हित में ही हो और सार्वजनिक हित को हानि पहुँचाता हो तो वह अनुचित है। उस कानून पर अमल करवाने में राज्य पक्षपात कर रहा है और अपने

कर्तव्य का पालन समुचित रीति से नहीं कर रहा है। ऐसी दशा में राज्य के उस कानून का विरोध करने का व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। परन्तु भ्रान्त का भ्रत है कि ऐसी स्थिति में भी उग समव तङ्ह व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिये जब तक वह बदला न जाय या रह न हो जाय, विशेषज्ञ ऐसे राज्य में जहाँ शासन प्रजातन्त्रीय हो और कानूनों में वैधानिक रीति से परिवर्तन हो सकता हो। परन्तु जहाँ कानूनों में संशोधन करवाने के वैधानिक साधन उपलब्ध न हों, या सरकार इतनी भ्रष्ट हो कि वह उमाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित को अधिक महत्व देती हो या नागरिक के व्यक्तित्व के हँडे पर आक्रमण करती हो तो सरकार का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। परन्तु इस कर्तव्य का पालन करने के पहले उसे कई बातों पर विचार करना चाहिये। क्या इस परिवर्तन के लिये सभी सम्भव वैधानिक उपायों का आवलम्बन हो चुका है? क्या वह कानूनविशेष इतना अन्यायपूर्ण है कि उसका विरोध होना ही चाहिये जिसमें समाज की व्यवस्था और शान्ति के एतरे में पहले की सम्भावना है? क्या समाज के अधिकाश लोगों को भी वह कानून अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है? इन सब प्रश्नों का हाँ में उत्तर मिलने पर ही व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार हो सकता है। भ्रान्त का भ्रत है कि ऐसी दशा में विरोध करना उचित होगा, अनिवार्य नहीं क्योंकि सरकार का विरोध करने से राज्य की शान्ति और सुव्यवस्था संकट में पड़ती है। सार्वजनिक शान्ति एवं सुव्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। एक या दो अन्यायपूर्ण बातों का मूल्य उसके सामने कुछ नहीं है। राज्य को अवहेलना करना सार्वजनिक शान्ति को छतरे में ढालकर समस्त नागरिक जीवन को अव्यवस्थित बर देना है और एक या दो अन्यशक्ति के ग्राहित के लिये अन्य समस्त अधिकारों की हानि का एतरा उठाना है। उसका यह भी कथन है कि इस अधिकार का प्रयोग व्यक्ति नागरिक की हेसियत से और राज्य के हित में ही अर्थात् उसकी अपूर्णता को दूर करने के लिये ही बर सकता है।

इस प्रयोग में हमने राज्य और सरकार का पर्यायवाची शब्दों की तरह प्रयोग किया है क्योंकि व्यवहार में दोनों पर्यायवाची ही हैं। सरकार का वार्य ही राज्य का कर्म होता है। भ्रान्त का भ्रत है कि मैदानिक दृष्टि से राज्य के विशद व्यक्ति के अधिकार नहीं हो सकते, सरकार के प्रति ही गवते हैं।

ग्रीन के अनुसार रिची का भी मत है कि राज्य का विरोध करने के पहले व्यक्ति को यह देख लेना चाहिये कि उसे सफलता की आशा है या नहीं, सभी शान्तिपूर्ण एवं वैधानिक उपायों का प्रयोग कर लिया गया है या नहीं और उसे यह पूर्ण रूप से निश्चय कर लेना चाहिये कि जिस अन्याय का वह विरोध करने की तैयारी कर रहा है वह अत्यवस्था और रक्षणात् के खतरे से भी अधिक बुरा है।

लॉस्की इस अधिकार का समर्थन करने में ग्रीन से भी आगे बढ़ जाता है। उसका मत है कि बदि लोकमन मेरे पद में न भी हो और मैं अन्याय से सद्भव न हो सकूँ तो उसका विरोध करना मेरा कर्तव्य है। मेरा प्रथम कर्तव्य स्वयं अपनी अन्तरात्मा के प्रति सच्चा होना है। मैं जितना अधिक अपना कर्तव्य करूँगा उतना ही अधिक मैं राज्य को उचित मार्ग पर ला सकूँगा।*

महात्मा गांधी भी इसी मत के थे। उन्होंने अन्याय का विरोध करने का एक अद्वितीय उपाय—सत्याग्रह—विश्व के सामने रखा है।

कर्तव्य

हम पहले अधिकार तथा कर्तव्य के घनिष्ठ सम्बन्ध पर प्रकाश डाल चुके हैं और बतला चुके हैं कि हमारे प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा रुक्षा है। वास्तव में हमें अधिकार इसीलिये प्राप्त है कि हम अपने प्रति और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। मारत्वर्ष में ग्राचीन काल से ही कर्तव्य-पालन पर विशेष ज्ञान दिया जाता रहा है। महात्मा गांधी का कथन था कि याप अपने कर्तव्यों का पालन करते जाइये, अधिकार अपने आप आ जाँयगे। लॉस्की का कथन है कि अधिकारों का सम्बन्ध कर्तव्यों से है। मुझे अधिकार इसलिये प्राप्त है कि मैं सामाजिक कल्याण-साधन में योग दे सकूँ। मनुष्य कर्तव्य दो प्रकार से करता है उचित कामों को करके और अनुचित कामों से बच कर। इस प्रकार कर्तव्य दो प्रकार के हो सकते हैं—विधिपरक और निषेधपरक। अपने अधिकारों का सदुपयोग करना और सामाजिक कल्याण के सम्पादन के लिये काम करना विधिपरक कर्तव्य है जैसे मताधिकार का सदुपयोग करना, सरकार को शासन को व्यवस्था कायम रखने में सहायता देना, कर देना आदि। चोरी, मूठ, छल, कपट आदि निषिद्ध वायों से बचना निषेधपरक कर्तव्य करना है।

* Laski: A Grammar of Politics, pp. 289-290.

आधारणतया कर्तव्यों को दी कोटियों में विभक्त किया जाता है—कानूनी और नैतिक। कानूनी कर्तव्य वे हैं जिनका पालन करने के लिये राज्य विवश करता है और जिनसे अवहेलना के लिये राज्य दण्ड देता है। नैतिक कर्तव्य वे हैं जिनमें व्यक्ति अपनी कर्तव्य-भावना तथा लोकमत के दबाव से करता है और जिनके पालन के लिये राज्य व्यक्ति को विवश नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ कर देना कानूनी कर्तव्य है और उच्च बोलना नैतिक कर्तव्य है। परन्तु जब हम कर्तव्यों में इह प्रकार का भेद करते हैं तो इसमें वह तात्पर्य नहीं होता कि इन दोनों में कोई तात्त्विक भेद है। बास्तव में, जैसा हम अधिकार के सम्बन्ध में देख सकते हैं कि कानूनी अधिकार का आधार वस्तुतः नैतिक होता है उसी प्रकार कानूनी कर्तव्यों का आधार भी नैतिक है। तात्त्विक इष्टि से सभी कर्तव्य नैतिक होते हैं। जिसी समय कोई कर्तव्य नैतिक होता है परन्तु राज्य के द्वारा अनिवार्य बना दिये जाने पर वही कर्तव्य कानूनी हो जाता है। हमारे देश में मत देने वा अधिकार तो कानूनी है परन्तु मत देने का कर्तव्य कानूनी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने मत का प्रयोग नहीं करता तो उसका उसे दण्ड नहीं दे गती। किन्तु यदि मनदान करना अनिवार्य बना दिया जाय तो वह कानूनी कर्तव्य बन जायगा।

मनुष्य के कर्तव्य कई लेनों में हैं। उसके अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गमाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अन्न में मानव समाज के प्रति अनेक कर्तव्य हैं जिनका समुचित रीति से पालन करके ही वह उत्तम नागरिक बनता है। कर्तव्यों का पालन राज्यदण्ड के भव से नहीं, वरन् कर्तव्य तुदि से होना चाहिये। राज्य विश्वान का सम्बन्ध मुख्यतः उन कर्तव्यों से है जो राज्य के प्रति है। ऐसे कर्तव्य अनेक हैं जैसे राज्य के प्रति भक्ति रखना सथा कानून का पालन करना, आवश्यकता पढ़ने पर देश की रक्षा के लिये सेना में भर्ती होना और युद्ध में शामिल होना, वर देना, सार्वजनिक समाजों के निर्वाचनों में विक्रिय रूप से भाग लेना अर्थात् चोर-यमझ कर निपच्छ रूप से मनदान करना, योग्यता होने पर निर्वाचन के लिये उम्मेदवार बनकर रहे होना, राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने में सहकार की सहायता करना, सार्वजनिक हित के कामों में सहकार के साथ सहयोग करना, आपश्यक्ता पढ़ने पर सहकारी पद प्रहण करना और उसके दायित्वों का समुचित रीति से निर्वाच बरना आदि।

३

वर्तमान युग की राजनीतिक विचारधाराएँ

और कुछ अंश तक इसी के कारण फ्रांस में राज्य-कान्ति हुई जिसने प्राचीन राज्य-धरमस्था को नष्ट करके प्रजातन्त्र की स्थापना की। इसका प्रभाव अन्य देशों में भी पड़ा। हझलैरड भी अद्भुता न बचा। वहाँ भी वर्तमान स्थानों की आलोचना होने लगी और सुधार की माग होने लगी। इस समस्त परिस्थिति का बेन्थम पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने सुधार की आवश्यकता महत्व की और उपयोगिता के सिद्धान्त के आधार पर कानूनी तथा राजनीतिक सुधार की योजना पेश की। बेन्थम के अनेक अनुयायी भी ये जिनसे जेम्म मिल, उसका पुनर्जाँहन सुदृढ़ित मिल तथा आँस्टिन मुख्य है।

बेन्थम का उपयोगितावाद—

बेन्थम का कथन था कि 'प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियो—मुख और दुःख—के अधीन रखा है। यह बतलाना कि हमें क्या करना चाहिये और यह निर्धारित करना कि हम क्या करेंगे केवल उन्हीं का काम है। अपने समस्त विचारों के लिये हम उन्हीं के शृणी हैं और हमारे तथा जोधन के समस्त निश्चय उन्हीं के द्वारा निर्धारित होते हैं। यह उपयोगितावाद का मूल मंत्र है। सब मनुष्य सुख प्राप्त करना तथा दुःख से दूर रहना चाहते हैं। वह काम अच्छा है जिससे मुख की प्राप्ति हो और जिन काम से दुख प्राप्त हो वह बुरा है। समस्त कामों तथा वस्तुओं की अच्छाई या बुराई को यही कहाँटी है। इस कहाँटी का नाम उपयोगिता है। बेन्थम ने उपयोगिता की व्याख्या इस प्रकार की है—किसी वस्तु या कार्य का 'वह गुण जिससे लाभ, हर्ष, प्रसन्नता अथवा हित उत्पन्न हो या जिससे हानि, पीड़ा, अहित अथवा अप्रसन्नता का निवापन हो।' इसके अनुसार उपयोगिता का सिद्धान्त 'वह सिद्धान्त है जो ग्रन्त्येक कार्य का अनुमोदन या उसकी निर्णदा उस पक्ष की, जिसका हित विचारणीय है, प्रसन्नता में वृद्धि या कमी करने को उस कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर करता है।' जिस कार्य से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होती है वह उचित है और जो कार्य उसमें कमी करता है वह अनुचित है। नैतिकता का मानदण्ड यही है। इस सिद्धान्त का प्रयोग व्यक्ति तथा समाज दोनों के सम्बन्ध से हो सकता है। व्यक्ति अपने कार्यों के श्रौनिय का निर्णय अपने सुख-दुःख के आधार पर करता है। यदि इसका प्रयोग समाज के सम्बन्ध में हो तो सुख का रूप हो जाता है 'अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख।' राज्य या समाज अधिक से अधिक

इम अभी देख चुके हैं कि प्राचीन काल में यूनान में एपिक्यूरम् ने राज्य को मनुष्य के मुख का साधन मात्र माना था । बर्तमान काल में यही धारणा पुनर्जीवित हुई और जब राजनीतिक छेत्र में इसका प्रवेश हुआ तो राज्य के सम्बन्ध में भी उन्हीं विचारों का प्रादुर्भाव हुआ ।

इस मिदान्त का राजनीतिक छेत्र में सर्वश्रम प्रयोग प्रस्तु रूप से अप्रेज दार्शनिक डेविड थ्यूम (१७११-१७०६) ने किया जब कि उसने सामाजिक समझौते के मिदान्त की आलोचना करते हुए कहा कि इस राज्य का अस्तित्व सामाजिक समझौते के आधार पर नहीं बल्कि उपयोगिना के आधार पर ही गम्भीर सम्ने हैं । थ्यूम के विचारों का कानून में वहाँ प्रभाव पड़ा । वहाँ अटारहवीं शताब्दी के अन्त में कई उपयोगिना वादी विचारक हुए जिनमें हेल्सेटियस् तथा हॉलवेश प्रसिद्ध हैं जिन्होंने दत्तलाया कि आचार-शास्त्रियों तथा कानून-निर्माताओं को आचार व नियमों तथा कानूनों का निर्माण करते समय जो मानदण्ड अपने समदर्शना चाहिये वह है ‘अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक मुख’ । कानून के भीन्हि अर्थशास्त्रियों ने इस मिदान्त का आर्थिक द्वेष में प्रयोग करके राज्य को आर्थिक मामलों में इस्तेवेप न करने की तथा व्यक्तियों को स्वतन्त्र छोड़ देने की गलाह दी । कानून से परिपक्व होकर ये विचार वापस इंगलैण्ड पहुंचे जहाँ जेरेमी बेन्यम ने उनके आधार पर उपयोगिनावाद का एक मुख्यवस्थित मिदान्त खड़ा किया ।

थेंडिन श्रीयोगिन क्लृप्ति के थे जिथे पक्षस्थाप द्वालैट्ट में यान्त्रिक शक्ति से चलनेवाले बड़े-बड़े कारणोंने तृतीय रहे थे और बुटांर-उद्योगों का हाथ हो रहा था । इन उद्योगों के नष्ट हो जाने से गावों के अनेक लोग बेढ़ार हो रहे थे और नाम की तलाश में कारणानेथाले नगरों : एस्ट्रेट्री हो रहे थे । इन बिकार लोगों की विवशता एवं अमर्दाय अवस्थ से साम उटाकर पूँजीपति लोग उनका शोषण बरने लगे । मजदूरों व बड़ी दुर्दशा थी । उन्हें न ठोक काम मिलता था, न उचित वेतन ह मिलता था और न उन्हें रद्दने के लिये ठोक ठाक जगह हो मिलती थी फन्तः वहाँ अनेक ग्रकार की समस्याएँ उपस्थित हो गई थीं और सुधा की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत हो रही थी । उन्हीं दिनों कानून में विचार छेत्र में वही हलचल थी और जारा बातावरण आलोचनामय हो रहा । परम्परागत संस्थाओं की तीव्र आलोचना हो रही थी और स्वतन्त्रता समानता जैसे नये आदर्शों का विचार हो रहा था । इसी बातावरण

लोगों का अधिक सुख की दृष्टि से अपने कार्यों के औचित्य का निर्णय करते हैं।

वेन्यम इस कसौटी को बड़ा सरल और व्यावहारिक बतलाता था। इसमें आदर्श जैसी दुर्बोध और दुष्प्राप्य कोई बात नहीं है। इसका आधार वास्तविकता है क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य सुख-दुःख का विचार करके ही काम करते हैं और सुख-दुःख की माप-तौल हो सकती है।

उसने चौदह प्रकार के साधारण सुख और बारह प्रकार के साधारण दुःख बतलाये हैं। उसका कथन था कि सुख-दुःख की माप ही सकती है क्योंकि सब सुख एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें मात्रा का भेद ही होता है, गुण का नहीं। सुख-दुख न्यूनाधिक हो होते हैं, उच्चतर या निम्नतर नहीं। सुख-दुःख की मात्रा ६ बातों पर विचार करके दी जा सकती है—
 (१) तीव्रता, सुख या दुःख कितना तीव्र है, (२) अवधि, वह किन्तु देर ठहरता है, (३) निश्चितता या अनिश्चितता, किसी कार्य से अपेक्षित सुख निश्चित है या अनिश्चित, (४) निस्टता या दूरी, वह तुरन्त ही होता है या देर से, (५) उत्पादक शक्ति, उससे और भाँ सुख (या दुःख) उत्पन्न होगा या नहीं, (६) शुद्धता, उससे दुःख (या सुख) तो नहीं होगा। इन ६ बातों से व्यक्ति के सुख का हिसाब लगाया जा सकता है। यदि सामूहिक सुख-दुःख का हिसाब लगाना है तो (७) विस्तार का और विचार करना पड़ेगा अर्थात् उससे कितने लोगों को सुख होगा, कम को या अधिक को। इन बातों का विचार करके और हिसाब लगाकर प्रत्येक ही कार्य या घटना से उत्पन्न होने वाले सुख या दुःख की माप की जा सकती तथा उसके औचित्य एवं अनौचित्य का निर्णय किया जा सकता है। सुख-दुःख का हिसाब लगाते समय प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व देना चाहिये। व्यक्ति का मूल्य एक व्यक्ति के बराबर ही होना चाहिये, एक से अधिक एक नहीं।

नूर्फ़ि कुम्ही व्यक्ति सुख चाहते हैं इन कारण समाज और राज्य कार्यों के रूपों अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हीनी चाहिये। व्यक्तियों को ऐसे कार्यों से रोकना चाहिये जो बुरे या समाज विद्युत हों। ऐसे कार्यों से रोकने का एक ही उपाय है कि विभिन्न कार्यों के साथ सुख या दुःख को भावना जोड़ दी जाय और इस प्रकार व्यक्तियों को उन कार्यों को करने या न करने के लिये प्रेरित किया जाय। कामों के साथ इस तरह

क्रियम गति से बड़े हुए सुन या कुण कीजेत्रम् ने 'दत्ता' (Sanction) पहा है। उसमें दृग्मुक्तारप्रश्नार के बनलाये हैं—(१) प्राप्तिक—युक्त आहार विभार में स्थान्य वा प्राप्ति और अधिक वा जाने से बोमार पहने का मय, (२) सामाजिक—ग्रन्थे काम करने पर प्रशाण और बुरे काम वरसे पर लोन निवेदा का मय, (३) पार्मिक—पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति और पाप से दैवी दरण का मय तथा (४) राजनीतिक—कानून के पालन में निर्विघ्न जीनन वी प्राप्ति और ग्रामराध करने पर दरण पाने का मय। इन ग्रन्थ में राज्य वा दशरथ ही सभी अधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि मनुष्य प्रहृति के नियमों, लोक्मन तथा दैवी नियमों की अवहेलना कर सकता है परन्तु राज्य के दरण से नहीं बच सकता। अब: समाज के कल्पनाएँ सम्पादन का कार्य राज्य ही कर सकता है।

इस सिद्धान्त के अनुगार उसने कानून, न्याय, प्रशासन, चैल, शिक्षा आदि के सुधार के लिये विशद योजनाएँ जमाई और सुधार-कार्य पर बहु जोर दिया। उच्चायारी शतान्द्री में इहलैखड़ में जो अनेक प्रकार के सुधार हुए उनमें बैन्यम का प्रमाण स्पष्ट है।

बैन्यम उपयोगिता को ही राज्य का आधार मानता था। उसका कथन या कि राज्य के आदेशों का पालन लोग नृकु ना उनको उपयोगिता देगार और उद्य आदत के भारण करते हैं। वैह प्राप्तिक कानून, साफ्तिक, अधिकार-काम-सामाजिक समझौते के नियम का विवेचीय था।

होन्यम के गमान वह मानून को शादश मानता था। आदेश ईश्वर या मनुष्य ही दे गकता है, अनुत्त प्रहृति या नियक नहीं। शालविर अधिकार वे ही हो गते हैं जिनका उल्लेखन नियं जाने पर दरण मिल सके। ऐसे अधिकार कानूनों ही हो भर्ते हैं। नागरिक के राज्य के विषद् कोई अधिकार नहीं हो गते क्योंकि राज्य को शाय बरने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है। राज्य यदि नगमीते अथवा अनुमति के आधार पर ही स्थिर होता तो व्यक्ति को गममीता नोड बर या अपनी अनुमति धारत लेकर राज्य वी अवहेलना करने का अधिकार होता परन्तु ऐसा नहीं है। ?

बैन्यम के मन में राज्य का प्रभुत्व यतोच एव असीमित है, परन्तु ऐसा बैन्यल सिद्धान्त को दृष्टि से ही है। व्यवहार में उपयोगिता के नियम के बारण वह गीभित हो जाता है क्योंकि शासन को समाज के रीनिरिवाजों का आदर बरना पड़ता है और अपने कानों के गिरद विद्रोह की संभावना

का व्याज रखना पड़ता है व्यक्ति कि जनता स्वयं किसी कानून का पालन करने या न करने का निर्णय उसकी उपयोगिता के आधार पर ही करती है।

बेन्यम् पक्ष का जनतन्त्रवादी या। उसके जनतन्त्रवाद का आधार भी उपयोगिता का सिद्धान्त ही था। व्यक्ति अपने सुख या हित की प्राप्ति का ही प्रयत्न करता है। यदि एकतन्त्र हो तो राजा का हित-माध्यन होगा, यदि कुलीनतन्त्र हो तो केवल कुलीनों अथवा धनियों का ही स्वार्यमाध्यन होगा। यदि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए है तो वह जनतन्त्र से ही प्राप्त हो सकता है।

आर्थिक मामलों में बेन्यम के विचार एडम स्पियर के विचार से मेल खाते थे। साधारणतया वह आर्थिक कानूनों का विरोधी या और मुक्त व्यापार का समर्थक या परन्तु उससे वह आशय नहीं या कि आर्थिक विषयों में राज्य विलकुल हत्तेष्य न करे। उसके लिये तो राज्य के कार्य को कसौटी उपयोगिता थी।

जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद—

बेन्यम के अनुयायियों में जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे महत्वपूर्ण था। जिसने बेन्यम के उपयोगितावाद के दार्शनिक पक्ष में संशोधन करके उन्हे आदर्शवाद के निकट पहुंचा दिया। उसका मुख्य संशोधन नुस्खे को शास्त्रणा के सम्बन्ध में है। बेन्यम ने सभी मुख्य नियन्त्रण कोटि के माने थे और उनमें केवल माना का भेद ही माना था, गुण का नहीं। उससे दृष्टि में सब नुस्खे समान थे, कोई सुख उच्च कोटि का या निम्न कोटि का नहीं था। परन्तु मिल ने नुस्खों में गुण के आधार पर भेद मिला और उच्च कोटि के तथा निम्न कोटि के सुखों में अन्तर मात्रा। उसका कथन था कि एक विद्वान् को सत्साहित्य के पठन-पाठन से जो सुख मिलता है यो एक परोपकारी को किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करने से जो सुख प्राप्त होता है वह किसी मांसाहारी को मांस खाने से जो सुख मिलता है उससे कहाँ उत्कृष्ट कोटि का होता है। उससी दृष्टि में तो यदि दोहरे विद्वान् अपनी त्यिति ने पूर्णतया मनुष्टन मो हो तो भी वह उस मूर्ति से अच्छा है जो अपनी त्यिति में समुद्दृष्ट है। 'एक सनुष्ट मूर्ति के अपेक्षा एक असनुष्ट मानव होना अच्छा है; एक समुष्ट मूर्ति की अपेक्षा एक अमनुष्ट मुर्गान होना अच्छा है।' इस प्रकार उच्चतर तथा निम्नतर नुस्खे में भेद नहीं करके उसने देन्यमनुष्टन को बल्गना बदल दी। बेन्यम वे

अनुसार सुप केवल भौतिक अथवा शारीरिक सुप ही ना और इस प्रकार उसकी नैतिकता की कसीटी बाल्य थी। परन्तु मिलने भौतिक तथा आध्यात्मिक सुप में भेद करके उग्र कमीटी को बाल्य तथा आनन्दिक दोनों माना और इस प्रकार उसे उच्च तथा अधिक मानवीय रूप दे दिया। परन्तु इसके माध्यम ही उसने अभजाने ही वेत्यम के दर्शन को गढ़वाह में डाल दिया क्योंकि सुप-दुःख की मापनील तो तभी हो सकती है जब वे केवल मात्रा में ही भिन्न हों, गुण में नहीं। कम या अधिक का तो जोड़-बांटे से हिसाब हो सकता है परन्तु उत्कृष्ट तथा निष्कृष्ट का हिसाब कैसे हो ?

वेत्यम का उपयोगितावाद मूलतः व्यक्तिवादी था। व्यक्ति का उद्देश्य अधिकृतम् सुख प्राप्त करना था। राज्य का कार्य समस्त व्यक्तियों को समान समझ कर अधिकृतम् लोगों का अधिकृतम् सुख सम्पादन करना था। वेत्यम की दृष्टि में समाज केवल विभिन्न व्यक्तियों का समूह था, उसकी कोई सावधव प्रकृति नहीं थी। परन्तु मिल इन सब वातों में अपने गुण से भिन्न था। उसकी दृष्टि में मनुष्य का लक्ष्य अपनी शक्तियों का उच्चनम तथा आत्मन्त सामजिक्यरूप विसाम बरना था, अधिकृतम् सुप की प्राप्ति नहीं। वह सब व्यक्तियों को बराबर नहीं समझता था। इसी कारण वहाँ वेत्यम समानता के आधार पर बहुमत के शासन का समर्थन करता था, वहाँ मिल असमानता के आधार पर शासन में योग्य व्यक्तियों को अधानता देना चाहता था। उसके मत में राज्य का लक्ष्य अधिकृतम् लोगों का अधिकृतम् सुख नहीं बरन् मनुष्य को शौद्धिक शक्तियों का विकास या जिसके लिये व्यक्ति की स्वतन्त्रता वा आवश्यकता थी। मिल व्यक्ति की स्वतन्त्रता का बड़ा समर्थक था। वह समाज का व्यक्ति के उन्हीं कामों में हस्तक्षेप करने का अधिकार स्वीकार करता था जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ सकता है। उसकी दृष्टि में समाज कोई याविक रस्या नहीं बरन् अपने विचारों के अनुकूल अपने कार्यों में परिवर्तन करने वाली एक सजीव संस्था थी।

समाज की ऐसी कल्यनता के अनुकूल वह व्यक्ति के हित तथा गांव-जनिक हित के बीच की दूरी को कम करना चाहता था। वह व्यक्ति बीं स्थभाव से सामाजिक समझता था और कहता था कि व्यक्ति अपने सुख तथा सम्पूर्ण समाज के हित में अनियाय रूप से देखा अदृष्ट सम्बन्ध समझता है कि उसे सामान्य हित की छादि के लिये कार्य करने की आदत पड़ जानी

है। वह इसामसोह को इस शिक्षा में उपयोगितावादी नैतिकता का पूर्ण विच्छिन्न स्वरूप देखता था—‘जो तुम दूसरों से अपने लिये चाहते हो वही दूसरों के नाम करो। अपने पढ़ीसी से उसी प्रकार प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो।’

भाजनीतिक तथा सामाजिक मामलों में तो मिल पक्ष व्यक्तिवादी था और व्यक्ति को स्वतंत्रता का समर्थक था परन्तु आर्थिक मामलों में बेन्यम के विपरीत वह सामाजिक कल्याण को दृष्टि से राज्य के हस्तक्षेप का तथा राज्य की ओर से अनेक कार्यों को करवाने के पक्ष में था और इस क्षेत्र में उसी प्रकार समाजवाद के निकट पहुँच गया था जैसे व्यक्ति के लक्ष्य, समाज का स्वल्प तथा राज्य के लक्ष्य के संबंध में आदर्शवाद के निकट जा पहुँचा था। यद्यपि उसके विचारों में असंगति थी और वह व्यक्ति तथा समाज के हितों में समुचित रीति से सामंजस्य स्थापित नहों कर पाया था फिर भी एक आदर्शवादी को तरह व्यक्तित्व को रखा तथा सामाजिक कल्याण का सम्पादन ही उसका लक्ष्य था। मिल अपने सिद्धान्त को अन्त तक उपयोगितावाद का नाम ही देता रहा परन्तु स्पष्टतः उसने बेन्यम के कठूर उपयोगितावाद का आधार नष्ट कर दिया था। किन्तु इसके साथ ही उसमें बुद्ध बहुमूल्य बातें जोड़कर उसने उसकी रक्षा करली। आद्वार ब्राउन ने कहा है कि ‘यहो कारण है कि उपयोगितावादी सिद्धान्त में, दोषकाल से निन्दित होते हुये भी, अमरत्व की संभावना दिखाई देती है।’

उपयोगितावाद का सामान्य रूप—

।

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, उपयोगितावाद वालव में राजनीतिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार किसी भी कार्य, वस्तु या संस्था के औचित्य अथवा अनौचित्य का निर्णय उसकी उपयोगिता के आधार पर करना चाहिये। राज्यविज्ञान का अध्ययन करने वालों के लिये यह सिद्धान्त इस कारण महत्वपूर्ण है कि, जैसा हम अभी देख चुके हैं, अठारहवीं शताब्दी में अनेक अमेरिकी विचारकों ने उसका प्रयोग प्राकृतिक अधिकारों के मिद्दान्त तथा उस पर आधारित राज्य के कार्यों के मिद्दान्त का विरोध करने के लिये किया। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त व्यक्तिवादी सिद्धान्त है और वह राज्य के कामों को रक्षा तथा न्याय तक ही सीमित रखता है। अन्य प्रकार के कामों में वह राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। उपयोगितावादी विचारक भी व्यक्तिवादी ये परन्तु वे समाज के असंबद्ध लोगों को

दुर्दशा देख रहे थे और समझते थे कि उनकी दुर्दशा तभी मिट सकती है। जब राज्य उनके हित के लिये बाय करे। इसी कारण उन्होंने उपयोगिता-वादी सिद्धान्त के आधार पर कानूनी तथा राजनीतिक सुधारों की शोजनाएँ प्रस्तुत की थीं और सुधारकार्य पर जोर दिया। इस प्रसार के प्रधानतः कानूनी सुधारक थे। उन्होंने आप्रह किया कि उन समस्त कानूनों में संशोधन होना चाहिये जो समाज की प्रगति में वाधा डाल रहे हैं, चाहे उनका आधार रीतिरिवाज हो या प्रावृत्तिक अधिकार। औचित्य एवं अनीचित्य, श्रेष्ठता तथा निष्ठाना, अच्छाई या बुराई की यह कसीटी, जिसका प्रयोग राज्य को करना चाहिये, उनका का सुर देह, दैर्घ्य प्रेरणा, अन्तरान्मा का आदेश या विवेक के कोरे अमूर्त सिद्धान्त नहीं। वे यह मानते थे कि अन्य कार्य-क्लैनों के समान राजनीतिक क्षेत्र में भी उपयोगिता या मानव-कल्याण का हेतु होना ही अच्छाई की कसीटी है। वह शासन सर्वधेषु है जिसका बगाठन ऐसा है जो राज्य के अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक सुख अथवा कल्याण का सम्पादन कर सके।

✓ इस प्रसार उपयोगिनावाद राज्य का सिद्धान्त नहीं, उसके लक्ष्य का सिद्धान्त है। वह दार्शनिक नहीं, एक अत्यन्त व्यावहारिक प्रणाली है। वह अमूर्त सिद्धान्तों को लेकर नहीं चलना। वह तो मनुष्य के स्वभाव को जैसा देखता है और जैसी परिस्थिति उसे दिनार्द देती है उसके अबलोकन तथा विश्लेषण के आधार पर क्या होना चाहिये उसका बुद्धिपूर्वक निर्णय करता है। इस प्रसार उसी प्रणाली विश्लेषणात्मक है और उसका दृष्टिकोण बौद्धिक, व्यावहारिक एवं मानवीय है।

राज्य की आवारभूत धारणाओं पर लक्ष्य न देते हुए भी वह राज्य की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ भाव्यताओं को लेकर ही आगे बढ़ता है। वह राज्य को ऐसी संत्या मानता है जिसकी स्थापना मनुष्यों ने जानपूर्वक स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा तथा सुविधा के लिये की है और जिसमें थे आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य नामरिसों का रचना है, अनःठरकों कोई स्वर्तन प्रकृति नहीं है। उसका आधार उपयोगिता है। हम राज्य को दृष्टिये मानते हैं, हम उसके आदेशों का दृष्टिये पालन करते हैं कि वह हमारे लिये उपयोगी है अर्थात्, हमें उसमें सुन-सुविधा ग्रात होती है अथवा हमारे दुःख एवं हमारी कठिनाइयाँ दूर होनी हैं। यदि राज्य न हो तो सर्वं अव्यवस्था एवं अशानि पैल जायगी और हमें कष्ट होगा। राज्य के आदेशपालन का यही एकमात्र आधार है। राज्य का

अस्तित्व इस कारण है कि हमें उसकी आवश्यकता है। यद्यपि मिल के समान कुछ उपयोगितावादों मनुष्य को सामाजिक मानते थे तो भी सामाजिक तथा उपयोगितावादों विचारक राज्य की सावधान प्रकृति को स्वीकार नहीं करते। वे समाज को व्यक्तियों का योगमात्र मानते हैं। उनका विचार है कि जो व्यक्तियों के लिये ठीक है वह समाज के लिये भी ठीक है। इस प्रकार यह सिद्धान्त व्यक्तिवादी है।

उपयोगितावादियों की यह धारणा थी कि मानव-जीवन की अवस्थाओं में राज्य के कानूनों द्वारा सुधार किया जा सकता है। अतः उन्होंने सांसद प्रतिनिधित्व की प्रणाली, शासन की आर्थिक नीति, अपराधियों की दशा, शिक्षा आदि में कानून बनवाकर सुधार करवाने के प्रयत्न किये। वेन्यम ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वार्षिक पार्लमेण्ट, गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान, नगर-शासन सुधार, जेलों में सुधार, जेलों के नियमों में संशोधन, भिन्नों के सुधार आदि को आवश्यकता पर जोर दिया। इन सुधारों के परिणाम वडे महत्वपूर्ण निकले। प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता की कसीटी पर परीक्षा करने के समर्थक होने के कारण उन्हें परम्परागत रियाजों और संस्थाओं के लिये कोई आदर-भावना नहीं थी। उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाने पर वे उन्हें भी नष्ट कर देना चाहते थे। इसी कारण उपयोगितावादों विचारक दार्शनिक कान्तिवादी (Philosophical Radicals) भी कहलाते थे।

सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उपयोगितावादियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए डेविडसन ने अपनी पुस्तक 'पोलिटिकल थॉट इन इन्डलैण्ड' में लिखा है—‘इन्डलैण्ड उपयोगितावादी कान्तिवादियों का बड़ा प्रभाणी है। उन्होंने शताब्दी के अधिकाश में उनके विचारों का प्रचार रहा और इसके परिणाम-स्वरूप सक्रिय राजनीति, सामाजिक सुधार तथा हित-फारी कानून-निर्माण में ऐसी अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई जिसको पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनमा ताम आज अनुभव हो रहा है।... उन्होंने अपने सिद्धान्तों का क्रमशः प्रचार किया और उसमें प्रत्येक महान् विचारक ने स्थायी मूल्य का योगदान दिया। प्रगति उनका मुख्य नारा था। स्वतन्त्रता तथा लोकहित के उत्तमाह ने उन्हें महान् प्रेरक शक्ति प्रदान की और वही वस्तु वर्तमान युग ने उन लोगों से ग्राप्त की है। उन्होंने गंतार को कोई पूर्ण दार्शनिक प्रणाली नहीं दी, परन्तु कुछ मुनिश्चिन निदान भेट किये जो परिणामों की कसीटों पर सच्चे प्रमाणित

हुए है और जिनका अब भी अपरिमित रूप में लाभप्रद प्रयोग हो सकता है।'

आलोचना—

वेदविड्सन के उद्गार सत्य है। उपर्योगिताशादियों ने लोकहित के बड़े काम किये हैं और उनके सिद्धान्त बड़े सामाजिक भूल्य के एिद हुए हैं। इस सिद्धान्त से राजनीतिज्ञों नथा साधारण लोगों को शासन की नीतियों एवं उनके कामों की जैव करने की एक अच्छी वसौटी प्राप्त होती है। परन्तु सिद्धान्तिर अधिकार दार्शनिक दृष्टि से इसमें बड़े दोष दिखाई देते हैं।

उपर्योगिताशादियों ने सुप्र की प्राप्ति को, जिसका साधारण अर्थ मौतिक सुख होता है, वैयक्तिक तथा भासूहिक रूप से मानव जीवन का चरण ध्येय माना है। उसमें नैतिकता के लिये स्थान नहीं है। इस बान को दृष्टिशार करना असम्भव है। सामाजिक हित की मानवा में, जिसकी अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य है, नैतिक मूल्यों का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। हमें जिस ध्येय की प्राप्ति करना चाहिये वह है अपने नैतिक व्यक्तित्व की पूर्णता, केवल अधिकृतम सुख की प्राप्ति नहीं।

यह मान लेना भी गलत है कि हमारे सब कुछ काम सुप्र की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। मनुष्य में जहाँ एक और स्वार्थ की प्रवृत्ति है वहाँ दूसरी और परोपकार एवं त्याग की प्रवृत्ति भी है। त्याग की तथा परोपकार की महत्व देनेवाले लोग अपने भौतिक सुख को तिलाड़लि देकर घोर से घोर समझ भेजने की भी तैयार रहते हैं।

'अधिकृतम लोगों का प्रभिकृतम सुप्र' इस सूत्र को महर्ष - ऐने में भी अनेक बठिनाद्याँ हैं। वेद्यम के सिद्धान्त के अनुसार अधिकृतम लोगों का अधिकृतम सुप्र निर्पारित करना असम्भव है। डॉ अण्णादोराई ने ठांक हाँ कहा है कि राजनीति में अवगतिन उसी प्रकार करन नहीं देती जेसे अवगतिन में राजनीति। यदि सब मनुष्य नमान होते और सुप्रों में केवल मारा का ही भेद होता, तुग का नहीं, तो अवगतिन की साधारण प्रविया से अधिकृतम लोगों का अधिकृतम सुप्र निरुत आता। परन्तु सभा मनुष्य सभान नहीं होते और एक ही सुप्र का अनुभव विभिन्न प्रकृति काले मनुष्य विभिन्न मात्राओं में बरते हैं। इसके अतिरिक्त यह इस निश्चयाद्यूर्वक नहीं कह सकते कि अधिकृतम लोगों के सुप्रों को जाइने से अधिकृतम सुख शान्त होगा। उसका योग शून्य भी हो सकता है। एक

मनुदात्र में यदि आधे मनुष्य ऐसे हों जिन्हें उपद्रव करने में सुख मिलता हो और आधे-लोगों को शान्ति में सुख मिले तो उनके सुरों को जोड़ने से शत्य प्राप्त होगा। इस दृष्टि के जो दो भाग हैं—अधिकतम लोग और अधिकतम सुख—उनमें अन्तर्विरोध हो सकता है। मान लीजिये हमारे पास एक लाख रुपया गरीबों में बाँटने के लिये हैं। इसे हम दो प्रकार से बाँट सकते हैं। हम १० आदमियों को दस-दस हजार रुपये दे सकते हैं जिससे वे अपने लिये साधारण मकान बनाकर और कुछ काम-धन्धा आरंभ करके अपना जीवन सुरक्षित करना सकें, या हम १०० आदमियों को एक-एक हजार रुपया देकर उन्हें छोटे-मोटे धन्धों में लगाकर उन्हें जीविका कमाने के रास्ते पर लगादें। पहले प्रकार ने सहायता करने में दस आदमियों को १०-१० हजार प्राप्त होते हैं परन्तु ६० आदमियों को कुछ नहीं मिलता। दूसरे प्रकार के वितरण में १०० आदमियों को एक-एक हजार रुपया मिलता है। इस प्रकार जो अधिकतम लोगों का सुख है वह अधिकतम नहीं है और जो अधिकतम सुख है वह अधिकतम लोगों का नहीं है। इस प्रकार इस दृष्टि को व्यवहार में लाना चाहा कठिन है।

✓ उपयोगिनावादियों की राज्य-मम्बन्धी व्यवस्था कल्पना को भी त्वीकार नहीं किया जा सकता। उनकी दृष्टि में राज्य की स्थापना व्यक्तियों ने स्वेच्छा-पूर्वक कुछ सुविधाओं के लिये की है। परन्तु राज्य एक प्राकृतिक एवं नैतिक संस्था है और उसकी प्रकृति सावधान है। वह मनुष्यों का कक्षिम समूह नहीं है। वह भी स्मरण रखना चाहिये कि उच्चीसर्वी शतान्दी के मध्य में इंग्लैण्ड में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका मुँकाबला करने में उपयोगिनावाद असफल रहा। उस समय पुरानी विचारधारा में महान् परिवर्तन की आवश्यकता थी। अथवा यों कहिये कि उस समय एक नवीन मिदान्त की आवश्यकता थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगिनावाद को नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल करने का प्रयत्न आवश्य किया परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। इस आवश्यकता को पूर्ति ग्रीन ने मर्यादित आदर्शवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके बी।

अध्याय ७

आदर्शवाद

सिद्धान्त की प्रकृति—

आदर्शवादी सिद्धान्त के अनेकों नाम हैं। इसे अमी-जर्मनी दार्शनिक या आप्याल्मिस सिद्धान्त भी कहा जाता है। इंगलैण्ड के आदर्शवादी परम्परा के एक ऐप्ट विचारक बोसान्बे ने इस सिद्धान्त का विवेचन करनेगाले अपने ग्रन्थ का नाम “राज्य का दार्शनिक सिद्धान्त” (Philosophical Theory of State) रखा है। होन्हाउड्स ने इस सिद्धान्त की आलोचना इसका नाम ‘अध्यालिमिक सिद्धान्त’ (Metaphysical Theory) रखकर की है। ये नाम अनुपयुक्त नहीं है क्योंकि आदर्शवादी विचारक राजनीतिक समस्याओं का विवेचन दार्शनिक हप्तिकीण से करने हैं। बुद्ध लेखक इसे निरकृश सिद्धान्त (Absolutist Theory) कहते हैं। बुद्ध तीव्र आलोचकों ने इसे ‘राज्य का रहस्यवादी सिद्धान्त’ कहा है। हेगेल तथा उसके बुद्ध जर्मन शिष्यों को रचनाओं में इस सिद्धान्त ने बों रूप प्रदान किया है, उसके कारण ये नाम उचित भी गालूम पड़ते हैं। ये लेखक व्यक्ति को राज्य के अधीन मानकर “एव को गर्वया स्वेच्छावारी (निरकृश) करना देते हैं। परन्तु यह बात अन्य राजनीतिक आदर्शवादियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती। निरकृशना, (Absolutism) का विशेषण उनके मिद्दानों ने साथ नहीं लगाया जा सकता। शायद इस सिद्धान्त का सबोत्तम नाम राज्य का ‘आदर्शवादी नैतिक सिद्धान्त’ होगा। यह सिद्धान्त आदर्शवादी है क्योंकि यह राज्य की परिभाषा एवं व्याख्या उभयों आदर्श प्रकृति एवं घंटे के अनुसार भरता है। प्रथमतः इस हप्ति से कि राज्य को कैसा होना चाहिये और राज्य क्या बनाना चाहते हैं, चाहें वे अपने लक्ष्य से अभी दूर ही हों। आदर्शवादी विचारक राज्य की प्रकृति और उसके गंतव्याश्रयों के सम्बन्ध में अपने परिणामों को पूर्णतया या मुख्यतया मनुष्यों के धारनविक आवरण

तथा उन संस्थाओं के संचालन के निरीक्षण पर आधारित नहीं करता। वह मनुष्यों की दुर्बलताओं एवं दोषों तथा उनके पूर्ण आचरण में भेद मानता है और अपने सिद्धान्त को आव्यात्मिक एवं बुद्धिप्रक और इस कारण उससे प्रकृति के अधिक स्थायी तथा व्यापक तत्वों पर आधारित करता है। यह सिद्धान्त नैतिक है जिसकि यह मानव की नैतिक प्रकृति के साथ आरम्भ होता है और राज्य को एक नैतिक सम्मानता है जिसका लक्ष्य अपने नागरिकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। राज्य के अनेक पक्ष हैं—समाज-वैशानिक, राजनीतिक, आधिक, ऐतिहासिक, कानूनी, मनोवैशानिक, जीव-वैशानिक तथा नैतिक। आदर्शवाद के अनुयार उसका नैतिक पक्ष अन्य सभी पक्षों से प्रबल है। राज्य आवश्यक रूप से श्रेष्ठतम् जीवन का साधन है; कानूनी कार्यवाही का साधन या उत्तम उत्पादन एवं वितरण का साधन वह केवल गौणरूप से है। इस प्रभार राजनीति दर्शन एक नैतिक अध्ययन है जो राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और उसके नैतिक लक्ष्य को प्राप्ति के उपाय दूँड़ता है। राजनीतिक आदर्शवाद की अनेक धारणाएँ इन दोनों विचारकों से मिली हैं। अफलातून की 'रिपब्लिक' और अरस्टू की 'पॉलिटिक्स' का एक बड़े लम्बे समय से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अपना स्थान रहा है। यह विश्वविद्यालय ही इङ्ग्लैण्ड के उच्चाधिकारी शताब्दी के राजनीतिक चिन्नन में आदर्शवादी प्रवृत्तियों के पुनरुद्धार के लिये उत्तरदायी है। अतः, ब्रेटले और बोसान्वे विटिश आदर्शवाद के प्रमुख व्याख्याना हैं।

राज्य की इस आदर्शवादी कल्पना का कई लेखों ने, जिनमें अफलातून, अरस्टू, रसो, कारेट, हेगेल, ग्रीन, ब्रेटले तथा बोसान्वे मुख्य हैं, कई विभिन्न रूपों में प्रतिपादन किया है। इस कारण इसका ऐसे ढाँड़ से विवेचन करना मरल नहीं है। जिसमें सभी दृष्टिकोणों वा सही समावेश हो सके। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके दो मुख्य रूपों उत्तम (Extreme) और मर्यादित (Moderate) में भेद किया जाय और दोनों का अलग-अलग विवेचन किया जाय।

उत्तम और मर्यादित आदर्शवाद—अँग्रेज आदर्शवादियों, विशेषकर मानवता को रचनाओं में राजनीतिक आदर्शवाद का जो रूप है वह ग्राधारणया मर्यादित कहा जाता है और हेगेल तथा उसके जर्मन

अनुसारियों ने डो रूप उसे दिया है वह उम बहलाता है। इन दोनों का मुख्य भेद राज्य के प्रति उनके भाव तथा राज्य के साथ व्यक्ति के सम्बन्ध की उनकी कल्पना में है। उप्र आदर्शवाद राज्य को आदर्श का रूप देता है और उसका ऐसा व्यक्तित्व मानता है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्वों का केवल अपने में समावेश ही नहीं करता बरन् उनका अतिक्रमण भी करता है। वह राज्य को एक साथ मानता है और व्यक्तियों को उनकी पूर्ण अधीनता में रखता है। उसके अनुसार राज्य के अपनी रक्षा तथा विस्तार के अपने ही प्रयोजन है जो व्यक्तियों के प्रयोजन से भिन्न और थोड़ा है। मर्यादित आदर्शवाद व्यक्ति के अधिकारों को नहीं भूलता और राज्य के कार्यों पर कुछ मर्यादाएँ आरोपित करता है; उप्र आदर्शवाद के समान वह राज्य को निरपेक्ष नहीं बनाता। राज्य का आदर्शनिरण हेगेल के इस सिद्धान्त में अच्छी तरह प्रस्तृ होता है कि इतिहास की प्रक्रिया में महत्वग्रन्थ इकाई व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय नहीं बरन् राष्ट्र है। राष्ट्र की बुद्धि अथवा आत्मा व्यक्तियों के द्वारा काम करती है फरन्तु उनका कार्य अधिकांश में उनकी सचेतन दृष्टि और उनके प्रयोजन से स्वतन्त्र रह कर होता है। राज्य ही कलात् कानून, गदाचार और धर्म का चालनिक साठा है, व्यक्ति नहीं। राज्य, जिसमें राष्ट्र आत्मचेतना को प्राप्त होता है, राष्ट्रीय विकास का निर्देशन करता है और साम्राज्य ही उस विकास का चरम लक्ष्य है। इसके विपरीत ग्रीन इस प्रमेय को लेकर चलता है कि मनुष्य का उद्देश्य आत्मभानि है और इस विद्वास से कि वह समाज में तथा समाज के द्वारा ही हो सकती है वह व्यक्ति तथा समाज में सामाजिक स्थापित रखने का प्रयत्न करता है। आदर्शवाद के इन दोनों रूपों का भरत चर्चन आप प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप के सिद्धान्त के गम्भीर लगान के मूल में जो वस्तु है वह विश्वास्या है। वह विश्वास्या अपनी आन्तरिक प्रेरणा से अनेक रूपों में विस्तृत होता है और विकसित होता हुआ जिसे अपने शुद्ध

हेगेल—उप्र आदर्शवाद—

हेगेल के विचार अत्यन्त सूक्ष्म और जटिल है और भरतवा से ममाम में नहीं आते। हम यहाँ उनके विचारों को अस्यन्त भरत और भूंतिन रीति से प्रस्तुत करेंगे। उनके अनुसार इस दृश्य जगत के मूल में जो वस्तु है वह विश्वास्या है। वह विश्वास्या अपनी आन्तरिक प्रेरणा से अनेक रूपों में विस्तृत होता है और विकसित होता हुआ जिसे अपने शुद्ध

निविकार रूप में लौट जाता है। यह बारम्बार होता रहता है। यहाँ सुधि का कम है।

यह विकास आन्तरिक अर्थात् विचार-जगत में और बाह्य अर्थात् वैश्व जगत दोनों में होता रहता है। प्रथम आत्मा अपने स्वगत (Subjective) रूप में प्रकट होता है और फिर वह बाह्य जगत में व्यक्त होता है। बाह्य जगत में जो आत्मा का विकास होता है वह सर्वप्रथम जड़ जगत में होता है, उसके बाद पेहली पौधों में, फिर कीड़ों-मकोड़ों, पशु-पक्षियों आदि में और अन्त में मनुष्य के रूप में। इस विकास-क्रम में मनुष्य योनि बहुत ऊँचे स्तर पर है क्योंकि उसमें विश्वात्मा विकास क्रम में खब से पहली बार चेतन होता है। परन्तु मनुष्य में जो आत्मा का रूप होता है अर्थात् जीवात्मा वह विश्वात्मा की अपेक्षा बहुत नीचे स्तर पर है। अतः उसका भी उच्चरोक्तर विकास होता रहता है। जीवात्मा का विकास आन्तरिक और बाह्य दोनों जगत में होता है। उसका बाह्य विकास बाह्य जगत के विभिन्न नियमों, सामाजिक संस्थाओं आदि के रूप में होता है जिनमें राज्य का सर्वोच्च स्थान है।

हेगेल के अनुसार यह विकास द्वन्द्वात्मक (Dialectical) प्रक्रिया द्वारा अर्थात् आन्तरिक विरोध द्वारा होता है। विकास की प्रत्येक मजिल में तीन सीढ़ियाँ होती हैं—वाद (Thesis), प्रतिवाद (Antithesis) और संयोग (Synthesis)। उदाहरणार्थ, विचार-उत्तर में सत्य की पोइंट-इस प्रक्रिया-द्वारा इत्य-प्रकार होता है। मान लीजिये आरम्भ में जीवन-चयनीत करने के कोई नियम नहीं थे। ऐसी दशा में मनुष्य ने यह अनुभव किया कि जीवन व्यतीन करने के लिये नियम होना चाहिये। इस अनुभूति के माय ग्रनेक नियम बने जैसे सत्य बोलो, दूसरों पर दया करो आदि। जीवन-चयन के लिये नियम होना चाहिये यह बाद हुआ। परन्तु आगे चलकर, इन नियमों को अपूर्णता मालूम होने लगी और नियमों में पारस्परिक विरोध दिखाई देने लगा। जैसे कोई कसाई एक गाय को मारना चाहना है। गाय भागती है और कसाई उसका पीछा करता है। गाय उसकी ओरों से आमल हो गई है और वह मुझसे पृछता है कि गाय कहाँ गई। अब मेरे सामने सत्य बोलो और दया करो ये दो नियम हैं। यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो गाय की इत्या होती है और दया करने के नियम का उल्लंघन होता है और यदि गाय पर दया करने के लिये मैं सत्य बात नहीं बताता तो पहले नियम का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में लोगों में यह भावना होने लगती है कि नियम ग्रादि धर्य है, जैसा उचित मालूम

हो चैसा करना चाहिये। यह दशा पहली दिशा की ठीक उल्टी है। अतः यह प्रतिवाद हुआ। परन्तु नियमहीन अवस्था वही भव्यकर होती है। इसमें दुष्टों द्वारा मनमानी करने का मौज़ा मिलता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवाद और आलाचना होने लगती है और उसके विकास प्रतिक्रिया होने लगता है। लोग सोचते हैं कि नियम अवश्य होने चाहिये परन्तु नियमों का अक्षरशा पालन करने की जगह उनकी भावना की रक्षा करनी चाहिये। यह समाद हुआ। यह समाद प्रतिवाद का उल्टा है और ऐसा मालूम होता है कि हम किर बाइ पर पहुँच गये। परन्तु बास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें याद और प्रतिवाद दोनों का सामंजस्य हो गया है और यह उन दोनों ने उच्च सत्य है। इसमें नियमों की आवश्यकता (वाद) और उसके गाध ही विनाश (प्रतिवाद) दोनों विद्यमान हैं। इस तरह गत्य भी खोज में हम आगे बढ़ते हैं। इस खोज में हम चक्कर बाट कर वहीं नहीं पहुँच जाते जहाँ से जले थे, वरन् वाद और प्रतिवाद में से होने लगे जब हम सबाद को आनंद होने हैं तो हम एक कंचे स्तर पर पहुँच जाने हैं। जो सबाद है थह किर वाद थग जाना है, उसका प्रतिवाद होता है और ऐसे दोनों के सन्याश को लेसर तथा संवाद बनता है। इस प्रकार प्रिकाम प्रम चलता रहता है और उचिति होती रहती है। यही प्रक्रिया हृष्य जगत में भी होती रहती है। उदाहरणार्थ हम खोज बोते हैं, पृथ्वी में खोज फूल कर एवं मड़ कर नष्ट हो जाता है और उसके स्फान पर पौधा चम जाता है। पीथा भी बढ़ कर एूप जाता है और उससे अनेक दोज़ प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में खोज वाद है, पीथा प्रतिवाद और अनेक दोज़ समाद हैं।

हम अभी बतला सुने हैं कि आमा का विज्ञान आनंदित और बाध दोनों जगत में होता है। बाध जगत में यहाँ आशय नियमों, संस्थाओं आदि में है। आमा इन नियमों एवं संस्थाओं में पूर्ण रूप धारणा करता है। इस आम्मा को हम दब्लू भी नह सकते हैं। यह स्वभाव से स्वतंत्र होती है अथात् स्वतंत्रता इसका स्वाभाविक गुण होता है। जब हम वहते हैं कि आमा नियमों और संस्थाओं में सूतिमान होता है तो इसका आशय यह भी है कि नियमों और संस्थाओं में स्वतंत्रता सूतिमान होती है अर्थात् उनके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

बाध जगत में विज्ञान के अनेक स्तरों के पार बरता हुआ आमा गामाजिक आचार (Social morality) को युंस्थाओं में प्रकट होता है।

इन संस्थाओं में कुटुम्ब सर्वप्रथम है जिसका आधार पारस्परिक प्रेम तथा दूसरों के सुख के लिये आत्मबलिदान की भावना है। कुटुम्ब में सब सदस्यों में प्रेम एवं एकता की भावना होनी है और उनके हितों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं होता। उसमें कुछ कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते परन्तु सभी लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं और सभी आवश्यकताओं की पुर्ति होनी है।

कुटुम्ब की वृद्धि के साथ समाज का ग्राउंडर्स बोता है जो परिवार का प्रनिवाद है। कुटुम्ब में तो पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति आदि गुण आम करने हैं परन्तु समाज में प्रतियोगिता एवं संघर्ष होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है और इस प्रकार संघर्ष होता है। परिवार में तो अनेक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहते हैं परन्तु समाज के संघर्ष में व्यक्तियों को आत्मनिर्भर रहना पड़ता है जिससे व्यक्ति उन्नति करता है।

संघर्ष से व्यक्ति उन्नति तो करता है परन्तु निरन्तर और असीमित संघर्ष व्यक्ति के विराम के मार्ग में बाधक बन जाता है। ऐसी अवस्था में इस बात को आवश्यकता होती है कि संघर्ष की मर्यादा न्यायिन हो और पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति आदि का भी जो कुटुम्ब के आधार है जीवन-संग्राम में स्थान हो। इस आवश्यकता को अनुभूति के साथ राज्य का ग्राउंडर्स बोता है जो कुटुम्ब तथा समाज का सबाद है। राज्य व्यक्तियों को प्रतियोगिता का अवसर देता है परन्तु इसके साथ ही प्रतियोगिता के दुष्परिणामों से निर्बल व्यक्तियों को रक्षा भा करता है। इस प्रसार राज्य में कुटुम्ब और समाज दोनों के गुणों का सामग्रस्य होता है। राज्य के रूप में आत्मा का बाह्य विस्तास चरम रीढ़ा पर पहुंच जाता है। इसी कारण ऐगेल ने राज्य को अनेक विशेषणों से अलंकृत किया है। राज्य विश्वात्मा अर्थात् ईश्वर का पार्थिव रूप है; वह पृथ्वी पर विद्यमान् ईश्वरोय विचार है; मंसार के संगठन में व्यक्ति ईश्वरोय इच्छा है; वह पूर्ण बोद्धिरूप की अभिव्यक्ति है आदि।

इस प्रकार आत्मा जिन नंस्थाओं के रूप में प्रस्तु होता है उनमें राज्य का स्थान मर्दोन्च है; उसके ऊपर कोई नंस्था नहीं हो सकती। वह अन्य सभी संस्थाओं का निमायक और रक्षक है। समस्त नैनिताता, कानून आदि उमा के अन्तर्गत है। उसके ऊपर किसी कानून अथवा नैतिकता का नियमन नहीं हो सकता। वह स्वतंत्र है और स्वयं अपना नियामक है। वह दूसरों के लिये नैनिताता के मानदण्ड स्थिर करता है; स्वयं उसके

कार्य उन मानदण्डों से नामें नहीं जा सकते। उसकी नेतृत्वता का स्वयं अपना मानदण्ड है।

राज्य पूर्ण विस्तित सामाजिक आचार का मूर्तिमान् रूप है। उसका अपना व्यक्तित्व है। उसकी अपनी इच्छा है और उसमें रहने वाले व्यक्तियों से भिन्न उसका अपना अस्तित्व है। अतः यह स्वयं साध्य है और इसी कारण उसके अपने अधिकार हैं, कोई कर्तव्य नहीं। यदि व्यक्तियों के तथा उसके अधिकारों में सघर्ष हो तो वह व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है। वास्तव में ऐसा सघर्ष हाँ ही नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति के बे ही अधिकार हो सकते हैं जो राज्य उसे प्रदान करता है।

जैसा हम उपर बतला चुरे हैं ग्राम्या का दूसरा नाम इच्छा भी है जो स्वतन्त्र है। अतः राज्य मूर्तिमान् स्वतन्त्रता है। मनुष्य राज्य के अन्दर रह कर और उसके आदेशों वा पालन करके ही स्वतन्त्रता प्राप्त करता है। उसकी इच्छा सामान्य इच्छा है जो विवेकपूर्ण है और कभी भ्रान्त नहीं हो सकती। उसकी इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ तक व्यक्ति की इच्छा दूसरों की इच्छा के अनुरूप है और सब के हित की इच्छा करती है। दोनों कारण उसकी इच्छा का अर्थात् उसके आदेशों (कानूनों) का पालन करना व्यक्ति वा कर्तव्य है। उसका विरोध कभी उचित नहीं हो सकता। वह हमारी परम धर्मा का पात्र है।

सामान्य इच्छा के इन गुणों से राज्य की प्रकृति तथा उसके कार्यों के सम्बन्ध में तीन परिणाम निरूपित हैं—

- (१) राज्य कभी अग्रानिनिधिक् रूप में तार्द नहीं कर सकता। राज्य जो बुद्ध भी करता है, वह सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार वह प्रत्येक व्यक्ति की असली इच्छा के अनुरूप है; यहाँ तक कि जब चौर वारामार को ओर से जाया जाता है तो राज्य का यह कार्य उसकी द्वारालो इच्छा के अनुसार ही होता है। यह ऐसे जाने से अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्ति करता है। स्वतन्त्रता राज्य के नियमों का पालन करने में है। स्वतन्त्रता और कानून एकरूप है। इस प्रकार देशेल के गिरावंत के एक महत्वपूर्ण तत्व पर प्रकाश पड़ता है। देशेल के अनुकार "मानव-द्वय में स्वतन्त्रता की जो सर्वोत्तम कल्यन है उसी का यामार रूप राज्य है।" राज्य के बिना स्वतन्त्रता की भावना कभी गिर नहीं होगी। देशेल का तर्क इस प्रकार है:—स्वतन्त्रता विवेक के आदेश वा पालन करने में है।

परन्तु एक व्यक्ति का विवेक सदा विश्वसनीय नहीं होता। कभी-कभी वह तात्कालिक और अस्थायी कारणों से प्रभावित हो जाता है और किसी विशिष्ट हित को ओर झुका रहता है। राज्य के कानूनों द्वारा जो विवेक व्यक्त होता है उसमें ये दोष नहीं होते। वह सार्वभौम होता है, विशिष्ट नहीं। इस कारण सच्ची स्वतन्त्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है। राज्य के सदस्य के रूप में व्यक्ति स्वतन्त्रता का भोग कल्पित प्राकृतिक अवस्था की अपेक्षा अधिक वास्तविक रूप में करता है।

(२) जो सम्बन्ध व्यक्ति को अपने साथी नागरिकों तथा राज्य के साथ बोधते हैं वे उसके आत्मा के अभिन्न अङ्ग हैं। उनके बिना वह जो बुद्धि है नहीं रह सकेगा। इस प्रकार यह उसके लिये असम्भव है कि वह ऐसे हित की इच्छा करे जो सामान्य हित के विपर्द हो या वह राज्य-सत्ता के विपर्द विद्वोह करे।

(३) राज्य में समत नागरिकों को सामाजिक नैतिकता का समानेश होता है। राज्य सामाजिक सदाचार का संरक्षक है। इसका यह आशय नहीं है कि वह नागरिकों के साथ व्यवहार में नैतिक नियमों द्वारा बँधा हुआ है। इससे उसमें सर्वशक्तिसम्पन्नता में कभी आजायगी। राज्य व्यक्तिगत सदाचार के नियमों से ऊपर है। श्रेष्ठ या निकृष्ट—इन नैतिक शब्दों का प्रयोग साधारण अर्थ में राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता। राज्य अपने ही सदाचार के आदर्श का पालन करता है।

गानंदर ने हेगेल के सिद्धान्त का संक्षेप में इस प्रकार चिवेचन किया है। “हेगेल की दृष्टि में राज्य ‘ईश्वरीय राज्य’ है जो कोई गलती नहीं कर सकता जो सर्वशक्तिशाली है जो अभ्रान्त है और जो नागरिकों के अपने हित में प्रत्येक वलिदान का अधिकारी है। अपनी श्रेष्ठता के कारण और जिम त्याग तथा वलिदान के लिये वह अपने नागरिकों को आदेश देता है, उसके कारण वह व्यक्ति का उत्थान करता है और उसे श्रेष्ठत्व प्रदान करता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति स्वार्थमयी है परन्तु इस प्रकार वह उसे ‘सार्व-भौमिक पदार्थ के जीवन में वापस रींच ले जाता है’।”

आदर्शवादी मिदान्त के इस उपरूप का स्रोत अफलानून तथा अरस्टू के इस मत में है कि राज्य स्वाश्रयी संस्था है। यदि राज्य स्वयं स्वा-

अको है जो वह अपने नाशिकों के लिये समस्त मानव-समाज के बराबर हो जाता है। इस मन का प्राहृतिक परिणाम व्यक्ति के नागरिक के रूप में राज्य से सम्बन्ध तथा व्यक्ति के रूप में समस्त मानव-समाज से सम्बन्ध, इन दोनों विभिन्न सम्बन्धों को बराबर एकरूप कर देता है। व्यक्ति की समस्त आकांक्षाओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये राज्य परांग माना जाता है। राज्य ने सहायता के वितरिक और कोई बल्दु नहीं है जिसमें व्यक्ति आकांक्षा बर सकता है। इस स्थिति से निरक्षुशता के मिदान से पहुँच जाना सरल है। चूँकि राज्य व्यक्ति की समस्त सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ण भक्ति की मांग कर सकता है। इसलिये वह निरपेक्ष सत्ता के साथ नाशिकों की पूर्ण भक्ति की मांग कर सकता है। राज्य सेवानिक रूप से नाशिक पर सदैव ग्रपनी पूर्ण नक्ता का प्रयोग कर सकता है।

हेगेल की हाटी में इस स्थिति से व्यक्ति को जिन्हीं हानि है उसमें नहीं अधिक लाभ है क्योंकि उसे बेश्ल राज्य में ही संगृह्य स्वनन्दनता प्राप्त होती है, उसी में वह नीतिनाम प्राप्त करता है और अपने अविभारों की प्राप्ति करता है।

मर्यादित आदर्शवाद—टॉमस हिल प्रीन—

जिस प्रकार उम आदर्शवाद का साक्षिण रूप हमें हेगेल के विचारों में मिलता है उसी प्रकार मर्यादित आदर्शवाद का साक्षिण रूप हमें हेगेल दार्शनिक ग्रीन के विचारों में प्राप्त होता है। ग्रीन पर राजट तथा हेगेल के दर्शन का बड़ा प्रभाव था। उसने उत्तर मिदान से प्रहण कर दब्लॉड वा परिस्थिति के अनुकूल यनाम के लिये उसमें कुछ परिवर्तन कर उसे मर्यादित रूप दे दिया। आदर्शवाद का मौजिक लोक यूनानी दार्शनिकों के मिदानों में है। जैसे उम आदर्शवाद का सोन अफलानून तथा अरम्भ के दूस मन में है कि राज्य ही एक स्थानीय गंभीर है, वैसे ही मर्यादित आदर्शवाद का सोन उनके इस मन में है कि सत्तुय एक सामाजिक प्राणी है जिससे राज्य एक सामाजिक एवं आवश्यक सद्वा बन जाता है।

ग्रीन वे मिदान को बाहर ने नीन खूनों में व्यक्त किया है—‘मानव-चेतना न्यननवता वो दब्लू करती है; न्यननवता ने लिये अधिकार आवश्यक है; और अधिकारों की प्राप्ति के लिये राज्य की आवश्यकता है।’^{१०} इस दून तीनों खूनों की व्याख्या के द्वारा ग्रीन के मिदान का प्रनिशादन करेंगे।

* Basset Political thought in Englsnd, p. 23. दैन हे मिदान का व्युत्त फैटा हाँर से बाहर के आगे पर हा किया है।

मानवनेत्रना स्वतंत्रता की इच्छा करती है—

मानव जा चरम लक्ष्य परमात्मा मे आभासापि करना है। यह मनुष्य ग्राम-भेदन होने हे अर्थात् अपनी जाति को परवाने का प्रयत्न करते हे तो वे परभातियोंना की अवधा मे प्रवेश करते हे और इन ग्रन्थों मे उनको यह बोध होता है कि हम तब समाज स्वभाव बाले हैं, इसकी सकान नहिं है और सबका एक ही लक्ष्य है— परमात्मा मे आभासापि। इस प्रकार मानवनेत्रना अर्थात् जाति की समाजिक उल्लास का जान होता है जो व्यय इनकी भी क्षमता है। यह वह इस मानवजिक कल्याण की दृष्टिका शान तर होता है तो उनकी भी आभासापि ही जाती है। इस आभासापि के निमित्त मानवनेत्रना स्वतन्त्रता जाती है।

स्वतन्त्रता का अर्थ—

स्वतन्त्रता दो प्रकार की होती है— (अ) शास्त्रिक स्वतन्त्रता जिसका ग्रन्थ है अपनी भलेटियों की वज्र मे रखता। यह आचार-वास्तव या विद्व है। (आ) वास्तव स्वतन्त्रता जिसका अर्थ है ऐसी वाह वरिष्ठियों का २५ होता जिसमे व्यक्ति निर्धारण हृष से ग्रापने वालत्विन द्वित के दाम कर सके। यह रामराम का विषय है।

यात के अनुसार-वास्तव स्वतन्त्रता का अर्थ केवल इत्यत्वे का अपाव नहीं है। यह तो विवेदाभक्त स्वतन्त्रता है। न उसका अर्थ मनवाली करने की कूट ही है। वह स्वतन्त्रता नहीं उच्छृंखलता है। वास्तविक स्वतन्त्रता जिवेशामङ्क द्वनदनता की उठाई है। उसके दो लक्ष्य हैं—(१) वह व्याध ग्रथग विवादात्मक होती है। वह इत्यत्वे का अभावयात्र नहीं है। उसका व्याध ग्रन्थ है इन्द्रिय फाँसों को करने की सुविधा। (२) वह चाहे जो तुल दार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं है वरन् तुल निश्चित प्रकार के फाँस अपील उपयोग करनी की, ऐसे फाँसों की जो हमे आभासापि मे सहायत है, करने की स्वतन्त्रता है। ऐसे फाँस करने की एक घटिक को स्वतन्त्रता का दृष्टर हिस्ती व्यक्ति का ऐसी ही स्वतन्त्रता से कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है। अतः यह राम-नवर द्वारा के साथ नितकर कार्य करने की स्वतन्त्रता है। इस प्रकार अनेक अनुशार उत्त-स्वता द्वारा के साथ नितकर करने व्यक्ति काँसों को इसमे वी निश्चालत्वद गता है। इस प्रकार वह असामिग नहीं होनी चाहोगि वह केवल करने व्यक्ति काँसों को करने की अपील उन बानों को करने की जिनका हमा

विनेशपूर्ण सत् इच्छा निर्देश करतो हैं, देवतन्त्रता है। इस प्रकार वह योग्यिता है।

स्वदन्त्रता में अधिकार समाविष्ट है—

प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त उन्नित कार्य करने की सत्ता अर्थात् स्वदन्त्रता चाहता है और इसके लिये कुछ परिस्थितियाँ चाहता है। इन परिस्थितियों और सुविधाओं के द्वारा ही व्यक्ति आत्मप्राप्ति कर सकता है। ये परिस्थितियों एवं सुविधाएँ अधिकार हैं। इन अधिकारों की सूष्टि कैसे होती है? (१) व्यक्ति एक नैतिक प्राणी की हैमियत से एक नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सुविधाओं की मांग करता है। व्यक्ति बेवल अपने हां लिये इन सुविधाओं की मांग नहीं करता। विनेशपूर्ण होने के कारण वह यह भी स्वीकार करता है कि जैसे मुझे इन सुविधाओं की आवश्यकता है वैसे ही अन्य लोगों को भी उनसे आवश्यकता है और उन्हें भी ये प्राप्त होनी चाहिये। (२) जब समाज इन मांगों को स्वीकार कर लेता है तो वे अधिकार का स्वधारण कर लेती हैं। यह स्वीकृति इस कारण प्राप्त हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकता है। इस प्रकार अधिकार एक नैतिक व्यक्ति की समाज द्वारा स्वीकृत मांग है। इससा निर्माण दो तत्वों से मिलकर होता है—(१) व्यक्ति की मांग और (२) समाज की स्वीकृति। इनमें से किसां भी तत्व के न होने से अधिकार नहीं बनता। बिना समाज की स्वीकृति के व्यक्ति को मांग अधिकार नहीं बन सकती। यदि मैं यह मांग करूँ कि मैं अपने परिवारवालों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकूँ तो समाज द्वारा स्वीकृत न होने के कारण यह मेरा अधिकार नहीं हो सकता। इसी प्रकार समाज मानता है कि पशुओं के साथ दया का व्यवहार होना चाहिये परन्तु पशुओं में ऐसी मांग करने की बोलता नहीं होती और वे कोई मांग नहीं कर सकते। अतः उससा दयापूर्ण व्यवहार पाने का कोई अधिकार नहीं होता।

जब प्रीति समाज की स्वीकृति की चर्चा करता है तो उससा अर्थ समाज की नैतिक चेतना की स्वीकृति होता है, राज्य या ज्ञानन की स्वीकृति नहीं। ऐसे अधिकार जिन्हें समाज की नैतिक चेतना स्वीकार करती है परन्तु जिन्हें राज्य की स्वीकृति प्राप्त न हुई हो, प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। वे प्राकृतिक इस अर्थ में नहीं हैं कि वे मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त ये जैव समझीते के सिद्धान्त के प्रतिशब्दों

का भव है। पे ग्राहितिक इस अर्थ में है कि उनके बिना मनुष्य की पूर्ण दमति अवौत् आत्मप्राप्ति जो उसको नैतिक प्रहृति की आनियार्थ मांग है, गंभीर नहीं है। पे अधिकार नैतिक है क्योंकि इनकी आवश्यकता नैतिक लक्ष्य से प्राप्ति के लिये है। जब इन अधिकारों को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है अप्रौद् उन्हें कमनून का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो ये कानूनी अधिकार बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, हमारा राजाव यह स्वीकृत रहता है कि ग्रंथक धनि की वैविकोवार्जन के लिये काम प्राप्त होना चाहिये, परन्तु जब नक्त राज्य इस माम को स्वीकृत नहीं कर लेता तब वह बह हमारा ग्राहितिक ग्रावथा नैतिक अधिकार हो रहेगा, कानूनी अधिकार नहीं क्ग सकता।

अधिकारों की प्राप्ति के लिये राज्य की आवश्यकता है—

व्यक्ति की मांग समाज द्वारा स्वीकृत हो जाने पर अधिकार बन जाता है परन्तु अधिकारों का उपयोग तभी हो सकता है जब राज्य उनकी रक्षा करे और उनका उल्लंघन करने वालों को दण्ड दे। यह प्रश्न हो सकता है कि जब सभी लोग नैतिक ही और अधिकारों की आवश्यकता रामकृत है तो निर उन्हें राज्य की रक्षा को क्या आवश्यकता ? यह ठीक है परन्तु व्यक्ति ऐसा कर्म सोनते हैं जब के अपनी वास्तविक अवौत् सदिक्षा के प्रभाव में रहते हैं। व्यक्ति प्राप्ति अपनी वैविद्यपूर्ण तात्कालिक इच्छा के प्रभाव में अपार्द्ध कोष, स्वार्थ आदि दुर्गुणों के इभाव में काम करते हैं और उन्नित अनुचित का ख्याल न रखते हुए दूसरों का अहित करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में इस बात की आवश्यकता होती है कि कोई ऐसी निष्पत्ति मंथा हो जो नव के अधिकारों की रक्षा करे। यह संस्था राज्य है। राज्य गढ़ के लिये निष्पत्ति के साथ समाज अधिकारों को व्यवस्था करके और उन पर अग्रल करवाहर व्यक्तियों को अपने लक्ष्य की ग्राहित में सहायता करता है। इच प्रकार राज्य की उत्तरि होती है और वह एक ग्राहितिक एवं नैतिक संस्था है।

राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं—

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट ही जाना चाहिये कि राज्य का आधार यह नहीं, इच्छा है। राज्य की उत्तरि सामन-चेतना की स्वातन्त्र्य-इच्छा के कारण हुई है। स्वातन्त्र्या अधिकारों की ग्राहिति से ही सार्वजन होती है और अधिकारों की रक्षा के लिये राज्य की आवश्यकता होती है। जो

इच्छा स्वतन्त्रता चाहती है, वही अधिकारों को स्थिट करनी है और उनकी रक्षा के लिये वही राज्य का जन्म देनी है।

परन्तु अधिकारों को वार्यान्वित करने के लिये राज्य बल का प्रयोग करना है। अधिकारों के उपभोग से ही स्वतन्त्रता प्राप्त होनी है। इससे अर्थ मह हुआ कि राज्य मनुष्य को स्वतन्त्र बनाने के लिये उसके विद्व बल का प्रयोग करना है अर्थात् मनुष्य बलपूर्वक स्वतन्त्र बनाया जाना है। यह तो विरोधोक्ति हुई।

इसके भूमिके के लिये इसे दो प्रदलों पर विचार करना चाहिए—
(१) बल प्रयोग कौन करना है ? (२) उसके इन कार्यों का गमाज के मद्दतों को मन्त्रिय इच्छा कहाँ तर समर्थन करनी है ?

(१) बल-प्रयोग करने वाला राज्य है जो गमाज के मद्दतों को सदिक्षा अर्थात् सामान्य इच्छा (General will) का प्रतिनिधि है। यह सामान्य इच्छा सामान्य बल्याण की सामान्य चेतना है जिससे गमाज बनता है, अधिकारों को स्थिट होती है और राज्य की स्थापना करनी है। अड़ी सामान्य इच्छा राज्य में सर्वोच्च सच्चा अर्थात् प्रभुत्व-एकता होनी है। मैदानिक दृष्टि से यह ठीक है परन्तु यथार्थवादी दृष्टिरेण ने देखने पर तो यह मालूम होता है कि राज्य में प्रभुत्व गत्ता मिसी एक घटि या कृत्य के हाथ में होती है और उसी के द्वारा बल प्रयोग होता है। परन्तु वह व्यक्तिविशेष (या संस्थाविशेष) तभी तक बल का प्रयोग कर सकता है जब तक उसे सामान्य इच्छा वा समर्थन प्राप्त हो और वह उसका प्रतिनिधि स्वीकार किया जाना हो। ऐसा न होने पर उसका प्रभुत्व शीघ्र ही नष्ट ही जाता है। इस प्रकार बल-प्रयोग वास्तव में सामान्य इच्छा द्वारा ही होता है।

(२) किन्तु हम देखते हैं कि राज्य के अधिकारों में सामान्य इच्छा सचेतन रूप में नहीं होती, किंतु हम यह कैसे मानते हैं कि प्रभुत्व-सच्चा दो सामान्य इच्छा का समर्थन प्राप्त है ! मीन का वर्थन है कि यह सत्य है कि अधिकाराश लोगों में सामान्य इच्छा सचेतन रूप में नहीं होती, पर भी लोग इतना तो समझते हो हैं कि अधिकारों की व्यवस्था करने और उन्हें कार्यान्वित करके राज्य ऐसी परिस्थितियों का नियंत्रण करना है जिनमें व्यक्तिगत अपने लक्ष्य की प्रतिष्ठित बरतनते हैं। लोग राज्य के कानूनों का मत से पालन नहीं करते। वे इस कारण करते हैं कि वे यह जानते हैं कि राज्य के कामों के लेगे-जाने का परिणाम राज्य के पक्ष में ही है।

फिर हम वह भी नहीं कहे सकते कि लोगों में साधारणतया सामान्य इच्छा जागृत रूप में नहीं होती, क्योंकि हम दैनिक जीवन में अपने बहुत से नैतिक कर्तव्य अपनी इच्छा से ही, जिन राज्य के भय के हो करते रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें सामान्य कल्याण का ज्ञान है।

वहाँ एक प्रश्न उठना है कि क्या वर्तमान राज्य और उसके संस्थान जो व्यक्ति को उससे इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का विवश करती हैं सामान्य इच्छा की कल्यना पर आधारित है? दूसरा उच्चर स्पष्ट है—नहीं; उनका निर्माण हिसातथा विजय द्वारा हुआ है और उनको अनेक संस्थाओं में सार्वजनिक हित का अपेक्षा व्यक्तिगत हित का अधिक महत्व है, उदाहरणार्थ सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों में केवल धनिया के हित का ही ध्यान रखा गया है। फिर भी इतना तो मानना हो पड़ेगा कि जिन लोगों ने विजय द्वारा राज्य की स्थापना की है और जिन लोगों ने विजेता के शासन को स्वीकार करके राज्य के निर्माण में सहायता दी है उन सबके मन्त्रियों में इसी न किसी रूप में सामान्य कल्याण की भावना रही है और अब भी वनों हुई है तभा उसे सामान्य इच्छा का समर्थन प्राप्त है। राज्य चाहे, जैसा हो, लोगों में किसी अंश तक यह भावना अवश्य रहती है कि राज्य को कार्यप्रणाली उसी औचित्य-बुद्धि के अनुकूल है। हम देखते हैं कि जब कोई निसी के साथ अन्याय करता है तो वह मनुष्य अन्यायी के विरुद्ध अन्यायलय में शिकायत करता है। इसका अर्थ यही है कि उसे यह विश्वास है कि अन्यायलय वहो करेगा जो उसे उचित गलूग होता है। इस प्रकार लोग राज्य की कार्यप्रणाली को किसी अंश तक अपनी औचित्य बुद्धि के अनुकूल ही मानते हैं। जनता जिस राज्य को न चाहे वह राज्य टिक नहीं सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य का आधार बल नहीं, इच्छा है।

इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य बल-प्रयोग नहीं करता। राज्य बल प्रयोग करता है परन्तु एक निश्चित ढंग से अर्थात् कानून के अनुसार और एक निश्चित उद्देश्य से अर्थात् कानूनी संस्थाओं को रक्षा तथा सामाजिक कर्तव्यों के निवाह के लिये जो सामाजिक जीवन की आवश्यक शर्तें हैं।

राज्य मर्यादाक्रियान् एवं निरक्षा नहीं है—

इस प्रकार ग्रीन ब्रें मत में राज्य एक प्राकृतिक, नौतक एवं आवश्यक संस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने नैतिक व्यक्तिगत के विकास की

समस्त सुविधाएँ मिलती हैं। उसका आधार सामान्य इच्छा है और उसके कानून सामान्य इच्छा को ही अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र एवं गहायक है। उसके लक्ष्य और राज्य के लक्ष्य में कोई विभोग नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है।

इससा अर्थ यह नहीं हुआ कि राज्य सर्वशक्तिमान् एवं निरंकुश है और उससे कोई गलती नहीं हो सकती। हेंगेल ने तो राज्य को इन गुणों से विभूषित किया है परन्तु आपने इस स्थिति को स्पीकार नहीं करता। उसके अनुसार राज्य न तो सर्वशक्तिमान् है और न निरंकुश ही। वह अन्दर आर बाहर दोनों ओर से मर्यादित है।

आन्तरिक मर्यादाएँ—(१) राज्य की सबसे बड़ी मर्यादा तो उसकी मूल प्रकृति में ही है। वह एक नैतिक संस्था है और उसका कार्य व्यक्ति की उसके नैतिक विज्ञान में सहायता देना है। नैतिकता का सम्बन्ध मन से है और इस प्रकार वह आन्तरिक बनता है। नैतिक काम वही इतना है जिसे व्यक्ति अपनी नैतिक दुदि से, उचितानुचित की भावना से, करे। ऐसे काम ज्ञानदर्शी नहीं करते जा सकते। किन्तु राज्य बल-प्रयोग द्वारा ही कार्य करा सकता है। अतः वह मनुष्य से नैतिक काम नहीं करा सकता। वह तो केवल इतना ही कर सकता है यि नैतिक जीवन के मार्ग में जिनको बाधाएँ हों उनका निराकरण करदे। उसका काम ‘नैतिक जीवन की बाधाओं को दूर करना’ है। वह स्वयं अपनी ओर से व्यक्ति की नैतिक बनाने का प्रयत्न नहीं कर सकता। इस प्रकार राज्य के कार्य सीमित हैं।

(२) इस अभी देखेंगे कि ग्रीन बुद्ध विशेष परिविति में व्यक्ति का राज्य का विरोध करने का अधिकार भी स्वीकार करता है।

(३) राज्य की सत्ता समाज ने अन्तर्गत परिवार, चर्च आदि जीव स्थायी प्राहृतिक समुदाय है उनके अधिकारों से भी मर्यादित है। वह समुदायों का समुदाय है। समाज के अन्दर ऐसे समुदाय राज्य के उदय के पहले ने हरे विद्यमान रहने हैं जिनकी तामरजिन प्रकृति में उनका एक आन्तरिक अधिकार और कर्तव्य-व्यवस्था होती है, जिस प्रकार राज्य की अपनी अधिकार तथा कर्तव्य व्यवस्था होती है। इन समुदायों की राज्य सृष्टि नहीं करता। वे और उनकी अधिकार एवं कर्तव्य व्यवस्था पहले से ही विद्यमान हैं। परिवार के साथ इनके ही अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं जैसे पिता का पुनर पर अधिकार और उसके प्रति कर्तव्य, पिता का

पेत्र नहीं मानता और राज्य को साथ मानकर व्यक्ति को उसके पूर्णतया अधीन नहीं बनाता। ग्रीन के सिद्धान्त में राज्य का स्थान ऊँचा बने रहने पर भी व्यक्ति का स्थान प्रमुख है और इसी कारण वह राज्य के कार्यों पर मर्यादाएँ आरोपित करता है। ग्रीन यदि कल्पना-जगत में उडान मारने वाला आदर्शवादी है तो इसके साथ ही वह गभीर यथार्थवादी भी है। आदर्शवाद के विचार-जगत में विचरण करता हुआ भी वह जीवन के ठोस मत्य से अपना मम्फू कायम रखता है और ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जिसका उपयोग वास्तविक जगत में हो सकता है।

आदर्शवादी सिद्धान्त की आलोचना—

इस सिद्धान्त को, विशेषकर इसके उम्म रूप को, अनेक दृष्टिरूपों से बड़ी तीव्र आलोचना की गई है। कुछ लोग उसे गलत तथा खतरनाक कह कर उसकी निनदा करते हैं। दूसरे उसे भावात्मक तथा एकाग्री बतलाने हैं। कुछ विद्वान् कहते हैं कि वह जीवन के अनेक ठोस तथ्यों की उपेक्षा करता है। जोड़ के विचार में वह सिद्धान्त, सिद्धान्त की दृष्टि से सही नहीं है, तथ्यों के प्रतिकूल है और इसमें वर्तमान राज्यों के परस्राप्नीति के द्वेष में किये जाने वाले अविवेकाग्रण कार्यों का समर्थन करने की प्रवृत्ति है। इसके विरुद्ध जो आदेष किये जाते हैं वे निम्नलिखित हैं।

(१) यह सिद्धान्त अव्यायहारिक है—इस सिद्धान्त के विरुद्ध एक प्रधान आक्षेप यह है कि वह वास्तविकता की उपेक्षा करता है। वह आदर्श के रूप में तथा एक वास्तविक संत्था के रूप में राज्य में भेद नहीं करता। राज्य की कल्पना इस सिद्धान्त द्वारा जिस रूप में की गई है, वह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से बहुत दूर है। ऐसे आदर्श-राज्य की स्थापना स्वर्ग में भले ही जा सके फिन्नु भूतल पर उनकी कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका यह विचार कि राज्य प्रत्येक नागरिक की नैतिक दृष्टि की स्वतन्त्र अनुमति तथा सहयोग पर आधारित है, वास्तविक राज्यों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। यह आक्षेप सत्य है किन्तु अप्राप्यनिक है क्योंकि हम पहले कह सुके हैं कि आदर्शवाद के अनुसार किसी स्थाया की उच्ची प्रवृत्ति का हान उससे सम्भवित घास्तविक तथ्यों के पर्यावरण द्वारा नहीं होता बरन् उन कल्पनाओं के भावात्मक विश्लेषण द्वारा होता है जो उसके मूल में काम करती है। किसी सिद्धान्त की परीक्षा उन आदर्शों के अनुसार नहीं करनी चाहिये जिनसे वह अलग रहता है।

(२) इसके साथ ही वह भी कहा जाता है कि वास्तव में आदर्शवादी

आदर्श राज्य का भी निर्माण नहीं करता; वह तो वर्तमान अपूर्ण राज्य को ही आदर्श राज्य बतला कर विद्यमान् वस्तुओं के देवी अधिकार का प्रतिपादन करता है। समाज की वर्तमान संस्थाओं से ही आदर्श बतला कर वह समाज की अनुचित संस्थाओं का सुधार नहीं होने देता। उदाहरणार्थ, अरस्टू ने दाम प्रथा को आदर्श-व्यवस्था बतलाया; होगे ने जर्मन एक्स्ट्रन्स को आदर्श-राज्य सिद्ध किया और युद्ध को राज्य का एक आदर्श झार्य माना, यहाँ तक कि उदारवादी योन तक ने पूँजी के व्यक्तिगत अवास्था से आदर्श स्वीकार किया। इन सब घटनों को देखकर हॉब्सन ने आदर्शवाद को 'रुदिवाद का हथरणडा' (Tactics of Conservatism) बतलाकर उसकी निन्दा की है।^{*} इस प्रकार वर्तमान व्यवस्थाओं पर आदर्शवादी रग चढ़ जाने का परिणाम यह होता है कि लोगों का ज्ञान वर्तमान व्यवस्था की त्रुटियों की ओर से हट जाता है और सुधार की प्रकृति मन्द पड़ जाती है।

इसी सिलसिले में उच्च लोग एक अन्य इटिफोए से कहते हैं कि आदर्शवादी पिचारक समाज के मानव-चलनालत्मा में स्थित आध्यात्मिक आधारों से इनना अविकृ महत्व देता है, मनुष्य की विषेष-वृद्धि, स्वतन्त्र इच्छा, सामाज्य इच्छा आदि की विवेचना में ही इनना व्यस्त रहता है कि समाज की नैतिक अवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता नी ओर उसका ज्ञान ही नहीं जाता। वह लोगों को नैतिक कृति के सुधार में इनना अविकृ दत्तवित्त रहता है कि उसे वर्तमान् संस्थाओं में कोई उत्तराधीन नहीं कियार्द दत्ता। अरस्टू के समाज वह भी नैतिक इच्छा की स्वतन्त्रता की परम आवश्यकता के ग्राधार पर स्थित होकर राज्य वो, जिसे इन त्रुटियों का निवारण करना चाहिये, वेगळ चाहागों के निरामरण के निषेधांमान वाम से आगे नहीं बढ़ने देता।[†] इस प्रकार सुधार-विरोधी होने के बारण यह रुटिवाद का ही दूसरा रूप है। अन्य घटनों में भी यह रुटिवाद का समर्थन करता है। यह भी रुटिवाद की तरह राज्य में अनुशासन तथा व्यवस्था पर जोर देता है, व्यक्ति की स्वतन्त्रता का विरोधी है, सुदूर एवं अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का समर्थन है और विश्वासनि का विरोधी है।

* Quoted in Barker : Political Thought in England, p. 67.

† Barker : Political Thought in England, p. 67.

उपर्युक्त आक्षेप हेगेल तथा उसके समर्थकों के विचार तो सत्य हो सकते हैं परन्तु, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, ग्रीन इसे मर्यादित आदर्शवादी के सम्बन्ध में तो विलक्षुल असत्य है। ग्रीन द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों का सिद्धान्त इतना लचीला है कि उत्तम जीवन के भाग में उपस्थित वाधाओं को दूर करने की आवश्यकता के आधार पर राज्य कानूनिकारी मुद्यार नहीं कर सकता है। ग्रीन व्यक्ति की स्वतन्त्रता का पुजारी है, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं धिश्व-वन्यजीव का प्रबल समर्थक है और युद्ध का घोर विरोधी है।

(३) मेक्सिगल, ग्रेहम वालास आदि मनोविज्ञान-विशारद इस सिद्धान्त की अनिश्चय बुद्धिप्रकृता पर आक्षेप करते हैं। उनका कथन है कि आदर्श-वादी लोग सचेतन इच्छा तथा विवेकयुक्त मन पर व्यष्टिधित जोर दते हैं। मनुष्य-जीवन में इच्छा नथा विवेक का एक लेत्र अवश्य है परन्तु उसके अतिरिक्त अन्य लेन भी है जिनकी आदर्शवाद विलक्षुल उपेक्षा करता है। यदि हम मनुष्य के व्यवहार का देखें तो हमें मालूम होगा कि वह बुद्धि द्वारा अविक प्रेरित नहीं होता। उसके कार्यों में राग-द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि बुद्धि-विरोधी वृत्तियों का प्रभाव अधिक दियाई देता है। लोग साधारणतया अपने दैनिक जीवन में बुद्धि से काम न होकर अपनी अन्तःप्रवृत्तियों से नथा ग्रन्थामवश अधिक काम करते हैं, दूसरों के सुझावों का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है और वे दूसरों की नकल करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में बुद्धि की जगह अवौद्धिक तत्त्व अधिक प्रभावशाली होते हैं। ग्रेहम वालास ने निर्वाचनों में लोगों के मतदान का विश्लेषण करके घटालाया है और हम भी इस बात को जानते हैं कि अधिकांश लोग मन दते समय सिद्धान्तों आधार उचित-यानुचित, योग्य-अयोग्य का बुद्धिर्वक्त विचार किये बिना मित्रता, जानि, द्वेष, दलीय हित आदि के आधार पर मन देते हैं। इस प्रमाण-ममाज्ज-मनोवैज्ञानिकों का आदर्शवाद के विशद यह आक्षेप है कि वह एकांगी और अपूर्ण है क्योंकि उनका आधार समस्त प्रकृति न होकर उनका केवल एक अंग—बुद्धिमात्र है।

मनोदैज्ञानिकों का यह तर्क बहुत कुछ अंश में सत्य है परन्तु उन्होंने आदर्शवाद की स्थार्थ गति से नहीं समझा। जब आदर्शवादी यह कहता है कि राज्य विवेक और तर्कपूर्ण इच्छा की उत्पत्ति है तो उसका यह आशय नहीं होता कि राजनीतिक संथाओं का नायधानी पूर्वक सौन्दर्यवाच कर निर्माण किया गया है। उसका आशय इतना ही होता

है कि यदि हम युग-युगों के विकास को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस विकास-प्रक्रिया में मनुष्य का विवेक सदा सक्रिय रहा है, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप में ही रहा तो। 'यदि विवेक सक्रिय न रहा होता तो विकास का आज तक का परिणाम जैसा है उससे भिन्न हुआ होता और हमें एक तरङ्गत बुद्धिगम्य समर्थित जीवन के स्थान पर स्वामाविक प्रवृत्तियों, आदनों तथा निषेधों का एक गोरखधन्या दिखाई देता जिसका न कोई अर्थ होता, न कोई सम्भव होता और न कोई कारण ही होता।'

आदर्शवादी यह दावा भी नहीं करता कि राजनीतिक द्वे भ्राता में एक साधारण नागरिक सभी काम सक्रिय विवेक द्वारा करता है। उसके बहुत से काम आदत या अनुकरण के कारण ही सहते हैं। जब यह कहता है कि उसके काम बुद्धिमुक्त हैं तो उसना केवल इतना ही आशय होता कि उसकी युक्तियुक्त व्याख्या हो सकती है। उसकी इच्छा यह है कि अभ्यास, अनुकरण आदि अबीदिक प्रवृत्तियों को बुद्धि का सहायक होना चाहिये, उसका स्वामी नहीं। मनुष्य की बुद्धि को अस्वीकार करके उसे उसकी प्रकृति के अपौर्णिक तत्त्वों का दास मान लेना उसकी गिराफ़र पग्यों की कोटि में ला देना है।

(४) राज्य का व्यक्तित्व—यह गिराफ़र राज्य को एक वास्तविक व्यक्तित्व प्रदान करता है जिसमें उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मनारेश होता है जो उसके सदस्य हैं। यह व्यक्तित्व उत्त कानूनों या काल्पनिक व्यक्तित्व से भिन्न है जिसमा प्रतिपादन कानूनों तिद्वान्त करता है। यह सर्वांग व्यक्तित्व है। ईगेल के अनुसार राज्य राजीव व्यक्ति है। उसकी एकता आत्मचेतना की एकता है। राज्य के वास्तविक व्यक्तित्व के गिराफ़र को द्युष्यों तथा मैत्राद्वारा जैसे लेपनों ने विचित्र तथा अगमंगत मानसर अस्वासार कर दिया है। मैत्राद्वार का मत है कि राज्य की एकता उसके सदस्यों की एकता के समान नहीं हो सकती। व्यक्तियों का एक यमूह एक व्यक्ति उसी प्रकार नहीं हो सकता जिस प्रकार कि एक अस्व-गम्भीर एक अश्व नहीं हो सकता या विद्याविद्यों का एक यमूह विद्यार्थी नहीं हो सकता। मैत्राद्वार का यह मत तर्हपूर्ण ग्रन्थि नहीं होता। जिस प्रकार एक समिति में एक मन का दूसरे मन से सम्पर्क होने पर एक यामन्य मन या इच्छा का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार गमोऽन में सामान्य इच्छा या चेतना हो सकती है जिस हम राष्ट्रीय इच्छा या चेतना कहते हैं जो विविध व्यक्तियों की इच्छाओं से भिन्न होती है। किन्तु यदि

हम इस दावे को स्वीकार भी कर सकते और राज्य के व्यक्तित्व में विश्वास भी करें तो भी हम उन सब बातों को स्वीकार नहीं कर सकते जो उपचार्दर्शवादी कहते हैं। राज्य को कोई अतिमानव नहीं माना जा सकता जिसमें अपने मदस्यों का समावेश हो। जो राज्य के इस अति व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं, वे यह नहीं बतलाने कि यह किस प्रकार अपने नागरिकों के व्यक्तित्व का अपने में समावेश कर सकता है। यह समझना सरल नहीं है कि एक व्यक्तित्व में किस प्रकार दूसरे व्यक्तित्व का समावेश हो जाना है।

राज्य को एक सजीव व्यक्तित्व मान सकने से जो परिणाम निकलते हैं वे अत्यन्त खतरनाक हैं। उसका राज्य की सर्वशक्तिमन्त्रिता तथा निरकुशता का प्रचार करने में प्रयत्न लिया जाता है। इससे व्यक्ति राज्य की पूर्ण अधीनता में आ जाता है और अपनी स्वतन्त्रता खो देता है। यह व्यक्ति को क्रान्ति का अधिकार नहीं देता, यहाँ तक कि यह राज्य के इसी कार्य के अोचिता में सन्देह करने का अधिकार भी नहीं देता। राज्य को देवी प्रकृति और उसकी अभ्रान्तता के कारण व्यक्ति राज्य के अनुचित कार्यों की भी आलोचना करने से बचित कर दिया जाता है। इन समस्त बातों में इस सिद्धान्त का हम समर्थन नहीं कर सकते। यह उल्लेख करना उचित न होगा कि ये विचार समस्त आदर्शवादियों के नहीं हैं। वे हेगेल तथा उसके जर्मन अनुयायी बर्नहार्डी और ट्रिट्शके के विचार हैं। यह आलोचना गम्भीर तथा मर्यादित आदर्शवादी ग्रन आदि के सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं है।

(५) राज्य और समाज—आदर्शवादी सिद्धान्त के विषद् यह भी कहा जाना है कि यह आज के सामाजिक जीवन के समस्त तथ्यों पर विचार नहीं करता। राज्य तथा समाज की एकरूपता, जिसको मानकर यह सिद्धान्त नहीं करता है, सही नहीं है। यदि हम एक बार राज्य तथा समाज में भेद करें और हम यह अनुभव करें कि सामाजिक जीवन में ऐच्छिक उत्थायों का क्या महत्व है तो हम राज्य को उस उच्चासन पर आसोन नहीं कर सकते जिस पर हेगेल ने उसे बिठला दिया है। राज्य तथा समाज में भेद न करना इस सिद्धान्त का एक बड़ा भारी दोष है। यह आलोचना भी आदर्शात्मक सिद्धान्त के उग्र रूप के सम्बन्ध में ही सत्य है। यह उसके मर्यादित रूप के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकती।

बोकान्के का यह विचार कि राज्य सदाचार के सिद्धान्तों से ऊपर है

आर अपने सदस्यों तथा दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार करने में वह इन नियमों वा पालन न करने के लिये वाद्य नहीं है गर्वया गलत है। यह समझ में नहीं आता कि एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों में नेतृत्व नियमों वा पालन स्वांत्र न करे और उसके राज्य के अन्दर के कामों के सम्बन्ध में भा नागरिक रहे नेतृत्व स्वीकृति या श्रस्तीकृति उसके लिये आवश्यक क्या नहीं है।

(६) वैयक्तिक स्वतन्त्रता का निषेध— इति भिन्नान के विकल्प एक दृग्गरा आक्षेप यह भा त्त्वा जाता है कि वह व्यक्ति को स्वतन्त्रता और कानून का पालन को पर हा उस्तु मानकर वैयक्तिक स्वतन्त्रता के बार एवं महत्व को कम कर देता है। उसर्हि मान्यता है कि गच्छों स्वतन्त्रता भिन्नान्युर्ण कार्य बरने को स्वतन्त्रता है, वह विद्यक्षूर्ण आपम-सम्म है। परन्तु यदि व्यक्ति में गुण नहीं है तो इस कमों को पूर्णी ममाज को करनी पड़ती है, यह प्रस्तु बानूनों के द्वारा अपने सदस्यों को स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इस प्रस्तार कानून का पालन करना ही स्वतन्त्रता का दृष्टिभोग करना हो जाता है। इस प्रस्तार एक भूम्न को उस समय भी स्वतन्त्र बहा जा सकता है जबकि उसे उससे अधिक कुद्धिमान् समाज ने कैद कर रखा है। समाज उसे स्वतन्त्र बनाने के लिये उसक नाश दलात्कार कर सकता है। यह बात चाहे कितनी ही सत्य हो भि अवतन्त्रता राज्य के कानूनों द्वारा सब पर समान रूप में अतिव्यव्य लगाने में हा गम्भीर होती है किन्तु यह मानना पड़ेगा कि आदर्शगार्दी सिद्धान्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता और नेतृत्व स्वतन्त्रता को एक युभक कर तथा व्यक्ति के वैदिकित प्रियंक और समाज के अवैदिकित प्रियेष के भेद की उपेक्षा करके वहाँ भूल करता है। एक व्यक्ति उसी समय स्वतन्त्र कहा जा सकता है जब कि वह उस काम को कर सके जिस व्यक्ति उचित उचित गम्भीरता है, जब कि वह दूसरों को इसी प्रस्तार की स्वतन्त्रता से बचिन न करता हुआ अपनी दृष्ट्यानुगार कार्य कर सके। जब उस उन कामों को न करने के लिये रियश मियर जाता है जिन्हे दूसरे उचित गम्भीर हैं तो वह समन्वय नहीं रहता। लाल्ही ने इहा है कि जब व्यक्ति उन क्षेत्रों में, जिन्हे वह महत्वपूर्ण गम्भीरता है, विकल्प का अनुभव करता है तो उसके लिये कोई स्वतन्त्रता नहीं रह जाती। वास्तव में स्वतन्त्रता तभी होती है जब कि शासन के हैद्यान्वाचार पर प्रतिव्यव्य लगाने की शक्ति हो। आदर्शगार्दी लेग कानून के पालन और स्वतन्त्रता को एक गम्भीरने में इस महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं। किन्तु यह आदेष

आदर्शवादों सिद्धान्त की इस प्रतिशा को मिथ्या सिद्ध नहीं करता कि कानून स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है। यह केवल यहाँ दिखलाता है कि कुछ कानून ऐसे नहीं होते जिए उन्हें होना चाहिये। आदर्शवादी यह पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे कि ऐसे कानूनों का पालन स्वतंत्रता नहीं है।

इन आलोचनाओं के मूलयों के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें आदर्शवादी सिद्धान्त के मर्यादित तथा उपरूपों के भेद का ज्ञान रखना चाहिए। ये आदर्शवादी सिद्धान्त के विचारों के विरुद्ध तो ठीक है जिनका आज योई समर्थन नहीं करता। गार्नर ने लिखा है कि—‘आज समस्त राजनीतिक लेखक हेगेल के अधिकारों को, विशेष रूप से राज्य की स्वेच्छाचारिता के सिद्धान्त, उत्तरी तथाराधित दैवी प्रकृति, एवं ऐसी अवस्था में सत्ता के शारेश का पालन करने के कर्तव्य को जब कि यह अवैष तथा अन्यायपूर्ण हो और इस सिद्धान्त को कि राज्य ही साथ है, एक रहस्यमय अनिवार्यता है, केवलात्मा का अवतार है जिसके नागरिकों से भिन्न अपने अधिकार एवं हित हैं, अस्वीकार करते हैं। ये आलोचनाएँ औन जैसे आधुनिक आदर्शवादों विचारकों के सम्बन्ध में लागू नहीं हैं। उन्होंने आदर्शवादी सिद्धान्त की जीव व्याख्या की है उसमें अनेक मूल्यवान तथा है। राज्य स्थानाधिक तथा अवश्यक है; उसका मुख्य उद्देश्य ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करना है जिनमें नागरिक अपने नीतिक व्यक्तिश्व का निरास कर सकें; राज्य अपनी प्रकृति में गाववव है, वह अन्य समस्त गंत्याश्रों में गर्वन्परि है; वह समस्त कानूनों और अधिकारों का स्वोत है; वह अपनी रक्षा के लिये अपने उद्देश्यों (नागरिकों) से अपने प्रति भक्ति तथा बलिदान वा अधिकार रखता है; राज्य इच्छा पर आन्तित है, यकि पर नहीं। ये सब बातें गत्य हैं जिन्हें कोई भी राज्य का यही सिद्धान्त उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देता सकता।

राजनीति में मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय

आदर्शवाद की आलोचना करते समय हमने मनोवैज्ञानिकों के तर्क पर विचार भिया था। कुछ वर्षों से राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विचारपाठ का चढ़ा महत्वपूर्ण इधान बन गया है। अतः यह उचित होगा इस पर कुछ विचार कर लें। इसका विचार इसलिये और भी आवश्यक है कि यह सुदिक्षावाद की, जो अदर्शवाद तथा प्रजातन्त्र की विशेषना है, आलोचना है और उसकी प्रतिक्रिया भी है। यत्वमान् काल में रूप, जर्मनो, इटली आदि देशों में जो सर्वसंचावादी

शासन कायम हुए हैं उनमें इस विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

राजनीति तथा मनोविज्ञान के बीच पुराना साहचर्य है किन्तु मनोविज्ञान का राजनीतिक विश्लेषण में सुव्यवस्थित रूप में प्रयोग बेजहौट को सन् १९७३ई० में प्रकाशित 'भौतिक विज्ञान तथा राजनीति' (Physics and Politics) नामक पुस्तक की रचना के समय से हुआ। उसने राजनीति को समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने की प्रणाली आरम्भ की जब कि उससे पूर्व राजनीतिक प्रश्नों पर प्रार्थि-विज्ञान के प्रशाशन में विचार करने की प्रणाली ही प्रचलित थी। राजनीतिक समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने पर जोर देनेवाले विद्वानों में ग्रेहम बालास का नाम प्रसिद्ध है, जिसको 'राजनीति में मानव प्रकृति' (Human Nature in Politics) तथा "महान समाज" (The Great Society) नामक पुस्तकें बहुत ही विचारपूर्ण हैं।

मनोवैज्ञानिक सम्बद्धाय का एक प्रमुख मन्त्र यह है कि राज्य और उसकी संस्थाएँ मन के परिणाम या फल हैं, अतः उनका अध्ययन मन की आधा द्वारा ही भली-भांति विद्या जा सकता है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन की कुन्जी मनोविज्ञान ही है। यदि इससा अर्थ केवल यही हो कि समस्त राजनीतिक विचारों का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिये तो इससे कोई भी इन्कार नहीं करेगा। अमेरिका, अरस्टू, मैकिया-बेली, हॉब्स, लॉर और रसो के मन्य पर्याप्त रूप से इसका समर्टीकरण चर्ते हैं। किन्तु कभी-कभी इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि चूँकि सामुदायिक जीवन के तथ्य सामुदायिक चेतना के तथ्य है इसलिये उनके अध्ययन की एकमात्र समुचित पद्धति मनोवैज्ञानिक प्रणाली ही है। दूसरे शब्दों से यह भी कहा जाता है कि राज्य विज्ञान के विद्यार्थी के लिये जो अब मनोवैज्ञानिक हो गया है अध्ययन वाँ उचित विधि प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन को विधि है। इस विधि के दो प्रमुख लक्षण हैं। प्रथम, यह समस्त तथ्यों पर विचार करती है और उसके मूलों में कोई भेद नहीं करती। यह कुछ तथ्यों को अन्य और दूसरों को ऐसे नहीं मानती। दूसरे, यह जटिल पटनाओं को उनके ऊरल पटकों में परिवर्तित कर उन सरल पटकों के प्रश्न में उन जटिल समस्याओं का अध्ययन करती है।

प्राकृतिक विज्ञान की इस विधि के राजनीतिक में प्रयोग करने के

दो परिणाम होंगे । राज्य-वैज्ञानिक के लिये समस्त सामाजिक तथ्यों का समान मूल्य होगा । उसके लिये एक कबीले का वही मूल्य होगा जो एक भजदूर संघ का । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । राज्य-विज्ञान का आदर्शात्मक पहलू भी है, एक सीमा तक वह मूल्यों पर विचार करता है । मूल्य का ग्रन्थित्व न वैज्ञानिक के लिये है और न मनोवैज्ञानिक के लिये ही । इसना यह अर्थ निभला कि राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन पूर्ण रूप में एक मनोवैज्ञानिक के बतलाये ढंग से नहीं किया जा सकता और न राज्य-विज्ञान जटिल घटनाओं को सरल घटनाओं द्वारा समझाने की रीतियाँ का प्रयोग ही सफलता के माथ कर सकता है । सामाजिक विज्ञानों में व्याख्या सूचैय एवं उद्देश्यों की दृष्टि से ही होती है, आरभिक अवस्था को दृष्टि से नहीं । निम्नतम की व्याख्या उच्चतम द्वारा हो सकती है परन्तु उच्चतम की व्याख्या निम्नतम द्वारा नहीं हो सकती । राजनीतिक जीवन की सरल घटनाओं जिनका पूर्व काल में विकास हुआ और बाद में विस्तित जटिल घटनाओं इन दोनों की व्याख्या लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में विभिन्न अवस्थाओं के रूप में वी जानी चाहिये । किन्तु समाज-मनोवैज्ञानिक प्रारम्भिक अवस्था को समय के विचार से नहीं, महत्व के विचार से लक्ष्य से पूर्ववर्ती समझता है । सारांश में, वह सभ्य जीवन की व्याख्या असम्भव प्रवृत्ति की भाषा में करता है ।^{*} इस प्रकार वह तथ्यों को गलत सिरे से क्रमबद्ध करता है ।

मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का दूसरा प्रमुख विचार यह है कि राजनीतिक कार्य और व्यक्तियों के विचार को विशुद्ध वौद्धिक प्रक्रिया के प्रतिफल मानना भूल है । उनके विचार तथा तर्फ उन पर निस्सन्देह प्रभाव डालते हैं किन्तु उनसे कहीं अधिक महत्व प्रवृत्तियों तथा मनोभावों के प्रभावों का होना है । जो राजनीतिक सिद्धान्त मानव-प्रकृति के अर्द्धादिक पहलू की उपेक्षा करता है और जो उसकी नियाओं को 'वौद्धिक शक्ति' के प्रतिफल समझता है, वह गलत प्रतिक्षा से आसम्भ फरता है और गलत परिणामों से बच नहीं सकता । आदर्शवाद में यह बात दिखाई देती है राज्य को बुद्धिया विनेकपूर्ण दृष्टा का फल मानने में वह एक ऐसे मिद्दान्त की स्थापना करता है जो आज तक के किसी भी राज्य के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता । जिस राज्य के सम्बन्ध में आदर्शवादी विचार करता है, वह जांद कहीं स्वर्ग में विद्यमान् हो, इस भूतल पर उसका कहीं भी अस्तित्व

* Barker : op. cit., p. 160.

नहीं है। यही बात उसके राजनीतिक दायित्वों की व्याख्या के सम्बन्ध में भी सत्य है। वास्तविक व्यवहार में मनुष्य राज्य की सत्ता की आवश्यकता का पालन जिप्रभावना के साथ करता है वह यह अनुभूति नहीं है कि राज्य सामान्य इच्छा की प्रतिमा है और न यह भावना ही कि इस प्रकार आदेश पालन से सामान्य हित को सर्वाधिक सिद्धि होगी। राजनीतिक नियन्त्रण अपने आधार में सामाजिक ही है। समाज में जो सुव्यवस्था और सामजिक है वह लोकाचार, लोकभूत, सुकाव, अस्यास एवं अनुरूपण आदि अनेक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर, जो कानून के क्षेत्र से बाहर की चारें हैं, परिणाम है।

समाज-मनोवैज्ञानिक ने राज्य-वैज्ञानिक का ध्यान मनुष्य की संहत प्रकृति की प्रृथियों एवं मनोमार्गों के अस्तित्व तथा उसके समस्त उप-चेतन पक्ष की ओर आकर्षित करके एक बड़ी सेवा की है। मनुष्य के राजनीतिक जीवन का कोई भी अव्ययन तब तक पर्याप्त और पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम उनके अस्तित्व पर तथा राजनीतिक भूत या आचरण के निर्माण में उनके कार्य पर विचार नहीं करते। राजनीति की कला अधिकारा में लोकभूत के निर्माण में मानव के भावात्मक पक्ष का विचारपूर्वक उपयोग करने में ही है। राजनीतिक नेता बड़ी चतुरता के साथ हमारे मनोमार्गों को अपने उद्देश्य के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करते हैं; ये कुछ विचारों के लिये नूतन नाम रखते हैं और उनसे हमारे मनोमार्गों के साथ जोड़ देते हैं। राजनीतिक दल मावात्मक विचारों के प्रतीक है। मार्गों का सामाजिक आचरण पर मितना प्रभाव पड़ता है, इसके लिये अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रेहम वालास के अनुसार “राजनीति एक अल्पमान में ही चेतनामय तर्फ-सुदृढ़ि का परिणाम है। वह प्रधानतः अस्यास तथा प्रृथिति, सुकाव तथा अनुरूपण का ही परिणाम है।”

समाज-मनोवैज्ञानिकों ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को और हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उन्हें अस्थीरार बरना व्यर्थ होगा। ये निसमन्देह हमारे राजनीतिक विचारों एवं नियाओं का निर्धारण करते हैं। किन्तु इस सौज के उत्तराह में समाज-मनोवैज्ञानिक उन तथ्यों को अधिक महत्व देता है और बीदिक तत्वों को कम। सुदृढ़ि और विवेक हमारे जीवन में कार्य करते हैं और एक बड़ी सीमा तक वे राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण एवं संचालन में भी काम करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक स्वीकार

नहीं करते। राज्य तथा उसकी संस्थाएँ बुद्धिमूलक हैं किन्तु इस अर्थ में नहीं कि उनका निर्माण बुद्धि के विचारपूर्ण कार्य के फलस्वरूप हुआ है। वे बुद्धिमूलक इस अर्थ में हैं कि उनकी बुद्धि के आधार पर व्याख्या को जा सकती है। उनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा हुआ है जिनके जीवन में बुद्धि नत्य प्रधान है। यह सत्य है कि राज्य-सत्ता के आवेश का पालन करते गमयन न तो साधारण मनुष्य और न दार्शनिक, न तो सामान्य इच्छा का स्मरण करता है और न सामान्य लोक-संग्रह का। किन्तु यह विचार विघ्नान् रहना है और मन द्वारा गुप्त रूप से अपना प्रभाव ढालता है। इस बात पर कि राज की एकता अनुररण अथवा सुभाव के अवोद्धिक प्रभाव पर टिंड हुई है, विश्वास करना हास्यप्रद है। यह स्वीकार करना कि समाज सुभाव तथा अनुकरण के कारण ही कायम है उस अवीद्धि संस्था बना देता है जो वह नहीं है। एक संस्था और कुछ नाहे हो या न हो, उसके पीछे बुद्धि अवश्य कार्य करती है। वार्कर के निम्नलिखित वाचन में मनोवैज्ञानिक समुदाय की आलोचना का सारांश निहित है। “समाज-मनोविज्ञान हमें पहले भौतिकवाद को और अप्रसर करता है तथा निम्नतम के द्वारा उच्चतम वीं व्याख्या करवाता है और इसके बाद वह हमें अबुद्धिवाद को और ले जाता है जिससे हम गमाज को अनुररण का परिणाम रामझते हैं और उसके नागरिकों को मनमाने सुभावों का जादूभरा परिणाम !”

अध्याय ८

समाजवाद

हमने पिछले अध्यायों में व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद तथा आदर्शवाद का विवेचन किया है। आप देख सुके हैं कि उपयोगितावाद व्यक्तिवाद का ही परिष्कृत रूप है। ग्रीन वा मर्यादित आदर्शवाद भी मूलतः व्यक्तिवाद ही है। समाजवाद व्यक्तिवाद का बिलबुल उल्टा है। इस अध्याय में तथा अगले अध्यायों में हम समाजवाद तथा उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे।

समाजवाद (Socialism) ऐसा शब्द है जिसकी कोई संचिप्त और अधार्य परिभाषा नहीं की जा सकती। विभिन्न लोगों ने इसकी विभिन्न रूपों में कल्पना बीं है। इसके दो विभिन्न प्रयोग स्पष्ट हैं। व्यापक अर्थ में इसका आदाय कुद्दू जटिल सिद्धान्तों तथा उनसे सम्बन्धित राजनीतिक आन्दोलन से है जिनका उद्देश्य वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर एक नवीन सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामी समाज होगा। इस अर्थ में साम्प्रदादी (Communist), मिशनीरेलिस्ट, गिल्ड-समाजवादी, सम्प्रिवादी (Collectivist) सब समाजवादी हैं, चाहे नवीन समाज के रूप तथा उसका निर्माण करने के ढंगों में उनमें वितना ही मनमेद वयों न हो। संतीर्थ अर्थ में, जिसमें विशेषकर उसको व्यक्तिवाद के विपरीत बतलाया जाना है, उसका प्रयोग सम्प्रिवाद के लिये होता है जो समाजवादियों का एक विसिप्ट भवुदाय है। यहाँ हम बेवल सम्प्रिवाद के सम्बन्ध में चिचार करेंगे। परन्तु उस पर चिचार बरने से पूर्व हम समाजवाद के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर देना चाहते हैं जिनमें सभी प्रश्न के समाजवादियों का विष्वास है।

समाजवाद का अर्थ—

✓ व्यापक अर्थ में समाजवाद उस आधुनिक आर्थिक एवं सामाजिक

सङ्गठन का विरोधी है जिसका व्यक्तिवाद ने पोषण किया है और जो व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर आधारित है। पूँजीवाद को आलोचना और पूँजीवादी व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर एक नवीन सहकारी व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य में, जिसमें न व्यक्तिगत पूँजी और न स्वतन्त्र प्रतियोगिता के लिये ही कोई स्थान होगा, उभी समाजवादी राहमत है। परन्तु पूँजीवाद को हटाकर उसके स्थान पर जो नवीन व्यवस्था स्थापित की जायगी उसके सम्बन्ध में उनमें तीव्र मतभेद है। इस अध्याय में हम समाजवाद के आलोचनात्मक तथा निषेधात्मक पहलू पर विचार करने के बाद समर्थिवाद के रननात्मक प्रस्तावों पर विचार करेंगे। कम्यूनिज्म, सिएडीकेलिज्म, गिल्ड-समाजवाद तथा अराकनावाद पर अगले अध्यायों में विचार किया जायगा।

✓ समाजवाद पूँजीवाद पर कई प्रकार से दोपोरोपण करता है : (१) पूँजीवाद सम्पत्ति के वितरण में गम्भीर विप्रमताएँ उत्पन्न कर देता है, (२) उसके (पूँजीवाद के) द्वारा व्यर्थ में बर्बादी बहुत होती है और उसमें नैपुण्य की कमी है, (३) वह मानवता तथा न्याय के सम्बन्ध में उदासीन रहता है, तथा (४) वह विश्व-शान्ति में बाधक है। सारांश में, उससे बहुजन नमाज का शोषण होता है।

(१) गम्भीर विप्रमताएँ—

पूँजीवाद ने सम्पत्ति के वितरण में अत्यधिक भेद-भाव तथा विप्रमताएँ उत्पन्न कर दी है। इस विप्रमता का अनुमान इस तथ्य से जगाया जा सकता है कि इङ्गलैण्ड में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व जनता के ही भाग के पास कुल राष्ट्रीय आय का आधा था। एक लेखक ने हिमाय लगाकर घतलाया है कि सन् १९३१ ई० में ४०% राष्ट्रीय आय जनता के ७६% भाग को मङ्गदूरी के रूप में दी गई ; ३४% राष्ट्रीय आय १४% जनता को घेनन के रूप में दी गई और ३६% आय १०% जनता को भाड़े तथा मुनाफे के रूप में मिली। फ्रान्स में सीधी आय प्राप्त करने वाली १ करोड़ १० लाख जनता में से केवल ३,४०० व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ४,००० पौंड से भी अधिक मिलता है और ६५ लाख से भी अधिक जनता को प्रति वर्ष १०० पौंड से भी कम मिलते हैं। प्राच्य: प्रत्येक योरोपीय देश में कुल राष्ट्रीय आय के आधे भाग का है जनता भोग करती है। इस असम वितरण के बड़े बुरे यामाजिक परिणाम निकलते हैं। इससे जनता राजनीति में कोई प्रभावकारी भाग नहीं ले सकती क्योंकि वर्तमान व्यवस्था

में राज्य में राजनीतिक सत्ता के बल उन्हीं लोगों के हाथ में होनी है जिनके पाग आधिकारिक सत्ता होनी है। इस प्रकार इससे प्रत्तिवादिक आदर्श को प्राप्ति में वापा पड़नी है। इसरे, उमरा अर्थ है जनता के एक बहुत बड़े मांग से अखर्वाल भाजन मिलना जिसमें जनता के स्थानस्थ की हानि होना है, उसी राय कुशलता कम होती है तथा अन्त कड़े बुराइयों भी उत्पन्न होती है। अन्न में, जैसा अरस्तू ने कहा था, इस प्रकार ये विषमता में ही व्याप्तियों का जन्म होता है। यह राज्य की मिलता के लिये भी उत्पन्न है। समाजवाद इस बुराई को दूर करना चाहता है और सम्पत्ति का अधिक उचित तथा न्यायपूर्ण स्पष्ट से वितरण करना चाहता है। यह टीक ही कहा गया है कि समाजवाद की माँग ही समाजवाद का वाकार है।

२) कार्य-कुशलता की कमी—

पूँजीवाद के विकास दूसरा दोपारीपाण यह है कि उसमें कार्य-कुशलता कम होती है। यह कार्य-कुशलता की कमी कड़े जारीएं से होती है। ग्रथम, युवतीयत्वित प्रतियोगिता का प्रतिशासन है, जो दूषित तथा हानिकारक है। यह हानिकारक तथा वृद्धा है वयोंकि इसमें व्यर्थ में भेगाओं का दोहराय होता है, जिससे विगतन, प्रचार आदि में अनाप शनाप रखने होता है। ग्राम: प्रतियोगिता का अभिग्राम बारोबार है। एस व्यक्ति से हटाकर दूसरे व्यक्ति की ओर ले जाना ही होता है। इसमें व्यक्ति घटिया बनने लगती है और मजहूरी भी घट जाता है। यह दूषित भी है क्योंकि यह समाज विरोधी स्पष्ट धारण कर मनुष्य को भाँतिक्वादी बना देता है और वह अनुचित साधनों तथा बैंडमानों से धन मंग्रह बरने लगता है। अतः यह छोटे प्रतियोगियों के लिये टीक नहीं है। अन्न में, इसमें घड़े-घड़े उत्तोग मिलकर सम्पद (Combines) बना लेते हैं और अन्न में एकाविकार (Monopoly) स्थापित कर लेते हैं जिसके लिये उन्मोक्तगांगों को बड़ी मारी झांसत देनी पड़ती है और उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं।

पूँजीवाद में कार्य-कुशलता के अभाव का दूसरा कारण यह है कि उत्तर अव्यवस्थक वियोजन (Planning) का अभाव होता है। उत्पादन अध्यवस्थित और एक सोमा तक अस्त अस्त सा हो जाता है। उससे अत्यधिक उत्पादन भी होता है और अनापद्यक तथा विलाप की सामग्री का उत्पादन होने लगता है। जो आधिक मन्दी समय-नम्रव पर देशों में होती है और अस्थिर उत्पादन को रोकने के लिये उत्पादन की जो

व्यवहार करनी पड़ती है इन उबरो पूँजीवाद का अनैपुण्य प्रकृट होता है। इसमें उन वर्गों में जिन्हें उत्पादन में साकेदार होना चाहिये वैमनस्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार मी इसका अनैपुण्य तिद्द होता है।

नीमरे, पूँजीवाद इस कारण मी कार्य-वृश्लताहीन है कि इसमें सुन्दरा ना अभाव रहता है। एक बैरु का दिवाला निरुल जाने से महसूओं सम्पत्तिरीन हो सकते हैं और आर्थिक मन्दी के कारण मी लाग्नो व्यक्ति बैसार हो जाते हैं। इस प्रकार पूँजीवाद 'अपने सङ्गठन में अव्यवस्थित और नाजस्व में वेबल अनुमान' रह गया है।

पूँजीवाद के विशद सबमें बढ़ा दोपारोपण तो यह है कि उससा सामाजिक उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। बस्तुओं का उत्पादन इसलिये नहीं किया जाता कि वे सामाजिक इधिं से उपयोगी हैं या आवश्यक हैं यरन् इसलिये कि पूँजीपति उनसे काफी मुनाफा उठा सकते हैं। पूँजीपति बाजार में हानिकारक और्धवियों तक भेजने में संकोच नहीं नरेगा; यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि उसे इससे काफी मुनाफा होगा। उसका स्थेय है व्यक्तिगत लाभ के लिये उत्पादन, सामाजिक प्रयोग के लिये नहीं।

(३) मानवता तथा न्याय का अभाव—

समाजवाद पूँजीवाद पर यह मी दोपारोपण करता है कि उसमें न्याय ने लिये कोई रखान नहीं है। वह अन्यायपूर्ण है क्योंकि उसमें सम्पत्ति का विनरण बढ़ा विषम होता है। विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों को जो उत्पादन में भाग लेते हैं जो मजदूरी मिलती है वह उनकी योग्यता एवं गुणों के अनुपात में खिलकुल नहीं होती। पूँजीपति का उत्पादन के माध्यमों पर पूर्ण स्वाम्य होता है और वह अम को खरोदकर कच्चे माल को उपभोग्य माल में परिवर्तित कर उससे होनेवाले सब लाभ को स्वयं हृदय जाता है। मजदूर को जितनी मजदूरी का वह वास्तव में अधिकारी है उसमें बहुत कम मजदूरी मिलती है। पूँजीवादी प्रणाली की इस न्यायहीनता की ओर कॉर्ल माकर्स ने अपनी 'केपिटल' नामक पुस्तक में अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके बड़े प्रभावशाली ढंग में घ्यान आरपित किया है। किसी पर्याय का जो विक्रय-मूल्य होता है, उसम नथा लागत-मूल्य (Cost Price) में जो अन्तर होता है, उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत इस सब लाभ को पूँजीपति ही ले लेता है जो आवारभूत रूप से अनुचित है। उसका समुचित

रूप से उन सब व्यक्तियों में बैटवारा होना चाहिये जिन्होंने उन परयों के निर्माण में योग दिया है। इस अतिरिक्त मूल्य के प्रतिरिक्त और भी गमाज निर्मित मूल्य है, जेमे भूमि के मूल्य में अनुचित वृद्धि, जिनका उपभोग भी पूँजीपति ही करता है। इन मूल्यों के निर्माण में पूँजीपति का युद्ध भी भाग नहीं होता, अतः यह उनसे तिजोरी में न जापर राज्य निधि में जाना चाहिये। इस प्रकार पूँजीपति का अतिरिक्त मूल्य को अनुचित रूप से हृष्ट लेना तथा अन्य सामाजिक रीति में उत्पन्न लाभों एवं मूल्यों पर अपना अधिकार लगा लेना पूँजीवाद का भारी दाप एवं अन्याय है, जिस समाजवाद समूला नष्ट कर देना चाहता है।

अन्न में, पूँजीवाद मानवता और मानवों युख के प्रति बड़ा निर्दय है। उसमा उद्देश्य पूँजी जमा करना है, जीवन को मुरी और थ्रेट बनाना नहीं है। आधुनिक उद्योग की अवस्थाओं के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को एक यन्त्र का परिचालन करना पड़ता है, वह स्वयं यन्त्रवत् बन जाता है। उसे अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों के प्रकाशन या अपनी कला में अभिमान रखने का अवैसर कहाँ मिलता है? इस प्रकार वह यन्त्र से एक पुर्जामात्र बन जाता है। उच कहिये तो वह मनुष्य नहीं रह जाता।

एक दूसरे दृष्टिकोण से भी यह प्रमाणित किया जा सकता है कि पूँजीवाद मानव-प्रकृति के बोमलतम अङ्ग के प्रति उदासीन रहता है। वह यह मानता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच रवनन्त्र प्रतियोगिता सामाजिक सहानुभव का सर्वोत्तम अधार है और 'योग्यतम् द्वी विजय' वा नियम जिनना समस्त पशु-जगत में काम करता है उतना ही मानव-जगत में भी काम करता है। इन विचारों के अनुसार वह यह मानता है कि सम्भवा का उद्देश्य जीवन-संग्राम की इस प्रकार व्यवस्था बनाना है कि उसमें बढ़ो से बढ़ो सख्त्या में योग्यतम ही जीवित रह सकें। दूसरे शब्दों में, इसमें जीवन के 'परिमाण' पर 'गुणों' की अपेक्षा अधिक ज़ोग दिया जाता है। पूँजीवाद व्यक्ति को इस संशय का अद्वितीय बरने के दृढ़ भी धोग्य नहीं बनाता, वह उसे केवल जीवित रहने वाले मुखिया दे सकता है। इसके विपरीत समाजवादी का लक्ष्य व्यक्ति को भीनिर जीवन की चिनाओं से मुक्ति देना है, जिससे ग्रन्थेक व्यक्ति बांधन के उच्चतम मूल्यों को प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता सी दृष्टा की पूर्ति कर सके।

✓ समाजवादी को केवल इसी से सन्तोष नहीं हो जाता कि वह पूँजी बाद के दोपों पर ही प्रकाश ढाले, वह उन्हें दूर करने के मार्ग भी बतलाता है। वह उनके मूल कारणों का अर्थात् उत्पादन के समस्त साधनों, भूमि, ग्राकृतिक साधनों, कारपानों आदि पर निजी स्वाम्य का तथा उसके साथ ही निजी लाभ के द्वासाहन का अत कर देना चाहता है। पूँजीपति का यंत्रों तथा कच्चे माल पर, जिसके द्विना अभिकु नहीं कर सकता, अधिसार होने के कारण वह अभिकुओं का शोषण कर सकता है और समस्त अतिरिक्त मूल्य को हड्डप लेता है, जिसमें मजदूर का भी भाग है। समाजवादी यह नाहता है कि उन सब पर समूचे समाज का अधिकार होना चाहिये (आवश्यक रूप से राज्य या शासन का नहीं)। उत्पादन के साधनों के समाजीकरण से ये सब बुराइयों दूर हो जायेंगी। इससे समाज उन समस्त समाजनिर्मित मूल्यों तथा अतिरिक्त मूल्य को ग्राप्त कर सकेगा जो आजकल पूँजीपति स्वयं अपने लिये रख रहा है। उनका प्रयोग या व्यव समाजोपयोगी कार्यों के लिये होगा। इससे राष्ट्रीय आय का वितरण अधिक भभुचित और न्यापूर्ण ढग से हो सकेगा। विविध श्रेणियों के व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुपात में इन मूल्यों में अपना भाग प्राप्त हो सकेगा। उत्पादन किसी सामाजिक उद्देश्य से किया जायगा। पर्याप्तों का उत्पादन प्रयोग या उपभोग के लिये किया जायगा; व्यक्तिगत मुनाफे के लिये नहीं। स्वतंत्र प्रतियोगिता के स्थान पर, जो अधिकांश बुराइयों की जड़ है, सहयोग के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा होगी। समाज का संगठन संयुक्त नियंत्रण एवं सहकरिता के आधार पर होगा। व्यक्तिगत मुनाफे के स्थान पर सामाजिक सेवा के आदर्श की प्रतिष्ठा की जायगी। व्यक्तिगत पूँजी तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता का अन्त हो जाने के ये आवश्यक परिणाम होंगे।

पूँजी और उद्योगों का समाजीकरण, प्रतियोगिता के सिद्धान्त का अन्त और व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाज-सेवा—ये मौलिक सिद्धान्त हैं, जिनके उम्बन्ध में सभी समाजवादी एकमत हैं। उनका यह दावा है कि जब समाज का संगठन इन सिद्धान्तों के आधार पर होगा तभी समस्त व्यक्तियों के लिये अधिकतम स्वातंत्र्य एवं न्याय प्राप्त किया जा सकेगा। सुयोगों की उगानता, पुरस्कार की न्यायिता तथा उत्पादन में मितव्यविता प्राप्त हो सकेगी; उस समय सेवा का दोहराव नहीं होगा और न गलाघोट, प्रतियोगिता होगी; अत्यधिक उत्पादन न होगा और न बृथा

व्यय; न विजापना पर धर्षण सर्व होगा और न जनता का जीवन-स्तर ही नाचा रहेगा।

एक इमरी बात और है जिसे सब समाजवादी स्वोकार करते हैं और जिस पर वे सब जोर भी देते हैं अर्थात् समाज की सेन्ट्रिय एकता (Organic Unity of Society)। वे यह नहीं कहते कि समाज एक सेन्ट्रिय रचना है परन्तु वे मनुष्य को समाजिक भावना के व्यक्तित्व को मानते हैं और उससा विकास करना चाहते हैं। समाजवाद वा समस्त दर्शन वा राष्ट्र कम इमा पर आधारित है। अनियन्त्रित प्रतिवौगिता के स्थान पर सहयोगी श्रवन हो अथवा व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाजिक सत्त्वाण का उद्देश्य हो अथवा उद्योग पर संदुक्त नियन्त्रण हो—प्रत्येक दशा में इन सम्बन्धों का समाधान निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों पर निर्भर है। क्या मानन में समाजिक भावना बलवती है? क्या उसे प्रभावराती बनाया जा सकता है? क्या उसे प्रत्यक्षित दिया जा सकता है? समाजवाद वा गमर्थन वा संगठन इन प्रश्नों के उत्तरारामण वा निपेक्षारामण उत्तरों पर निर्भर है।

समाजवाद का दर्शन—

समाज की सेन्ट्रिय प्रकृति पर जोर देने समाजवादी विचारक मिदान्त में व्यक्ति को समाज के अधीन नहीं बनाता। उससा मन्त्र व्यनिगत स्वतन्त्रता के हित में समाज का संगठन करना है। वह उसे ऐसे सुयोग देना चाहता है जिससे वह अपने जीवन में पूर्ण और स्वतन्त्र बना सके। यह व्यक्तिगती का भी ध्येय है। इस प्रसार दोनों का ध्येय एक ही है परन्तु दोनों के साधन भिन्न हैं। व्यक्तिगती को राय है कि व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास उसी समय हो सकता है जब कि उसे विभिन्न प्रशार को स्वातन्त्र्यनाएँ उपलब्ध हों। विन्तु समाज के यदस्यों को अन्योन्याधिकार में समाजवादी यह निर्कर्त्ता निकालता है कि ऐसा विकास न वैन समाजिक संगठन का परिणाम हो सकता है, आजकल के पूँजीवाद समाज में उमड़ी ग्राहित नहीं हो सकती क्योंकि उसमें जनता अपने जीवन-संग्राम में हो दबी रहती है। अमिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके इसके लिए वह आवश्यक है कि पूँजीपतियों द्वारा उसका योग्य असम्मत कर दिया जाय। स्वतन्त्रता के बल इस बात में नहीं है कि केवल बाहरी प्रतिकर्त्तों का अपार हो, वह तो समुचित कार्य की उसके समुचित होने के कारण ही करने की मत्ता का नाम है। वह जीवन के आप्यात्मिक

मूल्यों, रत्त्वं, शिवं, सुन्दरम् को प्राप्त करने तथा उनकी अभिभृदि करने की समता का नाम है। वह उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कि व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं के दबाव से मुक्त न हो जाय, जब तक उसे कुछ अवकाश या विश्राम न मिले, कुछ शिवा प्राप्त न हो और उसके पास कुछ घन न हो। ऐप्ट जीवन के लिये ये आवश्यक तत्त्व यह मनुष्यों को उसी समय प्राप्त हो सकेंगे जब समाज का संगठन सहकारी सिद्धान्त के आधार पर होगा; जब राज्य स्वयं अपनी सत्ता के लिये नहीं बरन् व्यक्तियों को जीवन-समाज का अनिकमण करने में सहायता देने के लिये होगा। राज्य की सहकारी कल्पना जिसके अनुमार उसका कर्तव्य समाज के समस्त व्यक्तियों के लिये उनको सहयोग के लिये संगठित करके स्वतन्त्र एवं पूर्ण जीवन की व्यवस्था करना है समर्पितवाद (Collectivism) की विशिष्टता है। अन्य समाजवादी सम्प्रदाय राज्य के प्रति उतना आदर भाव नहीं दिखलाते। उनमें से कुछ तो राज्य-विरोधी हैं एवं उन्हें सभी सहकारिता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। उसके अभाव में समाज-सेवा की भावना कार्य नहीं कर सकती।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजवाद व्यक्ति को अधिकतम स्वतन्त्रता देना चाहता है। परन्तु यह स्वतन्त्रता को एक पूर्ण बस्तु नहीं मानता। वह यह मानता है कि समानता ये प्राप्त होने वाली युरक्षा के बिना स्वतन्त्रता का कुछ भी मूल्य नहीं। नर्धीन गामाजिक अवस्था में समता और स्वतन्त्रता दोनों ही प्राप्त हो सकेंगी। एक उक्ति है— “व्यक्तिवाद का सार स्वतन्त्रता है और समाजवाद का सार समता”। यदि इसका अभिग्राय यह है कि समाजवाद व्यक्ति की स्वतन्त्रता की उपेक्षा करता है तो यह उक्ति भ्रमजनक है। जहाँ तक समाजवाद का आधार समना की मोर्चा है वहाँ तक यह सत्य है। एक लेखक ने समाजवाद की परिभाषा इस प्रकार से की है : ‘यह आमदनियों में उत्तरोत्तर समता स्थापित करने को हांटि से उद्योगों का प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण है।’

** समाजवाद मानव-व्यक्तियों की पवित्रता को किस प्रकार मान्यता देता है और पूँजीवादी भिद्वान्त उसके कितना विलम्ब है, यह निम्नलिखित अवतरण से सर्वथा स्पष्ट है :—

“यह इतना प्रत्यक्ष है कि सामाज्यवादी पूँजीवाद के सिद्धान्त के आधार हैं— मानव-जीवन के प्रति युला, सदरदस्ती लादा हुआ व्यापार, आयात-नियांत कर द्वारा सुरक्षित बाणिज्य तथा एक संस्था के रूप में विरचित युद्ध (व्यक्तिगत अथवा सामूहिक) की सर्वोच्चता। उपनिवेश प्रणाली (उपनिवेशों के निवासियों के लिये)

सारांश—

यहाँ समाजवादी भत का सारांश देना अनुचित नहीं होगा। समाजवाद आधुनिक समाज में सम्पत्ति के वितरण की विषमताओं का नाश करना चाहता है। ऐसी अवस्थाओं में, जिनमें कुछ व्यक्ति विना काम स्थिर रहते हैं और दूसरे काम करने हैं परन्तु उन्हें जीपिसा ग्राहन नहीं होती, इस प्रसार परिवर्तन करना आवश्यक है जिसमें समाज में आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से उम वर्ग का अन्त कर देना है जो दूसरा के परिअम पर अपना जीवन-नियांह करता है और प्रत्यक्ष प्रकार की अनर्जित आव एवं प्रतिबन्ध लगा देना है। यह उद्देश्य भूमि तथा पूँजी के व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त कर देने से पूरा हो सकेगा। पूँजीवाद के अन्त से स्वभावतः प्रायः सब को समान रूप से पदान्त मुद्योग मिलेंगे तथा समुचित आव ग्राह्य हो सकेंगे। इससे सामाजिक उपरोक्ति और न्याय की मांग के अनुसार सम्पत्ति का अविक न्यायपूर्ण विनरण ही नहीं हो सकेगा, उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

यह स्मरण रखना चाहिये कि समाजवाद सब रूपों में व्यक्तिगत सम्पत्ति के विद्व नहीं है। वह भूमि एवं पूँजी में व्यक्तिगत सम्पत्ति के अर्थात् उत्पादन के भौतिक साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के ही विद्व है। परन्तु वह उपभोग वस्तुओं में व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार करता है। समाजवादी राज्य में मजदूरों को अपने मकान और अपनी मोटरसार रखने का अधिकार होगा। वे अपनी परियों के लिये ज़ेरू-ज़वाहिरात भी रम रफ़ते हैं और अपने निजी घर के लिये बैठों में धन भी। परन्तु वे उनका ग्रयोग लाभ करने के लिये नहीं कर सकते। इस प्रसार की

एक प्रायस्त्रियत की रीति है, जिसमें (औपनिवेशिक शहिलों को) यहाँ साम होता है। उपनिवेश स्थापित करने वाले राष्ट्र दुखल राष्ट्रों को स्वतन्त्रता से बंधन कर देने हैं, उनकी भूमि को जन्म कर लेने हैं और देशवासियों को या तो अपना शानु करा लेने हैं या घरेन पगु। उनमें भर अत्यधिक निये जाते हैं, कठोर अमलिंग जाता है और उनमें नाश कर दिया जाता है। यद्यपि अपनी स्वतन्त्रता मुन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें आता दरड़ दिया जाता है। बेनजियम कींगो, मोरक्की, मुक्क्य पश्चिमा अफ्रीका, भारत, द्विन्द्रचल, याचा आदि पर राष्ट्र दालिये। परन्तु सामाजिक दा प्रणाली हा एक ऐसा प्रणाली है जो पूँजीवादी प्रणाली के नियमों, मानवता के हितों का पूर्ण बाता है। मानवों का युक्तिमयत पृथि समुचित समर्जन परन्तु यदि मानव समाज की अवस्था को यथाशक्ति सुझाता है। यह कहा जा सकता है कि यदि सभी अधिक 'मानवांश' प्रणाली है।" (Barbusse: Stalin, p. 87).

वस्तुएँ उपभोग करने के लिये हैं, पूँजी के रूप में अनर्जित आय प्राप्त करने के लिये नहीं। समाजवादी राज्य में किसी प्रकार का व्याज या मुनाफ़ा नहीं होगा : आय वही होगी जो अम के पुरस्कारस्वरूप मिलेगी। मज़दूरों को जो मज़दूरी दी जायगी, उसका निश्चय आवश्यकता, कार्यकुशलता अथवा बलिदान के आधार पर ही होगा, यद्यपि अधिकांश समाजवादी कार्यकुशलता के लिद्वान्त को ही पसन्द करते हैं।

एक बात का स्थान रखना चाहिये। समाजवाद सब व्यक्तियों के लिये सर्वथा समान आय प्राप्त करना नहीं चाहता। वह जो दुष्ट प्राप्त करना चाहता है वह है समस्त व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सुयोग (समान नहीं)। पूर्ण समानता अप्राप्य है और शायद बाढ़नीय भी नहीं है। समाजवादी महिताप्क सम्बन्धी कारणों से व्यक्तियों की योग्यताओं में भेद मानते हैं और समाज को व्यवस्था इस प्रकार से करना चाहते हैं कि इस प्रकार के भेद बाहरी भौतिक कारणों से मिल कर सम्पत्ति के वितरण में अत्यधिक विषमता उत्पन्न न कर सकें।

समष्टिवाद

परिभाषा—

जिम संकुचित अर्थ में समाजवाद राज्य के कार्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों के रूप में व्यक्तिवाद का विरोधी है, उसमें हम उसे समष्टिवाद (Collectivism) कह सकते हैं। यह राज्य-समाजवाद (State-Socialism) के नाम से भी प्रसिद्ध है। राज्य को एक बुराई मानकर उसके कार्यक्षेत्र को सीमित कर देने के स्थान पर समष्टिवाद राज्य को एक निश्चित रूप से अच्छी बलू मानता है और उसके कार्यक्षेत्र में व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण के लिये विस्तार का समर्थन करता है। यदि राज्य सामाजिक कल्याण का सर्वोच्च साधन है, तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर सरकारी कार्य का विरोध करना नौलिक भूल होगी। राज्य के कार्यक्षेत्र का तो अधिनाधिक विस्तार करना ही उचित होगा। उते तो जनता के सामान्य बोद्धि, आर्थिक एवं नैतिक हितों की अभिवृद्धि करनी चाहिये और वेवल जनता के जीवन तथा सम्पत्ति दो रक्षा के कार्य तक ही सीमित न रहना चाहिये। उसे 'पुलिस-राज्य' के स्थान पर लोर-संग्रही राज्य (Welfare State, जन जाना चाहिये) द्वारा देने तथा अपराधों को रोकने के साध-साय जनता के कल्याण यी भी अभिवृद्धि करनी चाहिये।

‘समष्टिवादी वह व्यक्ति है जो अधिक पूर्ण आर्थिक वितरण तथा मानवता के उत्थान के लिये राज्य के रूप में संगठित समाज की ओर ताक्षता है। इनसाइटलोपीडिया ब्रिंजिसा के ११५ संस्करण में समाजवाद की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है:—“वह वह नीति या सिद्धान्त है जो केन्द्रीय प्रजातान्त्रिक सत्रा द्वारा आन्वक्ल की अपेक्षा श्रेष्ठतम् वितरण तथा उसके अधीन श्रेष्ठतम् उत्थान तो व्यवस्था करना चाहता है।” यही समष्टिवादियों का ध्येय है। परन्तु इन दोनों परिभाषाओं में से कोई भी व्यापक अर्थ में समाजवाद की परिभाषा नहीं करतों क्योंकि उनमें राज्य के प्रति जो मनोवृत्ति प्रस्तु की गई है वह समष्टिवादियों को छोड़कर अन्य समाजवादियों में नहीं है। समष्टिवादी वह मानते हैं कि राज्य ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन्त्रदूर पूँजीपति के शोषण से मुक्ति पास अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये समुचित सुविधा पा सकेंगे। अन्य समाजवादी न्यूनाधिक राज्य-विरोधी हैं।

‘समष्टिवादी उत्थान ने समस्त भौतिक साधनों का नियन्त्रण तथा अधिकार ऐन्ड्रीय प्रजातान्त्रिक राज्य या शासन को सौंप देना चाहते हैं, समाज के मन्त्रदूर वर्ग जैसे किसी एह वर्ग को नहीं। आवश्यक की भाँति उन्होंने का संचालन एवं प्रबन्ध व्यक्तिगत पूँजीपतियों द्वारा नहीं होगा और न मन्त्रदूरों द्वारा ही, जैसा कि गिरडी-सेलिस्ट और गिल्ड-गोश्यनिस्ट चाहते हैं वरन् समस्त जनता को प्रतिनिधि के रूप में और उनकी ओर से सरकार द्वारा होगा। इसी कारण समष्टिवाद वो राज्य-समाजवाद (State-Socialism) भी बहते हैं। अतः उसका पहला गूप्त इस प्रकार है—“राज्य को उन्होंने का स्वामित्व तथा प्रबन्ध व्यक्तिगत पूँजीपतियों के हाथों में से अपने हाथ में ले लेना चाहिये।”

परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है: “पूँजीपतियों के हाथों में से उन्होंने का स्वामित्व एवं नियंत्रण किम प्रकार लेकर शामन को गांधा चाय !” जो उत्तर समष्टिवादी देते हैं, उनसे भी उनमें तथा अन्य समाजवादियों में भिन्नता प्रस्तु हो जाती है और उनमें उनसा अग्रणी सूत मिल जाता है। समष्टिवादी या राज्य-समाजवादी यह मानता है कि यह परिवर्तन घर्तमान राज्य के द्वारा और वेवल शीरणिक तथा वैयानिक अथवा राजनीतिक साधनों के द्वारा ही किया जाना चाहिये। समष्टिवादी खोग देश में ऐसे राजनीतिक दल का संगठन करेंगे जो समष्टिवादी कार्य-क्रम

को पूरा करने के लिये चलनबद्द होगा; वह मनदानाओं तथा नागरिकों में उसका प्रचार कर उनसे भत प्राप्त कर सद में बहुमत प्राप्त करेगा और अपने मन्त्र-मण्डल का निर्माण करेगा। इस प्रकार शासन पर अधिकार हो जाने पर बहुमत की अनुमति से वह ऐसे कानून बनाने में सफल होगे, जिनसे इच्छित परिवर्तन हो जायगा। इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था की स्थापना पार्लीमेंट (संसद) के कानून द्वारा की जायगी। पुरानी तथा नई आर्थिक व्यवस्था के बीच सहृदय पार्लीमेंट को समितियों में होगा, कारखानों तथा सार्वजनिक रथानों में नहीं किया जायगा। यह परिवर्तन शान्त, क्रमानुसार एवं धीरे-धीरे होगा, सहसा क्रान्तिकारी ढंग से नहीं। समष्टिवादियों का मूलतन्त्र है शनैः शनैः। नवीन प्रवृत्तियों के निर्माण के लिये बर्तमान संस्थाओं का ही प्रयोग किया जायगा। यह इस सामाजिक सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल है कि समाज एक सामाजिक शरीर है। अतीत के साथ कोई सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा। प्रत्येक अवस्था में या प्रत्येक कदम पर परिवर्तन उस सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति के अनुसार होगा जो उससे पूर्ख थी।¹ इस प्रकार समष्टिवाद विकासवादी है। वह उन सब समुदायों को जिनका आर्थिक नोति से सम्बन्ध है जैसे ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, कारखानों के विशेषता मैनेजर, उनके समग्रदार स्वामी आदि को अपने विभागों में धीरे-धीरे दीक्षित कर देना चाहता है।² यह ढंग सम्यवादी ढंग के विपरीत है। राजनीतिक होने के कारण वह ढंग क्रान्तिकारी या सीधा नहीं हो सकता। सब कार्य बहुत धीरे-धीरे तथा शान्तिपूर्वक होना चाहिये। अपने प्रभाव तथा सफलता के लिये वह लोकमत के परिवर्तन पर निर्भर रहता है जो जोरदार प्रचार तथा चुनाव द्वारा ही किया जा सकता है। सिएडोंकेलिड्ज आर्थिक क्षेत्र में सीधी कार्यवाही (Direct action) में विश्वास करता है और सम्यवाद रक्षात्पूर्ण कानून को अनिवार्य मानता है। अतः ये दोनों समष्टिवादी साधनों को जो वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण हैं, परन्द नहीं करते।

¹ यहाँ एक भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है जिसे दूर करना आवश्यक है। जब समष्टिवादी यह कहता है कि राज्य उद्योगों का स्वामी होगा और उनका प्रबन्ध करेगा तो उसका आशय पूर्णतः फैलीय सरकार से नहीं होना। वह स्थानीय तथा नागरिक शासनों को भी उसमें सम्मिलित

*Wasserman : Modern Political Philosophies, p. 46.

करता है। अमेरिका से ही फेबियन लोग (Fabians) जिन्हें इंडिलैण्ड में समर्थिवाद के आदर्शों का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त है, स्थानीय शासन के कामों को विस्तार करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते रहे हैं। वेब्युगल ने वडे ज़ोरदार शब्दों में स्थानीय शासनों को सत्ता प्रदान करने (Devolution) की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे अतिशय केन्द्रीयकरण के ख़ुररों को खूब जानते हैं। केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय-महत्व के उद्योगों का ही संचालन करना है : जैसे रेलवे, जलयान, व्यापार, सान-उद्योग, डाक एवं तार। ऐस और जल की व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकानात, चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता, स्थानीय यानायात तथा आमोद-प्रमोद जैसे स्थानीय उद्योगों का संचालन स्थानीय संस्थाओं के हाथों में होना चाहिये जिनका सङ्गठन पूर्णतया प्रजातान्त्रिक होना चाहिये। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सरकार को समाज के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के नियन्त्रण तथा नियमन का कार्य सौंप देने से पूर्व शासन को पूर्णरूपेण प्रजातान्त्रिक और कार्यकुशल बना देना आवश्यक है। समर्थिवाद समरूप प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों को नियांचन के लिये मताधिकार देने के पक्ष में है और बहुमत दान (Plurality voting), कुलीनवर्गीय द्वितीय उद्दन आदि प्रजातान्त्र-विरोधी पद्धतियों के विशद है। समर्थिवादियों के लद्द तथा कार्यक्रम का पूरा विवरण विटिश लेवर पार्टी द्वारा सन् १९१६ ई० में प्रकाशित (Labour and the New Social Order) नामिका पुस्तिका में मिलता है।

समर्थिवाद के समर्थन में तर्क—

• समर्थिवादी लोग उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व तथा उद्योगों के नियन्त्रण के समर्थन में प्रायः निम्न तर्क देते हैं :—

१—वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत औद्योगिक जगत में लो अर्थ-अराजकता व्याप्त है, उसका खात्मा करने का उद्योगों का समाजीकरण ही एक मात्र उपाय है। प्रतियोगिना के आधार पर चलने वाले उद्योगों में जो अपन्याय होता है उसका समर्थिवादी व्यवस्था द्वारा अन्त हो जायगा। इस सम्बन्ध में डाक-विभाग द्वारा पत्रों, पार्सल, मनोव्यौद्धर आदि के व्यवस्थित ढान से पहुँचाने तथा वितरण की सुव्यवस्था तथा दुष्य-व्यवस्था में अतिव्यवस्था तथा दोहरी व्यवस्था की तुलना बड़ी शिक्षाप्रद सिद्ध होगी। भाइ, लगान तथा मुनाफे एवं अन्य समाज द्वारा निर्मित मूल्यों से जो आय होगी और जो

पूँजीदारी व्यवस्था में गत की तब पूँजीपत्रियों के पास ही रहती है वह यमधित्यादी व्यवस्था में राज्य की निधि में पहुँचेगी। उन उद्योगों में जिनमें एकाधिकार स्वभावगत है श्रीर स्थावी प्रतियोगिता असम्भव है राज्य-नियन्त्रण उपभोक्ता-जनता के हितों की रक्षा के लिये परम आवश्यक है।

२—प्रहृति की देन, जैसे भूमि और उद्योगों की समति, समाज की है। उन पर योड़े से लोगों का केवल इसलिये अधिकार नहीं होना चाहिये कि उनके पास पूँजी है और वे उसको युरोप रक्फ़ते हैं। इसके अतिरिक्त देश के प्राकृतिक साधनों का व्यक्तिगत पूँजीपत्रियों द्वारा उपयोग होने में राज्य के हितों का ध्यान नहीं रहता। उससे उनकी रक्षा नहीं होती और यदि उसे रोका नहीं जाय तो उनका वृथा विनाश होता है।

३—राज्य द्वारा उद्योगों के प्रबन्ध से समाज को ऐसी वस्तुएँ ऐसा सेपाएँ प्राप्त हो रहती हैं—जिनकी आवश्यकता तो होती है, परन्तु जिनके लिये पर्याप्त मांग नहीं होती। यक्षिणी उद्योग रक्षल, पुस्तकालय एवं अनुसंधान-शालाएँ तभी लोलेगा जब उनसे आविष्क लाभ हो परन्तु ऐसी संस्थाओं से लाभ प्राप्त नहीं होता। यदि ऐसी संस्थाएँ वह रोले भी तो उनसे लाभ उस साधारण जनता को बहुत कम होगा जिसे उसकी आवश्यकता है। राज्य-नियन्त्रण उत्पादक शक्तियों को टीक दरा में लगायता और गलत दिशा में जाने से रोकेगा।

४—परन्तु राज्य के हाथों में उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध पहुँचने से जो सबसे बड़ा लाभ होगा वह यह है कि इससे क्रमशः समाज में नेतृत्व और अध्यात्मिक सुधार होगा; अपने स्थायों की पूर्ति करने तथा अपने पढ़ोसियों की अपेक्षा अपनी दण्ड अच्छी करने में लगे रहने के कारण लोग समाज के महान् सामान्य लक्षणों को भूल जाते हैं और उभका नैतिक स्थाय आव्याप्तिमुक्त पक्षम हो जाता है। यदि प्रतियोगिता को दूर बर व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाज-सेपा के आदर्श की स्थापना कर दी जाय तो हिंगति में परिवर्तन हो जायगा। यमधिनादी समाज में अनुचित राधनों के प्रयोग के लिये कोई प्रलोभन नहीं रहेगा। उसमें मानव की सर्वोत्कृष्ट प्रवृत्तियों को प्रेरणा मिलेगी और उसके सर्वोत्कृष्ट गुण प्रकट होंगे।

समष्टिवाद के विरुद्ध तक—

समष्टिवाद पर दो विभिन्न दृष्टिरौपों से आक्रेप किये जाते हैं। आलोचकों का एक वर्ग तो समाजवाद का विरोधी है। वह जिस प्रकार समाजवाद का विरोधी है उसी प्रकार समष्टिवाद का भी विरोधी है। समष्टिवाद का दूसरा आलोचक वर्ग समाजवाद का तो समर्थक है परन्तु वह उसके समष्टिवादी रूप में विश्वाय नहीं करता। वह राज्य-विरोधी है। उसना वह विचार है कि उत्पादनों के साधनों का स्नाम्य राज्य को नहीं बरन् उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों को प्राप्त होना चाहिये। उसका यह भी विश्वाय है कि नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना वैधानिक साधनों द्वारा नहीं की जा सकती। वे प्रत्यक्ष तथा कानूनिकारी साधनों के प्रयोग का समर्थन करते हैं। पहले हम प्रथम वर्ग के आक्रेपों पर विचार करेंगे।

१—समष्टिवाद ही नहीं बरन् समाजवाद के सभी रूपों के विरुद्ध जो साधारण आक्रेप किया जाता है वह है कि व्यक्तिवादी उद्योग के स्थान पर सामूहिक रवानित्व की स्थापना से उद्योग के लिये मूल प्रेरक शक्ति का नाश हो जायगा। मानव-उद्योग को सबसे महान् प्रेरक शक्ति व्यक्तिगत लाभ की आशा से इसे प्राप्त होती है। वर्तमान् समय में उद्योगों में जो महान् सफलता देख पड़ती है, वह व्यक्तिगत लाभ के कारण ही हुई है। भारी लाभ की आशा और उसका मन-मान उपयोग करने की स्वतन्त्रता प्रतिमाशाली व्यक्तियों को उद्योग की ओर आकर्षित करती है। सामूहिक स्वाम्य-व्यवस्था के अन्तर्गत मानव-उद्योग का यह मूल स्रोत सूख जायगा और फलतः उत्पादन में इससे कमी पड़ेगी। उत्पादन के तरीकों में सुधार के प्रयत्न भी शिथिल हो जायेंगे। इस प्रकार व्यक्तिगत उद्योग के लिये कोई चेत ही नहीं रह जायगा। इतीत में जो श्रीदेवीगिरि प्रमति हुई है, वह इसी वारण सम्बन्ध हुई कि वहे साहसी श्रीरामेश्वर पूँजीपति इसमें अम्बसर हुए। पूँजीवाद के अन्तर्गत उद्योग के नेताओं के जुनाव तथा उन्हें उमुचित पद पर आखीन करने की मनस्या उत्पन्न नहीं होती। स्वतन्त्र प्रतियोगिता में व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के कारण योग्य व्यक्ति उमुचित पद पर स्वयं आ जाने हैं। समाजवाद में प्राइवेट जुनाव के लिये कोई गुज़ारण नहीं है और उद्योगों के नेताओं की स्वेच्छा एक समस्या बन जाती है जिसका इस

कठिन है। कुछ व्यक्ति एक पग आगे बढ़ जाते हैं और यह मानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में मजदूर समुचित रीति से काम नहीं करेंगे। उद्योगों में सुधार की तथा पूँजी लगाने की भी समस्याएँ हैं। सक्षेप में, इन आलोचकों के अनुसार समाजवाद उद्योगों के सम्बन्ध में जितनी समस्याओं का समाधान नहीं करता उतनी पैदा कर देता है। इस प्रकार आर्थिक हप्टिकोण से समाजवाद का सिद्धान्त निर्बल तथा अव्यवहार्य है। समाजवाद के विरोधी यह मानते हैं कि समाज के आर्थिक संगठन के लिये व्यक्तिगत पूँजी और व्यक्तिगत लाभ ही रावॉत्तम है।

‘यह आक्षेप आधारभूत है; वह समाजवाद की जड़ पर ही बुढ़ाराघात करता है। यदि लोग किसी कार्य को करने के लिये उससे मिलने वाले वित्तीय लाभ को आशा से ही प्रोत्साहित हो सकते हैं, यदि सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक आवश्यकता के विचारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो समाजवाद के सभी रूप अव्यावहारिक हो जायेंगे। तब यह मानना यत्य होगा कि समाजवाद मनुष्य रो सामान्य कल्याण के लिये जितना मानव-प्रकृति के लिये सम्भव है उससे भी अधिक आदर चाहता है और इस प्रकार समाजवाद के प्रति केवल मनुष्यों व्यक्ति ही आकर्षित हो सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रश्न पर विचार करने के लिये यहाँ यथेष्ठ स्थान नहीं है। हम समाजवादी उत्तर की रूपरेखा का ही यहाँ विवेचन कर सकते हैं।

उससे प्रथम, यह ध्यान में रखना चाहिये कि मनुष्य इतना स्वार्थी नहीं है, जितना कि इस आक्षेप में समझा गया है। उसकी प्रकृति में परोपकारिता भी होती है। वह दूसरे मनुष्यों के प्रति परोपकार भी कर सकता है और करता भी है। प्रो॰ जोड़ का कथन है कि “समस्त छोटे समुदायों में समुदाय की सेवा, उसके लिये कार्य करने की इच्छा और समाज का समर्थन प्राप्त करने की इच्छा रादैव काम करती है और मनुष्यों के जीवन में सबसे शान्तिशाली तथ्य होता है।”* जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह ही इस इच्छा को समुचित रूप से प्रोत्साहन देना और उसे जागृत रखना। यह इच्छा एक ऐसे वातावरण में भी काम करती है जो उसके विकास के लिये अधिक अनुकूल नहीं है, यह मनुष्य की सात्त्विक प्रकृति का

* Joad : Modern Political Theory.

अकार्य प्रमाण है। मनुष्य की यह गतिक प्रकृति समाजवादी विचार को एक मूल्य मान्यता है। यह निश्चय ही चांद्रनीय है कि समाज का सङ्घटन ऐसे ढङ्ग से किया जाय जिससे इस प्रकृति को उत्तेजना मिले। हम घर्तमान मामाजिक सङ्घटन को जो उस दृष्टि की छुटिट कर देता है और उसकी विरोधी रवार्थपरता की प्रकृति को ग्रोसाहन देता है नेतिकृ रूप से उचित नहीं मान सकते।

‘दूसरे, इस तर्क की यह धारणा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप में काम करना प्रसन्न नहीं करते और वे स्वार्थ भावना से ही काम करते हैं, मिथ्या है। मनुष्य काम को उस समय तक नाप्रसन्न नहीं करते जब तक ति वह सुखद तथा साधारण होता है, वे उसे उसी समय नाप्रसन्न करते हैं जब कि वह बहुत ज्यादा या नीरग होता है। काम तो शारीरिक आवश्यकता है; इसमें हमारी शक्तियों को विकास कामार्ग मिलता है। काम के बिना जीवन भार हो जायगा। लोग अनिवार्य विश्राम से बचने के लिये धन तक व्यव करते हैं। शाँ ने नई की जो ‘सनातन आवकाश’ कहकर परिभाषा की है इसमें मनुष्य के लिये काम करने की कितनी आवश्यकता है इसका अच्छा समेत मिलता है।

‘यदि कार्य मात्रा में इलाज हो और गुण में विविधिनामय, तो यह आशा की जा सकती है कि लोग उसे समाज के लिये बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के करेंगे। यह उस समय और भी आगाम होगा जब व्यक्ति यह अनुभव करेंगे कि वे दूसरों के लिये नहीं बरन् उस समाज के कल्याण के लिये काम कर रहे हैं जिसमें उनका कल्याण भी गम्भीरित है।

‘इन विचारों से यह स्पष्ट है कि यह दोपारोपण कि समाजवाद मनुष्य से सामजिक कल्याण के लिये जितना उसी प्रकृति में सम्भव है उससे भी अधिक आदर की भौगत करता है, निराधार है। समाजवाद मानव-प्रकृति के विद्व नहीं है। परन्तु यह भी नीकार कर लेना होगा कि यदि समाजवाद को गफलता प्राप्त करनी है तो मनुष्यों को अपनी भावनाओं में नवीन रस का संचार करना पड़ेगा और उन्हें आज भी अपेक्षा अधिक शुद्ध एवं पवित्र बनना होगा। समाजवाद विदेशी समाजवादियों पर यह आपेक्षा भी करते हैं कि वे उत्तरार द्वारा उन्होंने के प्रबन्ध में अतिशय आशावादी

है ; राज्य द्वारा उद्योग के संचालन के सम्बन्ध में उनके विचार अतिशयोक्तिगूण हैं। परन्तु सरकार प्रत्येक प्रकार के उद्योग के संचालन के बोध्य नहीं हैं। ऐसे भी उद्योग हैं जैसे कृषि, मर्स्य-पालन, पौज़े-वनियान बनाने का उद्योग, कराई तथा खुनाई जिनका संचालन व्यक्तिगत प्रबन्ध में अधिक सुचाह रूप से होता है। इन उद्योगों का प्रबन्ध राज्य को सींपने से उस पर भार अधिक हो जायगा और उसकी कार्य-कुशलता में कमी हो जायगी। जहाँ प्रहियोगिता के लिये देश नहीं है वहाँ उद्योगों में राज्य-प्रबन्ध के अनुभव से कोई सामान्य निष्कर्ष निकालना एतरे से याली नहीं है। जिन देशों में प्रतियोगिता की गुणावश है वहाँ भी राज्य-प्रबन्ध के अनुभव उत्साहप्रद नहीं हुए हैं। व्यक्तिवादियों का यह कथन भी सत्य है कि राज्य अपनी शक्ति के कारण अधिकांश भागों ने व्यवसायों एवं उद्योगों के संचालन को अपेक्षा एकाधिकार के दोषों को रोकने के तथा समाज के हेतु में उनका नियमन करने के अधिक योग्य है।

समाजवाद के मिल तथा स्पैसर जैसे विरोधियों का मत है कि समाज-गद से व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कमी होती है और वे राज्य के नेदेश से परिवालित गन्ध मात्र बन जाते हैं। जब भुमस्त उद्योगों के संचालन के लिये एक विशाल नीकरशाही की आवश्यकता पड़ेगी तब यह उसका स्वाभाविक परिणाम होगा। वर्तमान शातान्दी में भी इद्यु लेखकों ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरणार्थ, मैलौक का विचार है कि स्वार्थ के अभाव में मनुष्यों को काम करने के लिये भजन्त रक्त करना पड़ेगा जिसका अर्थ होगा व्यक्तिगत चरित्र का हास। फर एस्ट्रिन में का भी मत है कि समाजवादी सिद्धान्त का स्वाभाविक प्रभाव “भानव-जाति की शक्तियों का दगन” हुआ है; समाजवाद का स्पष्ट घेय या “व्यक्तियों की समस्त शक्तियों तथा अष्ट्र व्येयों का बहिष्कार !”

“समाजिवाद के विरुद्ध ये सब आक्षेप नहीं किये जा सकते। हम ऊपर बतला चुके हैं कि उसका उद्देश्य मानव-व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये व्यक्ति के लिये अधिकतम स्वतन्त्रता उपलब्ध करना है। महत्वपूर्ण सेवाओं के स्थानीय शासन के नियन्त्रण में आ जाने से शासन के ‘लाल पीते’ आदि से जो लुराइयाँ होती हैं, वे बहुत कुछ कम हो जायेंगी। यदि फेन्ड्रीय शासन ही सब गमाझीकृत उद्योगों का नियन्त्रण करे तो इस आक्षेप में

यहुन कुछ चल हो सकता है। इन्हु समष्टिवादी इस बात पर ज्ञोर देता है कि महत्वपूर्ण सेवाओं पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार हीना चाहिये।

मिश्रिडवेलिस्ट, गिल्ड-समाजवादी और साम्यवादी इनसे भिन्न आधारों पर समष्टिवाद पर आळेप करते हैं। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के विनाश या प्रतियोगिता के निवारण के प्रयत्न का विरोध नहीं करते। वे समष्टिवादी के साथ इस बात से सहमत हैं कि एक नवीन समाजिक स्ववस्था की स्थापना की जाय। परन्तु समष्टिवादी जिउ माथ्यम द्वारा इसरी स्थापना करना चाहता है, उसे वे उपयुक्त नहीं मानते। वे राज्य के उत्तरे ही विरोधी हैं जितने कि समष्टिवादी राज्य के पक्ष में हैं। उनका मुख्य विचार यह है कि राज्य एक ऐसी स्थप्ता है जिसका निर्माण पूँजीपतियों ने मजदूरों का शोषण करने के लिये किया है और इस कारण उसका (राज्य का) प्रबोग पूँजीवाद ना नाश करने के लिये नहीं किया जा सकता। जब तक राज्य के स्थान पर कोई दूसरा समाजिक सङ्गठन स्थापित न किया जाता, तब तक पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों के आर्थिक शोषण का अन्त नहीं हो सकता। इससे यह परिणाम निस्तलता है कि राजनीतिक उपाय द्वारा नवीन समाजिक स्ववस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। वे किसी त किसी रूप में सीधी कार्यवादी के लिये सिफारिश करते हैं। इसके विषय में हम विस्तारपूर्वक आगे लिखेंगे।

इन आळेपों के अतिरिक्त उद्योगों के पूर्ण समाजीकरण के समष्टिवादी आदर्श की प्राप्ति में अन्य अनेकों कटिनारदयों हैं। चूँकि समस्त उद्योग इस योग्य नहीं है कि उनका समाजीकरण किया जा सके, अतः यह समस्या रहड़ी हो जाती है कि कौन से उद्योगों का पहले समाजीकरण किया जाय और ऐसे उद्योगों का क्या हो जिनसा समाजीकरण सम्भव नहीं है, जैसे कृषि तथा कुट्टर व्यापार। जिस ढंग में राज्य उद्योगों पर स्वाम्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेगा उसके कारण भी एक दूसरे कटिन समस्या पैदा हो जाती है। क्या राज्य उन्हें परीद लेगा या उन्हें जब्त कर लेगा? इन दोनों विकल्पों में कटिनाइयाँ हैं। राज्य के प्रबन्ध में उद्योगों के उत्पादन की वस्तुओं की कीमतों का प्रश्न भी कुछ बहुत कठिन नहीं है।

आधुनिक राज्यों में समष्टिवादी प्रवृत्तियाँ—

प्रदृष्टि आज के युग में रूप तथा इंजीलेंड के अतिरिक्त अन्य किसी

भी राज्य ने समाजवाद या समर्थिवाद को अपना राजकीय आदर्श स्वीकार नहीं किया है किंतु तथापि उसके सिद्धान्तों का अनेक देशों पर प्रभाव पड़ा है और प्रत्येक राज्य के व्यवस्थापन एवं नीतियों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने उत्पादन के माध्यमों के सामान्य या सामाजिक स्वाम्य के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ग्रथवा उन्होंने समस्त मजदूरों को सरकारी कर्मचारी बना दिया है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वाम्य है और प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता है कि वह अपने प्रयत्न से जिस प्रकार चाहे अपनी जीविका प्राप्त करे। अनेक सम्भव देशों में इस सीमा तक व्यक्तिवाद सरकारी कार्यों का अब भी आधार बना हुआ है। परन्तु परिस्थितियों के दबाव के कारण प्रत्येक राज्य कुछ ऐसे कार्यों का सम्बादन कर रहा है जो अपनी प्रकृति में समाजवादी हैं। आधिक व्यक्तिवाद का सिद्धान्तपूर्ण रूप से खंडित हो चुका है।

उन्होंने राज्य का हस्तक्षेप अब सर्वत्र बढ़ता जा रहा है। अधिकांश राज्यों ने उन उद्योगों पर जिनका राष्ट्र के लिये राजनीतिक, आधिक या सैनिक महत्व है, नियन्त्रण स्थापित कर लिया है। तार तथा डारु, रेलवे, जड़ल, बैंक, शस्त्रों का निर्माण, खानों आदि पर अनेक देशों में राज्य का नियोन्नय एवं प्रबन्ध है और सरकारें प्रबन्ध कर रही हैं। कुछ राज्य तो इससे भी एक पग बढ़ गये हैं, वे साहित्य और कला को प्रोत्त्वात्मन देते हैं, योग्यारी तथा आरस्टिक उर्घटनाओं के लिये बोमे की व्यवस्था करते हैं और चुदावस्था के लिये पेन्शन देते हैं। कई राज्य रक्षणात्मक नियांत्रणात्मक (Protective Tariffs) तथा स्वदेशी धन्धों की उनकी विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करने के लिये आधिक सहायता देने की भी व्यवस्था करते हैं। वे समय-समय पर नियांत्रण तथा आमान की कुछ बलुओं पर प्रतिवन्ध लगा देते हैं। व्यापार तथा उद्योगों पर सरकार की ओर से जो नियन्त्रण लग रहे हैं, उनके अधिक उदाहरण देना व्यर्थ है; बात सर्वथा स्पष्ट है।

* इस का समाजवाद समर्थिवाद नहीं है, वह साम्यवाद (Communism) कहलाता है जो ऊपर दिये हुए सिद्धान्तों से कई बातों में भिन्न है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूग्मेर्स्ताविया, किन्सैरैड आदि पूर्वी योरोप के देशों तथा अभी हाल ही में चीन की नवीन सरकार ने भी समाजवाद की अपना आदर्श स्वीकार कर लिया है।

‘हम उदारवादी विचारकों को इस राज्य-व्यवस्था से कि समाज प्रतियोगियों का एक मण्डल है और राज्य एक निर्णायक के रूप में है, दर होते जा रहे हैं और समाजिकादियों द्वारा अनुमोदित समाज-सेवी राज्य (Social Service State) को दिशा में अग्रसर होते जा रहे हैं।’ इसका एक दूसरा प्रमाण इस बात से मीलता है कि ग्रामः प्रत्येक राज्य में शिल्पा, गरीबों की मदायना, बेसारों का धोना और दूसरे कार्यों पर ज़िनमें गरीबों का उद्धार होता है पर्याप्त धन व्यव किया जाता है। ग्रामाञ्जिक नेवाश्वारों पर इक्कले एड में सन् १९०० में १६ शिलिंग २ पाईं प्रति व्यक्ति होना या परन्तु सन् १९३४ में यह व्यय दर्शाया गया शिलिंग प्रति व्यक्ति था।

‘प्रत्येक देश में राज्य ऐसे रचनात्मक कार्यों का संचालन कर रहा है, जो केवल घरेलू मन्त्रियों के लिये ही लाभदायक नहीं है घरेलू भावी मन्त्रियों को भी लाभ पहुँचायेंगे। कृपि, वृक्ष नथा पशुओं की नस्ल सुगारने, पीढ़ों तथा पशुओं को रक्षा के लिये हानिकारक कॉटारण्यों के सम्बन्ध में सोज एवं रोगों के निवारण के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक परीक्षण तथा प्रयोग किये जा रहे हैं। अनेक राज्यों में ग्रामिक दृढ़ता प्राप्त करने तथा स्वास्थ्यी बनाने के लिये राष्ट्रीय नियोजन का विचार अपनाया जा रहा है। उन गमन्त राज्यों में, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ में सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अमन-सभा (International Labour Organization of the United Nations) के मद्दत्य हैं, मजदूरों की अवस्था में अनेक प्रकार के मुद्वार के लिये इई मानून बनाये गये हैं। अनेक देशों में अनेक प्रकार के मानाजिक कानून भी बनाये गये हैं जैसे कारखाना-कानून, स्वास्थ्य-सम्बन्धी कानून, मजदूरों की चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता नथा उनके आवास की व्यवस्था-सम्बन्धी कानून, मजदूरों की चालिकानि के कानून, मजदूरों की हानि के लिये मालिक की जिम्मेदारी नथा बेशरों की गदायता-सम्बन्धी कानून। ये सब इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि उद्योगों के समाजोकरण तथा ग्राम गमन्तों नमना के मिदान को स्वीकार किये बिना हो राज्य अनेकों को सुनाजगादों मार्चे में ढालना जा रहा है।’

अध्याय ६

फैसिजम

पिछले अध्यायों में आपने व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का घण्टन पढ़ा है। आप देख चुके हैं कि राज्य तथा समाज के आर्थिक तथा औद्योगिक जीवन के सम्बन्धों के विषय में न तो व्यक्तिवाद और न समाजवाद ही पूर्णतः उन्तोषजनक है। शासन के लिये वह असम्भव है कि वह सर्वथा पृथक् रहे और आर्थिक शक्तियों को उत्पादन एवं वितरण और मालियों तथा मजदूरों के सम्बन्धों का निर्णय करने दे। हस्तक्षेप न करने की नीति के भयंकर परिणामों ने राज्य को बाप्त कर दिया है कि वह समाज की आर्थिक प्रक्रियाओं का अधिकाधिक नियन्त्रण एवं नियमन करे। युद्ध व्यक्तियों की राय में वह भी असम्भव प्रतीत होता है कि राज्य समस्त उद्योगों का स्वामी बनकर उनका प्रबन्ध करे। रूस को छोड़कर अन्य किसी भी देश में समस्त उद्योगों का समाजीकरण नहीं हुआ है और उस देश में भी किसी-किसी बात में मौलिक खिदान्तों का त्याग कर दिया गया है। इसके बाथ हो जो बात रूस में सम्भव हो सकी वह दूसरे देशों में भी सम्भव हो रहे गए यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। इस दूरण समाजवाद तथा व्यक्तिवाद के बीच का मार्ग ढूँढ़ना आवश्यक है। ऐसा एक मध्यम मार्ग फैसिजम है जिसका उदय, जैसा आप प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं, प्रथम विश्वयुद के बाद इटली में हुआ। इसकी मोटी रूपरेखा का अध्ययन आप कर चुके हैं और देख चुके हैं कि फैसिजम अधिनायकतम्ब तथा सर्वसत्तायादी राज्य का समर्थक है।

फैसिजम—

फैसिजम का संक्षेप में घण्टन करना कठिन कार्य है। कठिनाई युद्ध तो इच्छिये पैदा होती है कि यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली होने के साथ ही साथ जीवन की एक भगोवृत्ति, एक पद्धति है और एल्कडो रोडो के शब्दों में “नागरिक जीवन की एक नूतन कल्पना” भी है। वह

एक नीति सहजति का आरम्भ है। इस कारण उसका योद्धे से शब्दों में वर्णन करना सम्भव नहीं है। एक जीवन की पद्धति के रूप में वह राष्ट्र के ग्राम्यता को प्रट करता है। फैसिज्म वास्तव में एक अत्यन्त तीव्र राष्ट्रीयनामादी भत है। चूँकि जर्मन आत्मा, इटालियन आत्मा से भिन्न है, जर्मन फैसिज्म अर्थात् नास्तीचाद इटालियन फैसिज्म का जर्मन रुस्करण नहीं माना जा सकता। इन दोनों में कई बातों में भिन्नता अनिवार्य है। अन ऐना कोई विवेचन करना कठिन है जो फैसिज्म के सभी रूपों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू हो। दूसरी बातों यह है कि विविध देशों में एक महान् राजनीतिक विकास हुए हैं, उनका वर्णन करने में दसी एक राष्ट्र का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सन् १९३३ ई० में आँस्ट्रिया में डॉलफस के तथा स्पेन में रिबीयरा के अधिनायकत्व को भी फैसिज्ट कहा जाता था। कुछ अविवेकी आलोचक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उच्च नेताओं पर फैसिज्ट होने का अभियोग लगाते हैं। यह उन्हिंन होता कि फैसिज्म के अर्थ को इतना व्यापक न करके जी आनंदोलन इटली में दस नाम से चला उसके तथा उससे मिलते-जुलते आनंदोलनों के वर्णन न हों इम हम राष्ट्र का प्रयोग करें।

फैसिज्म के सिद्धान्त—

[अपने आरम्भ में फैसिज्म एक सिद्धान्त की अपेक्षा एक राजनीतिक कार्य-क्रम अधिक था] उसका स्थापक मुख्यतः जर्मन अनुशासियों से कार्य चाहना था, कोरी बातें नहीं। उसकी वह उक्ति प्रसिद्ध थी—“किसी भत की ओर ग्रावश्यकता नहीं है; अनुशासन ही पर्याप्त है।” एल्फ्रेडो रोडो ने भी इसी प्रकार से घोषणा की कि फैसिज्म भावना तर्था बातों से बढ़ती है और ऐसा ही उसे भविष्य में भी रहना चाहिये। इससे अनेक आलोचकों का यह दिचार है कि फैसिज्म बेकल ज्यावहारिक है। यह सत्य है कि फैसिज्म के स्थापकों ने उसे कोई सेनानिति आधार प्रदान नहीं किया जीसा नार्थर्न ने समाजवाद तथा लेनिन ने बोल्शेविज्म को किया था। यद्यपि फैसिज्मों के कोई ऐसे निश्चित घोषणापत्र प्रकाशित नहीं किये गये जिनमें नागरिक तथा राजनीतिक जीवन की इस नवीन धर्मना के उद्देश्यों एवं नोनियों अदादि के सम्बन्ध में प्रकाश ढाला गया हो, तथापि राज्य की प्रहृति, उसके लक्ष्यों तथा उसके व्यक्ति और समुदाय के यात्र सम्बन्ध के विषय में फैसिज्म की अनेक मान्यताएँ हैं, जो माझे के समाजशास्त्र, बहुवाद, अपया प्रजातन्त्रवाद से भिन्न हैं। इस प्रकार एक तरह का फैसिज्ट राज-

नीतिक दर्शन बन गया है। सेवाइन के अनुसार फैसिज्म अस्पष्ट है क्योंकि [यह ऐसे विचारों का संकलनमात्र है, जो विविध लोगों से प्राप्त किये गये हैं और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुकूल होने के कारण एकत्रित कर लिये गये हैं।] उसने यह भी डल्लोख किया है कि वह सिद्धान्त विवाद द्वारा परिष्कृत नहीं है और प्रायः भाषुकतापूर्ण भी है। यह नीतशो के 'तजा की इच्छा' के सिद्धान्त (Will to Power), हेगेल के राष्ट्रवाद और चर्चसन के बुद्धि-विरोधवाद को एक में शामिल करने का प्रयत्न है। इसका राज्य का सिद्धान्त अधिकांश में आदर्शवादी है [इसकी शासन की कल्पना, जिसमें साधारण जनना से भिन्न कुछ देशभक्त, सुर्योग्य और कर्तव्य भावना से युक्त योग्य पुरुषों के कुलीनतन्त्र को ही स्थान दिया गया है, अफलातून की याद दिलाती है।] इस प्रकार विविध प्रकार के विचारों को लेकर, जिनमें प्रायः एक दूसरे से असङ्गति है, फैसिज्म का सिद्धान्त बनाया गया है। फैसिज्ट दर्शन, वह जैसा भी है, उन तथ्यों तथा घटनाओं की, जो बोत चुकी हैं, व्याख्या है और उनका समर्थन है। इसके सिद्धान्त उन घटनाओं का औचित्य सिद्ध करते हैं।]

राजनीतिक सिद्धान्त—

[प्रमुख फैसिज्ट अपने राजनीतिक दर्शन में अपने समक्ष राज्य की 'कल्पना' (Myth) रखते हैं और उसके प्रति भक्ति के महत्व पर अधिक ज़ोर देते हैं] राज्य की प्रहृति के सम्बन्ध में उनका विचार व्यक्तिवादियों, उदारवादियों और प्रजातन्त्रवादियों के विचारों से सर्वधा भिन्न है। सनात्र या राज्य की अणुवादों (Atomistic) अथवा मान्त्रिक (Mechanistic) कल्पना की जगह, जिसमें व्यक्ति केवल पारस्परिक लाभ की हाप्ति से ही एकत्रित हुए माने जाते हैं, फैसिज्म राज्य की सेन्ट्रिय बल्नास्थीकार करता है। वह राज्य को एक आध्यात्मिक एकता मानता है, जिसके कारण तथा जिसके लिये उनके सदस्यों का जीवन है, जिसका व्यक्तित्व तथा जितकी इच्छा है, जो सदस्यों (नागरिकों) की इच्छा तथा उनके व्यक्तित्व को प्रेरित करते हैं और उनसे ऊपर है।] वह राज्य की एकता में विश्वास करता है और ऐसा नहीं मानता कि उसका विमाजन हो सकता है। उसका जीवन अधिक सतत, स्थायी तथा सदस्यों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है।]

* राज्य की इस कल्पना का कि वह एक आध्यात्मिक इकाई है, जो

*Crossman : Government and the Governed, p 257.

उसके नागरिकों के योग से भी अधिक है, व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों की समस्या पर वहाँ प्रभाव पड़ता है। राज्य को यानिक व्यवस्था के अनुमार, जिसका रखेंटन कर दैसिज्म स्वयं अपनी प्रतिष्ठा करना चाहता है, राज्य का ध्येय उन व्यक्तियों के ध्येय से भिन्न नहीं हो सकता जिससे मिलकर वह बना है; राज्य का सर्वोच्चम् इति जनता के सुख तथा व्यवसाय में है; राज्य जनता के सुख के लिये है। व्यक्तिवाद और उदार प्रजातन्त्र व्यक्ति को ध्येय मानता है और राज्य की देवल साधन-मात्र द्विसंक द्वारा व्यक्ति अपने ध्येय को प्राप्त करता है। प्रैसिज्म इस उम्म्यन्ध की उलटा कर देता है। राज्य एक पूर्ण है और वह सदस्यों के योग से अधिक है; इस प्रकार वह उनके सुख का साधन-मात्र नहीं हो सकता। इन्होंना तथा व्यक्तित्व से युक्त एक आप्यायिमिक इकाई होने कारण उसका अपना लद्य या प्रयोजन भी है, जिसको उसे पूरा करना है। उसके सदस्यों का वह कर्तव्य हो जाता है कि वे उसे उस ध्येय की पूर्ति करने में सहायक हों।

राज्य अपने जीवित नागरिकों के योग से केवल उस अर्थ में ही अधिक नहीं है जिसमें एक पूर्ण उसके विधायक भागों से अधिक होता है, वह इस अर्थ में भी अधिक है कि उसमें वर्तमान नागरिकों के अतिरिक्त वे नागरिक भी सम्मिलित हैं जो इस गम्य नहीं है तथा जो भविष्य में जन्म लेने वाले हैं। राष्ट्र या समाज केवल उन व्यक्तियों से ही नहीं बनता, जो एक निश्चित प्रदेश में किसी उम्य रहते हैं; उसके अन्तर्मन्त्र असंख्य समतियों का समावेश होता है। इस प्रकार राज्य वेगळे जीवित सदस्यों का ही नहीं होता, वह तो उन्हें एक उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। इससे वह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का जीवन उसके सदस्यों के जीवन की अपेक्षा किस प्रकार अधिक सतत, स्थायी और महत्वपूर्ण होता है।

जब इस प्रकार के हितों तथा व्यक्ति, या समस्त व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध होता है, तब राज्य के हितों को मान्यता मिलनी चाहिये। स्तित्व का सब्द ध्येय तो राष्ट्र की शक्तिशाली और भवान् बनाना है, व्यक्तियों के व्यवसाय के लिये प्रयत्न करना नहीं। राष्ट्र से पृथक् व्यक्ति का कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य के विरोध में नहीं घरन् उसके प्रति अपने उचित वर्त्यवालन 'द्वारा करता है।' राष्ट्रीय ध्येय की सिद्धि के लिये जो उसके ध्येय से कहीं बड़ा है अपने याधियों के उद्योग में प्रयत्न करके वह अपनी प्रकृति का

विकास करता है और जो कुछ वह बन सकता है बनता है। राष्ट्र की सेवा से विमुख वह अपनी प्रकृति का विकास नहीं कर सकता। राष्ट्र की सेवा उसे उससे भी उच्च स्तर पर ले जाती है जिस पर वह अपने व्यक्तिगत ध्येय की प्राप्ति में लगा रहने पर पहुँच सकता है। सच्चा व्यक्तित्व इसी में है कि व्यक्ति अपने को राज्य जैसे अधिक विशाल व्यक्तित्व में मिला दे, ऐसले अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा में ही लगा रहने में नहीं। मानव का समस्त मूल्य तथा उसकी समस्त आध्यात्मिक वास्तविकता उसे राज्य से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार राज्य स्वयं अपना साथ हो जाता है। “यही अन्तिम ध्येय है जिसको व्यक्ति के विरुद्ध जिसका सर्वोच्च कर्तव्य राज्य का सदस्य बनना है, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं।” जोको ने लिखा है कि “समाज लक्ष्य है, व्यक्ति साधन है और राज्य का सम्पूर्ण जीवन व्यक्तियों को अपने ध्येय की सिद्धि के लिये साधन के रूप में प्रयोग करने में है।” इस प्रकार फैसिज्म राज्य के नाम पर व्यक्ति का निषेध करता है।

✓ राष्ट्रीय तथा सामाजिक ध्येयों को प्राथमिकता देने में फैसिज्म स्पष्ट रूप में उदारवाद (Liberalism) के विरुद्ध है, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता को शासन का मुख्य लक्ष्य भानता है; वह उपरोगितावाद (Utilitarianism) के भी विरुद्ध है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्पाण चाहता है; यह सब प्रकार के समाजवाद के भी विरुद्ध है जो किसी एक वर्ग के आर्थिक हितों पर स्थान देता है। इनमें से किसी ने सम्पूर्ण राष्ट्र का विचार नहीं किया और न किसी ने वर्तमान के सिवाय भावी पीढ़ियों के प्रति वर्तमान पीढ़ी के कर्तव्य का ही विचार किया।

प्रजातन्त्र की इस मान्यता के निषेध के साथ कि राज्य का लक्ष्य व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायता देना है फैसिज्म व्यक्ति के स्वतन्त्रता के अधिकार का भी निषेध करता है। विचार, मापण तथा सभा की स्वतन्त्रता तथा अन्य स्वतन्त्राओं का आधार वह है कि वे मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिये अनिवार्य हैं। यदि यह राज्य का लक्ष्य नहीं है, तो इन स्वतन्त्रताओं की मान्यता की आवश्यकता हो नहीं रह जाती। फैसिज्म भव में स्वतन्त्रता प्रकृति की स्वाभाविक देन नहीं है, वह तो राज्य द्वारा प्रदत्त वस्तु है। वह व्यक्ति को उत्तमी ही स्वतन्त्रता दे देता है जिसकी उसकी (राज्य की) सुविधा में बाधा नहीं डालती। राज्य को

हो यह निर्णय बरते का पूर्ण अधिकार है कि व्यक्तियों दो किस सीमा तक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। यह उन्हें शान्ति-काल में एक प्रकार की स्वतन्त्रता देगा और युद्ध-काल में दूसरी प्रकार की; ममृदि के समय वह उन्हें एक प्रकार की स्वतन्त्रता देगा तथा अभाव के समय दूसरी नहर है। कुछ फैसिस्ट तो यहाँ तक रहते हैं कि जनता को स्वतन्त्रता की नहीं बरनू कानून और व्यवस्था की आवश्यकता है। कुछ भी हो, फैसिस्ट में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये कोई स्थान नहीं है।

व्यक्ति के नियेष का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि इससे उसकी स्वतन्त्रता का नियेष होता है; इसमें मानवीय समता का भी नियेष है जिसे प्रजातन्त्र अपने सिद्धान्त का आधारभूत अंग मानता है। [फैसिस्ट मानवीय समता के आदर्श को दुर्बल बनानेवाले मानता है और यह उसके स्थान पर मानवीय विषमता (असमता) में विश्वास करता है] जिसका कोई इलाज नहीं है और जो लाभप्रद भी है। यह विषमता किसी सार्वतीकिर्ण ग्रीष्म मताधिकार जैसी यात्रिक विधि से दूर नहीं की जा सकती। जनता सदैव कुछ प्रमुख व्यक्तियों के आधीन रहेगी। यह उन महान् व्यक्तियों के समक्ष मुसने के लिये सदैव प्रस्तुत रहती है जिनमें यह अपने विचारों तथा आदर्शों का सत्त्वात्मक करती है, [जनता को नेतृत्व वाँ आवश्यकता है और नेतृत्व के गुण वित्तिय व्यक्तियों में ही मिल सकते हैं। राज्य में सच्चा तथा उत्तरदायित्व के पद देने ही व्यक्तियों दो मिलने चाहिये] जनता को जिसमें शासन तथा राष्ट्र के पथ-दर्शन की योग्यता नहीं होती इससे पृथक् ही रखना चाहिये। राज्य में उसका एकमात्र कार्य है राज्य के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करना और जो कार्य उसे सौंपा गया है, उसका खम्मादन करना। इस प्रकार फैसिस्ट राज्य असमान इकाइयों का एक सीढ़ीनामा रुग्टन है। [स्वतन्त्रता, समता और चंद्रुत्य के प्रजातन्त्रीय नारे के स्थान पर फैसिस्ट का नारा है—उत्तरदायित्व, अनुशासन तथा उन्हें अधिकारियों का शासन] फैसिस्ट को राज्य तथा व्यक्तियों के सम्बन्ध की इस कल्पना के साथ लोक-प्रभुत्व की कल्पना का भी नियेष है जो प्रजातन्त्र का आधार-स्तम्भ है। यदि राज्य व्येय है और व्यक्ति उसमें महानता तथा गौरव प्राप्त करने के साथन मात्र है, यदि राज्य का जीवन इन व्यक्तियों का अपने लक्ष्य की झूटि जे लिए एक साथन जे रूप में प्रयोग करता है, यदि जनता में राष्ट्र के शासन तथा पथ-दर्शन दो छोड़ योग्यता नहीं है, यदि

वह शासन को उन जटिल समस्याओं को नहीं समझ सकती जो उसके समक्ष है और यदि जनता का केवल नहीं कार्य है कि उसके नेता जैसा भी उसे आदेश दें, वह मौन होकर उनका पालन करतों जाय तब वह सुम्पट है कि जनता में प्रधुत्व नहीं रह सकता, वह तो राष्ट्र में ही रह सकता है।

“सामान्य इच्छा का जो विश्लेषण फैसिजम के अनुसार किया जाना है, वह भी लोक-प्रभुत्व का खण्डन करता है।” उंदार प्रजातन्त्रवादी मानते हैं कि राज्य सामान्य इच्छा का साकार रूप होता है और शासन को उसकी अभिव्यक्ति तथा सिद्धि करनी चाहिये। वह इस बात में भी विश्वास करता है शासन को सामान्य इच्छा के निकटतम लाने का मर्वोच्चम भार्य है उसे सार्वलोकिक व्यस्क मताधिकार पर आधारित करना। जब यह प्रकृट हो गया कि सार्वलोकिक मताधिकार से आशाजनक परिणाम नहीं निश्चिया, तब जनता की शिक्षा पर ज़ोर दिया जाने लगा। जनता की हितों से भी कोई सुधार नहीं हुआ और उसके परिणाम अमन्तोपद चले रहे। फैसिस्ट कहते हैं कि ऐसा इमलिये है कि सामान्य इच्छा प्रयोजन का प्रश्न है; प्रयोजन से पृथक् केवल व्यक्तियों को गणना का नहीं। चूँकि प्रयोजन जाने नहीं जा सकते, इस कारण मतदान से हम सामान्य इच्छा का पना नहीं चला सकते, विशेषकर तब तक जब तक कि अधिकांश लोग स्वार्थी रहते हैं। इनका केवल एक ही भार्य है और वह है उन व्यक्तियों के निर्णय पर आधित रहना जिनके अहंकार पर साधारणतया उनको सामाजिक भावना, देशभक्ति तथा उच्च नीतिक लक्ष्य का प्रधान्य रहता है तथा जिन्हें सामाजिक नियमों का शान एवं अनुभव है।¹⁶

इन आधारभूत विचारों का स्वाभाविक परिणाम यह है कि फैसिजम प्रजातन्त्रीय जन-शासन के विरुद्ध दुष्क्रिमान् मनुष्यों के दुलीनतन्त्रीय शासन के गिरावंत को स्वीकार करता है। और उसी को उसने अपना लक्ष्य बनाया है। [इसका यह अर्थ हुआ कि राज्य की जनता को दो बगों में बांटा जा सकता है—स्वाभाविक शासनों का वर्ग तथा स्वामाविक शासिनों का वर्ग।] पहले वर्ग में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो देशभक्त, कर्तव्यपरायण तथा नीतिक होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों का यह कार्य है कि वे कानून बनावें, जिनका शेष समाज को पालन करना पड़ता

* Barnes : Fascism (Home University Library Series) p. 109.
१४

है और ऐसे व्यक्ति सदैव अल्पसंख्यक होते हैं] जैसा कि ऊपर उल्लेख दिया जा चुका है, फैसिज्म जनता में राष्ट्र के शासन तथा पथ-दर्शन की योग्यता नहीं मानता [वह सदैव कुछ थोड़े से प्रधान व्यक्तियों के नेतृत्व में कार्य करती है] इस प्रकार जन-शासन का प्रजातांचिक आदर्श, अव्यावहारिक तथा काल्पनिक माना जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित हीगा कि लोक-प्रभुत्व के विवार को अस्वीकार करके फैसिज्म जनता को राज्य के शासन-कार्य में भाग लेने से सर्वशा बंचित नहीं रखता। [विस व्यक्ति में आवश्यक नैतिक तथा सामाजिक भावना तथा अन्य आवश्यक गुणों का विकास हो जाता है उसे प्रभुत्व-उत्तरा में भाग लेने का अधिकार मिल जाता है। फैसिज्म योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व प्रदान करता है] परन्तु इसमा निश्चय कौन करेगा कि असुक व्यक्ति में आदर्श गुण विकसित हो गये हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में फैसिज्म जीन है। उसके पास इस प्रश्न का कोई सुक्षिप्त उत्तर नहीं है। अव्यावहार में शासक स्वयं-नियुक्त है, वे शासन करते हैं क्योंकि उन्हें शासन करना चाहिये।

निगमात्मक अथवा संहस राज्य (Corporative State) —

राज्य के फैसिस्ट सिद्धान्त के एठ दूसरे परलू पर भी रिनार घरना आवश्यक है। यह है उरामा सहत (Corporative) राज्य का सिद्धान्त जो राज्य की प्रकृति की पुरानी आणुवादी (Atomistic) कल्पना का खट्टन करता है। फैसिज्म यह मानता है कि अन्त में, राज्य असम्बद्ध व्यक्तियों से मिलकर नहीं बना है बरन् ऐसे व्यक्तियों से बना है जो समाज में विविध कार्य करने वाले समुदायों के रूप में सङ्गठित हैं; यह व्यावसायिक समुदायों वा सङ्गठन है। इस प्रसार के व्यावसायिक समुदाय स्थाभाविक तथा ग्रामश्यक होते हैं। प्रत्येक ऐसा समुदाय राज्य के सङ्गठित जीवन में कुछ आवश्यक कार्य का सम्पादन करता है तिसके लिये वह राज्य के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रसार वा प्रत्येक समुदाय निगम (Corporation) कहलाता है। इठ निगम के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति राज्य के सतिर्णाल जीवन में अपने वर्त्य वा सम्पादन करता है। उसी में और उसी के द्वारा वह दूसरों के दाय शामिल होता है जो समाज की यही सेवा करते हैं।

सामाजिक जीवन में इन व्यावसायिक समुदायों के महत्व पर फैसिज्म में जो जोर दिया गया है उसके कारण उसमें तथा गिर-

समाजवाद और सिएडीकेलिज्म में सादृश्य है। परन्तु चूँकि फैसिजम की यह मान्यता है कि व्यावसायिक समुदाय राष्ट्रीय सहयोग के लिये है, वर्गीय प्रतियोगिता के लिये नहीं; इस कारण वह उनसे मौलिक रूप से भिन्न है। प्रत्येक समुदाय का इस प्रकार से संगठन होना चाहिये कि वह राज्य की सेवा में दूसरे समुदायों के साथ आसानी के साथ सहयोग कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिये निगमों का संगठन ट्रेड यूनियनों के मंगठनों से भिन्न रूप से किया जाता है। निगम एक स्वतन्त्र संस्था नहीं है; उसका ऊपर से राज्य द्वारा नियन्त्रण होता है। उसके अधिकारी राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, उसके सदस्यों द्वारा उनका चुनाव नहीं होता। उसका सदस्य भी हरेक नहीं बन सकता; उसे यह अधिकार है कि वह किसी को सदस्य बनने से रोक दे। “इस प्रकार निगम राज्यलोग पर्श के अधीन अग है, विशिष्ट प्रणालियों हैं जिनमें होरर राज्य की सत्ता का विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रबाह तथा प्रसार होना है।”* स्वयं मुमोलिनी ने राज्य के इस सिद्धान्त को सज्जेप में इस प्रसार कहा है: “फैसिस्ट राज्य ने अपने अन्तर्गत राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को भी शामिल कर लिया है और जिन सामाजिक तथा आर्थिक निगम-संस्थाओं को उसने जन्म दिया है उनके द्वारा वह अपना प्रभाव राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक भाग पर ढालता है और राष्ट्र की समस्त आर्थिक, राजनीतिक एवं आधारिक शक्तियों को जो अपने संगठनों में संगठित है अपने में गम्भीर बरता है।”† इस अवतरण से यह सर्वथा स्पष्ट है कि फैसिजम इन निगमों के द्वारा समाज के समस्त आंदोलिक एवं आर्थिक जीवन पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित करना चाहता है और इस प्रसार इन छोटों में भी स्वराज्य का अधिकार जनता को नहीं देता। मज़दूर तथा मालिक दोनों ही अपनी स्थितन्त्र संस्थाओं से हाथ धो बैठने हैं और निगमों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। निगमात्मक राज्य का यह सिद्धान्त किसी बड़ी सीमा तक इटली में स्थापित नहीं हो सका, यद्यपि फैसिस्ट लेपर्सों ने अपने हेठों में इसे बड़ा प्रधान्य दिया है। सन् १९३४ ई० तर इटली में एक भी निगम की स्थापना नहीं हुई थी। द्विर्वाय प्रिंचिपियुद के तुछ वर्ष पूर्व तक केन्द्र २२ निगमों की स्थापना हुई थी। मज़दूर तथा मालिक दोनों को समान रूप में उनमें प्रतिनिधित्व प्राप्त था।

* Joad: Guide to Philosophy of Morals and Politics, p. 653.

† Ibid. p. 653.

उपमोक्षा-समाज के प्रतिनिवित्य के लिये भी बुद्ध वाहरी व्यक्तियों को उनमें स्थान दिया गया था।

फैसिज्म का दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गच्छा घेने रत्ता है, सम्पत्ति या सुग नहीं। इस सिद्धान्त के बारण में फैसिज्म अनेक बातों का समर्थन और अनेक बातों का निपेच करता है। नवसे पहले वह इन बातों का निपेच करता है कि व्यक्तियों वीं भौतिक समृद्धि, कल्याण एवं सुख राज्य के बायों का लक्ष्य है। फैसिज्म राजनीति में हर प्रकार के उपयोगिताप्राप्ति का निपेच करता है। राज्य सक्ता है और उसे अपनी उत्ता में बुद्धि करनी चाहिये। दूसरे, इस टॉपिकोग का परिणाम है इच्छा और युद्ध का गौरवगान। वह सैनिक युग्मों को प्रोत्साहन देता है और शिक्षा को सैनिक शिवरण के अधीन कर देता है। मुसोलिनी के अनुगार “फैसिज्म न तो स्थापी शान्ति की सम्भालना में विश्वास करता है और न उभी उपयोगिता में ही; युद्ध ही समस्त मानवीय शक्ति वो उच्चतम शिखर तक पहुँचाना है और जो युद्ध का यामना करने वा माहम रखते हैं, उन व्यक्तियों पर श्रेष्ठता की मुहर लगार देता है।” इसी प्रकार हिटलर ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया है : “मनानन् युद्ध में ही मानव जाति महान् हो सकती है और मनानन् शान्ति में उभा प्रियाश ही जायगा।” इस प्रकार युद्ध के गौरवगान का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पर क्या प्रमाण पढ़ेगा यह तो स्पष्ट है।

समाज का शासक नया शासित इन दो बगों में प्रियाजन, जिसका पिन्डुले पृष्ठों में विचार किया गया है, अपने महत्व के कारण फैसिज्म का तीसरा मुख्य सिद्धान्त है। ‘इच्छा वा बन’ श्रेष्ठ वर्ग का एक लक्षण है, जिसके कारण वह आम जनता से भिन्न होता है। जनता द्वामाविक रूप से उन लोगों का अनुचरण करती है।

रवयं मुसोलिनी ने राज्य के नैसिस्ट मिदान का प्रतिपादन इस प्रकार किया है : “फैसिज्म के लिये राज्य निरंकृश है और व्यक्ति तथा समुदाय सापेक्ष है। (फैसिस्ट राज्य रात का जीर्णदार नहीं है जो जनता की व्यक्तिगत रक्षा के लिये ही सालाहित हो और न राज्य का उद्घटन दग्धिये-दूक्षा दे, कि वह नज़रिकों द्वारा भीतिक कल्पणा तथा शान्तिमय जीवन की व्यवस्था के लिये अनुकूल परिस्थितियों पैदा

करे] इतना सा कार्य तो निर्देशकों का बोर्ड भी कर सकता है। न राज्य पूर्णतया राजनीतिक ही है, जिसका वास्तविक स्थितियों से कोई सम्बन्ध न हो अथवा जो राष्ट्र तथा नागरिकों के विविध कार्यों से पृथक् हो। कैसिजम की कल्पना के अनुगार राज्य राष्ट्र के राजनीतिक, न्यायिक तथा आर्थिक खड़ठन वी प्राप्ति के लिये एक आच्यात्मिक सत्ता है। वह ऐसा सद्गुण है जो अपनी उत्पत्ति तथा विकास में आत्मा की अभिव्यक्ति है। राज्य देश की आनंदिक तथा वास्तु सुरक्षा की गारण्टी देता है; मिन्तु वह जनता की आत्मा की भी रक्षा करता है जो युग-युग में उसी भाषा, उसके लोकाचार और उसके धर्म द्वारा विरुद्धित होती रही है। [राज्य केवल यत्तमान ही नहीं है, वह अतीत है और भविष्य भी है] व्यक्ति के अल्प जीवन का अतिकरण करके राज्य राष्ट्र के अन्तःकरण का प्रनिनिधित्व करता है। जिन रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है वे परिवर्तित होते रहते हैं परन्तु राज्य के लिये आवश्यकता बनी रहती है। राज्य नागरिकों को नागरिकता की शिक्षा देता है, वह उन्हें उनका उद्देश्य बतलाता है; उन्हें एकता के लिये प्रेरित करता है; उसका न्याय उनके विविध हितों में एकता स्थापित करता है; वह भावी सन्तान को छला, पिशान, कानून तथा मानव-संगठन के द्वेषों में जो मस्तिष्क ने सफलताएँ प्राप्त की है उन्हें विरासत के रूप में देता है; वह उन्हें एक क्लबोले के जीवन से मानव-शक्ति के उच्चतम रूप, साम्राज्य-शासन को पहुँचाता है। उसमें भावन के नैतिक तथा बौद्धिक जीवन की समस्त अभिव्यक्तियों का योग है। अतः राज्य का कार्य केवल इतना ही नहीं हो सकता कि वह नागरिकों में सुरक्षा तथा शान्ति कायम रखे। वह व्यक्ति के उस द्वेष का निर्देश करने के लिये जिसमें वह अपने कल्पित अधिकारों का प्रयोग कर सके कोइ यानिक विधि नहीं है। कैरिस्ट राज्य व्यवहार तथा अनुशासन का अन्तरात्मा द्वारा स्वीकृत किया हुआ आदर्श है; सम्पूर्ण शरीर का अनुशासन है। उसका इच्छा तथा बुद्धि दोनों में प्रवेश है। [कैसिजम एक ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जो सम्बन्ध गमाज के सदस्य के रूप में मनुष्य का, उसके व्यक्तित्व में गहरा समाजर, केन्द्रीय उद्देश्य घन जाता है] यह कर्मयोगी तथा विचारक के हृदय में तथा कलाकार और वैज्ञानिक की आत्मा में निवास करता है, वह उसी आत्मा करे भी आत्मा है।” (कैसिजम का सिद्धान्त)। ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके आलोक में यह कहा जा सकता है कि

[“प्रत्येक चीज राज्य के लिये है; राज्य के विद्ध कोई भी चोज नहीं है; राज्य के बाहर भी कुछ नहीं है।”]

फैसिज्म के आर्थिक सिद्धान्त—

फैसिज्म के आर्थिक सिद्धान्त उसके राजनीतिक निदान के ही अनुन्प है। वे आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का उसी प्रकार राष्ट्रदण्डन करते हैं जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का उसके राजनीतिक निदान खण्डन करते हैं। फैसिज्म व्यक्तिवाद के उतना ही विद्ध है जितना कि समाजवाद के। वह पूँजीवाद की समाजवादी आलोचना को स्वीकार करता है; परन्तु समाजवाद उनका जो समाधान बनाता है, उसे स्वीकार नहीं करता। [वह पूँजीवाद द्वारा मज़दूरों के निर्दय शोषण, उनके व्याप्ति वेतन, लग्बे घण्टों तक काम, पूँजीपतियों के ग्रात्यधिक मुनाफे आदि पूँजीवादी प्रणाली के परिणामों की निन्दा दरना है। वह समाजवाद की इस उक्ति को भी मानता है कि पूँजीवाद के गर्भ में उसके नाश के बीज हैं और यदि उसका नियन्त्रण नहीं रिया गया तो उससे मानव जाति तथा सम्बन्ध का नाश हो जायगा। परन्तु वह समाजवाद के इस समाधान को स्वीकार नहीं करता कि पूँजीवादी वर्ग का नाश कर दिया जाय। वह यह मानता है कि देश में उत्पादन के चरमोत्कर्ष के लिये इस वर्ग की आवश्यकता है] वह पूँजी के राष्ट्रीय-करण तथा स्थानोपर्करण को केवल सैद्धान्तिक मसनता है जिसका व्यवहार में प्रयोग सम्भव नहीं है। उसके विचार में वह मानव शक्ति के बाहर की बात है। फैसिज्म वर्गीकृत समाज की समाजवादी चोजना की नहीं मानता। उसकी इष्टि में सामाजिक अभिवृद्धि के लिये मज़दूर-वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग दोनों की आवश्यकता है। वह दोनों वर्गों की सहा करना और समाज के लक्ष्यों की पूर्ति में उनका भार्तन्तस्यपूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिये उनके बायों का नियमन करना चाहता है। इस प्रकार वह मज़दूर तथा उच्चोगपति वर्ग दोनों के अधिकारों की सहा के लिये उत्सुक है। [जूहाँ एक और वह मज़दूरों को भूगों भरते नहीं देख सकता और न पूँजीपतियों द्वारा निर्देशित गूर्धन उनका आर्थिक शोषण ही होने देना चाहता है, वहाँ दूसरी ओर वह मज़दूरों द्वारा पूँजीपतियों का भास्ता कर देने तथा उच्चोगों के मज़दूरों के हित में संचालन करने की जोति का भी विरोधी है] इन प्रकार फैसिज्म न तो उच्चोगपतियों को अपने हित में उच्चोगों पर आधिपत्य तथा नियन्त्रण करने देता है और न

उद्योगों को मज़दूर-सँझों (Trade Unions) के हाथों में ही जाने देता है। वह मज़दूरों तथा मालिकों दोनों को राज्य के नियन्त्रण एवं नियमन में रखता है। [फैसिज्म “राज्य का समाज के सामाजिक जीवन तथा आर्थिक जीवन के नियन्त्रण का अन्तिम अधिकार मानते हुए आर्थिक मामलों को जहाँ तक सम्बन्ध है व्यक्तिगत उद्योगपतियों के हाथों में ही रहने देना चाहता है]”*

राष्ट्र में उत्पादन-शक्ति को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने तथा आर्थिक स्वतन्त्रता की एक आवश्यक शर्त के रूप में व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में फैसिज्म व्यक्तिवाद (Individualism) से सहमत है परन्तु वह इस अधिकार को बिलकुल निर्विवाद नहीं मानता। फैसिज्म व्यक्तिवाद से इस बात में भिन्न है कि वह सब प्रकार की सम्पत्ति को एक प्रकार से सार्वजनिक निदेश (Trust) मानता है जो सदा राष्ट्रीय हितों की अधीनता में व्यक्ति के पास रहती है। इस प्रकार फैसिज्म वहे उद्योग-व्यवसायों पर नियन्त्रण करता है और समाजवाद के समीप आ जाता है। यह फैसिज्म का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। जैसा कि कपर कहा जा सकता है, फैसिज्म धनोपार्जन को मानवीय उद्योग का सबसा लक्ष्य नहीं मानता। वह अधिकतम राष्ट्रीय सम्पत्ति की अभिवृद्धि को एक स्थैत्य रामाजिक प्रणाली की अभिवृद्धि की, जिस पर लोक-कल्याण निर्भर है, अधीनता में रखता है।

यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि इटली में उद्योगों का नियन्त्रण निगमों द्वारा होता था। कानून द्वारा इडालों तथा मिलबन्दी (Lockouts) का नियेष था।

फैसिज्म का बुद्धिवाद-विरोध—

यहाँ यह उचित होगा कि फैसिज्म के बुद्धिवाद-विरोध अधिकारी-द्विकाद (Anti Intellectualism of Irrationalism) के सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डाला जाय जो फैसिज्म का एक मुख्य लक्षण है और उसके राज्य के सिद्धान्त की आदर्शवादी प्रतृति से ग्रस्तंगत है। इस अधिकारी-द्विकाद की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। सबसे प्रथम, इसका यह अर्थ है कि फैसिज्म का किसी निरपेक्ष सत्य वा कुछ निरपेक्ष सत्यों में विश्वास नहीं है जिनकी तर्क द्वारा खोजें की जा सके और जो दूसरों को बतलाये जा सकें। फैसिज्म के निश्चित सिद्धान्तों के अभाव का एक

* Cole : Review of Europe Today, p. 633.

कारण शासद बुद्धि में अधिकारी भी है। उसके विचार में जिसको राज्य गत्य रहे वही सत्य है। दूसरे, इस बुद्धिवाद-विरोध से वह प्रकट होता है कि कम से कम राजनीति में मनुष्य के विचारात्मक तथा विवेत्तमक पक्ष नीं अपेक्षा उसकी अन्तर्जात प्रवृत्ति तथा उसका अविवेत्ती पक्ष ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिये राजनीतिक उत्ता संस्थागत होने की अपेक्षा व्यक्तिगत होनी चाहिये। समस्त राजनीतिक प्रक्रिया बुद्धि की अपेक्षा माध्यना तथा इच्छा के द्वेष में होनी चाहिये। इस प्रकार पैगिजम इस प्रजानन्दीय विचार का खण्डन करता है कि शासन-सम्बन्धी युस्थाओं का विवेत्तपूर्ण यमाधान विचार-विमर्श तथा वहस के द्वारा गम्भय है। इस आधार पर वह शासन के गासद रूप पर आक्षेप करता है। यह पालमेट का कार्य नहीं है कि वह सभा-भवन में विचार, वहस तथा मनदान द्वारा साधारण इच्छा का निर्धारण तथा उसकी अभियक्षि करे और उस इच्छा को कार्यशालक विभाग पर लादे। वास्तव में पालमेट का कार्य तो राष्ट्रीय विचार के व्यक्तियों के भावों एवं विचारों की शासन के इस अङ्ग के सामने अभिव्यक्त करना है। राष्ट्र की इच्छा को प्रकट करने के माध्यम के रूप में पालमेट वृत्ता है। नींगरे, यदि राजनीतिक प्रक्रिया मनोभाव के द्वेष में ही होती है, तो नेता को चाहिये कि वह बुद्धिवरक तको द्वारा नहीं बरन् जनता के मनोभावों को स्पर्श बरनेवाले माध्यनों से काम ले। जहों तरु जनता से गम्भ घ है, राजनीति आनंदीलन के पांछे जो शक्ति होती है, वह उसकी बुद्धि से नहीं बरन् उसके जोश से प्राप्त होती है। इस कारण पैगिस्ट नेता को लोगों के ग्रामने सुझाव दरने, उन पर मोहन-न्यन का प्रयोग करने तथा प्रचार करने को बतायों में पारगत होना चाहिये। उसे विद्वान् तथा सेदान्तिक होने की अपेक्षा एवं व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक तथा एक श्रेष्ठ सद्गुणमत्ता होना चाहिये।

कैसिस्ट रीतियाँ—

कैसिस्ट अपने बुद्धिवाद विरोध और राज्य को एक उत्ता के रूप में बत्यना के कारण दमन तथा दबाव को राजनीय कार्य की मर्मांतम रीति गमकता है। चूँकि उसके विचार में जनता में बुद्धि बहुत कम होती है इसलिये वह यह सम्भव नहीं समक्षता कि बुद्धिवाद तथा नैतिक साधनों द्वारा कार्य हो सकेगा। पैगिजम बल-प्रयोग के द्वारा शासन करता है और इसके लिये वह आवश्यकतानुसार जानूरी तथा इर्गा प्रकार की

अन्य रातियों का प्रयोग करने में कभी नहीं हिचकता । यदि जनता शासन को प्रेम नहीं करती तो उसमें शासन के प्रति भग्न पैदा करना चाहिये । राजनीतिक नेता का सर्वोच्च कर्तव्य अपने पक्ष में लोक-समर्थन प्राप्त करना नहीं बरन् अपने प्रति सम्भान का भाय तथा जनता में आशापालन की भावना का पादुर्माय करना है और दस्के लिये वह सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता है ।

यह समझना वास्तव में एक भङ्गान् भूल होगी कि फैसिस्ट लोग अपने खेय वी पृति के लिये विशुद्ध आनकड़ाद और दमन का प्रयोग करते हैं । [शक्ति और दमन उनके अन्तिम अख्ल नहीं हैं और उनका प्रयोग तभी निया जाता है जब कि उनके दूसरे साधन विफल हो जाते हैं । साधारणतया वे एक बड़ी सीमा तक प्रचार (Propaganda) पर निर्भर रहते हैं] जिसे उन्होंने एक ललित कला का रूप दे दिया है । समस्त फैसिस्ट देशों में एक विनाइ-सचिवालय होता है जिसका मन्त्री बहुत ही कार्यपट व्यक्ति होता है [यही नहीं, वे बाल्यकाल से ही बालकों के मन पर फैसिजम् का प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं । फैसिस्ट शासन की समूर्ण शिक्षा-प्रणाली का नियोजन इस प्रकार से निया जाता है कि बाल्यावस्था से ही उनमें फैसिस्ट विचारों के संस्कार पड़ जायें और उनमें राष्ट्रीय राज्य के आदर्श एवं सिद्धान्तों के लिये उत्कृष्ट भावना उत्पन्न हो जाय] उसका खेय दुर्दि का विकास करना नहीं बरन् सबल शरोर तथा चरित्र का निर्माण करना है । यह बात उनके किसी वस्तुगत तथा नित्य सत्य के निषेध के अनुरूप ही है ।

फैसिजम् के कुछ अन्य लक्षण

(१) फैसिस्ट राष्ट्रीयता—

फैसिजम् अपनी प्रकृति में तीव्र रूप में राष्ट्रीय है । वह राष्ट्रीय राज्य को सर्वोच्च राजनीतिक उङ्गठन और प्रभुत्वसम्पन्न मानता है । वह राज्य के प्रति भक्ति के अतिरिक्त निर्णी अन्य प्रकार को भक्ति को स्वीकार नहीं करता, चाहे वह अपनी अन्तर्रात्मा के प्रति हो या कम्युनिस्ट इस्टर-नेशनल जैसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षा के प्रति । जर्मन या इटालियन, चाहे जिस देश में वह रहे, वह प्रथम और अन्तिम रूप में जर्मन राजक वा या इटालियन साम्राज्य का सदस्य है और उसके प्रति भक्ति रखता है । इस प्रकार को राष्ट्रीयता संकुचित है और वह अन्तर्राष्ट्रीयता की शब्द बन जाती है ।

(२) फैसिस्ट पार्टीमेंट—

फैसिस्ट शासन में प्रजानन्दीय शासन की भाँति राष्ट्रीय पालां-मेंट को शासन पर नियन्त्रण तथा नियमन का बोई अधिकार नहीं होता। उसके कार्य तो (१) शासन द्वारा जो निर्णय उसमें परामर्श किये जिन ही क्षिये गये हैं उन्हें स्वीकार कर लेना तथा (२) समय-गमन पर राजनीतिक नेता के वक्तव्यों तथा धोपणाग्रों के लिये मंच प्रदान करना है। पालांमेंट की बोई वास्तविक गत्ता नहीं है और वह फैसिस्ट मर्गीन के एक आधारण में अर्थात् अङ्ग भाग से अधिक कुछ नहीं है। यह ऐसी नभा नहीं है जहाँ राष्ट्रीय नीतियों पर विचार किया जाता है तथा निर्णय किये जाते हैं। वह राष्ट्र की आत्मका का निर्माण तथा उनमें अभिन्नता का मालम नहीं है। उसके निर्माण के प्रश्न पर विचार करना हमारे लिये आवश्यक नहीं है परन्तु इनना तो वहा जा सकता है उसमें ऐसा कोई अक्षिय नहीं हो सकता जो फैसिस्ट पार्टी को स्वीकार न हो।

(३) फैसिस्ट पार्टी—

फैसिस्ट ऐसे किसी भी राजनीतिक दल या दलों के अनिन्तन को स्वीकार नहीं करता विस्तरे मिद्दान तथा कार्य-क्रम उसके विवर हों। इसली में राज-सचा ग्राम करने के बाद जो पहला कार्य मुसोलिनी ने किया वह या समस्त विरोध का था। इस प्रभार वहाँ फैसिस्ट पार्टी हीं अकेली राजनीतिक पार्टी रह गई जिसने समस्त राष्ट्रीय जीवन पर ऐसा आविष्ट द्याविन किया जिसका प्रजानन्दीय राज्य में बोई उदाहरण नहीं मिलता। यह फैसिस्ट राज्य की केन्द्रीय संस्था होती है; एक ग्राम में शासन तथा फैसिस्ट पार्टी एक ही वस्तु होती है। पार्टी के सदस्य तथा कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार के माध्यमिक विचार करना अभिप्रैन नहीं है।

(४) फैसिस्ट मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को नहीं भानता और न वह उत्तोगलनियों द्वारा भिन्नता को ही स्वीकार दरना है। राष्ट्रीय उत्तरादेश को अधिकार दरने के लिये वह इन दोनों में गहयोग द्याविन करने का प्रयत्न करता है। इस देश की प्राचीन का प्रयत्न निगमों द्वारा किया जाता है। उत्तोगलनियों तथा मजदूरों के धोन जो विकार होते हैं, वे पंचायती निर्णय के लिये एक न्यायालय को खोन दिये जाते हैं।

(५) फैसिस्ट अधिनायकत्व—

यद्यपि फैसिस्ट व फैसिस्ट अधिनायकत्व एक ही वस्तु नहीं है तो

भी व्यवहार में फैसिस्ट शासन अधिनायकीय होता है। इटली में मुसो-लिनी की इच्छा सर्वोपरि थी और उसकी सत्ता पर कोई सन्देह नहीं कर सकता था। जर्मनी में राज्य की समस्त सत्ता हिटलर के हाथों में वेन्ड्रित थी। फैसिस्ट राज्य सर्वसत्तापादी होता है और एक मर्य-सत्तावादी राज्य अधिनायकीय होता है। फैसिजम तथा नासीयाद को इटली तथा जर्मनी में जो सफलता मिली थी वह अधिनायकीय शासन का ही परिणाम था।

फैसिजम की सफलता और उसका भविष्य—

फैसिजम ने इटली के लिये तथा नासीयाद ने जर्मनी के लिये बहुत बुद्धि किया। उसने इटली को यह नोज़ दी जिसकी उसे बड़ी आवश्यकता थी—निपुण शासन-प्रबन्ध, आन्तरिक शान्ति एवं सुरक्षा, राष्ट्रीय राजस्व में सुधार, अधिकृतम औद्योगिक उत्पादन तथा देश के प्राकृतिक साधनों का संरक्षण उपयोग, मजदूरों एवं गालिकों के बीच रामजस्यपूर्ण सम्बन्ध, यातायात के अन्तर्गत साधन, अन्तर्राजपत्र, पुल तथा नालियाँ, विदेशों में सम्मान एवं गौरव, “संक्षेप में, इटालियन राष्ट्र के भाग्य में गौरव को अनुभूति”। उसने मरणाराज राष्ट्र को जीवन-दान दिया है। उसने जनता में एक नवीन उत्त्याह तथा एक नवीन एकता को जागृत किया है। इन वार्ताओं से फैसिजम का एक ऐसे अधिनायक के शासन के रूप में गौरव-गान किया जाता था जिसमें कार्य-सम्बद्धन कराने की ज़मता थी। फैसिजम ने अपनी वार्ता करने की शक्ति में निस्सन्देह रांसद प्रजातन्त्र की अपेक्षा अधिकता स्थापित कर ली थी। इटली में मुखोलिनो और जर्मनों में हिटलर को जो सफलता मिली थी उसके लिये उन्हें अवश्य धेय देना चाहिये। उनके ऐसे उदाहरण इतिहास में नहीं मिलते।

मिन्तु इस चित्र का एक दूरारा पहलू भी है। फैसिजम के आलोचक गमान में बल तथा दमन को प्रतिष्ठा के दोषों को और संपेत करते हैं। यह मानना पड़ेगा कि राजनीतिक कार्य में फैसिजम बल की सबसे बड़ा साधन मानता है मिन्तु ऐसल बल-प्रयोग से अच्छे दृष्टायी परिणाम प्राप्त नहीं होते। एक इटालियन विद्वान् को उक्ति है कि ‘बल ने जिसका निर्माण किया है, उसका उसने नाश भी किया है।’ यह सत्य है। मुखोलिनो और हिटलर ने बल के आधार पर जो ढाँचा तैयार किया था,

उनके बाद नहीं रहा। कुछ विद्वानों की राय है कि फैसिस्ट राज्य एक इंग के समान था जिसका निर्माण तेज़ गति तथा आक्रमण के लिये किया

मग्या था, स्थायित्व के लिये नहीं। बल तथा भय के आधार पर समाज अधिक समय तक संगठित नहीं रह सकता। केवल स्थाय और सदाचारु हीं राज्य के स्थायी आधार हैं। बल राज्य का स्थायी आधार तभी बन सकता है जब ति मनुष्य जाति के विचारों तथा भावनाओं में ऐसा स्थायी परिवर्तन हो जाय कि वे स्वशासन के स्थान पर निरंकुश राज्य को पगन्द बरने लगें। मिल्ने वह मानने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि इस प्रमार का परिवर्तन जनता की मनोवृत्ति में हो गया है या हो रहा है।

बल तथा उससे उत्पन्न भय उस धातररण की नष्ट कर देते हैं जिसमें कला और विज्ञान, सम्यता और संस्कृति की अभिषृद्धि होती है। कोसर ने कहा है कि 'अधिनायकतन्त्र एक संगठित दण्ड एवं के समीन है जिसमें प्रत्येक निमार्शी को एक कार्य मौप दिया जाता है और उसकी गतिविधि पर बड़ा सरहदता से दृष्टि रखने जाता है। यह व्यवस्था समाज के अपराधों तथा दोषों व्यक्तियों के लिये तो ठीक है परन्तु गामान्य व्यक्तियों के लिये, विशेषकर उच्च व्यक्तियों के लिये, वह ठीक नहीं है। राष्ट्र के सार्वजनिक एवं सारहनिक जीवन का केन्द्रभूत नथा दस्तावरी निर्देशन ज्ञान विज्ञान, गाहित्य एवं कला के विषय की सम्भावना के लिये घानन है।'

यह भी दाया रिया जा सकता है कि जिन लोगों ने सनन्दना के फल का न्याद लिया है वे इस प्रकार का गज्जानानिक दासना में रहना पसन्द नहीं परेंगे। यह मरण खेला चाहिये कि अधिनायकतन्त्र ऐसो जनता में हा पनथ मरो है जिसमें सामाद शासनपद्धति ने जड़ नहीं परखी थी। ऐसा विश्वास रखना कि अधिनायकतन्त्र प्रजानन्द के मुकाबले में जीवित रह सकेगा इस धार से इन्कार रखना है कि हम सभ्यता में उत्तरि रह हैं जिस उत्तरि का स्पष्ट ग्रथ है भानिक बल के स्थान पर तक्षु-युद्ध एवं अनुनय का प्रयोग। अधिनायकतन्त्र में कुछ ऐसे दोष भी हैं जो उसे अधिक दिन जावित नहीं रहने देंगे। एक दोष तो हर तर्फ से पैदा होता है कि निरसा यत्ता उसका प्रयोग करने जाए व्यक्ति का विरोध देती है और वर्तव्यस्थान कर देती है। अधिनायक इस मिद्दान्त के अपमाद नहीं है; उभय की गति के माध्य उसका भी पतन हो जायगा। एक दूसरी तमस्या जिसका इस प्रणाली को सामना बरना पड़ता है यह है कि एक अधिनायक की सूखे के चाह उसका उत्तरविकासी कैैत दोगा।

* Coker : Recent Political Thought, p. 490.

इटली में दूसरा कोई मुसोलिनी नहीं हो सकता और न जर्मनी में दूसरा हिटलर। अधिनायक एक निर्भूल वृक्ष है। उसकी सापेक्ष शक्ति के सम्बन्ध में निर्णय देने से पूर्य हमें उस स्थिति की कल्पना करनी चाहिये जो उसकी मृत्यु के बाद उपस्थित होगी। अन्त में, यह प्रणाली स्वतन्त्रता का विनाश कर देती है। इस प्रकार की स्थिति सब प्रकार की प्रगति के प्रतिकूल है। जनता उसके अत्याचारी शासन को उसी समय तक सहन करेगी जब तक कि उसका समर्थन करने वाला मनोभाव कायम रहेगा। यह कहना कठिन है कि उस मनोभाव के नष्ट हो जाने पर क्या स्थिति होगी। अधिनायक द्वारा अपने देश के नागरिकों को एक नमूने में ढालने का प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकता। ऐसा करने का अर्थ होगा व्यक्तियों को पशु बना देना।

अतः हम कह सकते हैं कि कहीं-कहीं बुद्धि परिस्थितियों में फैसिज्म उपयोग सिद्ध हो सकता है परन्तु इस बात में सन्देह है कि वह अधिक समय तक सभी लोगों के लिये एक सामान्य शासन-प्रणाली बन सकता है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आत्म-आनुशासन तथा मानवीय एकता के आदर्श का, जिसका प्रजातन्त्रोय देश आदर करते हैं, बहुत बड़ा मूल्य समझता है। इस प्रकार फैसिज्म संकट कल के लिये एक अच्छी ग्रस्थायी व्यवस्था भले ही हो परन्तु सामान्य लोगों के लिये यह सामान्य राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन सकता।

फैसिज्म के विनाश के बाद जो बुद्धि इटली में हुआ है उससे इस मत की सुष्टि होती है कि अधिनायकीय शासन चैयकिक विकास के अनु-बूल नहीं होता। मुमोलिनी के शासन के पनां के बाद इटली में जनता की रचनात्मक शक्ति आख्यर बनकर रीति से फूट निकली है। इटली के शिल्पियों, चित्रकारों, लेखकों आदि ने युद्ध के बाद योरोप को अपनी कलाओं के चमत्कार-दियाये हैं। सिनेमा के एक निर्देशक ने कहा था, “यह कोई आदर्शिक बात नहीं है कि हम सुन्दर चल-चित्र बनाते हैं। फैसिज्म के अधीन रहना तो शून्य में रहने के समान था। अब हम मुक्त हो गये हैं और हमारे लोग प्रगति कर रहे हैं।”

अध्याय १०

साम्यवाद

पिछले अध्याय में हमने कैसिनम का वर्णन किया है जो अधिनायकत्वन्दि
का समर्थक है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद योरोप में इटली वे पैमिस्ट
अधिनायकत्व के अतिरिक्त रूप में भी एक अधिनायकत्व की स्थापना
हुई जिसका आधार साम्यवाद है। साम्यवाद समाजवाद नहीं है एवं इस
है। समाजवाद का रूपरेता का वर्णन करते समय हमने बतलाया था
कि समाजवादी वै प्रकार के हैं और पूँजीवाद की आलोचना तथा
पूँजीवादी व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर एक नवीन सहस्रार्थी
व्यवस्था स्थापित करने के टहेश्य में, जिसमें न व्यक्तिगत पूँजी और न
स्वतन्त्र प्रतिषेधिता के लिये ही कोई स्थान होगा, सभी समाजवादी सहमत
हैं, इन्तु नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के ढङ्ग तथा नवीन व्यवस्था के
रूप के विषय में उनमें तीन मतभेद हैं। याम देत चुके हैं कि समाजवादी
समाजवादी गाराद प्रथाली के पक्षपानी है परन्तु अन्य समाजवादी इसने
विरोधी है। दूसरे अध्ययन में हम साम्यवाद का वर्णन करेंगे। समाजवाद
के एक रूप नहीं हण्डि से तो इसका अध्ययन प्राप्तशब्द है ही, इसने जो
विशिष्ट सर्वसत्तामादा रूप रूप में घारण किया है उसके घारण इसका
अध्ययन थाँग भी महत्वपूर्ण तथा यावद्यन है। इससे सभी तर्जनतामाद
तथा इटली के सर्वसत्तामाद का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो
सकेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने चाहिये है। रुग्नी सर्वसत्तामाद को
साम्यवाद करने का अपेक्षा 'सोवियतवाद' (Sovietism) कहना अधिक
उपयुक्त होगा।

‘नाम्यवाद’ पैसिनम के समान प्राथमिक रूप में सामाजिक एवं
राजनीतिक संघठन का रूप लहौद है; वह एक फृष्ट का यामाजिक दर्शन
है, जो सोवियतवाद का आधार है और जिससे उसे एक कार्यक्रम प्राप्त

होता है। कॉर्ल मार्क्स ने अपने समाजवादी दर्शन तथा सामाजिक कानूनि के कार्यक्रम के लिये साम्यवाद नाम रखा था। इस में नये राज्य का सङ्गठन करते समय लेनिन ने इस नाम को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार साम्यवाद सोवियतवाद के पांछे काम करनेवालों सामाजिक तथा राजनीतिक विचारणाएँ हैं। सावारण वार्तालाप में हम जिस प्रकार फैसिस्ट इटली या प्रजातन्त्रीय इन्हैंगढ़ की बात करते हैं, उसी प्रकार साम्यवादी रूस की भी बात करते हैं। यदि सोवियतवाद तथा साम्यवाद के पारस्परिक सम्बन्ध का व्यान रखा जाय तो ऐसा कहने में कोई हानि नहीं होगी।

मर्सी साम्यवाद का सैद्धान्तिक आधार लेनिन के ग्रन्थों तथा साम्यवादी पार्टी के अन्य नेताओं की पुस्तकों में है जो कॉर्ल मार्क्स को अपना आचार्य मानते हैं और 'साम्यवादी घोषणा' (Communist Manifesto) तथा 'पूँजी' (Capital) नामक ग्रन्थों को पवित्र ग्रन्थ मानते हैं। ये यह मानते हैं कि जिस रूसी राज्य-कानून ने रूस में जातशाही का अन्त और उसके स्थान पर साम्यवादियों द्वारा शासन की प्रतिष्ठा की वह उक्त घोषणापत्र ने उल्लिखित आदर्श की सिद्धि करने का प्रयत्न है। अतः यह आवश्यक है कि यहाँ मार्क्स के सामाजिक दर्शन का सूक्ष्म विवेचन किया जाय।

कॉर्ल मार्क्स का सामाजिक दर्शन

इतिहास की आर्थिक व्याख्या—

मार्क्स जर्मनी के महान् दार्शनिक हेगल का शिष्य था और उसने हेगल के इस मिदान्त का खबर प्रचार किया कि "इतिहास राजनीतिक निश्चल-वस्तु-विज्ञान (Statics) का एक अंश नहीं है; वरन् राजनीतिक गति-विज्ञान का अंश है, जिसमें मंघर्ष को ग्रकिया द्वारा साम्यावस्था (Equilibrium) की स्थापना होती है।" मार्क्स हेगल के इस विचार से उहमग था कि इतिहास एक तार्किक एवं क्रमबद्ध विज्ञान है, परन्तु उससे उसका इस दान में मतभेद था कि इतिहास की यह दून्दून्मुक गति किसी आध्यात्मिक मिदान के कारण नहीं वरन् जीवन की भौतिक गतस्थानों का परिणाम है। इस प्रकार मार्क्स ने अपने प्रमिद "इतिहास की आर्थिक अथवा भौतिकवादी व्याख्या" के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस मिदान के अनुगार सामाजिक तथा राजनीतिक क्रान्तियों जीवन की भौतिक अवस्थाओं के कारण अर्थात् उत्पादन तथा वितरण के तरीकों में परिवर्तन होने के कारण होती हु सत्य तथा न्याय के अमूर्त विचारों

या भगवान को इच्छा के कारण नहीं। उनके कारण उनके युग में ग्राथिक व्यवस्था में पाये जा सकते हैं, उसके दर्शन में नहीं। राजनीतिक संस्थाएँ, राजनून, धर्म, दर्शन, मनुष्यों का समाज के विविध बगों में स्थान, इन सभी का निर्णय मुख्यरूप सिए ही समय समाज में प्रचलित उत्पादन तथा वितरण की प्रणाली द्वारा होता है। जब इस प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है तो उसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाते हैं। यामनी समाज की समस्त संस्थाएँ उनकी विशिष्ट लोकिक (Secular) एवं ग्राथिक अवस्थाओं के अनुरूप बनाई गई थीं। जब यामनत्वाद का पन्न हो गया और उसके स्थान पर राधोय राज्य को स्थापना हुई जिससे धार्मिक को प्रोत्साहन मिला तो नवीन ग्राथिक सिद्धान्त, गदाचार के नये शादशों तथा नये कानूनों का निर्माण हुआ। राधोय राज्य का नवीन भावना में मी आगे चलकर परिवर्तन हो गया क्योंकि अब उन्होंने की अपेक्षा राजस्व पर धार्मिक ध्वनि दिया जाने लगा। क्रौंसमैन ने इस सिद्धान्त का गतेपि में इस प्रकार वर्णन किया है—
 ‘चरां, हल, मुद्रा, वाररणना-पद्धति आदि में से प्रत्येक ने अपने आविकार द्वारा दोषवाल से प्रतिष्ठित लोकाचारों, नैति, धार्मिक तथा राजनीतिक पद्धतियों को अद्व-व्यस्त कर दिया। सुद विज्ञान, यानावात तथा उन्देशवाहन, कृषि, उत्तोग और राजस्व के गिकाग ने भी इनारा जीवन-प्रणाली तथा विचार प्रणाली में परिवर्तन कर दिया है। उपादन तथा वितरण की रीतियों में जो परिवर्तन हुए हैं वे इतिहास के दृष्ट में प्रधान घटक हैं। व्यवस्थापिक-समाजों के सदस्यों ने सिद्धान्त तभी नरेशों की तरहें भी इन परिवर्तनों को मति दे भर्ती थीं कि उन्ह गियिल कर भर्ती थीं परन्तु वे उम्म ग्राथिक शक्तियों के समने गोल थीं जिनका इस प्रक्रिया पर नियन्त्रण था।’^{*}

‘सामाजिक संस्थाओं के प्रति हमारे विचारों तथा हमारी मनोवृत्तियों में परिवर्तन हमारे भीतिक वातावरण की वातवरण आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होता है; अमृत विचारों द्वारा नहीं। यह बात कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो सकती है। यह कहा जाता है कि इन्हें इन्हें म जिस कारण महिलाओं को राजनीतिक स्वतन्त्रता तभा मताधिकार प्राप्त हुआ, वह उनकी माँग के आवित्य अथवा उनहोंने माँग की न्यायता के कारण नहीं, (क्योंकि) मिल जैसे प्रभावशाली लेखनों ने उसकी न्यायता पर बहुत

* Government and Governed p. 212.

पहले भड़ा जोर दिया था) वरन् उनके एक बड़ी संख्या में औद्योगिक जीवन में प्रवेश हो जाने के कारण भिला था । इसी प्रकार इंग्लैण्ड में धार्मिक तहिन्दुता को जो मान्यता दी गई वह उसकी नैतिक तथा घौंदिक उपयुक्तता के तर्क के कारण नहीं थी । वास्तविक कारण तो यह था कि उस समय यह बात समझ में आ गई थी कि धार्मिक अस्याचारों के रहते वाणिज्य-व्यापार में उच्चति नहीं हो सकती । इसी प्रकार यह कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दासत्व का अन्त मानववादी भावना की विजय के कारण नहीं, आर्थिक कारणों से हुआ था । अपने ही युग तथा दश के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि समय-समय पर ब्रिटिश सरकार ने जो शाखन-सुधार किये वे भारतीयों को वास्तव में स्वराज्य पथ पर अग्रसर करने के लिये नहीं वरन् इसलिये किये गये थे कि सन्तुष्ट भारत ब्रिटेन का तैयार माल अधिक भरीदेगा ।

‘यदि इस सिद्धान्त का यह अर्थ निकाला जाय कि आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण है, तो यह अखण्डनीय है । यह वास्तव में सत्य है कि देश में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था एक बड़ी सीभातक उसको सामाजिक, कानूनी एवं राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव डालती है । जलवायु का प्रभाव, यिही, देश की भौगोलिक अवस्था आदि का प्रभाव किसी भी देश की राजनीतिक अवस्था पर पड़ता है । इस बात पर अरलू के रामय रो आजपर्यन्त राजनीतिक लेखक लिखते आ रहे हैं । अब यह मानना बड़ी अशादती होगी कि परिवर्तन केवल इन बातों के कारण ही होते हैं और कानून, सदाचार, धर्म आदि जो समाज के सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी संस्थाओं का निर्माण करते हैं वे समाज के आधार-भूत आर्थिक ढाँचे के ही प्रतिफल हैं । मानवीय कार्य इतने सरल नहीं हैं कि उनकी व्याख्या किसी एक प्रयोजन द्वारा ही की जा सके । उन पर मानवों के अच्छेन्नुरे विचारों, मनोविकारों तथा सामाजिक वासावरण का भी प्रभाव पड़ता है । जैसा कि रसल ने कहा है, ‘हमारे राजनीतिक जीवन की बड़ी घटनाएँ भौतिक अवस्थाओं तथा मानवीय मनोभावों के घात-प्रतिपाद द्वारा निर्धारित होती हैं ।’ राज-प्रासादों में होने वाले पड़यन्त्र-प्रपञ्च, वक्तिगंग रोग-द्वेष तथा धार्मिक विरोध ने अतीत काल में इतिहास के कम में बड़े-बड़े परिवर्तन किये हैं । इतिहास के निर्माण में अन्तर्मिक वारणों को भी उचित स्थान देना चाहिये । इस स्वोकृति का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ‘इतिहास की’ भौतिकवादी व्याख्या सर्वथा झलत है ।

आधारश्यतया वह मही है परन्तु उसे आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। मार्ग के ग्रामाजिक दर्शन की यह प्रथम आवश्यक प्रतिज्ञा है।

✓(२) वर्ग-चुद्ध—अपने इन विद्वान्त के साथ तो ग्रामाजिक विज्ञान आधिक परिस्थितियों के कारण होता है, मार्ग ने वर्ग-चुद्ध (Class Struggle) का विद्वान्त भी प्रस्तुत किया। ग्रामाजिक दर्शन में इनसा महत्व रितना है वह इसी से जाना जा सकता है तो उनकी राय में वर्ग-चुद्ध का इनिहाए ही मानन-जानि का इतिहास है। मार्ग की दृष्टि में ग्रामाजिक परिवर्तन की गमन प्रक्रिया ही चुद्ध में होती है। समाज की एक आवश्या ने दूसरी आवश्या की ओर प्रगति उत्पादन-प्रणाली के आधार पर नंगटिन उमाज के दो मुख्य वर्गों के बीच सत्ता के लिये संघर्ष द्वारा हुई है। इनमें से एक वर्ग योड़े से विरोपाजिकारयुक्त व्यक्तियों का वर्ग रहा है जियके हाथ में उत्पादन के ग्रामों का स्वाम्य रहा है। दूसरा वर्ग उन बहुयुक्त अमज्जीवियों का रहा है जो अपने अम से कच्चे माल का (जो प्रथम वर्ग की सम्पत्ति होती है) तैयार माल में परिणत करते हैं। इन दोनों वर्गों के हित भूदेव एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। पहला वर्ग-पूँजीपति वर्ग-अपने लाभ के लिये दूसरे वर्ग-मज़दूरों-का योग्य करता है। मज़दूर उस सम्पत्ति के बड़े अंश में वंचित कर दिये जाते हैं जिसका उत्पादन करने में वे सहायता करते हैं और उन्हें योग्य होकर केवल जीवित रहने योग्य मज़दूरी पर ही रहना पड़ता है। उत्पादन के ग्रामों के द्वारा उमाज के केवल आधिक जीवन का ही नियन्त्रण नहीं करने वरन् ग्रामाजिक, कानूनी और धार्मिक मुस्खलयों को भी अपने स्वायों की पूर्ति के उपयुक्त बनाते हैं। ये जिग व्यवस्था को जीवित रखते हैं, उनमें वे ही मवांविक लाभ उठाते हैं। अमज्जीवियों के वर्ग पर उस ग्रामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का बड़ा हानिरुद्ध प्रभाव पड़ता है और वह उसे बदलने का प्रयत्न करता है। इन दोनों वर्गों के बीच में सत्ता के लिये जो चुद्ध होता है उसके द्वारा ग्रामाजिक परिवर्तन होता है। भूमि के स्वामी ग्रामनी गुरदारों सथा मज्जन वर्ग में, जिसका ग्रामनी ग्रामाज में ही पोषण हुआ था, होने वाले चुद्ध ने ही ग्रामन्याद का अन्त कर दिया। पूँजीपति-वर्ग और क्रान्ति मायदा ने अनुप्रेरित उर्वरक्षा वर्ग (Proletariat) के बीच होने वाला चुद्ध जिसका अस्तित्व घरेमान् औरोगिक व्यवस्था द्वारा हुआ है पूँजीपाद के दोषों को निबंध

करके अन्त में नष्ट कर देगा। “साम्यवादी घोपणा-पत्र” में मार्स्स और एंगेल्स ने इस वर्गयुद्ध के सिद्धान्त का वर्तमान् समाज के समस्त नियमों को समझने की कुँड़ी के रूप में प्रयोग किया है। इस घोपणा-पत्र में पूँजीपति वर्ग (Bourgeoisie) तथा सर्वहारा वर्ग (Proletariat) के बीच १६वीं सदी के संघर्ष का सबोंतम वर्णन है। उसमें केवल इस संघर्ष का ही वर्णन नहीं है बरन् कान्तिकारों सर्वहारा वर्ग के लिये एक कार्य क्रम की स्परेखा भी प्रस्तुत की गई है और उन्हें पूँजीवादी वर्ग पर अन्तिम विजय का भी आश्वासन दिया गया है। इस संघर्ष की मोटी स्परेखा का, जिसका इस घोपणा-पत्र में वर्णन है, वही उल्लेख किया जायगा।

इस घोपणा-पत्र में यह घोपणा की गई है कि वर्तमान् युग में वर्ग-विरोध बहुत ही सरल हो गया है। हमारा समाज दो विश्वल विरोधी वर्गों में विभक्त होना जा रहा है—पूँजीवादी वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग। दोनों वर्ग विकास की विविध अवस्थाओं में से गुज़रते हैं। पूँजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का विकास तथा बाज़ारों का विस्तार किये बिना जीवित नहीं रह सकता। पूँजीपतियों के डङ्ग के ढङ्ग का एक दूसरा लक्षण उसकी केन्द्रीयकरण को प्रहृति है। ज्यों-ज्यों व्यवसाय अधिकाधिक बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाती है जो कारोबार में काफ़ी पूँजी लगा सकें। इस प्रकार बड़े पूँजीपति छोटे पूँजीपतियों को बाहर निकाल लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूँजी पोड़े से बड़े पूँजीपतियों के हाथों में एकत्रित हो जाती है और कारोबार एकाधिपत्य का रूप धारण कर लेते हैं। बाजार संसारव्यापी हो जाते हैं और प्रत्येक देश में उत्पादन तथा उपमोग अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है।

पूँजीवादी उत्पादन स्वयं ऐसी स्थितियों उत्पन्न करता है जिनमें उसके विनाश के बाज होते हैं। पूँजीवाद के गर्भ में उसके विनाश के बोज रहते हैं। उत्पादन के डङ्ग में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण आगे चलकर उत्पादन में लगे हुए विविध वर्तों के गुम्बन्धों में परिवर्तन अवश्यक हो जाता है। उससे कभी-कभी अत्यधिक उत्पादन भी होता है, जो आत्मिक भमाज का एक विशिष्ट लक्षण है। अत्यधिक उत्पादन की बुराइयों जनता की उपमोग-शक्ति के उत्तरोत्तर होते जाने से, जो पूँजीपतियों द्वारा अभिकों के शोपण का अनिवार्य परिणाम होता है, बढ़ती जाती है। पूँजीवादी घर्म के लिये सबसे गम्भीर चंकट सर्वहारा वर्ग

की ओर से पैदा होता है, जिसका जन्म पूँजीधार्द के विकास से होता है और जिसका विकास भी उसके साथ-साथ होता चलता है। सर्वहारा वर्ग समाज में अपनी निम्न और अधीन स्थिति से सनुष्ट नहीं रह सकता और वह लड़कर अपनी स्थिति को कँचा उठाने का प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम उंधर्प व्यक्तिगत पूँजीपतियों तथा व्यक्तिगत मज़दूरों के बीच होता है। परन्तु शोध ही यह संघर्ष दोनों वर्गों के संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। मज़दूर अपना सगढ़न समुदायों के रूप में करने लगते हैं, जिन्हें मज़दूर संघ (Trade Unions) कहते हैं और जिनका उद्देश्य मज़दूरों के हितों की रक्षा तथा मज़दूरों की अवस्थाओं में सुधार करने के लिये उद्योग-पतियों को मज़बूर करना होता है। यातायात तथा संचार के साधनों में उपलब्धि होने के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में काम करनेवाले मज़दूरों का सम्पर्क सरल हो जाता है और उनके राष्ट्रीय संगठन बन जाते हैं। इस प्रकार अमज़ोधी-वर्ग में घर्गीय चेतना का विकास होता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग की शक्ति में वृद्धि होने के कारण पूँजीवादी वर्ग के विरुद्ध संघर्ष कहउत्तर होता जाता है और अन्त में वह कान्ति का रूप धारण कर लेता है जो पहले राष्ट्रीय होती है और धार्द में अन्तर्राष्ट्रीय बन जाती है। 'धोपणा-पत्र' में इस कान्ति के परिणामों के सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी को गई है। उसमें कहा गया है कि अन्त में पूँजीपतियों का विनाश हो जायगा और सर्वहारा वर्ग अपनी अस्थायी अधिनायकशाही स्थापित कर लेना। सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही का सुख कार्य पूँजीपतियों की उत्पादन के साधनों से अंचित कर देना और इस प्रकार बलपूर्वक उन्हें सम्पत्तिविहीन कर देना होगा। उत्पादन के समस्त यापन राज्य के नियन्त्रण में आ जायेंगे, जो केवल एक वर्ग अर्थात् मज़दूर वर्ग का होगा। यह कहना अधिक सत्य देगा कि सर्वहारा कान्ति के बाद जिस समाव वर्ग की स्थापना होगी वह वर्गरहित समाज होगा। उस समय समस्त वर्गीय संघर्ष वा अन्त हो जायगा और उसके साथ ही इस दमनकारी राज्य का भी अन्त हो जायगा जिसका हमें अनुभव है।

‘साम्यवादी धोपणा-पत्र’ में समाज के भावी रूप के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन नहीं है बरन् इतना ही कहा गया है कि समाज में कोई भेदभाव नहीं होगे और न कोई ऐन्द्रीय दमनकारी उत्ता ही रहेगी। उसमें वस्तुओं का उत्पादन उपभोग के लिये रिया जायगा; मुनाफे के गाय विक्षी के लिये नहीं। दूसरे शब्दों में, उसमें सर्वाधिक सामर्जित उपयोगिता की यस्तुओं

के उत्पादन पर जोर दिया गया है। शोपणा-पत्र में भावी राज्य के विषय में इस प्रकार उल्लेख किया गया है : 'जब विकास-क्रम में वर्गीय भेद-भाव मिट जायेंगे और समस्त उत्पादन समस्त राष्ट्र को विशाल संस्था के हाथों में केन्द्रित हो जायगा, तो लोक-सत्ता राजनीतिक नहीं रहेगी। राज-सत्ता (Political Power) एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार करने की संगठित सत्ता का नाम ही है। यदि सर्वहारा वर्ग पूँजीपतियों के विश्व उंधर्घ के समय में परिस्थितियों-वश अपने वर्ग का संगठन करने के लिये मजबूर होता है और यदि क्रान्ति के साधन द्वारा वह शासक-वर्ग बन जाता है और पुरातन उत्पादन-व्यवस्था का बलपूर्वक अन्त कर देता है, तो इस प्रकार वह इन आवस्थाओं के साथ ही वर्ग-विरोध के अस्तित्व के लिये आवश्यक आवस्थाओं का तथा सामान्यतया वर्गों का ही विनाश कर देगा और सबसे इस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। पुराने पूँजीवादी समाज के स्थान पर (जिसमें वर्ग-भेद तथा वर्ग-विद्वेष मौजूद होते) हम एक ऐसी सत्ता स्थापित करेंगे जिसमें सबके स्वतन्त्र विकास का आधार प्रत्येक का स्वतन्त्र विकास होगा।'

वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त का मूल्यांकन—

साधारणतया यह सिद्धान्त इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धान्त को भौति सत्य है। इतिहास में शायद ही ऐसे कोई उदाहरण मिलते हों कि समाज के शोषित वर्ग को और से संघर्ष हुए विना हो शासक-वर्ग ने अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया हो। जो कुछ भी अधिकार शोषित वर्ग ने ग्रात किये हैं वे कठिन संघर्ष के हो फलस्वरूप विन्ये हैं। इस कारण हम इस सिद्धान्त की आलोचना उसकी साधारण रूपरेखा की जगह संघर्ष को विभिन्न मंजिलों पर, जिनका उसमें वर्णन है और जो भविष्यवाहियों उल्लेख की गई है, उनके आधार पर करेंगे।

मार्क्स तथा ऐंगेल्स ने यह भविष्यवाहणी की भी कि पूँजीवादी उत्पादन की विधि से धीरे-धीरे व्यवसायों का रूप विशाल हो जायगा और अन्तर्राष्ट्रीय द्रुट तथा कार्टेल (Cartel) बन जायेंगे तथा इस गतार पूँजी उत्तरोत्तर थोड़े से व्यक्तियों के पास संचित होती जायगी। इस सिद्धान्त के विरोधी लोगों का कहना है कि यद्यपि इस भविष्यवाहणी का प्रयम भाग तो 'सिद्ध हो' तुकां है क्योंकि 'आजकल बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय एवं व्यापारिक संगठन बहुत गये हैं तथा पूँजी थोड़े व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित नहीं हो रही है। बड़े पूँजीपतियों के सार्थ-सार्थ क्लॉटे

पूँजीपति भी बने हुए हैं। मध्यम वर्ग का अन्त नहीं हो रहा है और सर्वहारा वर्ग में इस मध्यम वर्ग के लोगों के शामिल होने से दृढ़ि नहीं हो रही है जैसा कि घोपणा-पत्र में उल्लेख है। आधुनिक काल के मध्यम वर्ग का, सर्वहारा वर्ग की अपेक्षा पूँजीवादी वर्ग के प्रति अधिक मौश्रो-भाव है। इस प्रकार घोपणा-पत्र में वर्गसुद के विकास की एक बात दे सत्य के सम्बन्ध में सन्देह किया जा सकता है।

इसके अनेक अलौचक कहते हैं कि पूँजीवाद के विकास के साथ मजदूरों की अवस्था अधिक हुररदायी नहीं होती जा रही है। पूँजीपतियों की बढ़ती हुई समृद्धि में मजदूरों को भी कुछ भाग मिल रहा है। मजदूर वर्ग के मौतिक कल्याण में जो सुधार घोपणा-पत्र के प्रसारित होने के बाद देख पड़ता था वह आज पर्यन्त जारी है। इससे मजदूरों के अधिक समृद्ध वर्ग में जैसे बलनों, सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों आदि में कानिकारों वार्षिक चेतना के विकास में वाधा पड़ी है। इस वर्ग का वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के साथ, जिससे टक्का भाग दुक्का हुआ है, मौश्रो-भाव है। इस प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण दिशा में भी घोपणा-पत्र की भविष्यवाणियों की सत्यता सिद्ध नहीं हुई है।

तीसरे, इस मान्यता के विशद मी गम्भीर आन्दोलन द्वारा जाता है कि अन्त में मजदूर-वर्ग की पूँजीवादी वर्ग पर विजय होगी और सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही कायम हो जायगी। यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय तो मजदूरों तथा पूँजीपतियों के बीच वर्ग-सुद घड़ेगा और पूँजीवादी वर्ग का पतन हो जायगा, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि सत्ता औद्योगिक मजदूरों के हाथ में हो पहुँचे; केहिस्ट अधिनायकशाही जैसे अन्य विभाग भी तो हैं। इसके मानने के लिये भी कोई आवार नहीं है कि समस्त देशों में वर्ग-सुद के एकसे परिणाम ही होंगे। जो कुछ स्थानों में सम्भव हुआ वह इंग्लैण्ड या फ्रान्स में सम्भव नहीं हो सकता। फैसिल तथा नास्तिकाद का जन्म मात्र से तथा ऐगेल्स की शिक्षा के विशद हुआ है। साम्यवाद की विजय उतनी निश्चित नहीं है जितनी मात्र से तथा उसके साथी सोचते थे।

इस प्रकार यद्यपि मात्र से तथा ऐगेल्स के वर्ग-धर्षण के सिद्धान्त के सामान्य सत्य को तो स्वीकार दिया जा सकता है परन्तु उन्होंने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र के सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की है, उसे स्वीकार

नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक विकास से इस कथन की सत्यता सिद्ध नहीं होती।

रूसी साम्यवाद का सर्वसत्तावादी रूप—

मार्क्स तथा ऐगेल्स के उपयुक्त सिद्धान्तों के आधार पर सङ्घटित पहला राज्य सोवियत रूस ही है। उसके रातक मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आधिकारिक व्याख्या और वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त को सामाजिक विकास के आधारभूत तथ्य मानते हैं। उन्होंने पुरानो जारशाही के रूपान पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व भी स्थापित कर लिया है। इस नवीन शासन को आन्तरिक तथा बाहरी अनेक बाधाओं में से होकर निकलना पड़ा। अपने शासन को कायम रखने में सोवियत रूस ने संयुक्त के प्रथम सर्वसत्तावादी राज्य (Totalitarian State) की स्थापना की। रूसी साम्यवादियों ने संसार के सामने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नवीन राज्य की निपुणता प्रकट कर दी है। रूस ने अन्य आधुनिक राज्यों की अपेक्षा अपने राज्य को अधिक पेन्द्रायमूल तथा राक्षिशाली राज्य बना लिया है। इटालियन फैसिस्टों तथा जर्मन नासियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, अर्थात् पश्चिमी सम्यता के समज उपस्थित साम्यवादी यतरे के नाश के लिये, साम्यवादी कार्यपद्धति को ही अपनाया था।

रूस के साम्यवादी शासक सर्वहारा राजनीतिक-समाजवाद का एक नवीन परीक्षण कर रहे हैं। ये नवीन आधिक आधार पर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई भी मानव दूसरे मानव के श्रम को उत्तोद नहीं उकेगा और न पूँजी पर जीवित रह सकेगा। दूसरे शब्दों में, ये समाज में पूँजी का स्वाम्य उमाज के हाथ में होगा, व्यक्तियों के हाथों में नहीं। इस प्रकार पूँजीवादी शोषणों तथा बेतनभोगी शोषितों का भेदभाव मिट जायगा। इस घेय की प्राप्ति के प्रयत्न में उन्हें पूँजीवादी वर्ग के विरोध का सामना अपने देश के अन्दर तथा बाहर दोनों ओर से करना पड़ा है। रूस में एह-युद्ध हुआ और श्वेत सेनाओं का सेनिक आक्रमण भी हुआ जिसमें इङ्लॅण्ड तथा फ्रांस जैसे पूँजीवादी देशों ने यहायता दी। इस कारण उन्होंने अपने दाव-पेंच तथा कार्य-प्रणाली में परिवर्तन अवश्य किये। परन्तु उनके घेय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह घेय है—“जनता के लिये अधिक मुखदायी जीवन को अवश्याएँ तथा न्यापक उांस्कृतिक सुयोग प्राप्त करना और, इन सबसे ऊपर, आधिक तथा राजनीतिक नियन्त्रण उन

छात्यजनों के हाथों में रखना जो अन्तिम गुमाजवादी विजय की ओर बढ़ने में अधिक संलग्न और दृढ़प्रभावी है।¹*

अनमस्त सत्ता को कान्तिकारियों के एक छोटे से हठप्रतिज़ : सुमहानित दल ने हाथों में क्रापम रखने की प्रवृत्ति के बारण रूप में ऐसी संस्थाओं एवं आचरणों का विकास हुआ जो अधिनायकतन्त्र - के मुख्य लक्षण हैं। इस संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण है—ओल-नूनियन कम्युनिट पार्टी। रूप में शासन-न्यन्त्र का नियन्त्रण इस पार्टी द्वारा ही होता है। इस पार्टी की सदस्य-संख्या जानवूक्तर कम रखी जाती है; उसके नियम फठोर है जिसके कारण सदस्यता में वृद्धि नहीं हो सकती। परीक्षाएँ कहीं होती हैं और परोक्षण-काल भी बड़ा लम्बा होता है। जो सदस्य शिखित अथवा अकुशल होते हैं वा बिनको अद्वा में सन्देह होता है उन्हें नियाल दिया जाता है। उसमें उन बुद्धिजीवियों के लिये स्थान नहीं है जो साम्यवाद के ग्रानोचक हैं या घर्म के पुजारी हैं। ट्रॉटस्वी जैसा प्रतिद साम्यवादी नेता भी पहले अतरङ्ग-भएडल से, फिर साम्यवादी पार्टी से और अन्त में देश से निर्वाचित कर दिया गया थयोंकि उसने शारन द्वारा पूँजीपतियों तथा जमीदारों को जो रियायत दी गई थी, उनकी आलोचना करके साम्यवादी दल को उपेक्षा की और उसना अनुरागन में विद्या। ओल-नूनियन साम्यवादी दल ही देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अन्य किसी भी राजनीतिक दल को, जिसका इसना कोई सिद्धान्त हो, वहाँ कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं है। इस पार्टी के हाथों का नियमन एक केन्द्रीय समिति द्वारा होता है जिसका चुनाव पार्टी के चार्पिक अधिवेशन में होता है। यह केन्द्रीय समिति पार्टी के कार्य-सचालन के लिये तीन छोटी उपसमितियों का चुनाव दरता है जिनमें से एक राजनीतिक समिति (Political Bureau) कहलाती है। इसमें पार्टी के कुछ प्रमुख नेता होते हैं जो पार्टी की नीति आदि किर्दारित करते हैं। देश की प्रमुख शारन-संस्थाओं, जैसे स्थानीय सोवियत, प्रान्तीय कांग्रेसों, राष्ट्रीय विधान-सभाओं एवं प्रशासनीय संस्थाओं आदि के नियन्त्रण पर परोक्ष रूप से इस राजनीतिक समिति का नियन्त्रण होता है। मैर्. १६ ३६ ई० के विधान से देश में राजनीतिक प्रजातन्त्र की मशीनरी स्थापित की गई है; समस्त व्यवस्थाएँ, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की सत्ताएँ सुप्रोग कौशिल के हाथों में हैं जिसमें दो सदम

* Coker : Recent Political Thought, p. 159.

है जिसमें से प्रायः प्रत्येक में १६०० रुदस्य है जिनका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा रार्बमीम प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होता है; परन्तु इतना होते हुए भी सत्य तो यह है कि शासन का वास्तविक नियन्त्रण साम्यवादी दल (Communist Party) के हाथों में हो है। साम्यवादी दल के अतिरिक्त दो और साम्यवादी संगठन हैं, जो साम्यवादी ध्यवश्वा कायम रखने में सहायक होते हैं। एक का नाम है साम्यवादी युवरू-राहु जिसमें १४ से २२ वर्ष के युवक-युवतियाँ उदस्य हैं। दूसरा साम्यवादी बाल-राहु है जिसमें १० से १४ वर्ष के बाल-बालिकाएँ सदस्य हैं। इनमें से ही लोग साम्यवादी पार्टी के नये सदस्य बनते हैं।

"नहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि साम्यवादी दल के सदस्यों को अपनी कार्य-प्रणाली भी आलोचना करने में काफी स्वतन्त्रता रहती है। वे अपने मुझान भी पेश कर सकते हैं। परन्तु विचार तथा बहस के बाद जब दल द्वारा कोई नीति स्वीकार कर ली जाती है, तब उसे सब सदस्यों को स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद विसी को उसकी आलोचना करने का अवगत नहीं दिया जाता अथवा उसके विवर विचार प्रस्तु करने का अधिकार नहीं रहता। उसका अनुशासन बड़ा कठोर है; वह सर्वथा सैनिक ढग का है। दल ने अपने सदस्यों को सेवा तथा चरित्र एवं गत्यता का आदर्श बहुत कँचा रखा है।"

सोवियत रूस में साम्यवादी शासन सर्वहारा वर्ग को अधिनायकशाही के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाम आंशिक रूप से सही है और गलत भी। यह मही इसलिये है कि राज्य उन सब लोगों को कोई राजनीतिक एवं आधिकृतिशोषणाधिकार नहीं देता जो मजदूर नहीं है और शामिल-रखा का आधार दमन-शक्ति है। सोवियत राज्य अधिनायकतन्त्रीय अथवा सर्वसत्त्वावादी है वर्षोंकि उसने राफलतापूर्वक समस्त अन्दरूनी विरोधी तत्वों पा रात्मा कर दिया है और वह एवं दलीय राज्य बन गया है, जैसा कि नामी तथा फैसिस्ट इटली में था। परन्तु यह नाम अनुप्रुक्त इसलिये है कि लड़ी शासन सर्वहारा वर्ग के बहुमत का नहीं है। देश का शासन औद्योगिक मजदूरों के हाथों में नहीं परन् कुछ योंडे से उच्च कोटि की वर्गीय जेतना-युक्त, सुयोग्य तथा अनुशासन के कठोर नियन्त्रण में रहने वाले कान्तिकारियों के हाथों में है। इस प्रकार लड़ी सरकार को सर्वहारा वर्ग के हित में अधिनायकतन्त्र कहा जा सकता है।

अधिनायकतन्त्र का धर्म है राजनीतिक कार्य के सर्वोच्च साधन-या

अस्त्र के रूप में यह या दमन का प्रयोग। साम्यवादियों को यह दृढ़ धारणा है कि पूँजीपतियों में तकँ या यद्यपि द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः उनके विरोध का नाश बल-प्रयोग से करना चाहिये। वे जिन लाभों वा भोग करते हैं, उन्हें स्वतः शान्तिशुर्वक त्यागने के लिये वे तेजार नहीं होते। पूँजीपतियों को सम्पत्तिचिह्नान बनाने के लिये और क्रान्ति के विरोधियों के अपने खोबे हुये तामों को पुनः प्राप्त करने के प्रयत्नों के दमन के लिये सर्वद्वारा राज्य की ओर से सशस्त्र हिंसा की आवश्यकता है। यदि सत्ता हस्तगत करने के लिये आक्रमणात्मक साधन के रूप में बल की आवश्यकता है, तो विरोधियों के विरुद्ध आत्मरक्षा के लिये बलप्रयोग की निन्दा करना मूर्खता होती। जैसा कि ट्रॉटर्सी ने उचित ही कहा है—“एक कान्तिकारी वर्ग को जिउने शहरों द्वारा मत्ता प्राप्त की है, उन सभी प्रयत्नों को, जिनके द्वारा इस सत्ता से उसे वंचित करने का प्रयत्न किया जायगा, बल-प्रयोग से व्यर्थ करना पड़ेगा और वह ऐसा अवश्य करेगा।” इस प्रकार साम्यवादी लोग राजनीति को स्थायी युद्ध समझते हैं और राज्य को विशुद्ध दमन का अस्त्र। इस प्रकार ये लोह-इस्त द्वारा शासन-यन्त्र का प्रयोग करते हैं और जो देशद्रोह वा राजद्रोह के अपराधी हैं या उनके दामों में बाधा डालते हैं उन्हें बठोर से बठोर दण्ड दिया जाता है। अपने विरोधियों के दमन के लिये बल-प्रयोग की एक मुख्य घटना के रूप में मानने के बारें उनका नातिस्यों तथा दैविक्ष्यों से बड़ा अवश्य है। इस प्रकार सर्वसत्तावादी राज्य को अधिनायकतम्भ होना पड़ता है और उसे हिता तथा बल-प्रयोग पर आधित रहना ही पड़ता है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि साम्यवादी लोग जनता को अपने पत्र में करने के मम्बन्य में उदासीन रहते हैं। वे स्कूल, रेडियो, मिनीमा अर्दि प्रचार के समस्त साधनों द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। वे शैशवकाल से ही जनता को अपने सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाते हैं। उनके युवक-नेतृत्व जनता की साम्यवाद के इतिहास तथा सिद्धान्तों के मम्बन्य में शिक्षा देने के लिये ही है। वे उन्हें क्रान्ति के दाय-पेच के सम्बन्ध में भी शिक्षा देते हैं।

“समर, साम्यवादी, लोग पूँजीवादी, देशों के प्रजातन्त्र तृष्ण, प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का उपहास करते हैं। राजनीतिक कार्य के साधन के रूप में बल-

प्रयोग की सर्वोच्चता में विश्वास करने तथा शासन की समस्याओं के बौद्धिक समाधान की सम्भावना में अविश्यास के कारण वे प्रजातन्त्र को 'अव्यवहार्य उग्रता' है। राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में उनके ऐसे विचार हैं वे भी उन्हें इसी परिणाम की ओर ले जाते हैं। बोल्शेविकों ने विवान-परिपद के कार्य में बाधा डालकर उसे असम्भव कर दिया था।

✓ किन्तु यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि साम्यवाद तथा प्रजातन्त्र में कोई सैद्धान्तिक असंगति नहीं है। साम्यवादी लेखक जिस प्रजातन्त्र की आलोचना करते हैं और जिसे अवास्तविक कहते हैं, वह है पूँजीवादी देशों में प्रचलित प्रजातन्त्र। उनकी यह मान्यता है कि पूँजीवाद के अन्तर्गत, जिसमें श्रीधोगिक मजदूरों को कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं होती और जिसमें उन लोगों के हाथों में अनुचित राज्यसत्ता होती है जो समाज के आर्थिक जीवन का नियन्त्रण करते हैं, राजनीतिक लोकतन्त्र नाममात्र का है, उसमें कोई तत्व नहीं होता। उसमें जिन व्यक्तियों के साथ सम्पत्ति नहीं है उनके लिये न स्वतन्त्रता है और न समानता ही; उन्हें केवल उन व्यक्तियों को अपना थम धेचने की स्वतन्त्रता है जो उत्पादन के साधनों पर स्वामी हैं। इस प्रकार के व्यक्ति शासन पर कोई नियन्त्रण नहीं रख सकते। एक उम्मीदवार के लिये चुनाव में एक बार मतदान करने का व्यषिकार जोरा अवधिकार है। इसी प्रकार शासन के कायों का आलोचना का अधिकार एक प्रकार का निलाम है जिससे अधभूत तथा अधिक काम से थने-मादे मजदूरों में लाभ उठाने की स्मृता नहीं। मजदूर तो यह चाहता है कि उसे भरपैट भोजन मिले और जीवन की सह अवश्याएँ प्राप्त हों और उसे अपना जीवन अपनी इच्छानुसार सुप से विताने के लिये पूर्ण सुवोग मिले, केवल शासन की आलोचना तथा उम्मीदवार को राय देने का निरर्थक अधिकार ही नहीं। साम्यवादी का यह दृढ़ विश्वास है कि शासन का ढाँचा कितना ही प्रजातांत्रिक क्यों न हो, वास्तविक सत्ता उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी, जिनके पास आर्थिक सत्ता है। इस प्रकार पूँजीवादी समाजों में वास्तविक प्रजातन्त्र कार्य नहीं कर सकता। वह सर्वहारा वर्ग के संकरणहालीन अधिनायकतन्त्र में भी अव्यवहार्य होता है। किन्तु फैसिल के उदय के कारण तथा फैसिल शासन में साम्यवादियों को भाषण तथा समा-सम्मेलन के स्वतन्त्र का निषेध होने के कारण राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र के प्रति साम्यवादियों के दृष्टिकोण में खोड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ है। सन् १९३६ ई० के

सोचियल-विज्ञान का रूप, जैसा कि उहलेख किया जा चुका है, सर्वथा प्रजातान्त्रिक है।

रूसी साम्यवादियों ने सबसे पहले संमार को यह बतला दिया कि आधिक नियोजन सर्वसत्ताकादी राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है। वह उत्पादन के समर्त राष्ट्रों पर राज्य के स्वाम्य तथा समाज के श्रीदैगिर जीवन पर राज्य के नियन्त्रण का आवश्यक परिणाम है। यदि उत्पादन की प्रकृति तथा परिणाम का निश्चय व्यक्तिगत उद्योगपातियों पर ही नहीं छोड़ देता है वरन् राज्य द्वारा उसना निश्चय होना है तो नियोजन राज्य की आधिक पद्धति का एक आवश्यक अग होगा। रहस्य के समय में भी रूस में नियोजन की व्यवस्था करनी पड़ी जिससे लाल सेना को रगद मिलती रहे। वह असन्तोषप्रद रही तगा लेनिन के यामने आधिक विनाश का भय आ खड़ा हुआ। उसने नवीन आधिक नीति की घोषणा की, जिसने पूँजीपतियों को अनेक रियादतें दी। देश की आधिक व्यवस्था पर उसके अच्छे परिणाम निरूपिते। जब स्टालिन ने उस प्रणाली की तो उसने उस नीति का अन्त कर दिया और राज्य ने व्यापार तथा उद्योग पर फिर से राज्य का नियन्त्रण स्थापित कर लिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर द्विनीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार कार्य किया गया और उसके फलस्वरूप रूस के उद्योगों में वापसी प्रगति हुई। जर्मनी ने उसका अनुसरण निया। ससार-व्यापी गन्दी तथा बाद में जर्मनी के विरुद्ध हिंड जानेवाले युद्ध ने इन्हें दो आधिक नियंत्रण करने के लिये बाध्य किया। हमारे देश में भी कांग्रेस ने आधिक नियंत्रण करना की स्थापना की, जो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के व्यापकतां ने बारमध्य आपना कार्य नहीं कर सका। एकार आधिक नियोजन के विचार के लिये सोचियत रूस का श्रेष्ठ है।

गोम्यवाद ने रूस की जनता के केवल राजनीतिक तथा आधिक जीवन पर ही प्रभावशारीरी नियन्त्रण नहीं किया है वरन् जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डाला है। धर्म, क्रान्ति तथा शिक्षा आदि सभी वस्तुओं का साम्यवाद के लक्ष्य की सिद्धि के लिये प्रयोग किया जाता है। साम्यवादी लोग धर्म के विरोधी हैं और धर्म को “जनता के लिये अपील” मानते हैं जोकि धर्म हमारे बप्टों को ईश्वरीय विद्यान घतात्तर उन्हें रहना करने और शाहउकों की अधीतता का पाठ पढ़ता है। साम्यवादी दल के शुद्धत्व निर्णायकरखादी है। रूस में पादरी आदि मताविभाग से

चंचित है। रूस में साम्यवादी शासकों ने शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, संगीत और कला की कार्यवृद्धि के लिये प्रयत्न किया है किन्तु इन चेत्रों में उनके काम राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुष्प ही है। वे ऐसे विज्ञान या दर्शन की शिक्षा की अनुमति नहीं देते, जो साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध हों। रूस की पाठशालाओं तथा विद्यालयों के लिये पाठ्य ग्रन्थ इस उद्देश्य से निर्धारित किये जाते हैं कि तरशीं तथा बालकों के मन पर साम्यवाद के गौरव की छाप पड़ जाय। रूस के कानून से भी यही कार्य लिया जाता है।

साम्यवादी सिद्धान्त

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, साम्यवाद का आधार नाकर्स तथा उसके मित्र एंगेल्स के वे सिद्धान्त हैं जिनका वर्णन उन्होंने ग्रन्थ 'साम्यवादी घोषणा-पत्र' में किया है। यह घोषणापत्र एक पद्धति का सिद्धान्त है, एक कार्य-क्रम है, जिसके द्वारा पूँजीवादी समाज से भावी समाजवादी समाज को और अग्रसर हो सकते हैं। उसमें उस भावी समाज का पूर्ण चित्र अंकित नहीं किया गया है। यह कार्य-क्रम राज्य के उस यिद्धान्त के आधार पर है जिसका विवेचन माकर्स ने किया है और जिसे साम्यवादियों ने स्वीकार कर लिया है। यह सिद्धान्त राज्य के उस परम्परागत सिद्धान्त के विपरीत है जिसका समर्थन प्रजातन्त्रवादी तथा ग्रांदर्शवादी करते हैं। परम्परागत सिद्धान्त के अनुमार राज्य एक संहृत समुदाय (Corporate group) है, जिसमें विविध वर्ग सामान्य हित के लिये परस्पर सहयोग करते हैं। उसका अस्तित्व प्रत्येक नागरिक को ऐसे मुयोग प्रदान करने के लिये है जिससे उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से निराप हो सके। यह एक ऐसा स्तर प्रदान करता है जिस पर मनुष्य अपनी मेदभाव के नागरिकों के रूप में मिल सकें और सर्वोच्च कल्याण की प्राप्ति करने में एक दूसरे की सहायता कर सकें।

राज्य—एक वर्गीय संगठन—

साम्यवाद इस यिद्धान्त को विलकूल अस्वीकार कर देता है। उसके अनुमार राज्य कभी संहृत समाज नहीं रहा, जिसका कार्य सामान्य हित की वृद्धि हो। राज्य तो सदैव से ऐसी संस्था रहा है और रहेगा जिसमें एक आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्गों पर आधिपत्य रखता है और उनका शोपण करता है। शासकों का मुख्य और जानकारी स्थिर किया हुआ लद्दन समाज का कल्याण कभी नहीं रहा। उन्होंने राज्य-सत्ता का प्रयोग

अपने तथा अपने समर्थकों के हितों की अभिवृद्धि के लिये ही मिया है। राज्य को समस्त संस्थाएँ इसी उद्देश्य से स्थापित है कि उनके द्वारा शासक अपने सत्ताग्रों को क्रायम रखें तथा उनका उपभोग करते रहें और शासित एवं अत्याचार-पीड़ित जनता के लिये उन्हें नसामिहीन करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाय। वर्तमान पूँजीवादी राज्य इसके सर्वधेष्ठ उदाहरण है। उनमें समस्त संस्थाएँ एक ही उद्देश्य से गङ्गालिन हैं—उन विचारों तथा सिद्धान्तों का रक्षण जिनके ग्राधार पर वर्तमान पूँजीवादी समाज पक्ष हुआ है अर्थात् व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। पूँजीवति का अपनी व्यक्तिगति सम्पत्ति पर अधिकार कायम रहना चाहिये और उसका स्वतन्त्रता के साथ भोग कर सकने को उसे पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। कानून, पुलिस, मजिस्ट्रेट तथा देश का सशस्त्र बल भी इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये है। “साधारणतया दरड-विधान सम्पत्ति-सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में व्यक्ति-सम्बन्धी अपराधों की अपेक्षा अधिक कठोर रहा है क्योंकि पूँजीवाद मानवों के हितों की अपेक्षा सम्पत्ति के हितों की रक्षा के लिये अधिक व्यय है।”* जिस दृष्टि से विदेशी शाखन अपने विजित देशों में आधिपत्य क्रायम रखते हैं उससे भी यह सत्य स्पष्ट प्रकट हो जाना है। [इस प्रकार साम्यवादी यह मानते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है; वह एक विशुद्ध बल की खंडणा है; वह समस्त समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न सामान्य जन-कल्याण की सिद्धि की चेष्टा ही करती है।]

* साम्यवाद उत्पादन एवं वितरण की वर्तमान पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहता है। यह उत्पादन के समस्त राधनों को मजदूरों के नियन्त्रण में लाना चाहता है, जो अपने अम द्वारा कच्चे माल को उपभोग वस्तुओं में परिणत करते हैं और इस प्रकार सम्पत्ति के एसमान स्रोत है। मजदूरों के कल्याण का एक ही मार्ग है और वह यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का नाश कर भूमि, पूँजी तथा उद्योगों का समाजीकरण कर दिया जाय। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मजदूरों की दशा में सुधार नहीं हो सकेगा और वे जीवन-संप्राप्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। गर्भद्वारा लोग पूँजीवादी राज्य के शासन-न्यन्त्र पर अधिकार लेया कर पालन-भेद व्यवस्था के बहुमत द्वारा समाजवाद के उद्देश्य को ग्रान नहीं कर सकते। यह बन्ते तो पूँजीवाद के शोषण के लिये ही ठीक है; उन्ने विपरीत

* Laski : Communism, p. 127.

उद्देश्य के लिये उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। समाजवादी समाज की स्थापना के लिये वह व्यर्थ है। कानिकारी उद्देश्यों के लिये उसका प्रयोग नहीं हो सकता।

✓ सर्वहारा वर्ग को पूँजीवादी राज्य का स्वात्मा करके उसके स्थान पर नये ढंग का सामाजिक संगठन स्थापित करना चाहिये जो समाजवाद को आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वर्गीय चेतनायुक्त कानिकारी राज्यहारा वर्ग को दमनकारी राज्य के अन्त का प्रयोग करना होगा जिससे वह पूँजीपतियों को उनके उच्च स्थान से भिरा सके और उन्हें राम्पत्तिहीन कर सके। संकल्पण-काल में राज्य एक वर्गीय संगठन तथा सशस्त्र हिसाकी संस्था बना रहेगा जैसा वह अब तक रहा है। पूँजीवादी राज्य तथा संकल्पणकालीन [इस राज्य में जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र होगा केवल इतना ही अन्तर होगा कि वह केवल सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, पूँजीपतियों का नहीं] राज्य का प्रयोग अभियों के हितों की अभिवृद्धि के लिये किया जायगा, उसके विरोधियों के हितों के लिये नहीं। वह समस्त समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न सामान्य जनकल्याण को अभिवृद्धि के लिये ही प्रयत्न करता है। साम्यवादियों के लिये मज़दूरों तथा पूँजीपतियों के सामान्य हितों जैसी कोई वस्तु नहीं है।

✓ गर्वहारा राज्य का उद्देश्य पूँजीवादी राज्य के उद्देश्य से भिन्न है, अतः उसकी संस्थाएँ भी भिन्न होनी चाहिये। प्रत्यक्षतः उसमें ऐसी संस्थायों के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता जो व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचारों पर आधारित है। उसकी शासन-समितियों मज़दूरों का मज़दूरों के रूप में उनके हितों के अनुसार संगठित समुदायों के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं, सामान्य निवास के आधार पर संगठित व्यक्तिगत नागरिकों के रूप में नहीं। दूसरे शब्दों में, जहाँ उदार प्रजातन्त्र अपनी संस्थाओं का निर्माण व्यक्तियों के अधिकारों के आधार पर करता है, वहाँ साम्यवाद उनका आधार मज़दूर वर्गों के सामूहिक अधिकारों पर रखता है। इस तिद्वान्त के आधार पर रुप में अनेकों 'सोवियतों' का निर्माण किया गया। 'सोवियत' रूपों राज्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। साम्यवादी अधिनायकतन्त्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण अन्न रुप की साम्यवादी पार्टी है। "वह एक सुसंगठित राजनीतिक संस्था है जिसमें ऐसे कर्मचारी राज्य हैं जिनको उनकी योग्यता तथा भक्ति के कारण

अभिमानों द्वारा निवांचित सरकारी संस्थाओं के सामने प्रस्तुत करने के लिये प्रस्ताव, योजनाएँ तथा नीतियाँ बनाने का भार निश्चिन्ततापूर्वक होना चाहिए।”¹

राज्य—एक हिसात्मक संस्था—

“चूँकि सर्वहारा वर्ग इस नये राज्य का पूँजीवादी वर्ग के दमन तथा उसे गम्भीरताहीन बनाने के लिये प्रयोग करेंगे, अतः यह स्पष्ट है कि वह दमनशारी तथा त्वेच्छाचारी होगा। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, उसे अपनी सत्ता का प्रयोग पूँजीपतियों के दमन के लिये बदला होगा विसर्से वे उस मत्तूर वर्ग के द्वारा किये गये निर्णयों को स्वीकार करें जिसका वे शातान्धियों से शोषण करते रहे हैं। यह शासन न इस अर्थ में प्रजानान्त्रिक हो सकता है कि वह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है और न इस अर्थ में स्वतन्त्र हो हो सकता है कि वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये क्रान्ति है। ऐंगेल्स के निम्नलिखित कथन से यह सर्वया स्पष्ट हो जायगा : “चूँकि राज्य के घल आध्यात्मी संस्था है ब्रिटिश प्रश्नोग कान्ति में विरोधियों के बलपूर्वक दमन के लिये किया जाता है, इसलिये स्वतन्त्र तथा लोकप्रिय राज्य की बात करना सर्वया हास्यग्रद होगी। जब तक सर्वहारा वर्ग को राज्य की आवश्यकता है, उसे उसकी आवश्यकता स्वतन्त्रता के हितों के लिये नहीं दरन् विरोधियों का दमन करने के लिये है; और जब स्वतन्त्रता की बात करना समझ हो जाता है, तब राज्य का अस्तित्व ही नहीं रह जाता।”

राज्य एक अस्थायी संस्था है—

उक्त अध्यतरण में ऐंगेल्स ने राज्य को ‘अस्थायी’ संस्था कहा है। इसने उस समय की ओर भी संकेत किया है जब कि राज्य का अन्त हो जायगा। इस मापदण्ड का प्रयोग राज्य के सम्बन्ध में साम्यवादी विद्वान् की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता की ओर हमारा, प्यारा आनंदित करता है। यह राज्य को एक स्थायी सामाजिक सम्प्रठन का रूप नहीं मानता और न उसे मनोच तथा गर्व प्रकार में पूर्ण सामाजिक सम्प्रठन ही मानता है जैसा आदर्शवादी मानते हैं। साम्यवादी एक ऐसे समय की कल्पना करते हैं जब समाज राज्यविहीन (Stateless) हो जायगा और वे हर ग्रन्ति से ऐसे समाज की स्थापना के लिये प्रदत्त करते हैं। उनके दृष्टिकोण को समझना सुख है। उनके अनुग्राम राज्य नारनः एक ऐसा

* Coker : Recent Political Thought, p. 169.

मङ्गठन है जिसके द्वारा एक वर्ग का अपने स्वार्थ के लिये शोषण करता है। पूँजीपतियों पर सर्वहारा वर्ग की विजय हो जाने के उपरान्त उसके (राज्य के) अतितत्व के लिये कोई आधार ही नहीं रह जाता; उस समय राज्य का क्षय हो जायगा। साम्यवादियों का आदर्श एक वर्ग-हीन समाज है। उसमें वर्गों का स्थान स्वेच्छापूर्वक निर्मित समुदाय ले लेंगे। ऐसे समाज में राज्य की दमनकारी सत्ता के लिये कोई स्थान नहीं होगा, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता होगी। राज्यविहीन नथा वर्गविहीन समाज के सम्बन्ध में “अराजकतावाद” पर विचार करते समय चिशद रूप में विचार किया जायगा। जैसा हम आगे देखेंगे, यह आदर्श कैसिस्ट के आदर्श से सर्वथा भिन्न है। राज्य का साम्यवादी सिद्धान्त कैसिस्ट सिद्धान्त से सर्वथा भिन्न है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि साम्यवादी लंस में राज्य के क्षय होने के कोई लचण नहीं देख पाते। शायद क्षय होने की प्रक्रिया बड़ी समझी होती है, उसके लिये कोई अवधि नियत नहीं की जा सकती। राज्य का विनाश एक पल भर में नहीं हो सकता।

साम्यवाद : एक अन्तर्राष्ट्रीय आनंदोलन

साम्यवाद द्वारा एक सबोंपरि सामाजिक समगठन के रूप में राष्ट्रीय राज्य के निषेध का उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति से सम्बन्ध है। यह स्मरण रखना चाहिये कि साम्यवाद पास्तय में एक सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय आनंदोलन है। उसकी कोई राष्ट्रीय सीमाएँ नहीं हैं। ग्रत्वेक देश की साम्यवादी पार्टी अपने आप को दूररे देश की साम्यवादी पार्टी से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहती है। सभी राष्ट्रीय साम्यवादी दल अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी रहा (Communist International) के अधीन हैं और उसके आदेश को मानने के लिये बन्धनबद्ध है। साम्यवादी घोषणापत्र के अन्तिम शब्द निम्न प्रकार है : “सर्वहारा वर्ग को अपने बन्धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रोना है बरन् उसे विश्व को विजय करना है। सब संसार के मङ्गद्दरो, परस्पर निल जाओ।” इन शब्दों ने इस आनंदोलन को अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे दिया है। एक सच्चे साम्यवादी को अपने राज्य ही अपेक्षा अपने दल के प्रति अधिक भक्ति होती है ; उसका सर्वप्रथम कर्त्तव्य कॉमिएटन (Commintern) के प्रति है, उस देश के प्रति नहीं हैं उम्रा आवास है। इन हृषि से भी साम्यवाद दृष्टिसीग फैसिस्ट हृषि ग से, जो उपर रूप में राष्ट्रीय है, गर्वधा भिन्न है। दूसरा यह ध्यान रखना उचित है कि गोवियत नैस शब्द राष्ट्रीय आदर्श ना ग्रा. भुक्ता जाता ।

ऐसा भी सुना गया था कि कई देशों की साम्यवादी पार्टी ने कॉमिटटन की अधीनता को अस्वीकार कर दिया है। द्वितीय विश्व-युद्ध के दिनों में कॉमिटटन का भड़क कर दिया गया था। बाद में 'कॉमिनफॉर्म' (Communist-form) के नाम से उसका पुनर्जन्म हुआ परन्तु हाल हो में उसका भी भंग कर दिया गया है।

साम्यवाद के अन्तर्गत मज़दूरों की अवस्था

‘यदि सोवियत रूस के आधार पर इस सम्बन्ध में कुछ परिणाम निकाले जायें, तो यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी समाज में कार्य अथवा अम को दायित्व तथा सम्मान की बात दोनों ही समझने हैं। ऐसे समाज का एक प्रायमिक नियम यह है—“जो काम नहीं करता, उसे राना भी नहीं भिलता।” परन्तु मज़दूर को अपने काम का चुनाव करने की स्वतन्त्रता नहीं है; उसे वही काम करना पड़ता है जो उसके लिये राज्य निश्चय करता है। उसके हितों का सरकार उन विधिय अम-सद्गुरुओं द्वारा होता है, जिसका यह सदस्य होता है। इन सद्गुरों को कार्य करने की कोई वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं है, उन पर साम्यवादी पार्टी का आधिपत्य है और वे केवल उसकी उद्दायर संस्था जैसी हैं। वेतन व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में आदर्श यह है—“प्रत्येक अपनी योग्यतानुसार कार्य करे और प्रत्येक वो अपने परिभ्रम के अनुसार मिले।” इस उद्देश्य से सब अर्थीयोगिक धर्मिनों को योग्यता के अनुसार कई समुदायों में विभाजित कर दिया गया है।

साम्यवाद का मूल्यांकन

‘साम्यवादी रूस की सफलताओं तथा असफलताओं पर वहाँ विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो अपना ध्यान उसके सेदानिक मूल्यांकन तक ही सीमित रखेंगे। सबसे प्रथम हम इस साम्यवादी विचार को स्वीकार नहीं करते कि राज्य एक वर्ग का सङ्गठन है और वह हिंसात्मक संस्था है। वर्तमान राज्यों के सम्बन्ध में यह बात कितनी ही सत्य क्यों न हो और उसने उनके दोषों तथा उटियों की ओर ध्यान आकर्षित करने में चाहे कितनी ही बड़ी सेवा क्यों न की हो, वास्तव में राज्य का वही छिद्दान्त लमुचित है जो प्राचीन सिद्धान्त (Classical Theory) के नाम से विख्यान है और जिसके अनुसार राज्य एक नैतिक यंत्र है जिसका लद्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास है। यह इन्द्या पर कायम है, दल पर नहीं; साम्यवादी विचार दृष्टिराज्यों के सम्बन्ध में ही सत्य है।

‘दूसरे, यह स्वीकार करते हुए भी कि आजकल का राज्य पूँजीवादी वर्ग के पक्ष में अधिक है और मज़दूर वर्ग के प्रति अत्याचारी तथा दमनकारी है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है, हमें उन दोनों को दूर करने तथा उसमें परिवर्तन करने के जो उपाय साम्यवादी बतलाते हैं उनके ओचित्य पर सन्देह है। इसमें सन्देह है कि हिसात्मक आनंदोलन तथा तीव्र वर्गीय संघर्ष, जिसकी कान्तिकारी साम्यवादी कल्पना करते हैं, आदर्श समाज की स्थापना कर सकेंगे। हिसा की बार-बार चर्चा, उसका प्रोत्साहन तथा उसका प्रयोग जंगलीपन के दब्बनों को शियल कर देगा जिससे एक नशाय, सुन्यविद्यत तथा शान्तिमय समाज की स्थापना असम्भव हो जायगी। गत दोनों महायुद्धों के बाद मित्र-राष्ट्रों के अन्तर्द्वारीय शान्ति की अभिवृद्धि के प्रयत्नों की असफलता से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। कान्तियों के द्वारा उनके प्रारम्भिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कभी-कभी ही सफलता मिलती है। वे समाज को एक अस्तव्यस्त विधि में छोड़ देती हैं और कोई यह नहीं कह सकता कि उस विधिति में कैसे समाज का जन्म होगा। प्रायः कान्तियों में से जित्त समाज का जन्म होता है, उसका रूप उससे भिन्न होता है जिसकी हम आशा करते हैं। कान्ति की सफलता के बाद जिन व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होती है, वे आवश्यक रूप से कान्ति के संचालक नहीं होते; वे उनकी अपेक्षा कम आदर्शवादी तथा अधिक स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होते हैं। मोले ने लिखा है कि “कान्तिकारी नेता अग्निष्ठ पर चलता है।” वह यह नहीं जानता कि उसका मार्ग उसे किष्ट ले जायगा। अतः इसको सम्भावना नहीं है कि साम्यवादियों के डङ्गे उन्हें अपने चरम व्येष्ट तक पहुँचा देंगे।

इस रांबन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि आजकल के समय में, कान्तिकारी विष्वास उतना आसान नहीं है जितना कि पैरिस कम्यून (Paris Commune) के समय या। किसी भी प्रजा को उस शासन के विषद् सकलता के सुयोग प्राप्त नहीं हो सकते जिसे सुशिक्षित तथा चांचिक सैन्य बल का समर्थन प्राप्त है।

‘इसके बाद एक दूसरी कठिनाई और भी पैदा होती है। साम्यवादियों को यह कल्पना है कि पूँजीवादी वर्ग के हाथों से सत्ता प्राप्त करने के बाद साम्यवादी दल उसका परित्याग कर देगा और राज्यविहीन तथा घर्गंविहीन समाज की स्थापना हो जायगी। मानव अनुभव में

ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस त्याग की सम्मानना सत्य प्रमाणित हो सके। किन लोगों के हाथों में उत्ता आ जाती है, वे उस समय तक उसे अपने हाथ में रखते हैं जब तक उनमें उसकी सामर्थ्य होती है। ऐसा शोधने का कोई कारण नहीं है कि साम्यवादी दल ऐसा नहीं करेगा। यह भी समझ में नहीं आता कि जो शासन बल-प्रयोग एवं हिंसा के आधार पर टिका हुआ है वह कैसे ऐसे नये समाज की स्थापना कर सकेगा जिसमें बल-प्रयोग तथा हिंसा का सर्वथा अमाव हो। जितना ही हम इस पर विचार करते हैं, उतनी ही हमारी यह धारणा पुष्ट होती जाती है कि उशस्त्र कान्ति वैसे नये प्रकार के समाज को जन्म नहीं दे सकती जिसकी साम्यवादी व्यवस्था करते हैं। हिंसा की प्रणाली 'भ्याय की धारी' नहीं हो सकती।

अन्त में, यह भी सन्देहास्पद है कि वर्गविहीन तथा राज्यविहीन समाज की स्थापना बांछनीय है शयवा इसकी मानव प्रकृति से कुछ संगति भी है। वर्गीकृत भेदभाव मानव-प्रकृति में जड़ पकड़ गये हैं; ऐसा कोई मानव-समाज नहीं है जिसमें उनका विकास न हुआ हो। राज्य भी मानव प्रगति की एक अनिवार्य शर्त है; सम्यता, उंचूति, कला, दर्शन, धर्म, और्ज्ञान भी, वे सभी तत्व जो मानव जीवन को व्येष्ठतम एवं मुन्दर बनाते हैं राज्यकी छुच्छाया में ही उपलब्ध हो सके हैं। साम्यवादी आदर्श मानव-जीवित के बहुमत को आरुपक प्रतीत नहीं होता।

प्राचीन ग्रन्थ

फौसिङ्ग के साथ तुलना

साम्यवाद और कैसिङ्ग की रीतियों (पद्धतियों) में अनेक समानताएँ हैं तभीपि वे दोनों अपने आदर्शों में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। अनेक मामलों में उनके यात्रन को रीतियाँ समान हैं, यद्यपि उनके उद्देश्य विभिन्न हैं। साम्यवादियों तथा फौसिङ्गों दोनों ने हिंसा द्वारा खना हृतीमैस्त की और दोनों ने एक ही प्रकार का शासन अर्थात् सर्वराज्यवादी शासन 'राजापित' किया। इटली तथा रूस दोनों ही देशों में एक दल जनता द्वारा भूमि पर अधिनायकीय सत्ता का प्रयोग करता है और प्रचार, हिंसा तथा आतङ्कबाद द्वारा जनता पर अपनी एक हप्त पिचास्तारा धैर्यतों और दोनों संरक्षितार-पत्र, स्कूल आदि प्रचार के साधनों पर अपना एकाधिकार अरप्तते। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करते हैं। दोनों ही स्वतंत्र भूमि पर अधिनायकमें से कोई भी अपने विरोधी दल को छायाम नहीं रहने के सक्षम दोनों भें से कोई भी अपने विरोधी दल को छायाम नहीं रहने

देता। दोनों ही सांसद प्रजातन्त्र तथा सांसद संस्थाओं का उपहास करते हैं। दोनों के नेता बहुत ही वीर, परामर्शी, साहसी, चतुर और लोक-भावना पूर्ण रहे हैं जिनका उद्देश्य अपने-अपने राष्ट्र की क्षयग्रस्त एवं मरणासन्धासनों के अत्याचारों से रक्षा करना था। युद्धोपरान्त उनके देशों में भी अव्यवस्था फैली; उससे उन्होंने पूरा-पूरा लाभ उठाया। अत्यमत-गासनों के रूप में उन्होंने सच्चा प्राप्त की और अपने विरोधी दलों के बेनाश के लिये कठोर उपायों का प्रयोग किया। इन दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों में अपने-अपने सिद्धान्तों के संस्कार डालने के लिये वही जबरदस्त युद्ध-संस्थाएँ स्थापित की हैं। यद्यपि फैसिज्म के गार्थिक सिद्धान्त पूर्ण रूप से साम्यवाद के गार्थिक सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं, तो भी फैसिस्ट दृष्टिकोण में व्यक्तिगत राम्भति के सम्बन्ध में जो गरिवतन हुआ है (यह बात नात्सीवाद के सम्बन्ध में भी सत्य है) उनसे वह साम्यवादी व्यवहार के निरुट पहुंच गया है।

इन गमानताओं के होने पर भी दोनों पदतियों सर्वथा भिन्न हैं। साम्यवादी एक वर्ग के रूप में पूँजीपतियों का अन्त कर देना चाहता है और एक ऐसी नवीन सामाजिक व्यवस्था का स्वप्न देखता है, जिसमें मज़दूर तथा मालिक का भेदभाव नहीं रहेगा किन्तु एक फैसिस्ट मज़दूर भर्म नथा मालिक वर्ग दोनों के अस्तित्व को आवश्यक मानता है और उनको रक्षा करना चाहता है। उसे पूँजीपतियों तथा मज़दूरों के हितों में कोई सनातन विरोध नहीं दिखाई देता और वह इन दोनों के सम्बन्धों को सामंजस्यपूर्ण बनाकर राष्ट्रीय ध्येय की सिद्धि चाहता है। इससे दोनों सिद्धान्तों के अनुयायियों में जो कड़ता है, उसका और फैशिज्म के प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों की साम्यवाद की अपेक्षा फैसिज्म के साथ समझौता करने के लिये जो तत्परता है उसका कारण मालूम हो जाता है।* वे यह मानते हैं कि साम्यवाद से फैसिज्म की अपेक्षा वर्तमान सम्यता

* द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ में इन्हें अत्यन्त बहुत समय तक जर्मनी से बात-चीत रखता रहा और उमने साम्यवादी हस के साथ भिन्नता करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। बाद में इन्हें तथा हस में जो भिन्नता हुई वह केवल सांप्रामिक आवश्यकताओं के कारण थी। शब्द का शब्द मित्र होता है। युद्ध की समाप्ति के बाद में जो युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सेव्र में हो रहा है उससे भी हमारा विचार सत्य प्रमुख हो रहा है। येरोप में हम के विश्व मोर्चावन्दी को मज़बूत करने के लिये अब हमें को भी जिसे फैसिस्ट कहकर अभी तक बहिष्कार हो रहा था, परिचमी प्रजातन्त्र संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने जा रहे हैं।

के लिये बड़ा खतरा है। साम्यवाद धर्मान् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था के लिये महान् खतरा है; फैसिज्म सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था में कोई मदक्कर हत्याक्रेप नहीं करता, वह तो एक नयीन राजनीतिक सङ्घठन की स्थापना करता है और ग्राहित क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन करता है परन्तु कानूनिकारी परिवर्तन नहीं।

✓ दूसरे, साम्यवाद दिक्षान को दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय है। वह एक वर्गविहीन तथा राज्यविहीन विश्व-समाज की स्थापना करना चाहता है; वह राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानता। दूसरा और फैसिज्म अन्तर्राष्ट्रीय उपरूप में राष्ट्रीय है; वह राष्ट्रीय नाय को एक सर्वोपरि सामाजिक सङ्घठन मानता है और व्यक्ति को उसकी पूर्ण अधीनता में रखता है। इस प्रकार साम्यवाद की विचारधारा सर्वया नयीन है। फैसिज्म की कोई नई विचारधारा नहीं है, वह पूँजीवाद और साम्भाल्यवाद का ही नया रूप है। लेनिन ने फैसिज्म को पूँजीवादी साम्भाल्यवाद की अनित्य अवस्था कहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय राज्य के प्रति फैसिज्म तथा साम्यवादी दोनों का दृष्टिकोण विभिन्न है। साम्यवाद अपने को विश्वव्यापी कानून वा अप्रदूत मानता है जो धर्मान् राष्ट्रीय सीमाओं का विषय कर देंगा। फैसिज्म राष्ट्रीय साज्य का अनन्य भक्त है और उसके गौरव तथा उसकी महानता की बढ़ाना चाहता है।

✓ तीसरे, साम्यवाद अनीश्वरवादी है; उसका ईश्वर एवं धर्म में विश्वास नहीं है। उसका अपना कोई राजपर्म नहीं है। फैसिज्म जीवन में से धर्म का वहिकार नहीं करना चाहता और न वह धर्म की विषय के समान ही मानता है। अभी इतली ही में साम्यवादी रूप तथा नात्यी जन्मों और फैसिज्म इटली तथा उनके गायियों के बीच जो संदरकारों युद्ध हो चुका है उससे इन दोनों सदान्तों का विरोध सिद्ध हो जाता है।

अध्याय ११

सिन्डीकेलिज्म

पहले हम बतला चुके हैं कि समष्टिवाद को नीतियों एवं कार्यक्रम समर्पित समाजवादियों को मान्य नहीं है। उनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो समष्टिवादियों की राज्य-भक्ति के बड़े विरोधी हैं। वे उनके वैधानिक साधनों को पश्चान्द नहीं करते और न राज्य द्वारा उच्योगों के नियन्त्रण की नीति को ही पश्चान्द करते हैं। वे यह मानते हैं कि राज्य एक ऐसा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा वे अभीष्ट सामाजिक परिवर्तन कर सकें। ऐसे परिवर्तनों को तो आवश्यकतानुभार उपयुक्त साधनों द्वारा मज़दूर-छज्जों में संगठित मज़दूर ही सीधी कांगड़वाही द्वारा कर सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि मज़दूरों की दशा राज्य द्वारा नियन्त्रित उच्योगों के अन्तर्गत भी हुरी बनी रहेगी। उसमें सुधार उसी समय सम्भव होगा जब कि स्वयं मज़दूरों का उन अवस्थाओं पर नियन्त्रण हो जिनमें उन्हें काम करना पड़ता है। राजनीतिक या विकासवादी समाजवाद के विशद यह विद्वोह दो समाजवादी सम्प्रदायों—सिन्डीकेलिज्म तथा गिल्ड-समाजवाद, में प्रगट हुआ। इन दोनों में सिन्डीकेलिज्म पहले का है और वह अधिक उप भी है। सिन्डीकेलिज्म का जन्म फ्रांस में हुआ। गिल्ड-समाजवाद का जन्म ब्रिटेन में हुआ। वह सिन्डीकेलिज्म का ही संशोधित रूप है जिसमें सिन्डीकेलिज्म की अच्छी बातों का समावेश कर लिया गया है।

सिद्धान्द फ़ा चर्णन—

सिन्डीकेलिज्म भी समाजवाद के अन्य रूपों की भौति सामाजिक सङ्गठन का एक सिद्धान्त और साप ही एक कार्यक्रम भी है। किन्तु उसने भावों समात का चित्र स्पष्ट अंकित नहीं किया है। उसके सिद्धान्तकारों ने इस समस्या पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके कई कारण

है। सिन्डीकेलिज्म का अवसरवादी तथा व्यावहारिक रूप ही इसके लिये उत्तरदायी है। वह बात स्मरण रखने योग्य है कि सिन्डीकेलिज्म का जन्म एक सिद्धान्त के रूप में नहीं; बल्कि प्राचीन में एक मज़बूर-आन्दोलन के रूप में हुआ और इस रिद्धान्त का विकास उस आन्दोलन में से हो हो गया। इस मामले में यह समाजवाद, साम्यवाद और अराजकतावाद के विश्वदृष्टि है, जिनके सरथापर कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन तथा प्रियों को पॉटविन जैसे उच्च कौटि के विद्वान् थे। सिन्डीकेलिज्म के इतिहास में ऐसे कोई वडे नाम नहीं आते। उसके सिद्धान्तगार ऐसे व्यक्तियों में से हैं जिन्हें शारीरिक श्रम का अनुभव था। वह एक सच्चे अर्थ में मज़बूर चर्ग का आन्दोलन है; समाजवाद के अन्य रूपों का प्रादुर्भाव मध्य-चर्ग के उद्दान्तवारों के मस्तिष्कों में हुआ, जिनमें से किसी को शारीरिक श्रम का व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। इस व्यापक भावना के कारण कि जब मज़बूर समाज के आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेंगे, तब ह्यव्यं ही नवीन रामाजिक सङ्कटन का विकास हो जायगा, इस आन्दोलन के सिद्धान्तकारों ने उस भावी रूप के प्रश्न पर धिचार नहीं किया जिसे भावी सिन्डीकेलिस्ट रामाज धारण करेगा। फिर भी यह कहा जाए सतता है कि इख रामाज में उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वाम्य होगा परन्तु उनका वास्तविक प्रयोग मज़बूरों के हाथों में होगा जो मज़बूर-संघों के रूप में सङ्गठित होंगे। क्रैंच भाषा में मज़बूर-संघ को 'सिन्डीकेट' कहते हैं। ये सिन्डीकेट ही अपने-अपने द्वेष में माल के उत्पादन तथा सेवायरों की व्यवस्था करेंगे। समस्त उद्योगों के स्थानीय सिन्डीकेट 'बूस हु द्रेवेल' में सङ्गठित किये जावेंगे जिसके द्वारा उनका परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध होगा और जो राज्य के विभिन्न भागों के बीच पर्यायों के विनियम की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक व्यापार या उद्योग के लिये एक 'राष्ट्रीय केंद्रस्थान' होगा परन्तु उसमें पर नियन्त्रण स्थानीय 'इकूल' का होगा। इख उद्धटन का प्रांत ये घर्तमान मज़बूर-आन्दोलन से अनिष्ट रम्बन्ध है। इसलिये सिन्डीकेलिज्म को भली-भीति समझने के लिये उसको समझ लेना परम आवश्यक है।

भावी समाज में, जिसी सिन्डीकेट क्लबों बरते हैं, राजनीतिर राज्य जैसी कोई वस्तु नहीं होगी। सिन्डीकेलिस्ट बैन्ड्रीय शासन का सर्वथा विनाश चाहता है। केन्द्रीय शासन की उच्चा का विनाश करने और औद्योगिक आत्म-चाहाय तथा व्यक्तिवाद पर झोर देने में सिन्डी-

केलिज्म अराजकता का अनुसरण करता है जिसका एक प्रमुख व्याख्याकार प्रोवो (Proudhon) है जिससे सिन्डीकेलिस्टों ने प्रेरणा प्राप्त की। सिन्डीकेलिज्म के अनुसार भावी समाज किसान-मज़दूरों के छोटेछोटे गमुदायों का, जो सहकारी पद्धति के अन्तर्गत उत्पादन पर नियन्त्रण करेंगे (उसमें कोई केन्द्रीय शारण नहीं होगा), एक शिथिल संघ होगा। इस कल्पना के लिये भी सिन्डीकेलिज्म अराजकतावाद का ग्रण्णी है। एक अंग्रेज लेखक ने तो उसे “सझठित अराजकता” कहा है।

सिन्डीकेलिज्म की प्रमुख विशेषताएँ हैं केन्द्रीय दमनकारी चक्र का विरोध तथा सिन्डीकेलिस्ट समाज की स्थापना में वैधानिक उपायों के प्रयोग से घृणा। इसके उपयुक्त कारण मालूम करना वाद्धनीय है। इसका आंशिक कारण तो यह है कि फैंच मज़दूरों के प्रति राज्य का व्यवहार बहुत ही शनुतापूर्ण और उद्योगपतियों के साथ अत्यन्त मैत्रीपूर्ण रहा है। फैंच राज्य ने बड़ी अनिच्छापूर्वक मज़दूरों के अपने वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिये सझठन तथा कार्य करने के अधिकार को स्वीकार किया है। १६वीं शताब्दी की अन्तिम दशाओं तथा २०वीं शताब्दी के आरम्भ में बहुत से फैंच राजनीतिशों ने जिन्होंने समाजवादी के रूप में राजनीति में प्रवेश किया मज़दूर इकतालियों के दमन में सैन्य दलों का प्रयोग किया। समाजवादी मिलरों का उदाहरण प्रसिद्ध है जिसने सन् १८४६ ई० में बाल्डेक-रूसो के मन्त्रि-मण्डल में पद-प्रहण किया था। इस प्रकार के अनुभवों से सिन्डीकेलिस्टों में यह विश्वास पैदा हो गया कि राज्य आवश्यक रूप से पूँजीवादी या मध्यवर्गीय मंस्था है जिसका मुख्य कार्य शान्तिकाल में राष्ट्र के भीतर मज़दूरों के विकास और युद्धकाल में बाहरी शक्ति से पूँजीवादी गमुदायों की रक्षा करना है। इस प्रकार वे मार्स की इस उक्ति को मानते हैं कि राज्य पूँजीवादी शोपण का एक यन्त्र है जो अपनी प्रहृति के कारण हो मज़दूरों के हितों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। उस सामाजिक गझठन का रूप जाहे जो बुद्ध हो जिसमें राज्य विद्यमान है, उसकी यह प्रहृति छायम रहेगी। इस प्रकार अनुभव तथा सिद्धान्त दोनों ही से राज्य पे विद्ध अविराज उत्पन्न हुआ।

सिन्डीकेलिस्टों के राज्य के विरोध का एक दूसरा कारण यह है कि सिन्डीकेलिस्ट उपभोक्ता के दृष्टिकोण की अपेक्षा उत्पादक के दृष्टिकोण का प्रतिनिवित्व करता है जब कि राज्य उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता

है—उत्पादक का नहीं; जो अविकार एवं सत्ता राज्य में निहित होगी वह उपमोक्षात्रों की ही सत्ता होगी। सिन्डीवेलिज्म के अनुसार मज़दूरों को न केवल आर्थिक व्यवस्था पर बरन् राजनीतिक व्यवस्था पर भी नियन्त्रण करना चाहिये क्योंकि वे ही सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं।* समाज के जीवन में उनके महत्व के नारण सिन्डीवेलिज्ट लोग मज़दूरों को राष्ट्रीय जीवन में एक तथा उच्च, गौरवशूण और स्वतन्त्र स्थान देना चाहते हैं, जिसके बे अपने वार्ष के भारण उपस्थित है। समाज के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर मज़दूरों के नियन्त्रण पर वे जो जोर देते हैं उससे उनसे समन्विताद से भिन्नता प्रकट होती है। इसी से उसे शक्ति और उसका विशिष्ट रूप मिलता है। सिन्डीवेलिज्टों का ऐसे मज़दूरों की दशा में पेवल सुधार करना ही नहीं है, वे केवल मज़दूरी घडाने, काम के घरटे कम कर देने वा उचोग में सुधार से ही सन्तुष्ट नहीं होते। साधारण समाजादियों ने मज़दूरों को मुनाफे में हिस्सा देने, उचोगों का मालिनी तथा मज़दूरों की समितियों द्वारा प्रबन्ध और इन दोनों के बीच चिपादों के पंचायती निर्णय आदि की बिन योजनाओं को प्रस्तुत किया है, उनमे सिन्डीवेलिज्टों को कोई आर्थिक नज़र नहीं आता। सिन्डीवेलिज्ट मज़दूरों की ऐसी स्थिति में रख देना चाहता है, जिसमें वे स्वयं अपने काम तथा जीवन की अवस्थाओं वा निर्णय कर सकें जिनमें उनकी रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन तथा व्यक्तिगत का विकास हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, सिन्डीवेलिज्म मज़दूरों को समाज में सत्ता के पद पर देखना चाहता है। यह सब उस तमय तक सम्बद्ध नहीं है जब तक उत्पादन के भौतिक साधनों पर पूँजीपति का अधिकार पूँजी नियन्त्रण है। जब तक पूँजी पर से व्यक्तिगत स्वामित्व न उठा दिया जायगा तब तक मज़दूरों का सम्पत्ति के स्वामियों द्वारा शोषण होता रहेगा।

इस प्रकार सिन्डीवेलिज्म पूँजीपतियों तथा मज़दूरों के बीच यां-संघर्ष के सिद्धान्त को जा पहुँचता है जो कार्ल मार्क्स द्वा एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। यह इस धारणा पर चलता है कि मज़दूरों तथा पूँजीपतियों

* सिन्डीवेलिज्म के अनुसार समाज साल: सम्पत्ति के उत्पादकों का एक समुदाय है। 'उत्पादक यी हैंसियन में मनुष्य का जो प्रायमिक काम है, उसी से उसकी सामाजिक मनोगुणि का निर्माण होता है।' (Wasserman : op. cit., p. 123.)

में कोई भी समझौता सम्भा नहीं है; उनमें सुनातन संघर्ष रहेगा। अपने गुप्तर के लिये मज़दूरों को उत्पादन के साधनों पर अधिकार प्राप्त करना होगा। इसके लिये पूँजीपतियों का निष्कारण तथा उसके समर्थक राज्य का विनाश आवश्यक है।* इस प्रकार सिन्डीकेलिंगम के सिद्धान्त का एक भाग आर्थिक आधार-सम्बन्धी धारणा तथा वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त, कार्ल मार्क्स की देन। इसे हम मार्क्सवाद, अराजकतावाद और कान्तिकारी मज़दूर-सवाद का मिथ्या कह सकते हैं। इन तीनों के कुछ अंशों से एक नये सिद्धान्त का निर्माण हुआ।

सिन्डीकेलिंगम की प्रणाली—

सिन्डीकेलिंग्स्टों ने अपने स्वेच्छा प्रकृति पर इतना ज़ोर नहीं दिया जितना उसकी प्राप्ति के साधनों पर। राज्य के प्रति मज़दूरों तथा पूँजीपतियों में समझौते की सम्भावना में अविश्यास के कारण ही उन्होंने पैदानिक मार्ग को अस्थीर करके सीधी कार्यवाही की प्रणाली को ग्रहण किया है। ग्रामांजिक संगठन में शान्तिमय कांति पैदा करने के लिये संसद में बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से वे चुनावों का समर्थन नहीं करते। जैसा कि ऊर उल्लेख किया जा चुका है, कान्त में समाजवादी मतियों पर समर्थन में उनका अनुभव बड़ा कहुआ था। उनके लिये अपने उद्देश्य में सफलता-प्राप्ति के लिये वर्गीय चेतना तथा कान्तिकारी भावना को तीव्र रूप देना अनिवार्य है। यदि संसद-प्रणाली को स्वीकार किया जाय तो ये दोनों ही कुंठित हो जायेंगी। संसद का मज़दूर-मदस्य अपनी कान्तिकारी भावना से बेटेगा और उसमें पैदानिक सुधार की भावना जाएत ही जायेगी। यह संसद में अपने निर्वाचन द्वेष का प्रतिगिरित्य करने जाता है, मज़दूरों के हितों की लड़ाई लड़ने नहीं। ऐसे प्रतिनिधियों से मज़दूरों को अधिक आशा नहीं रखनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि राज मज़दूर एक साथ मिलकर मत दें, राजनीतिक प्रश्नों पर उनके विचार भिन्न हो सकते हैं। सांसद कार्यों में सफलता प्राप्त करना आसान यात नहीं है। इन काररणों से सिन्डीकेलिंग्स्टों ने संसद-प्रणाली को त्याग दिया है जिसका समष्टिवादी दृष्टि प्रबल रूप से अनुमोदन करते हैं और वे आधिक द्वेष में सीधी कार्यवाही (Direct Action) के पक्ष में हैं।

* परिचयीय राज्य, जैसे इंपरियल, प्रान्त और संयुक्त राज्य अमेरिका आय: पूँजीवादी प्रजातन्त्र यहे जाते हैं। राजनत्ता पूँजीशतियों के हाथ में है, अतः राज्य भी पूँजीपतियों के पक्ष में रहता है।

इडताल तथा सेबोटाज़ (Sabotage) सीधी कार्य-प्रणाली के दो रूप हैं। लैबल (Label) और बॉयकॉट (Boycott) भी दो छोटे अस्त हैं। 'लैबल' का प्रयोग केवल सिन्डीकेलिस्ट ही नहीं करते, इसका प्रयोग नमस्त संसार के देशों में सज्जित मज़दूरों द्वारा किया जाता है। 'लैबल' से यह मालूम होता है कि अमुक पर्याप्त ऐसे कारणों में तैयार किया गया है, जिसमें मज़दूर-सहू के मज़दूर काम करते हैं। उपमोक्ष ऐसे माल को उरीदने से इकार करके जिस पर निश्चित मज़दूर-सहू का लैबल न हो मिल-भालिकों पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। यहिप्कार के भी अनेक रूप हो सकते हैं। माल की निन्दा, गलत समाचारों का प्रचार तथा कारोबार के गुप्त मेंदों को प्रकट कर देना भी ऐसे तरीके हैं जिनका सीधी कार्यवाही में प्रयोग किया जाता है। 'सेबोटाज़' का अर्थ है उद्योग की सुव्यवस्थित प्रक्रिया में गुप्त रूप से बाधा ढालना। मालिक के कारणाने में काम करते हुये, मज़दूर अनेक उपायों से मालिक के मुनाफे में कमी कर सकता है और उसे धाटा दे सकता है। 'जैसो तेरी बोमरी, वैसे मेरे गोत' के चिदान्त पर वह ठीक काम नहीं करता। वह तैयार माल को नाट कर देता है तथा मशीनों की अस्तव्यस्त कर देता है। वह समस्त नियमों का इस प्रकार से अक्षरशः पालन करता है कि उन्धादन के परिमाण में कमी हो जाय। सेबोटाज़ के दुष्ट रूप तो नेतिङ्ग ट्रॉफ से उचित नहीं है किन्तु उनके समर्थक उनका यह कहर अनुमोदन करते हैं कि वे सुदूर के अज्ञ हैं।

सीधी कार्यवाही का गवसे प्रभावशारी ढंग है इडताल। सिन्डीकेलिस्ट इडताल को उससे अधिक महत्व देते हैं। इडताल एक ही कारणाने तक या एक ही उद्योग तक सीमित हो सकती है। वह स्थानिक, प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय भी हो सकती है। गवसे उच्चम इडताल गामान्य इडताल (General Strike) है जिसक आशय है किसी महान् आधारभूत उद्योग या उद्योगों में वडी विशाल गंख्या में मज़दूरों द्वारा इडताल जिससे वह उद्योग अस्तव्यस्त ही जाय और इस प्रकार समाज मज़दूरों की शक्ति का अनुभव करे। इसके दुर्बले वारपानों में इडताल से सामान्य इडताल के लिये तैयारी होती है। उनमें मज़दूर-वर्ग में संगठन बढ़ता है, चेतना एवं उत्साह पैदा होता है और मज़दूरों तथा पूँजीपत्रियों में भेद तीव्रतम हो जाता है। यदि इडतालें असरल भी रहें, तब भी इनसे ये लाभ लो होते ही हैं। 'सामान्य इडताल' के चिदान्त का

विकास सोरेल ने किया है जो सिन्डीकेलिज़म का दार्शनिक भाना जाता है। वह उसे एक कल्पना (Myth) मानता है; इस कारण उस पर विचार या विवाद नहीं हो सकता।

सीधी कार्यवाही के किसी भी कार्य-क्रम को सम्भव या सफल बनाने के लिये सिन्डीकेलिस्टों को मज़दूरों का सझटन मज़दूर-संघों वा शिंडों-केटों के रूप में करना चाहिये। सिन्डीकेट के सदस्य के रूप में ही मज़दूरों में वर्ग-चेतना का विकास हो सकता है जो अत्यन्त आवश्यक है।

सिन्डीकेलिज़म का मूल्यांकन—

सिन्डीकेलिज़म के विरुद्ध आपत्तियों दो विभिन्न गों की ओर से की गई है। युछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समाज की श्रौयोगिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का नियन्त्रण पूर्ण रूप से मज़दूरों के हाथ में देने में खतरा दिखाई देता है। वे कहते हैं कि उपभोक्ताओं के कुछ उचित हित हैं जिनका संरक्षण होना चाहिये। इसका कोई निश्चय नहीं कि श्रौयोगिक मज़दूर सचा का दुरुपयोग करके उपभोक्ताओं के हितों पर आधात नहीं करेंगे। गिल्ड-समाजवादी इस उत्तरे का अनुभव करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये उन्हें प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करते हैं। अनेक समाज-वादी लेखकों ने सुधार-प्राप्ति के लिये वैधानिक उपायों का मूल्य बतलाया है। यदि मज़दूरों में अनुशासन और एकता हो, जिनके बिना साधारण हड्डताल कभी सफल नहीं हो सकती, तो इन गुणों की सहायता से वैधानिक उपायों द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती हो; हाँ, वह धीरे-धीरे अवश्य होगी। वास्तव में, यदि मज़दूर संसद में बहुमत प्राप्त कर लें तो सफलता की सम्भावना अधिक है (जैसा हाल में इंग्लैंड में हुआ है) और वह सफलता स्थायी भी होगी। वे इन दोनों रीतियों को शामिल करने पर जोर देते हैं; इस सम्बन्ध में भी, गिल्ड-समाजवादी सिन्डीकेलिज़म के सिद्धान्त में जो मूल्यवान् बात है, उसे ग्रहण कर लेता है और जिस वस्तु का वह निपेच करता है उसे स्वीकार करके उसकी एक-पक्षीयता को दूर कर देता है।

हड्डतालों की सफलता या कार्य-साधकता के सम्बन्ध में भी सन्देह किया जाता है। असफल हड्डतालों से मज़दूरों का नैतिक पतन हो जाता है; उनसे मज़दूरों में वर्ग-संघर्ष की चेतना तीव्रतम होने के स्थान पर शिथिल हो जाती है। उनसे निर्दोष तीसरे पक्ष की हानि होती है

जिसकी उदानुभूति मजदूर इस प्रकार खो देते हैं। बहुत से समाज-वादियों का यह भी विश्वास है कि समस्त मजदूरों को चुनाव में मत देने के लिये एकत्रित करना सामाज्य इकाताल के लिये उनका समर्थन प्राप्त करने से अधिक आसान है।

सिन्डीकेलिस्टों ने इन आलीचनाओं के औचित्य को स्वीकार करना आरम्भ कर दिया है। अब यह उिदान्त धीरे-धीरे नरम होता जा रहा है जिससे सिन्डीकेलिज्म तथा समाजवाद के बीच का भेद अस्फल होता जा रहा है। यब प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ, तो कांगड़े के राष्ट्रीय भजदूर-संघ (French General Federation of Labour) ने राज्य-विरोध और सैन्य विरोध का परित्याग कर दिया, समाजवादियों से मिलमर सरकार के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया और युद्ध-प्रयत्न में रहायता दी। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त अधिकाश सिन्डीकेलिस्टों ने मजदूरों को यह सलाह दी कि वे सिन्डीकेलिज्म की वर्ग-युद्ध की पुरानी भावना का परित्याग करके उद्योगों के विरोधी, प्रवर्धनी तथा वैशानिकों के साथ सहयोग करके आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में घृदि करें। इन वातों से सिन्डीकेलिस्ट विचारपाठ में नवीन प्रृतियों का परिचय मिलता है।

— - — — —

अध्याय १२

गिल्ड-समाजवाद (थ्रेणि-समाजवाद)

सिन्डीकेलिज्म का सिद्धान्त अपने जन्म-स्थान क्लान्स से इंग्लैण्ड पहुँचा जहाँ उसने कुछ परिवर्तन के बाद गिल्ड-समाजवाद (Guild Socialism) का रूप ग्रहण किया। अपने प्रारम्भिक रूप में सिन्डीकेलिज्म इतना कान्तिकारी एवं अराजक या कि वह इंग्लैण्ड के बातावरण के अनुकूल नहीं था। परन्तु उसमें ऐसे विचार हैं जिनकी कोई भी व्यक्ति, जो समाज की नवीन स्वयंस्था करना चाहता है, उपेक्षा नहीं कर सकता। समष्टिवाद पूँजीवाद के दोषों को दूर करने में असफल रहता है; कुछ विचारकों के अनुसार तो वह पूँजीवादी नौकरशाही से स्थान पर राज्य को नौकरशाही को बिटा देता है। वह मजदूरों को उनकी अभीष्ट वस्तु अर्थात् वह सत्ता नहीं दे सकता जिससे वे अपने जीवन तथा कार्य की अवस्थाओं का निर्धारण कर सकें। सिन्डीकेलिज्म यही बात चाहता है। परन्तु वह उपभोक्ताओं के हितों को उपेक्षा करता है और राजनीतिक प्रणाली या वैधानिक पद्धति का परित्याग करके बड़ी मूल करता है। उसकी स्थिति उस मल्ल के समान है जो अपने प्रतिद्वन्द्वी के साथ मल्लमुद में अपने हाथ को पहले ही से पीठ पीछे बांध लेता है। गिल्ड-समाजवाद सिन्डीकेलिज्म तथा समष्टिवाद में जो श्रेष्ठ तत्व है, उन्हें ग्रहण कर लेता है। वह एक के श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण कर दूसरे के दोषों का परिहार कर देता है। इस प्रकार गिल्ड-समाजवाद इन दोनों के मध्य का मार्ग है। यद्यपि वह सिन्डीकेलिज्म तथा समष्टिवाद के विरोधी दृष्टिकोणों में एक सामंजस्य स्थापित करता है तो भी उसकी मूल प्रेरक शक्ति उसे सिन्डीकेलिज्म से ही प्राप्त होती है।

गिल्ड-समाजवाद के मूल तत्व—

गिल्ड-समाजवाद का ध्येय उद्योग में उन लोगों के स्वराज्य का स्थापना करना, जो उसमें संनग हैं तथा वर्तमान वेतन-प्रया का अन्त

बरता है ? सिन्डीनेलिकम की भाँति वह यह मानता है कि मज़दूरों को जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह अधिक भीतिक बल्याण ही नहीं बरन् ऐसी अवस्था का निर्माण है, जिसमें उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियों का प्रत्यक्षीकरण हो सके । समाज के एक सर्वथा नवोन आधार पर नव-निर्माण की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वर्तमान अत्याचारों एवं दोषों के सभी स्रोतों का नाश हो सके । इसके लिये व्यक्तिगत पूँजी का नाश ही आवश्यक नहीं है बरन् समाज के राजनीतिक संगठन में आनूल-चूल परिवर्तनों की भी आवश्यकता है । गिल्ड-समाजवादी समिटिवादों वी इस बात को सो स्वीकार कर लेता है कि राज्य या समाज का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होना चाहिये परन्तु उससे इस बात में सहमत नहीं है कि उद्योगों का वास्तविक संचालन सरकार के हाथों में हो । वह उसे प्रत्येक उद्योग में, गिल्डों (Guilds) के रूप में संगठित मज़दूरों के हाथों में रखना चाहता है । इस प्रत्यंग में, उसमें और सिन्डीनेलिट्टों में भौतिक इतें—एक चपरासी से लेकर एक विरोपण तप्त प्रबन्धक तक । प्रत्येक कारपाना अपने प्रबन्धक का चुनाव परने में स्वतन्त्र होगा और प्रत्येक कारपाना राष्ट्रीय गिल्ड द्वारा किसी उद्योग के लिये निर्धारित नीति के अनुसार उत्पादन वी रोतियों पर नियन्त्रण करने में भी स्वतन्त्र होगा । प्रत्येक स्थानिक गिल्ड के प्रतिनिधि प्रादेशिक गिल्ड में भेजे जायेंगे और प्रत्येक प्रादेशिक गिल्ड अपने प्रतिनिधि राष्ट्रीय गिल्ड के लिये चुन कर भेजेगा । स्थानिक, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय सभी गिल्डों का संगठन प्रवातान्त्रिक आधार पर होगा । राष्ट्रीय गिल्ड उद्योगों के साधारण हितों तथा बलुओं के कल्याणिक के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा । इस प्रवार गिल्ड-समाजवादी सोग उद्योग में स्वराज्य की व्यापना करेंगे । परन्तु यह सब सिन्डीनेलिट्ट योजना का ही विशद रूप है । उसके प्रत्यावरों में जो बुद्ध मो नवीन धर्म है वह है समस्त उपमोक्षाओं एवं उत्पादन करने वालों के बराबर प्रतिनिधियों को एक नवोप सदुक्ष समिति (Supreme Joint Committee) स्थापित करना । इस समुक्ष समिति का काम प्रत्येक गिल्ड के लिये बह निर्धारित करना, जो उसे राज्य वी अदा करना पड़ेगा, बलुओं का मूल निर्धारित करना और यह निर्यंत्र करना होगा कि किसी गिल्ड ने अपने हितों की अधिक नहत्व देकर भगाज के हित को उपेक्षा करके अपने निवेप (Trust) का उत्तरान नो नहीं

किया है। इस संयुक्त समिति के द्वारा उपभोक्ता उन विषयों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकेंगे जिनसे उनका सम्बन्ध है। इस प्रकार सिन्डीकेलिस्ट योजना में जो भारी कमी है वह गिल्ड-समाजवादी योजना में नहीं है। इसमें उत्पादन करने वालों के हाथों में उद्योगों का नियन्त्रण सोपने के सिद्धान्त को छोड़े बिना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये व्यवस्था की गई है। गिल्ड-समाजवादी व्यवस्था में राज्य समाजवादियों के दृष्टिकोण का जो मनुष्यों को केवल उपभोक्ता से रूप में ही देखते हैं सिन्डीकेलिस्टों के दृष्टिकोण के साथ जो मनुष्यों को केवल उत्पादन करने वालों के रूप में ही देखते हैं सामाजिक स्थापित किया गया है। इस प्रकार गिल्ड-समाजवाद सिन्डीकेलिस्टम तथा राज्य समाजवाद के बीच में सन्तुलन स्थापित करता है।

ऊपर जिस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका तार समाज की उत्पादन-सम्बन्धी कियाओं को राजसत्ता से स्वतन्त्र कर देना और मज़दूरों को पूँजीपतियों के शोषण से भी मुक्त कर देना है। अब प्रश्न यह उठता है कि गिल्ड-समाजवादी की कल्पना में राज्य की क्या स्थिति होगी और उसके बया कार्य होंगे। इस सम्बन्ध में गिल्ड-समाजवादी लेखकों के विचारों में भौतिक्य नहीं है। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वे सिन्डीकेलिस्टों अथवा अराजकतावादियों के समान राज्यविरोधी नहीं हैं। वे यह मानते हैं कि देश-रक्षा, अपराधों आदि से रक्षा, शिक्षा, क्रानून, कर-नियांरण, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और अन्य राजनीतिक कार्यों का नियमन तो चर्चामान् पार्लामेंट के समान सङ्घठित संस्था द्वारा ही सम्भव है, जिसमें नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार की संस्था राजनीतिक मामलों में स्वतन्त्र होगी और राष्ट्रीय गिल्ड-कॉमेस समस्त श्रीयोगिक मामलों में सर्वोपरि होगी। इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में भी लेखकों में भत्तेद हैं। इस समस्त्या पर जो दो विभिन्न विचारधाराएँ हैं इनके प्रतिनिधि हॉस्पिट और कोल हैं।

हॉस्पिट के अनुसार राज्य समाज के विभिन्न अंशों के प्रतिनिधि समुदायों से भिन्न समाज का प्रतिनिधि है। अतः सैद्धान्तिक रूप से उसे उन मनके ऊपर होना चाहिये। यह सत्ता का आदि स्रोत बना रहेगा और विभिन्न समुदायों के बोन्च जो विचार होंगे उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देगा। राज्य को सर्वोच्च स्थान अथवा प्रभुत्व देने में हॉस्पिट के विचार राज्य-समाजवादियों के समान है। दोनों में अन्तर केवल इतना

हो है कि राज्य-समाजवादियों की अपेक्षा हॉब्सन ने राज्य को बहुत कम कार्य सीखे हैं। उसके अनुसार श्रौद्धोगिक गिल्ड समस्त आर्थिक कार्यों को अपने हाथ में लेकर राज्य के लिये केवल राजनीतिक कार्य ही छोड़ देगा। राज्य उद्योग के नियन्त्रण एवं नियमन का कार्य नहीं करेगा परन्तु जब कोई सार्वजनिक नीति से सम्बद्ध ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा जिसका नागरिकों पर प्रभाव पड़ता हो जैसे, सही विदेशी मज़दूरों की भर्ती या बेतन प्रणाली की प्रतिष्ठा, तो वह अपनी सत्ता का प्रयोग करेगा। इस प्रकार हॉब्सन राज्य को केवल राजनीतिक कार्य ही प्रदान करता है। वह केवल उसके कार्यों को सीमित करता है।

✓ कोल बहुवादी है। वह राज्य को सब समुदायों के ऊपर नहीं मानता। उसके विचार में वह एक आवश्यक संस्था है, जो उपभोक्ताओं की प्रतिनिधि है परन्तु किसी प्रकार भी उसका उन संस्थाओं पर प्रभुत्व नहीं है जो उत्पादन करनेवालों, समान धर्मवालों आद्यवा अन्य प्रकार वे समान लोगों की प्रतिनिधि हैं। उसे अन्य संस्थाओं के समकक्ष ही स्थान मिलना चाहिये। उसे अपने विशेष कार्यों के सम्पादन के लिये आवश्यक सत्ता ही मिल सकती है। परन्तु वह सर्वोच्च या प्रभुतासम्पन्न नहीं हो सकता जिस रिप्टि में हॉब्सन ने उसे रखा है।

✓ यदि हम, हॉब्सन तथा कोल के बीच जो मतभेद हैं उस पर ध्यान न दें और केवल उन कार्यों पर विचार करें जिन्हें गिल्ड-समाजवाद राज्य को सीखता है, तब वह स्पष्ट हो जाता है कि गिल्ड-समाजवाद का मार्ग उम्पिटिवाद और सिन्हीकेलिज्म के बीच का मार्ग है। सम्पिटिवाद के सिद्धान्त के द्वारा राज्य पर जो ज़ोर दिया गया है, उसका वह परिणाम कर देता है और सिन्हीकेलिज्म के द्वारा राज्य का जो नियेध दिया गया है, उसे वह स्वीकार नहीं करता। वह राज्य को कादम रखता है परन्तु उसके कार्य बहुत कम कर देता है।

✓ जब हम गिल्ड-समाजवाद द्वारा उद्योगों पर मज़दूरों के नियन्त्रण को स्थापित करने और उसकी भावना के अनुसार मज़दूरों की एक सहयोगी संस्था (Commonwealth) स्थापित करने के सम्बन्ध में गिल्ड-समाजवाद की रीतियों पर विचार करते हैं तब भी हम उसमें सिन्हीकेलिज्म और सम्पिटिवाद के बीच के मार्ग को स्वीकार करने की प्रवृत्ति देखते हैं। गिल्ड-समाजवादी भी सांख्य प्रणाली की व्यर्थता का अनुभव करते हैं और राजनीतिक कार्य का विरोध करते हैं; परन्तु वे उसमा पूर्ण रूप से

त्याग नहीं करते। वे उसे मज़दूर-वर्ग को शिक्षा देने और पूँजीवादी वर्ग के कार्यों के अवरोध के लिये एक साधन के रूप में कायम रखते हैं। जब तक वर्तमान राज्य का सङ्गठन और उसकी कार्य-पद्धति जैसी इस समय विद्यमान है, वैसी ही बनी रहेगी, वब तक केवल व्यवस्थापन-विधि द्वारा वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में गिल्ड-समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना सम्भव नहीं है। इस कारण वे आर्थिक साधनों एवं रीतियों पर निर्भर रहते हैं। परन्तु वे आर्थिक साधन हड्डताल या सेबोटाज नहीं हैं, जिनका मिन्डीकेलिट्ट समर्थन करते हैं। अधिकांश गिल्ड-समाजवादी वर्तमान पूँजीवादी समाज को हिसात्मक ढङ्ग से उलट देने के सर्वथा विरुद्ध हैं। उनका यह विश्वास है कि वर्तमान व्यवस्था से नवीन व्यवस्था की ओर परिवर्तन क्रमशः विकासवादी ढङ्ग से होगा, यद्यपि वह नियोजित और नियमित रूप में होगा। इस प्रक्रिया में सबसे प्रथम पग के रूप में वर्तमान मज़दूर-समाजों का सङ्गठन इस प्रकार करना चाहते हैं जिससे वे आकार में बड़ी तथा राख्या में कम हो जायें। उनके सङ्गठन में किसी भी एक उद्योग में लगे सभी व्यक्ति एक गिल्ड में सम्मिलित किये जायेंगे। उनका सङ्गठन समाज की ओर से उद्योगों के संचालन के नियमित किया जायगा, पूँजीपतियों से लड़ाई लड़ने के लिये नहीं। वे सुसङ्घटित मज़दूर-समाज उत्तरोत्तर बढ़ते हुये नियन्त्रण की नीति (Encroaching Control) स्वीकार करेंगी जिसका उद्देश्य 'धोड़ा-योदा' करके नियन्त्रण के उन समस्त कार्यों को मज़दूरों के हाथों में सौंप देना है जो इस समय पूँजीपतियों के हाथों में है। इससे उन्हें अपने पर्यवेक्षक (Foreman) का चुनाव करने, मज़दूरों को नियुक्त करने तथा अलग कर देने और अनुशासन के नियमन का अधिकार प्राप्त हो जायगा। इन मज़दूर-समाजों का दूसरा कार्य सामूहिक ठेके (Collective Contract) के सिद्धान्त को लागू करना है। इसना अर्थ यह है कि उद्योगपति ग्रत्येक मज़दूर को उसके काम के लिये मज़दूरी देने की जगह पूरे काम के लिये एक मुश्त रकम दे देगा और मज़दूर अपने नियमों के अनुसार उत्ते परस्पर बॉट लेंगे। उद्योगपति जब इन दोनों विधियों को स्वीकार कर लेंगे तो इन से मज़दूरों को नियन्त्रण एवं प्रबन्ध का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होगा। उद्योगों पर पूँजीवादी नियन्त्रण को धोरे-धोरे हटाकर मज़दूरों का नियन्त्रण कायम करने में यह एक अग्रगामी पग होगा।

‘दयरि गिल्ड-चनाववादी चान्तिक दमा विकासवादी परिवर्तन चाहते हैं, दयरि वे पूँडीपटियों को और ते विरोध होने पर या सब किसी स्थिति में आवश्यक दातुलार हिला के प्रयोग का निरेष नहीं करते। गिल्ड-चनाववाद की राहियों की प्रवृत्ति कीज के निम्नलिखित राहों द्वारा मत्ती माँति स्तु ही जाती है। “डिन स्पेच की पूर्ति करनी है, वह प्रारम्भ में ही क्षान्ति नहीं है वरन् विकासवादी छान ते उनस्तु शृंखियों का उद्घाटन इच प्रकार कर हेता है विस्ते क्षान्ति, जो एक दृष्टि ने आवश्य दोगों, यह-युद का कन ने कन रूप धारण कर नके और जो लिंग तथ्यों की स्वीकृति तथा पहिसे से ही कियाई अवृत्तियों की अन्तिम परिवर्ति के रूप में ही दयारम्भ अधिक से अधिक प्रकट हो।”*

व्यावसायिक सिद्धान्त—

‘भावी गिल्ड-चनाववादी चनाव के लक्ष्य में इन्हें विचारों का विकास करने के सम्बन्ध में कोल और हॉन्टन दोनों ने व्यावसायिक सिद्धान्त (Functional Principle) का विस्तृत रूप से प्रयोग किया है। उन्होंने वर्दनान प्रवाहांत्रिक संस्थाओं की आलोचना करने ने भी उसका प्रयोग किया है; गिल्ड-चनाववाद के दर्शन में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। आवश्यक को प्रशाली के अनुसार राष्ट्रीय पार्लामेंट में एक या दो प्रतिनिधियों को एक नियत प्रादेशिक चेत्र से चुनकर मेंद्र देने से उसका प्रबाधन चार्दांचित नहीं हो सकता। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उपाधिन प्रतिनिधि-संस्थाएँ चालव में सभ्ये रूप में प्रतिनिधि-संस्थाएँ नहीं होती। इसका बास्तु यह है कि ऐना उनका जाता है कि वह प्रतिनिधि एक प्रादेशिक चेत्र में नियात करनेवाले समत व्यक्तियों के विविध हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह नईया परिहासजनक तथा असम्भव बात है। कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, कई व्यक्तियों का तो और भी नहीं। वह विवल उच्ची हित का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो दूसरों का भी नहान हित हो। क्योंकि एक अस्पानक है, स, ग तथा घ का यदि वे अस्पानक हैं, और वहाँ तक वे अस्पानक हैं वहाँ तक, प्रतिनिधि उन उच्चता है। परन्तु यदि वे अस्पानावी, अस्पानावी, जनोदार या उबोद्ध-उनावी हैं तो, यदि वह स्वयं उक मठ का नहीं है, उनका उन रूपों में प्रतिनिधि नहीं हो सकता। चौंकि अत्येक व्यक्ति के हित अनेक प्रकार के होते हैं,

* Quoted by Coker : Recent Political Thought, p. 271.

अतः अपने हितों के प्रतिनिधित्व के लिये उसे उतने ही प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी जितने कि उसके हित हैं। इस प्रकार सच्चा प्रतिनिधित्व भौगोलिक या प्रादेशिक आधार पर नहीं वरन् व्यावसायिक आधार पर होना चाहिये। “समाज उसी समय सच्चे रूप में प्रजातांत्रिक होगा जब कि वह ऐसी व्यावसायिक प्रतिनिधि-संस्थाओं का एक जाल साबन जायगा, जिनमें से प्रत्येक उसके सदस्यों के विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।”^१ वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जनता कई विभिन्न प्रयोजनों के लिये कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। ऐसे प्रतिनिधि जनता के कुछ सीमित उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, सबका नहीं। इस प्रणाली का अन्त कर देना ही उचित है।

✓ व्यावसायिक सिद्धान्त के आधार पर सगठित समाज के लिये प्रतिनिधित्व के प्रादेशिक आधार का पूर्ण रूप से परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वह उन हितों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिये आवश्यक है, जो एक ही समाज के सदस्य होने के कारण लोगों में सामान्य होते हैं; जैसे, कानून, कर, रक्षा, शिक्षा आदि। इसलिये हमें व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के नवीन सिद्धान्त के साथ-साथ पुराने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को भी उचित स्थान देना चाहिये। इन दोनों में से कोई भी एक सिद्धान्त पूर्ण नहीं है; प्रत्येक के लिये दूसरे की एक पूरक के रूप में आवश्यकता है।

✓ उक्त दोनों सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित गिल्ड-समाज में निम्न प्रकार की तीन संस्थाएँ होंगी: (१) एक राष्ट्रीय पार्लामेंट जिसका संगठन प्रादेशिक आधार पर होगा और जो उन मामलों का प्रबंध करेगों जिनका समूचे राष्ट्र से सम्बन्ध है और जिनमें समस्त नागरिकों के सामान्य हित है, जैसे देश-रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कर-निधारण, यातायात, न्याय-प्रबन्ध। यह संस्था वर्तमान पार्लामेंट से भिन्न नहीं होगी। (२) कुछ राजनिक प्रादेशिक संस्थाएँ जिनका संगठन भारत में मुनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका या ज़िला बोर्ड या इंग्लैंड की काउंटी और बरो कौसिलों के समान होगा। ये संस्थाएँ ज़िल, प्रकाश, स्नास्य, सफाई, नगर-रक्षा आदि का कार्य करेंगी। इनका निर्माण भी भौगोलिक आधार (Geographical basis) पर होगा। (३) तीसरा प्रकार को संस्थाएँ कई व्यावसायिक समाएँ या संघ (Pro-

* Joad : Modern Political Theory, p. 77.

fessional Guilds) होंगे जो तीन प्रकार के हों—रथानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय। गिल्ड उत्पादन सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करेंगे, जैसे कारखानों में काम की अवधारणाएँ, काम के घरेटे, वेतनों की दर, बनाये जानेवाले माल की मात्रा तथा बस्तुओं के मूल्यों का निश्चय। इन गिल्डों की स्थापना व्यावसायिक आधार पर की जायगी। उत्पादन की मात्रा तथा बस्तुओं के मूल्यों के प्रश्नों पर, जिनका सम्बन्ध उपभोक्ताओं से भाँ है, निर्णय करते रहम गिल्ड उपभोक्ता-समितियों से भाँ मन्द्रणा करेंगे।

‘इस प्रकार के समाज की स्थापना का स्वाभाविक परिणाम होगा समाज में विविध संस्थाओं के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन। स्थानीय तथा प्रादेशिक संस्थाओं और व्यावसायिक गिल्डों को अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से वार्द करने का अधिकार होगा। देन्द्रीय पालींगट के बजाए अपने क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक प्रश्नों पर ही विचार करेंगी और उनके कामों में इस्तेव बिलकुल नहीं वरंगी। उत्ताओं और कार्यों का इस प्रकार का वितरण कागड़ पर मुद्र में ही प्रतीत हो किन्तु यह सन्देहास्पद है कि यह मुनाफ़ रूप से कार्य रूप में परिणत हो सकेगा। आधुनिक जटिल समाज की विविध क्रियाओं की अन्योन्याधिनता के कारण इस प्रकार का विभाजन असम्भव है। आर्यक समस्याओं का अन्तर्राष्ट्रीय उमस्याओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार उत्पादन पर नियन्त्रण गिल्डों को सीपना और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियन्त्रण राज्य के अधीन रखना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के वितरण से इस सिद्धान्त का स्वयं नाश ही जायगा।’

‘गिल्ड-समाजवादी लोग समाज के वर्तमान संगठन और रक्खना की आलोचना के बजाए आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर ही नहीं बरन नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर भी करते हैं। राजनीतिक प्रजानन्द की उन्होंने जो आलोचना की है, उस पर विचार किया जा सकता है। उनकी आर्थिक आलोचना पूँजीवाद के विद्व उमाजवादी तर्क की मुनराहति ही है। उनका नैतिक तर्क इस दोष के उद्घाटन या एक प्रयत्न है कि सम्पत्ति के स्वामों को दिना किसी समाज सेवा के ही मुनाफ़ा मिलता है। यह नैतिक दृष्टि से सर्वथा गलत है कि समाज को एक ऐसे मिद्दान पर अग्राहीत किया जाय जिसमें कर्तव्य की अपेक्षा घन प्राप्ति पर विशेष जौर दिया जाता है। सम्पत्ति पर स्वामित्व का किसी सामाजिक प्रयोजन से सम्बन्ध नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्पादन की वर्तमान

प्रणाली इसलिये गलत है, कि वह मज़दूरों को मानवत्व से हीन बना देती है; उसे मर्शीन का एक पुर्जा मात्र बना देती है और अपना कार्य करने में उसे गौरव अनुभव करने से बंचित कर देती है। वह उसमें कारीगरी को प्रोत्तराहन देने के स्थान में उसका दमन करती है। उनकी मुख्य समस्या एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिससे मज़दूर में कार्यकुशलता ही नहीं बढ़ेगी बरन् वह अपने कार्य में गौरव का भी अनुभव करने लगेगा और कला एवं कौशल का पुनर्जीवन होगा। ये आर्थिक द्वेष में मज़दूर-मालिक के सम्बन्धों का अन्त कर देना चाहते हैं या कम से कम उनमें परिवर्तन कर देना चाहते हैं। गिल्ड की रचना इसी प्रयोजन से की गई है। उसका उद्देश्य उद्योगपतियों द्वारा अतिक्रमण के विशद् मज़दूरों के हितों की रक्षा करना नहीं है। उसका सङ्गठन ट्रेड यूनियन (मज़दूर-संघ) अथवा सिन्डीफेट की मौति संघर्ष तथा आत्मरक्षा के लिये नहीं है। उसका व्येय अधिक निश्चित एवं श्रेष्ठ है। उसकी व्यवस्था का लक्ष्य समाज की ओर से उद्योग का नियन्त्रण तथा मज़दूर की रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करना है, जिससे वह अपने समाजिक कार्यों का सर्वोत्तम रूप से सम्पादन कर सके। व्यक्तियों में समाज-सेवा के आदर्श की प्रतिष्ठा करके, जिसका आजकल अभाव है, वह उत्पादन की वृद्धि और उसके आदर्श को ऊँचा करना चाहता है।

गिल्ड-समाजवाद आवश्यक रूप से एक ऐसा सिद्धान्त है जिसकी बुद्धिमान व्यक्तियों ने स्थापना की है; यह मज़दूर वर्ग के आनंदोलन के रूप में विद्यमान नहीं है। इस बात में, यह सिन्डीकेलिज़म से भिन्न है, जो प्रायमिक रूप में एक आनंदोलन है और जिसका लक्ष्य मज़दूरों में एक क्रान्तिकारी भावना का प्रादुर्भाव करके क्रान्तिकारी रूप से वर्तमान प्रणाली का अन्त कर देना है। इसका इङ्लैंड में सङ्गठन हुआ परंतु आर्थिक मंदी तथा बेरुकारी के कारण यह पनप नहीं सका। गिल्ड-समाजवाद की आस-फ्लता का दूसरा कारण यह था कि उसके नेताओं के विचारों में विभिन्नता दोनों के कारण कोई स्थायी संगठन कायम करना कठिन हो गया। एक संगठन के रूप में गिल्ड समाजवाद का अन्त हो चुका है परन्तु इसके कई बड़े प्रभाव हुए हैं। इसने मज़दूर-संघों, समाजवाद तथा उद्योगकालीन सिन्डीकेलिज़म की नीतियों में स्थायी परिवर्तन कर दिये हैं।

इस सिद्धान्त के इतिहास के विषय में कुछ उल्लेख कर देना उचित होगा। इसके आधारभूत विचार सर्वप्रथम पेंटो ने सन् १८०६ ई० अपने

लेखों में प्रकट किये, जिहने मध्य-कालीन दस्तकारी के दुन्हीयन के लिये मनाह दी, जिसमें कारीगर उन यंत्रों का स्वामी होता था जिसे उत्पादन किया जाता था तथा वही उत्पादन की मात्रा का भी निश्चय बरता था। परन्तु इस सम्प्रदाय का सङ्गठन सन् १८१४ई० में हॉब्यन तथा ओरेज ने विद्या जिन्होंने National Guild नामक अपनी पुस्तक में गिल्ड-समाजवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के प्रसिद्ध व्याख्यानार कोल, टॉनी और वैट्रेएड रसल हैं। सन् १८२०ई० में गिल्ड की वहना के सम्बन्ध में क्रियात्मक परीक्षण भी किये गये जब कि मजदूरों के लिये एक वही सख्ता में मकान बनाने के लिये आवश्यकता अनुभव हुई जो व्यक्तियों के निजी प्रयत्नों द्वारा पूरी नहीं हो सकती थी। यह परीक्षण पर्याप्त रूप में सफल रहा। परन्तु सरकारी सहायता बन्द हो जाने, मजदूरों के वेतन में कमी हो जाने तथा बेकारी वढ़ जाने के कारण मकान निर्माण करने वाले गिल्डों का सत्तमा हो गया।

अध्याय १३

अराजकतावाद

सामाजिक पुनर्निर्माण के आधुनिक सिद्धान्त का विवेचन अराजकतावाद के प्रतिपादन के बिना अधूरा रहेगा। अराजकतावाद (Anarchism) का केन्द्रीय विचार बहुत ही सरल है । इस सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक सत्ता या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किसी भी रूप में शासन अनावश्यक एवं अवाल्यनीय है। राज्य एक अनावश्यक अभिशाप है; आदर्श समाज में इसका कोई भी स्थान नहीं हो सकता। इस अर्थ में अराजकतावाद कोई नवीन मिद्दात नहीं है। इसका वर्णन प्राचीन चीनियों और यूनानियों के लेखों में मिलता है। इसके जन्म से ३०० वर्ष पूर्व चीनी लेखक चुआग त्जू ने लिखा था कि “एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शासन मानव प्रकृति के उसी प्रकार विरुद्ध है जैसे कम्पास और रक्षायर का प्रयोग मिट्टी या लकड़ी के सम्बन्ध में।” इसी प्रकार कुछ यूनानी स्टॉइक् दर्शनिक भी मानते थे कि सुखी एवं श्रेष्ठ जीवन के लिये राज्य की सदस्यता आवश्यक नहीं है। किन्तु इन प्राचीन लेखों ने आधुनिक लेखकों के समान इस विचार का प्रयोग एक नवीन शासन-सत्ता-विहीन सामाजिक संगठन के निर्माण के आधार के रूप में नहीं किया। इन्हें भी और गॉडविन ने, फ्रान्स में प्रतिरक्षा और प्रोधों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका में थोरो, वारेन तथा ट्यूकर ने और रस्ते में बाकूनिन तथा प्रिन्स कोपोटकिन ने अपने-अपने छङ्ग से यह दिखालने का प्रयत्न किया है कि बिना राजकीय सत्ता के प्रजा किस प्रकार शान्ति और सुरक्षा जीवन बिता सकती है। अनेक महत्वपूर्ण बातों में उनकी योजनाओं में भेद है। उन पर यहाँ विस्तार के साथ विचार नहीं किया जायगा।

पुराने विचार तथा नवीन विचार में एक दूसरी बात में भी भेद है। आधुनिक अराजकतावाद का इस विश्वास से घनिष्ठ सम्बन्ध है कि भूमि

तथा पूँजी पर समाज का स्थानित हो और इस प्रकार अराजकतावाद का साम्यवाद (Communism) से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। अराजकतावाद का एक महत्वपूर्ण रूप 'साम्यवादी अराजकतावाद' भी कहलाता है। हम इसी रूप के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे। परन्तु इस प्रमाण पर विचार करने से पूर्व साम्यवाद तथा अराजकतावाद के पारस्परिक सम्बन्धों पर, लिखके करण उसका नाम साम्यवादी अराजकतावाद पड़ा है, मिलाकर लेना उचित होगा।

अराजकतावाद और साम्यवाद—

"इन दोनों सिद्धान्तों का एक ही लक्ष्य है। वे राज्यहीन नथा वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। परन्तु उसकी प्राप्ति के गापनों के सम्बन्ध में अराजकतावाद के पूर्ण आचार्यों का साम्यवादियों से मतभेद था। बाकुनिन ने, जिसने अराजकतावाद को एक निश्चित रूप दिया और इस सम्बद्धाय का महान भी लिया, राज्य की समाजवादी मानित के साधन के रूप में अस्तीति करने पर जोर दिया जब कि काल मार्क्स और उसके जर्मन तथा अंग्रेज अनुयायी उसे किसी रूप में कायम रखने के पक्ष में थे। इन दोनों में मतभेद यहाँ तक बढ़ गया कि बाकुनिन और उसके साम्यवादी अनुयायियों को सन् १८७२ में अन्तर्राष्ट्रीय सघ (International) से निराल दिया गया। इन दोनों में जो मतभेद है उसका सार यह है। साम्यवादियों का विचार है कि वर्तमान स्वरूप तथा भावी राज्यविहीन समाज के स्वयं में अभिसर वर्ग का अधिनायकतन्त्र बाकी लम्बी अधिक तक ग्रहण रहेगा; अराजकतावादी बहते हैं कि हिसा तथा दबाव के आधार पर कायम अधिनायकतन्त्र स्वतंत्रता तथा ऐच्छिक सहयोग के सिद्धान्त पर आवारित समाज की स्थापना नहीं कर सकता। अराजकतावाद की हाइ में राज्य का न तो गंकमरुचान में और न नये समाज की स्थापना के बाद ही कोई उपयोग है।"

/प्रो॰ जोड ने अपनी Modern Political Theory नामक पुस्तक में लिया है कि पूर्वकालीन मतभेदों के बाबजूद भी आधुनिक काल में जो प्रवृत्तियों देख पड़ती है उनके कारण दोनों में यहाँ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होगया है। रूसी साम्यवादियों के प्रभाव में साम्यवाद उग पदति का सिद्धान्त गात्र ही रह गया है, जिसके द्वारा वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था से नवीन व्यवस्था को और अग्रसर हो सकते हैं। पेवल इस बात को छोड़कर कि नवीन समाज राज्यविहीन, तथा वर्गविहीन होना चाहिये,

साम्यवाद भावी समाज को रूपरेखा के विषय में स्पष्ट रूप में दुछ नहीं कहता। अराजकतावाद इस त्रुटि की पृति कर देता है। यह उन मिद्दान्तों का वर्णन करता है जिनके अनुसार नवीन समाज की रचना होगी और अनुवादों को जपना जीवन व्यतीत करना होगा। दूसरे शब्दों में, अराजकतावाद ध्येय या आदर्श का सिद्धान्त है; साम्यवाद उन साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा उम आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। यदि इसी बात को दूनरे छज्ज से कहा जाय तो “अधिकांश साम्यवादी अराजकतावादी समाज के आदर्श को परान्द करेंगे और बहुत से अराजकतावादी भी शायद त्वीकार करेंगे कि राम्यवादियों द्वारा अनुमोदित साधन इस धोन की प्राप्ति के लिये अधिक उपयुक्त हैं।”^{*} ऐसके कथन के अन्तिम भाग के मम्बन्ध में यह कहा जा नकता है कि दुछ समकालीन अराजकतावादी सोवियत रूस में जो धटानाएँ हुई हैं उनके कारण बड़े निराश हैं। उनका विचार है कि शातंरुवादी साम्यवादी शासन अराजकतावादी समाज की स्थापना में सहायक नहीं हो सकता; जिन साधनों का प्रयोग किया जाय उनसी उद्देश्य या लक्ष्य से दुछ संगति होनी चाहिये। अभिकार का अधिनायक तत्त्व स्वेच्छापूर्वक किये गये समझौते के आधार पर स्थापित स्वनन्न समाज से, जो अराजकतावादियों का लक्ष्य है, कोसों दूर है।

अराजकतावादी आदर्श—

अराजकतावादी का आदर्श समाज वर्गीन तथा राज्यहीन समाज होगा। भूमि तथा उत्पादन के अन्य भौतिक साधनों पर समाज का समानित्व हो जाने और पूँजीवादी वर्ग का अन्त हो जाने पर सम्पत्ति-शाली वर्ग तथा वेतन-भोगी वर्ग के बीच के भेदभाव का लोप हो जायगा। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अम को खरीदने का अधिकार नहीं होगा। क्रोपॉटकिन के अनुसार ऐसे समाज में वेतन की प्रथा नहीं होगी; प्रत्येक व्यक्ति को, जो दुछ उसे आवश्यक है, मिलेगा। अराजकतावादी का ध्येय है “प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करे और प्रत्येक अपनी आवश्यकता के अनुसार ले।” यह स्मरण रखने योग्य बात है कि अराजकतावाद उत्पादन की वस्तुओं और उपमोग की वस्तुओं में कोई भेद नहीं मानता। यह दोनों बातों में अकिञ्चन स्वामित्व का अन्त कर देता है।

* Joad : Modern Political Theory. p. 87.

‘अराजकतावादी समाज वा सङ्गठन पारस्परिक सहायता एवं सहकारिता के सिद्धान्त पर होगा, संघर्ष वा आदिम प्रतियोगिता के आधार पर नहीं। हॉन्स ने मानव प्रकृति का जो विश्लेषण किया है, जिसके अनुसार मनुष्य स्वार्थी एवं प्रतियोगितावादी है, भौलिक रूप से गलत माना जाता है। वहो गलती डार्विन के विहासधारी सिद्धान्त में है जिसमें ‘थोग्यता की विजय’ के सिद्धान्त की पुष्टि की गई है। पशु-जगत के विशद् अध्ययन से मुश्सिद अराजकतावादी नेता प्रिस क्रोपॉटकिन ने यह प्रमाणित किया है कि केवल वे ही पशु-जातियाँ जीवित रही हैं, जिनके सदस्यों ने बातावरण के विशद् अपने संप्राम में सहयोग से काम किया और जो पशु-जातियाँ परस्पर सहयोगपूर्वक काम भरी कर सकीं वे नष्ट हो गईं। जो कानून मानव-जगत का नियमन करता है, वह पशु-जगत के नियमों से भिन्न नहीं है। किसी भी समुदाय में सहकारिता के गुणों पर प्रतियोगिता के गुणों वा प्राधान्य इस बात वा प्रमाण है कि वह विनाश की ओर चापसर है। अपनी प्रकृति से मानव अच्छा एवं सामाजिक है, उसमें सहयोग की प्रकृति है। परन्तु मनुष्य में परोपकारिता एवं सामाजिकता की जो सामाजिक प्रधृतियाँ हैं, वे राज्य के नियन्त्रण तथा दबाव के कारण कुप्ति हो जाती हैं। प्रतियोगिता के बातावरण वा भी उन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिये मदि हम प्रतियोगिता का और उसके साथ ही राज्य की सत्ता वा भी परिवार कर दें तो मनुष्यों की स्वाभाविक मैत्री-भावना बढ़नी तथा गहरी होती जायगी और प्रत्येक वाहरी समुदाय को शत्रु समझने वा उसे भयभीत होने के स्थान पर वे उसे ऐसा मैत्रीपूर्ण समुदाय समझने लगेंगे जिसे उनको सदृश्यता प्रदं सहयोग की आवश्यकता है।

‘अराजकतावाद राज्य-विरोधी है। वह राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है और इसलिये उसका विनाश चाहता है। अराजकतावादी समाज में कोई दबाव वा कानून नहीं होगा और न शासन सत्ता ही होगी। अराजकतावाद आदि से अन्त तक बल-प्रयोग के विशद् है। परन्तु बल-प्रयोग के अभाव का अर्थ अवस्था का अभाव नहीं है। शासन की हितात्मक सत्ता के अभाव में अथवा उसके अभाव के ही कारण समाज में व्यवस्था एवं मेलमिलाप का प्रसार होगा। रवतन्त्र सहयोग तथा रवतन्त्र प्रबन्ध के वे स्वाभाविक परिणाम होंगे। विविध उद्योगों एवं व्यवसायों वा प्रबन्ध उनके लिये निर्मित ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जायगा। यदि सोधों के भवानों की आकृयकता होगी, तो भवान बनाने

बाले अपनी संस्थाएँ बना लेंगे और जनता आवश्यकता की पूर्ति के लिये मकान बनायेंगे। इसी प्रकार जिन लोगों की अध्यापन में अभिश्चिन्ह होगी। वे अपना एक अध्यापकमण्डल बना लेंगे और जो उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, उन्हें वे शिक्षा देंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय का संचालन उनमें हच्छि रखनेवाले व्यक्तियों की संस्था द्वारा किया जायगा। वे सब संस्थाएँ अपने अधिकारियों का चुनाव करेंगी, अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगी और स्वतंत्र व्यवस्था द्वारा वे एक दूसरे के काम में सहयोग देंगी। उनसे यह आशा की जाती है कि वे मिलकर काम करेंगी ज्योंकि वे सभी स्वाभाविक और स्वेच्छा से निर्मित होंगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसन्द की किसी संस्था का सदस्य होगा और उसे किसी भी समय उससे स्वागत देकर दूसरी संस्था का सदस्य बन जाने की स्वतंत्रता होगी। यदि उनके बीच कभी विवाद खड़े हुए, तो स्वेच्छा से स्थापित पंचायती न्यायालयों द्वारा उनके फैसले होंगे।

✓ ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न तो आलसी रहेगा और न उसे अधिक काम करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसन्द का काम ४ से ५ घण्टे तक करेगा और सबको पर्याप्त विभाग मिलेगा जिससे वे शान्ति और मुन्ह के साथ जीवन दिया सकें। दबाव कहीं नहीं होगा; सर्वथा सुव्यवस्था होगी। जो व्यक्ति इसमें सन्देह करते हैं कि स्वतंत्र मिलन तथा स्वतंत्र व्यवस्था के सिद्धान्त के फलस्वरूप इस प्रकार के सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकेगी उनको फौरियर का उच्चर यह है: “कुछ पत्थरों के टुकड़ों को लेन्ऱर एक बक्स में ढाल दीजिये और उन्हें हिला दीजिये। वे सब ऐसे सुव्यवस्थित रूप से जम जायेंगे जैसा उन्हें जानवूभक्तर जमाने से कभी नहीं हो सकता।”*

✓ आराजकतावादी समाज में स्वतंत्र ऐच्छिक रूप से निर्मित अनेक संस्थाएँ होगी जिनका संगठन बड़े-बड़े समुदायों में किया जायगा। कोरकर ने इस कल्पित ऐच्छिक समझौते का इस प्रकार वर्णन किया है—“हम अपने भवनों, राजपथों, भण्डारों, यातायात के साधनों, विद्यालयों आदि का उपभोग कर सकने की आपको गरिरटी देते हैं परन्तु इस शर्त पर कि आप २० वर्ष की आयु से लेकर ४५ या ५० वर्ष की आयु तक ४ या ५ घण्टे प्रतिदिन ऐसा कोई कार्य करें जो जीवनीपथोंगो माना जाय। जब आप चाहें तब इसी भी संस्था के सदस्य बन सकते हैं अथवा

* Joad, Ibid, p. 111.

नवोन कोई संस्था बना सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि वह किसी आवश्यक कार्य या सेवा का ज़िम्मा ले। ऐप समय में आप जिसके साथ चाहें उसके साथ रहें और अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार आमोद-प्रमोद, बला, विज्ञान आदि बातों में भाग लें। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप अब, घट्ट, भवन-निर्माण, यातायात आदि से सम्बद्ध किसी समुदाय में वर्ष में १२०० से १५०० धरणे तक कार्य करें। इसके बदले में हम आपसे समस्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गारण्टी देते हैं।¹ इस अवतरण में अराजकतावादी समाज के जीवन का बड़ा सुन्दर चित्र अंकित किया गया है। ऐस समाज में अखलतोप पैदा करने के लिये धनी तथा निर्धनों के भेद नहीं होगा, न उसमें आन्तरिक विवादों को पैदा करने या बड़ानेयाली कोई सरकार ही होगी। हितों का परत्पर सर्व प्रायद ही कभी हीगा, विरोध के अवसर कम होंगे और सब व्यक्ति मेल मिलाप से रहेंगे।

अराजकतावादियों द्वारा राज्य की निन्दा—

‘अराजकतावादी लोग राज्य को एक विशुद्ध धूराई और सर्वथा अना वश्यक तपा अचार्यालय धस्त भानते हैं। वे कहते हैं कि यह व्यर्थ है क्योंकि इससे किसी युक्तियुक्त ग्रंथोडन भी पिछि नहीं होती। राज्य को जो अभी तक विविध कार्य सीमे में हैं, उन्हें ऐच्छिक संस्थाएँ अधिक अच्छे ढंग से कर सकती हैं। राज्य का पूर्व इतिहास उत्साहप्रद नहीं है। उसने नागरिकों के नीतिगिरि अधिकारों का संरक्षण नहीं किया है। वह किमानों एवं मजदूरों को ज़मीदारी एवं पूँजीपतियों के शोषण से दुरबित नहीं रख सका है। मनुष्यों को नीतिक हृष्टि से थोड़ बनाने का जगह उसने पिशेषाधिकारों तथा विषमताओं को उत्पन्न करके और दूरित आर्थिक स्थिरता की रक्षा करके अपराधों की और प्रहृति बढ़ाई है। उसके बाराह अपराधों को कम करने के स्थान में और भी बढ़ाते हैं और उसके न्यायालय मुकदमे-बाजी को बढ़ाते हैं। वह पहले तो निर्दोष व्यक्तियों को अपराधी बना देता है और किर उन्ह दरड दंडर पक्षा अपराधा बना देता है। राज्य व्यक्तियों के मनमें विदेशियों के प्रति धृष्णा के भाव पैदा करता है और मानव-समाज को विभिन्न विरोधी तथा लड़ाकू राष्ट्रों या गुटों में विभक्त कर देता है। अपने सर्वधोष नागरिकों का जो एकमात्र उपयोग वह करता है, वह है उन्हें बाराह में बन्द रखना। राज्य को

* Coker : Recent Political Thought, p. 213.

सफलताएँ बहुत हो नगएय रही हैं; परन्तु मानवजाति को जो उससे ज्ञाति पहुँची है वह महान् है। विभिन्न राज्यों के बीच जो युद्ध होते हैं वे इस बात के यथेष्ट प्रमाण हैं।

राज्य को जो वस्तु बुरा बना देती है वह है शासकों द्वारा बल-प्रयोग। बल-प्रयोग दोहरी बुराई है। इससे उस व्यक्ति का सुतिकृ पतन होता है, जो उसका प्रयोग करता है, चाहे वह कितना ही सदाशय वर्यों न हो। वह उसे अभिमानी, उद्धत, स्वार्थी तथा निर्दयी बना देता है। एक बार उसका स्वाद ले लेने पर वह उसे सदा अपने अधिकार में रखना और उसका विस्तार करना चाहता है और यमस्त उपायों का प्रयोग कर अपने अधीन मनुष्यों को विभक्त और विक्षिप्त रखना चाहता है। कोपॉटकिन ने कहा कि “अमुक निन्दनीय मन्त्री एक थेष्ट व्यक्ति हुआ होता, यदि उसे सत्ता न दी गई होती।” जिस व्यक्ति पर बल-प्रयोग किया जाता है, उससे उसकी मानवता नष्ट हो जाती है। मनुष्य को यह शिक्षा देनी चाहिये कि वह थेष्ट काम करे क्योंकि वह थेष्ट है और क्योंकि उसे थेष्ट कार्य करना पसन्द करना चाहिये, इसलिये नहीं कि सरकार ने उसका आदेश दिया है। इस प्रकार की प्रवृत्ति़ उसी समय पैदा हो सकती है, जब कि राज्य का अस्तित्व न रहे।

अराजकतावादी के अनुसार व्यक्तियों को राज्य की व्यर्थता का अतुभय कराने में बाबा इसलिये उपस्थित—होती है—कि मनुष्य में प्रतियोगिता, स्वार्थ, असामाजिकता आदि दुर्गम्यों का प्रधान्य मान लिया जाता है जिनको रोकने के लिये किसी प्रकार की शासन-सत्ता की ग्रावयन्यकता भी माननी पड़ती है। इम यह देख चुके हैं कि अराजकतावाद इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह यह मानता है कि मनुष्य में स्वामाधिक अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं और सङ्गठित शासन उसके विकास में बाधा डालता है। शासन के प्रादुर्भाव का बास्तविक कारण यह है कि समाज में पुरोहितों, लोकाचार के ठेकेदारों तथा दलपतियों ने, जिनका मानव समाज में सदैव अस्तित्व रहा है, सामाजिक विकास के आरम्भ काल में ही अपना गुट स्थापित कर लिया, मनुष्यों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया तथा अनेकों प्रकार से उन पर अपना प्रभुत्व कायम करने की चेष्टा की।

अराजकतावाद हमें हर प्रकार की सत्ता की अधीनता से मुक्त करना चाहता है, चाहे वह राज्य की प्रजा पर सत्ता हो या पूँजीपति की मज़दूरों

पर या धर्मचार्यों की धार्मिक व्यक्तियों पर सत्ता हो। पूँजीयतियों नथा धार्मिक आचार्यों एवं पुरोहितों को अराजकतावादी योजना में ऐसे ही कोई स्थान प्राप्त नहीं है, जैसे कि शासन-मत्ता को।

अराजकतावाद की ओर प्रगति—

स्वतन्त्र और स्वेच्छापूर्वक स्थापित समूहों के स्वतन्त्र समुदायों की संस्था के आदर्श की प्राप्ति के साथनों के मम्बन्ध में अराजकतावाद कुछ भी प्रकाश नहीं ढालता। प्रिंस कोपॉटकिन ने जो अराजकतावाद का सर्वप्रथम प्रमाणिक लेखर था, इस आदर्श को अव्यावहारिक नहीं माना। इसके विपरीत उसना विचार या कि समाज शनैःशनैः इस आदर्श की ओर अप्रधार हो रहा है। उसने लोगों के शासन-मत्ता के हस्तद्वेष के बिना सहकारी कार्य करने के अनेक उदाहरण दिये हैं, जैसे, विभिन्न देशों की रेलवे कम्पनियों आपस में स्वेच्छा से समझौता करके यात्रियों को पश्चिया के थूर्व से थोरोप के पश्चिम तक बिना किसी बटिनाई के यात्रा करने को मुविधादै देती है। परन्तु उसने 'यह भी बहा है कि इस और विकास वडे थोरेधीरे हो रहा है क्योंकि जिनके हाथों में नत्ता है उनकी ओर से इसमें बाधा ढाली जा सकती है। शासन की ओर से जो बाधाएँ ढालो जाती हैं, वे क्रान्ति के बिना अन्य किसी उपाय से दूर नहीं की जा सकती। निष्ठर्य यह है कि अराजकतावादी समाज की स्थापना की प्रक्रिया में अनितम कदम क्रान्ति होगा जिसमें पूँजीयादी शासन के समस्त अवशेष नष्ट हो जायेंगे।

अराजकतावाद के मार्ग में याधाएँ—

सामाजिक व्यवस्था का अराजकतावादी आदर्श, जिसमें मनुष्य बिना किसी सरकार तथा बिना किसी दबाव के शान्ति एवं मेम के साथ रहेंगे और स्वेच्छा से छिसी भी उपयोगी कार्य में लग सकेंगे, बहुत ही अत्यर्थक है। कुछ व्यक्तियों के अनुसार यह एक आदर्श है, जिसकी प्राप्ति करना उचित है। परन्तु यहुत सं लोग इसे एक अव्यावहारिक आदर्श मानते अस्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह मानव प्रकृति से अत्यधिक आशा करता है। यह ऐसे देवनाश्रों के लिये उचित व्यवस्था मानी जा सकती है जो आधिक प्रशृंखियों से सर्वभा मुक्त हो, परन्तु मनुष्यों के लिये, जिनमें लोम, मोट, इच्छा, बासना आदि का प्राप्त्य है, इस व्यवस्था की उपयुक्ता रुदित है। क्या नेपोलियन, एलेक्जेंडर अख्ता हिटलर के भमान कोइं

असंभव करने का स्वप्न देखते हे ।”^{१०} यह बात उस संघर्ष के सम्बन्ध में भी लागू है जो मित्र-राष्ट्रों तथा धुरो-राष्ट्रों के बीच अभी-अभी हुआ है । सब शेणियों एवं वगों के व्यक्तियों ने इस सुदूर में भाग लिया और उन्होंने अपनी मातृभूमि की राष्ट्रीय शक्ति से रक्षा करने में बड़े से बड़े बलिदान को भी कुछ नहीं समझा । अतीत काल में धार्मिक भावना अपने भक्तों में बलिदान की जैसी भावना को जन्म देती थी, आज के युग में राष्ट्रीयता भी त्याग या बलिदान की ऐसी ही भावना को जन्म देती है । यह आधुनिक मनुष्य के लिये धर्म बन गई है ।

राष्ट्रीयता का विकास—

राष्ट्रीयता एक सर्वथा नवीन भावना है ; यह आधुनिक राष्ट्र-राज्य-प्रणाली का आवश्यक परिणाम है । इसका प्रादुर्भाव राष्ट्र-राष्ट्रों के उदय के साथ हुआ जब फि वह अपने स्व को पहचानने लगी और प्रभुत्व का दाचा करने लगी । प्राचीन राज्यों में सामुदायिक एकता और नागरिक भक्ति भी होती थी परन्तु उनका ‘राष्ट्रीय आधार’ नहीं होता था । पूर्व समय में देश-भक्ति और नागरिक-भक्ति स्थानिक होती थी, उदाहरणार्थ नगर-राज्यों में, अथवा वह योद्धाओं या राजाओं के प्रति अधोनता प्राप्त थी, जैसे पूर्वी साम्राज्यों में ।

इटली में मेकियानेली आधुनिक ढङ्क का सबसे पहला राष्ट्रवादी था जो विभक्त इटली को संयुक्त करके उसे एक ऐसा सुदृढ़ शक्तिशाली राज्य बनाने का स्वप्न देरता था जो फ्रेड्र तथा स्पेनिश लोगों के हमलों से अपनी रक्षा कर सकता । वह अपने नगर-राज्य को इटली के बड़े राज्य में मिला देने के लिये तैयार था । परन्तु सबसे प्रथम राज्य जिसे राष्ट्र-राज्य (Nation State) बनने का गौरव प्राप्त हुआ वह इंग्लैण्ड था, जहाँ व्यूहर राजाओं ने राष्ट्रीय भावना को जगाया था ।

योरोप में नेपोलियन ने सारे महादौषित्र को फ्रेज़ आधिपत्य में लाने का प्रयत्न करके राष्ट्रीय भावना को जगाया । पोलैश्य को जर्मनी, रूस तथा ऑस्ट्रिया ने परस्पर बाँटना भी इस भावना को उत्तेजना दी । इस प्रकार नेपोलियन-युग में योरोप में राष्ट्रीयता का पुण्य विकसित होने लगा और उसका पूर्ण विकास उक्सर्वी तथा बीसर्वी शताब्दियों में हुआ । वासाईं की सन्धि ने वैन्द्रीय योरोप में अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रीय

*Schuman : International Politics, p. 220.

राज्यों की स्थापना करके राष्ट्र-राज्य की भावना पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी।

राष्ट्रीयता की परिभाषा एवं प्रकृति—

राष्ट्रीयता की ऐसी परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है, जिसमें उसके सभी पक्षों का समावेश ही सके। यह कोई इकाई शक्ति नहीं है, जो एक मनव्य से या एक ही दिशा में काम करती हो। यदि व्यूहर राजाश्रोतों ने पोष के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये उनका प्रयोग किया हो इन्हें वी जनता ने राजा के विद्व अपने आधिकारों की स्थापना के लिये उसकी सहायता ली और अपने देश में प्रबलत्वात्मक शासन की प्रतिष्ठा की। यदि एक समय जर्मनी वर्ग इटली ने राष्ट्रीयता की भावना की सहायता से अपने देशों की एकता की प्रतिष्ठा की तो दूसरे समय उसी के आधार पर ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य को छिपाभिन्न कर दिया गया।

१५ अगस्त सन् १९४७ ई० के पूर्व भारत की मौति पराधीन तथा विद्युत नेता के हठने से पूर्व मिथ की मौति अर्द्ध-पराधीन देशों को उड़ाने विदेशी शासन के विद्व राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये विद्रोही राष्ट्रीय आन्दोलन की झगड़ा दिया। अतः राष्ट्रीयता एक ऐसी शक्ति है जिसने कभी तो प्रबलत्व तथा मानव-आधिकारों की प्रतिष्ठा की ओर कभी वडे कानिगारी विद्रोहों की उत्तेजना दी। राष्ट्रीयता ने उपर धारण करके साम्राज्यवाद को पुष्टि भी दी है और वह साम्राज्यों को झगड़ा दिया है। सन् १९१४-१८ तथा सन् १९३६-४५ ई० के मिशन्युद्योगों के महान् राष्ट्रों के बीच प्रनिष्ठानी के परिणामस्थलम् ही हुए। अतः राष्ट्रीयता को यह परिभाषा सर्वथो छ मालूम होती है : राष्ट्रीयता “एक ऐसी शक्ति है जो एक राज्य के भीतर निखुला सत्ता के विद्व मानव-आधिकारों को काल्पन रखने के लिये तथा बाहरी शब्द से उसी स्वतन्त्रता की रक्षा के रूप उपाय को सन्नाड़ित रखती है।” इस परिभाषा में उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की स्थान दना उचित नहीं है क्योंकि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति राष्ट्रीयता का कोई सारभूत वस्त्र नहीं है।

राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति को भली मौति समझने के लिये यह आवश्यक है कि इस उसे एक ऐसे आदर्श के रूप में जिसमें मानवता के लिये एक महान् भूल्पलान् दिलान् वा सामाजिक है तथा इसके साथ-साथ उसे एक मानविक इक्षित तथा आचार-व्यवहार के आदर्श के स्वरूप में भी समझने का प्रयास करें। एक आदर्श के स्वरूप में यह इस तथ्य पर ज्ञात

देतो है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय का अपना व्यक्तित्व होता है और अनुकूल अवस्थाएँ प्राप्त हो जाने पर वह मानव-संस्कृति के लिये एक अनुपम अनुदान दे सकता है। किसी एक राष्ट्र में मानव-विकास के लिये सभी संभावनाएँ नहीं होती। प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय में कुछ विशिष्ट गुण एवं लक्षण होते हैं, जो मानवता के लिये बड़े महत्व के होते हैं। भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रान्स, रूस आदि प्रत्येक राष्ट्र में कुछ अनुपम गुण हैं जिनसे वे मानव-संस्कृति एवं सम्बन्धों को विशिष्ट अनुदान दे सकते हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र को अपने अपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिये अधिकार तथा सुयोग मिलना चाहिये जिससे वह मानव-सम्बन्धों की प्रगति में योगदान दे सके। दूसरे शब्दों में, उसे अपनी न्याय-प्रणाली तथा अपनी संस्थाएँ स्थापित करने और अपने भाग्य का निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। अनुभव से यह सिद्ध है कि यदि प्रजा को अपने मामलों का प्रबन्ध करने के अधिकार से बंचित कर दिया जाय, तो उसके गुण निश्चेष्ट रह जाते हैं और मानवता की प्रगति में उसकी अनुदान करने की शक्ति भी प्रभावहीन हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीयता का तकाज़ा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय के लिये आत्म-निर्णय का सिद्धान्त (Principle of Self determination) लागू होना चाहिये। उसकी यह माँग है कि प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य हो। आधुनिक राष्ट्रीयता का आदि और अन्तिम धोय सर्वध राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थापना रहा है। जो सोग उन् १६१६ ई० में चारोंई में एकत्रित हुए, उन्होंने स्वभाग्य-निर्णय या आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार कर लिया परन्तु उन्होंने एशिया तथा अफ्रीका की पराधीन जातियों के सम्बन्ध में उसे मान्यता नहीं दी।

चूँकि राष्ट्रीयता का प्रयोजन जनता को अपने शासन का रूप निश्चित करने का अधिकार देना है अतः वह एकत्रित राज्य में प्रतिनिधि शासन को स्थापना करने के लिये तकाज़ा करती है। उन्नीसवीं शताब्दी के योरोप में राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र साथ-साथ चले। इसका कारण यह था कि दोनों के लिये जनता में ऐसी मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसमें राज्य के नागरिक अपने तथा स्थानिक हितों का राष्ट्रीय हितों के लिये बलिदान करने के लिये तैयार हों तथा सामान्य राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिये सहयोग करने को सबूद हों। यह राष्ट्रीयता का रचनात्मक रूप है। परन्तु जहाँ राष्ट्रीयता को यह माँग है कि प्रत्येक

राष्ट्रीय समुदाय को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी प्रतिभा के अनुकूल कानून तथा संस्थाओं के विभास करने के अधिकार हों, वहाँ वह क्रान्तिकारी रूप धारण कर लेती है। भारतीय, मिस्ती, चीनी तथा आवलैंड की राष्ट्रीयता इसी प्रकार की थी। भारतीय राष्ट्रीयता की यह मौँग थी कि भारत अंग्रेजी शासन के बन्धन से मुक्त हो। यह विदेशी शासन के प्रति विद्रोह तथा उसके स्थान पर राष्ट्रीय शासन स्थापित करने की आकांक्षा थी। जो देश स्वतन्त्र होता है, उसमें राष्ट्रीयता देश की शक्ति, महानता तथा गौरव वो बढ़ाने और दूसरे देशों के साथ व्यवहार में अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने तथा अपने हितों की रक्षा के दावे की प्रेरणा देती है। राष्ट्रवादी देशभक्त ही जाता है। यह अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का गौरव गान करता है, अपनी जाति की पवित्रता तथा भेदभाव का दावा करता है और राष्ट्रीय विस्तार की बड़ी योजनाएँ तैयार करता है। पूँजीवादियों, उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों के हाथों में राष्ट्रीयता धृष्ट और विस्तारशील हो जाती है और सामाजिकों की नींव ढालती है, जिनसे क्षोटे राष्ट्रों और पिछड़ी हुई जातियों को स्वतन्त्रता नष्ट होती है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग होती है।

आधुनिक युग में राष्ट्रीयता एक आदर्श की अपेक्षा मनोरूचि तथा व्यवहार की प्रणाली के रूप में घटनाचक्र का निर्धारण अधिक करती है। वह कठीनों व्यक्तियों के लिये एक प्रभार का धर्म बन गई है। ‘अतः उसके आचार्यं पैदा हो गये हैं, उसका अपना धर्मशाखा तथा कर्मसुख भी तैयार हो गया है।’ मातृभूमि अथवा पितृभूमि उसके देवता हैं; उसकी स्वतन्त्रता उसका ध्येय है, राष्ट्रीय राज्य और उसकी पतारा उसके पूजा के पात्र हैं और राष्ट्रीय खुलूस तथा पुराने राहीदों के प्रति अदांजलि अपित करना तीर्थयात्रा है। धर्म युद्ध के नाद से जो भावनाएँ पैदा होती हैं वही भावनाएँ इससे भी जाग्रत होती हैं।

मनोरूचि तथा व्यवहार के निर्णायक के रूप में राष्ट्रीयता राष्ट्र-राज्य को सामाजिक तथा राजनीतिक सङ्गठन का सर्वोच्च रूप मानती है। राष्ट्रवादी एक रिश्तिप्रभार का देशभक्त होता है जो समस्त राष्ट्रीय समाज के प्रति भक्तिमाव रखता है और उसके राज्य, राष्ट्रव्यवस्था तथा राष्ट्रगीत जैसे राजनीतिक प्रतीकों के प्रति अपनी भक्ति को अपने दल, चर्च अथवा जाति के प्रति अपनी भक्ति के क्षण स्थान देता है। “एक सभा राष्ट्रवादी अपने देश को प्रत्येक वस्तु से छोड़ा भावना है; वह सब

प्रश्नों का समाधान राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से करता है। उसका अध्ययन सब वातों को लाग़ार राष्ट्रीय नीतियों को अभिवृद्धि करना, राष्ट्र की रक्षा करना और स्थिर रूप से राष्ट्रीय सत्ता की वृद्धि करना है क्योंकि वह समझता है कि जब राष्ट्र अपनी सैनिक सत्ता को खो देता है तो उसका पतन हो जाता है।^{*}

राष्ट्रवादी देशभक्त उन सब वातों का विषय के समान त्याग करेगा जिनसे राष्ट्रीय राज्य की एकता तथा दृढ़ता को ठेस पहुँचती है। उसके लिए राज्य पाप और पुण्य से परे हैं, चाहे सही हो या गलत, उसका देश ही उसका सर्वस्य है; उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना और उससे प्रेम करना ही उसका कर्तव्य है। उसके लिये सब प्रकार का बलिदान और प्रत्येक एवं वीरतापूर्ण है।

राष्ट्रीयता के पक्ष में—

देशमक्ति के पर्याय के रूप में राष्ट्रीयता में बहुत सी अच्छी वार्ता है। यह एक बहुत ही उच्चनकारी एवं आध्यात्मिक अनुभूति है जो व्यक्ति को एक स्वार्थमय वातावरण में से ऊँचा उठा देती है और उसे समाज के व्यापक एवं उच्चतम जीवन में प्रवेश कराती है। देश-प्रेम का उसके लिये वया अर्थ है, इसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती। इस प्रकार व्यक्ति के सर्वथोष्ट गुण प्रकट होते हैं और उसे अपने गुणों की अभिव्यक्ति के लिये ऐसे सुयोग मिलते हैं, जो अन्यथा प्रसुप्त अवस्था में ही पड़े रहेंगे। प्रत्येक देश के इतिहास के पृष्ठ राष्ट्रीयता से अनुप्रेरित वीरतापूर्ण बलिदानों की कथाओं से भरे पड़े हैं। यह उच्चनकारी प्रभाव किसी एक जाति के व्यक्तिगत सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव समूचे समुदाय के जीवन पर भी पड़ता है। समुदाय अपने राष्ट्रीय चरित्र एवं परम्परा की भली भाँति अनुभूति करता है और मानवता के कल्याण के लिये उनका विकास करने के हेतु उसे उत्तेजना मिलती है। देशमक्ति अपने दश के लिये ही देश की स्वतन्त्रता, महानता एवं गरिमा नहीं चाहता वरन् वह इसलिये चाहता है कि वह (देश) मानवता की संस्कृति के लिये बुद्ध मूल्यवान् और थोष्ट अनुदान दे सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीयता राष्ट्रीय संस्कृति की विविधताओं का रक्षण करती है। विविध राष्ट्रीय समुदायों का रक्षण करने से मानवता को लाभ होता है। यदि प्रत्येक समुदाय एक दूसरे की अनुकृति या नक्ल मात्र हो, तो मानव

* Quoted by Schuman : op. cit., p. 225.

जाति अपनी अधिकारीयता को प्राप्त नहीं हो सकती। यह ठीक ही कहा गया है कि सम्यका हितों एवं संसारों की विविधता तथा उनके समीकरण के कारण ही प्रगति करती है। हम उस सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं कर सकते जो ऐसे संसार में भवभेदों के विकास को उत्तेजना देता है 'जिसमें यातायात और सत्त्वेऽत्पादन के कारण शानैः जातियों की समस्त विविधताओं का नाश हो जायगा।'

एक समय ऐसी आशा की जाती थी कि राष्ट्रीयता की अभिवृद्धि से अन्तर्राष्ट्रीय सामर्ज्जस्य एवं सहयोग की अभिवृद्धि होगी। यदि प्रत्येक राष्ट्र अपनी नेतृत्वीय प्रतिभा के अनुचार अपना विकास करे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र इससे राष्ट्र के लिये तुलना की दृष्टि से भूम्यवाद चिह्न होगा; वह एक प्रतिवृद्धि नहीं बनेगा जिससे भय और संदेह उत्पन्न हो। राष्ट्रीय समुदाय के विकास का यह तात्पर्य नहीं है कि विसी दूसरे समुदाय से उसका आवश्यक स्वरूप में सहुर्प हो। किन्तु ऐसा नहीं हुआ है। संसार के विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों के बीच अधिक सामर्ज्जस्य एवं सहयोग की अभिवृद्धि कर मानव जाति के शान्तिमय एवं प्रगतिशील विकास को वृद्धि करने के स्थान में राष्ट्रीयता की मावना का वार्तविक परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय सदर्दा, कदुका एवं सहुर्प रहा है।

राष्ट्रीयता के दोष—

राष्ट्रीयता का तकाजा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय को अपने कार्य करने तथा अपने भाग्य का निर्णय करने का निर्बाध अधिकार हो। उसके हम अधिकार पर कोई वाधा नहीं है और न कोई उसमें हस्तक्षेप ही कर सकता है। किन्तु दुर्भाग्य से समस्त राष्ट्रीय समुदाय उमान स्वरूप से उच्चत एवं उच्चतिशील नहीं है। यह कहा जा सकता है कि दक्षिणी श्रृंखला तथा अर्द्धेरिया की निम्न पिछड़ी हुई जातियों के आध्यात्मिक एवं सास्त्रितिक मूल्यों के रचना वी आवश्यकता नहीं है और ऐसी जातियों आत्मनिर्णय के अधिकार के बोग्य नहीं हैं। इस विचार के अनुसार ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेज़ तथा जर्मन जैसी संसार की उच्चतम जातियों को ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अधिकार है। इब्ल लोग इससे एक यह श्रीर शांते बदल यह दावा भी करते हैं कि ऐसी उच्च एवं प्रगतिशील सभ्य जातियों का यह केवल अधिकार ही नहीं है बरन् कर्तव्य भी है कि वे अपने आधिपत्य का विस्तार करें और संसार की पिछड़ी जातियों

को अपने संरक्षण में लेकर अपनी उच्च सम्भता का उन्हें लाभ पहुँचावें। ऐसा नहीं करना स्वार्थ-पूर्ण कार्य होगा; इससे मानव जाति अपने सदस्यों की दोषता एवं प्रतिभा के लाभों से बंचित रह जायगी। उन्नीसवीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों और अमेरिका में योरोप के राष्ट्रों ने जो अपनिवेशिक साम्राज्यों का विस्तार किया उसके समर्थन में यही सेदान्तिक तर्क दिया जाता है। इसी तर्क के आधार पर हमारे प्राचीन तथा गौरवान्वित देश पर ब्रिटेन ने इतने बर्थों तक राज्य किया। पाश्चात्य सम्भता के लाभों से चीनी जनता को लाभ पहुँचाने के हेतु योरोप तथा अमेरिका के राष्ट्रों ने अप्रगतिशील चीन को उनके लिये अपना द्वार खोल देने के लिये बात्य किया। इस प्रकार राष्ट्रीयता, जिसके अनुसार समस्त राष्ट्रों को एक दूसरे के भिन्न होना चाहिये, शब्द नहीं, धृष्ट, प्रसरणशील तथा आक्रमणशील बन जाती है और साम्राज्यवाद में परिणत हो जाती है। चूँकि प्रत्येक साम्राज्य अपना विस्तार चाहता है और शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिये साम्राज्य-वादी राष्ट्रों में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतिस्पर्द्ध बढ़ती है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना शब्द समझने लगता है; वह उससे भयभीत होने लगता है और उसे जोतने तथा शक्तिहोन बनाने को चेष्टा करता है। स्वार्थमयी तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता इस प्रकार सुद को उत्तेजना देती है और अन्त में राष्ट्र को सैनिकवाद की ओर अग्रसर करती है। वह राष्ट्रों में सङ्कीर्ण मनोवृत्ति हो पैदा नहीं करती वरन् नागरिकों में धर्मरक्ता भी पैदा करती है। उन्हें दूरारे राष्ट्रों में, जिनकी सम्भता एवं संस्कृति उनकी सम्भता से भिन्न होती है, कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती। वे, दूसरी ओर, अपनो राष्ट्रीय संस्कृति का धौनित्य रिद्ध करने और उसके गौरव की प्रतिष्ठा के लिये चेष्टा करते हैं। उसके गुणों की प्रशंसा की जाती है और उसे समस्त संस्कृतियों से धोषितम बताया जाता है। इस प्रमार पार्थक्य तथा असहिष्णुता की भावना का ग्राहुर्भाव होता है जो मानवता के हित में सहयोग को असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य बना देती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता के प्रभाव में स्वदेश-प्रेम का अर्थ दूसरे देशवासियों के प्रति शृणा हो जाता है।

राष्ट्रवादी के लिये इससे अधिक और कोई सत्य नहीं कि उसका राष्ट्र स्वयं अपना शासन करने में स्वतन्त्र होना चाहिये। राष्ट्रीय राज्य की एकता एवं दृढ़ता और उसकी शक्ति तथा गौरव ही उसकी इच्छा और

मिथान के विषय है : यदि कोई राज इन्हें राज है, तो राष्ट्रवादी को इसने उत्तेजित की बिधि में कोई कठिनाई नहीं होगी, किन्तु यदि वह वह राज नहीं है, असलै, यदि उसमें असलमत मनुदाय भी है, तो राष्ट्रवादी पक्षना एवं उत्तरना की प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी को अनेक कठिनादियों का सामना करना होगा । उनमें एकदा निलिपि करने वाला उन पर एक राष्ट्रवादी एवं एक निलिपि को लाने के इष्टन का दृष्टान्त और के दिग्गज होगा । इन प्रकार नायोन 'आनन्दनों' (Mioocities) की समस्या नहीं हो जाती है । राष्ट्रवादी व्यक्तियों की निलिपि एक करने की चेत्ता और राष्ट्रवादी नेतृत्व से प्रेरित आनन्दनों द्वारा उन चेत्तों के विरोध में ही यह समस्या नहीं होती है । राष्ट्रवादी अपने मनुदाय के लिये आमनियन के अधिकार चाहता है; परन्तु मनुदाय के भीतर व्यक्तियों द्वारा नहीं है, ठहरे यह यह आविहार नहीं होता । राज के भीतर व्यक्तियों द्वारा उनमें निलिपि नहीं उत्तर उनके प्रति वह बहा सबग एवं संघर्षक रहता है और उनके अनिन्द्य को राज के लिये दुर्बलता का एह काम होनाता है । वह बिनवा अविकृष्ट उत्तर द्वारा है उत्तर विरोधी भी उत्तर ही अविकृष्ट होता जाता है । इनका परिणाम हीया है उनमें विटोंह दफा अन्वर्त्याय समस्याओं का इच्छा ।

एक राज में आनन्दनों के अनिन्द्य ने व्यक्तियों द्वारा उनमें से अनेक मायामार्ती आनन्दनों के उत्तर (Irredentism) की एक दूसरी समस्या का जन्म होता है । व्यक्तियों एकदा के नाम पर राष्ट्रवादी अपने राज के मध्ये आनन्दनों को निलिपि एह राज बना सेना चाहता है । परन्तु व्यक्तियों राज इस कार्य को विरोधी होकर उन्हें से देखते हैं, सिंघेश्वर उम गमन विवेद इन आनन्दन उत्तरी माया दोनों होते हैं । उब वे दोनों राज द्वारा अपने आनन्दनों पर होनेवाले वास्तविक या कानून अन्यतरां की बातों का प्रचार करते हैं और उन्हें (आनन्दनों को) उन राज के अन्याचार में मुक्त कर द्रवने राज में निया सेने की देशा करते हैं । इन्होंने राष्ट्रवादी उम गमन तक बहुत दैर्घ्य रखे, उब उक्त विवेदनों मायामार्ती द्वेषियों और टारटोन आँगों-हड्डों का ज्ञान के लाग बने रहे । अन्त में वे उन प्रतिशुद्धों को इन्होंने में निलिपि करने से राजत्व हुर । इन प्रकार के आनन्दनों द्वा, बिनवा उत्तर नहीं हुआ हो (Irredencia), राज की वैदेशिक नीति पर बहा प्रभाव पड़ता है । हिटलर का न्यून वर्जन-मार्ती बनता को उन्नें राज के अन्तर्गत कर लेना

एक खेय था। इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रीयता ने दो अत्यन्त जटिल समस्याओं को जन्म दिया है; एक है अल्पजनों की समस्या और दूसरी पड़ोसी राज्यों द्वारा अपने अल्पजनों के उद्धार को इच्छा। प्राचीन काल में विविध जातियों के तथा विविध भाषा-भाषी लोग एक ही राजा के आधीन शांति-पूर्वक रह सकते थे, जैसे रोम साम्राज्य में। न तो राज्य की ओर से उन पर सामान्य भाषा लादने की कोशिश की जानी थी और न वे जातियाँ ही अपनी भाषा आदि के प्रयोग के अपने अधिकार का प्रश्न उठाती थीं। इसके साथ ही किसी राज्य के अपने पड़ोसी राज्य के अस्त्याचार से अपने अल्पजनों के उद्धार का प्रश्न भी नहीं उठता था। राष्ट्रीयता के उदय ने इस प्रकार की व्यवस्था को असम्भव कर दिया है।

राष्ट्रीय अल्पजनों की समस्या का एक दूसरा परिणाम यह है कि कुछ अल्पजन अपनी मृत भाषाओं के पुनर्जीवन का प्रयत्न करने लगते हैं जो मानवीय राम्पर्क के मार्ग में एक बड़ी बाषा सिद्ध होगा।

राष्ट्रीयता के एक दूसरे भविकर दोष की ओर भी ध्यान देना उचित होगा। 'एक राष्ट्र और एक राज्य' के सिद्धान्त के कारण संसार में अनेक छोटे राज्य स्थापित हो जायेंगे जैसा कि केन्द्रीय योरोप में ही तुका है। इन छोटे राज्यों के अस्तित्व के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायम रखने का कार्य और भी कठिन हो जाता है। पड़ोसी महान् राष्ट्रों की उन पर विजय ग्राप्त करने की लालसा होती है। अन्त में, उन्हें किसी न किसी महान् राष्ट्र के आधीन हो जाना पड़ता है। यह बात प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रों किये गये केन्द्रीय योरोप के राज्यों वो अवस्था से स्पष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह बात भी सन्देहात्पद है कि छोटे समुदायों को स्वतन्त्र राष्ट्र बना देने से सदा लाभ ही होता है। वास्तव में छोटे समुदायों के लिये यह बात अधिक लाभप्रद होगी कि वे बड़े समुदायों के साथ एक शासन तथा एक कानून के अन्तर्गत शामिल रहें।

यदि राष्ट्रीयता की भावना को विशुद्ध तथा नैतिक धरातल पर ही रखा जाय तो यह एक मूल्यवान् आदर्श है। यदि किसी प्रकार संसार के विविध राष्ट्रों को यह शान हो जाय कि वे परस्पर सहकारी हैं, प्रतियोगी नहीं, तो गर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीयता की प्राप्ति हो सकेगी। इसके मार्ग में सबसे महान् बाधा है प्रत्येक राज्य का पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रभुत्व (Sovereignty) का दावा। राष्ट्रीयता तथा पूँजीवाद का गठ-बंधन भी, जिसने साम्राज्यवाद को जन्म दिया, एक बड़ी समस्या है। पूँजीवाद के विनाश और उसके

स्थान पर नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से आज की राष्ट्रीयता के अनेक दोषों का निवारण हो जाने की आशा की जा सकती है।

साम्राज्यवाद

साम्राज्यवाद का कार्य—

“साम्राज्यवाद हमारे युग को सबसे अधिक चित्ताकरणक सिद्धि तथा सबसे महान् विश्व-समस्या है।”* संसार के महान् राज्यों ने, मुख्यतः योरोप के बड़े राज्यों ने, योरोप से बाहर संसार के देशों का आपस में विभाजन बर लिया है। यह विभाजन कभी शान्तिपूर्वक किया गया और कभी इसके लिये बड़े भीषण संघात हुए। इस भूतल का आधे से अधिक भाग और विश्व की लगभग आधी जनसंख्या साम्राज्यों के उपनिवेशों, सरक्षित प्रदेशों तथा प्रभाव-क्षेत्रों में निवास करती है।

पर्तमान पुढ़ से पूर्व प्रेट ग्रिटेन का, जिसका क्षेत्रफल ६३,२८४ वर्ग मील है और जनसंख्या ४७,१७५,०००, साम्राज्य १३,१६०,८६० वर्गमील भूमि पर था और उसमें ५१६,३८०,६७० लोग रहते थे। दूसरे शब्दों में ग्रिटिश साम्राज्य स्वयं ग्रिटेन से १४० गुना अधिक विशाल था। प्रत्येक ग्रंथेज की १० अधीपनिवेशिक प्रजाएँ थीं। फ्रेंच साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार में ४,४४४,६१० वर्गमील था और उसकी जनसंख्या १०७,८५३,००० थी। उसका साम्राज्य फ्रान्स से २० गुना बड़ा था। डेनमार्क का क्षेत्रफल १३,२०८ वर्गमील है, परन्तु उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल ८,०२,१६६ वर्गमील और जनसंख्या ७५,१५७,००० थी। पुर्तगाल का साम्राज्य पुर्तगाल के क्षेत्रफल से २३ गुना बड़ा था और बेलिजियम का साम्राज्य बेलिजियम से ८० गुना बड़ा था। चंगुल राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में दौर से प्रवेश किया और उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल ७११,६३६ वर्गमील था। जापान ने भी, जिसे अमेरिका नीतेना के बड़े ने उसके लिये अपना द्वार खुला रखने के लिये बाध्य किया, पारस्पात्य नीति को अपना लिया और उनके (पारस्पात्य देशों के) लाल उड़ी प्रकार का व्यवहार किया। उसने चंगुल राज्य अमेरिका को किलिपाइन द्वीपों में से, अमेरिका की बदाम, मलब प्रायद्वीप तथा प्रशान्त महासागर के बुद्ध द्वीपों में से और टच लोगों को उनके प्रशात महासागर के साम्राज्य में से निकाल भगाया। उसने समस्त चीजें बर अपना प्रभाव स्थापित करके उत्तार की प्रथम कोटि की शक्ति बनने का भी इवलन किया। अमेरिका (दक्षिणी), अप्रूपा तथा एशिया और महासागरों

* Moon : Imperialism and World Politics, p. 1.

के द्वीपों के राष्ट्रों एवं अनुकूल जातियों पर योरोपियन राज्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के राजनीतिक एवं आर्थिक आधिपत्य का नाम ही साम्राज्यवाद है। सन् १८८१ ई० से जिस वर्ष में फ्रान्स ने ट्यूनिस को अपने अधिकार में किया था, वह साम्राज्यवादी विस्तार बहुत ही तीव्र गति से होने तगा और अगले ३० वर्षों में प्रायः समस्त अफ्रीका का योरोपीय शक्तियों ने आपमें विभाजन कर लिया।

आधुनिक साम्राज्यवाद के लघण

साम्राज्यवाद संसार में राष्ट्रीयता की भौति कोई नवीन घटना नहीं है। प्राचीन तथा मध्ययुग में भी शासनों का विशाल भू-भागों पर आविपत्य होता था। अलेक्जेंडर तथा चेष्टा की और रोम-साम्राज्य के अन्तर्गत उस समय के सम्य संसार का एक बहुत बड़ा भाग सम्मिलित था। परन्तु इन साम्राज्यों की तुलना। जब आधुनिक काल के ब्रिटिश साम्राज्य जैसे साम्राज्यों से की जाती है, तो वे नगरण प्रतीत होने लगते हैं। आधुनिक साम्राज्य पहले के साम्राज्यों से केवल इसी बात में भिन्न नहीं है कि वे उनसे अधिक विशाल हैं और दूर-दूर तक फैले हुये हैं; उनमें बड़ा गहरा और मौलिक भेद है। प्राचीन काल के साम्राज्य बीर शासकों या योद्धाओं की व्यक्तिगत प्रेरणा के प्रयास अयथा धार्मिक भावना के परिणाम ये परन्तु आधुनिक साम्राज्य प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों के बोच सत्ता तथा बाजार के लिये प्रतियोगी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसका राष्ट्रीयता और पूँजीगाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है जो दोनों आधुनिक घटनाएँ हैं। इन शक्तियों के बिना साम्राज्य का वर्तमान रूप नहीं हो सकता या। प्राचीन या मध्य-युगीन साम्राज्य अपनी प्रकृति में अद्भुत-व्यनाग्रण (Romantic) थे; आधुनिक साम्राज्य मुख्यतया आधिक हैं। उनमें दूसरा महत्वपूर्ण भेद यह है कि आधुनिक साम्राज्य स्थानीय विकास के लिये एक बड़ी सीमा तक स्वतन्त्रता देता है और प्राचीन साम्राज्य की तरह अपने अधीन प्रदेशों से प्राप्त वरपर निर्भर नहीं रहता। प्रेट ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों (Dominions) को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार दे दिया है और वह उनसे कोइ कर नहीं मँगता। उसने भारत, पाकिस्तान, लङ्का तथा बर्मा को स्वतन्त्रता दे दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी किलिपाइन्स को स्वतन्त्रता दे दी है। सभी आधुनिक साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत देशों में प्रतिनिधि-

शामन का विकास करना अपना खेल घोषित किया है। परन्तु इस दिशा में उत्तरा वार्ष वही धौमी गति से हृद्या दे। यहाँ इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि प्राचीन काल के साम्राज्यों के कोई समराज्यीन प्रतियोगी नहीं थे; परन्तु आजकल अनेक बड़े-बड़े प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्य हैं। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है। यदि एक समय में एक ही साम्राज्य हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों द्वारा विश्व-शान्ति भंग नहीं हो सकती। रोम-साम्राज्य के उत्तरपूर्वकाल में शताब्दियों तक संसार में कोई युद्ध नहीं हुआ। संसार में एक प्रभुत्व की रूपना विश्व शान्ति के लिये आवश्यक है परन्तु संसार में एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी अनेक साम्राज्यों का अस्तित्व विश्व-शान्ति के लिये महान् युतरा है। गल ४० वर्षों में संसार में महान् शक्तिशाली राज्यों की विदेशी नीतियों के संघर्ष के फलस्वरूप पिछली तिसी शताब्दी से अधिक भव्यस्तर संग्राम एवं रक्तपात हुए हैं। आधुनिक साम्राज्यवाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच शुद्धता तथा प्रतिद्वन्द्विता को जन्म देता है। इसके परिणाम आराजकतापूर्ण है और यह संसार की शान्ति एवं सुखवस्थिति प्रगति के लिये धातु है।

आधुनिक साम्राज्यवाद के प्रयोजन—

संसार के महान् राष्ट्रों द्वारा एशिया, अफ्रीका आदि के प्रदेशों का आधिक शोपण तथा राजनीतिक विभाजन, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, अनेक कारणों से किया गया है जिनमें से दो उल्लेखनीय हैं; राष्ट्रीयता और शोगोमिक क्रान्ति (Industrial Revolution)। उत्तर तथा विस्तरशील राष्ट्रीयता इस प्रसार राष्ट्र की साम्राज्यवादी ओर ले जानी है, इसका विजेता जा चुका है। वह तथा शक्तिशाली राष्ट्र पहले दुर्बल राष्ट्र पर अपने राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा के लिये अपनों सुरक्षिति को लाद देता है और वाद में अपने कार्य का गमर्थन यह कह कर बरता है कि उसका उद्देश्य श्रस्त्य जातियों को सम्ब बनाना है। यह कहा जाता है कि अेष्ट राष्ट्र का विश्व के प्रति एक कर्तव्य है। उसे चाहिये कि यह पिछली हुई जातियों पर अपना शामन स्थापित कर उन्हें अपनों उच्च सम्भता के लाभ प्रदान करे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक महान् एजेंट सेहिल रोह्ज ने इस उद्दान्त का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है: “मेरा यह दरवा है कि संसार में हमारी प्रजाति गर्वसं प्रथम है और संसार के जितने भी अधिक भाग में हमारा निवास हो वह उतना ही मानव जाति के हित में होगा।” अँग्रेज लोग भारत

का त्याग इसलिये नहीं करना चाहते थे कि यदि वे भारत से बिदा हो जायेंगे तो भारतीय असम्भव बने रहेंगे और वे अशिक्षा तथा अंध-विश्वास में छूटे रहेंगे। इटली ने भी सशस्त्र बल तथा विपैली गैस के प्रयोग द्वारा अबीगोनिया वो सम्भव बनाने की चेष्टा की थी। जब एक देश को सम्भव बनाने के लिये अनेक देश उत्सुक रहते हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम उनके आपसी संघर्ष में ग्रन्ट होता है।

साम्राज्यवादी विस्तार का इतना ही महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक आवश्यकता। ब्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे अत्यन्त औद्योगिक देश अपने तैयार माल को दूसरे देशों में भेजकर तथा अपनी अतिरिक्त पूँजी को पिछड़े देशों में लगाकर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उनका जीवन स्तर उनकी निर्यात शक्ति पर निर्भर रहता है। इङ्लैंड भारत को अपने माल के विक्रय के लिये सबसे उत्तम बाजार मानता था। इसी उद्देश्य से जापान भी चीन पर अपना अधिकार बनाये रखना चाहता था। जब ब्रिटेन के सूती तथा लोहे के व्यष्टसाम को अमेरिका तथा जर्मनी के औद्योगीकरण द्वारा टेस पहुँचो, तब ब्रिटेन को अपनी आपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करना पड़ा और उसने विस्तार पर कमर बांधी। औद्योगिक देशों में प्रतियोगिता अधिक तीव्र हो गई। प्रत्येक देश अपने तैयार माल के लिये नये बाजारों को खोज करने लगा। वे अपने कारखानों के लिये कच्चा माल भी चाहते थे। इङ्लैंड, मिस्र तथा सूदान पर अपना नियन्त्रण बनाये रखना चाहता था क्योंकि वहाँ की अच्छी रुद्द मेनचेटर की यूनी मिलों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। रुद्द, रबड, कहवा, कोफो, चीनी, चाय, नारियल आदि चीज़ों के कारण अफ्रीका आदि में साम्राज्य स्थापित किये गये। औद्योगिक राष्ट्रों की लोहे तथा कोयले की सर्वव्यापी भूख ने साम्राज्यवादी विकास को बड़ी उत्तेजना दी है। हाल में पेट्रोल का राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। फ्रांस तथा मेसोपोटेमिया के तैल-ज्वेंत्रों ने संसार के साम्राज्यवादी राष्ट्रों का व्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दूसरा आर्थिक तत्व जो राष्ट्रों को साम्राज्यवादी बना देता है वह है अतिरिक्त पूँजी को विदेशों में लगाने की आवश्यकता। एक बेड़र पिछड़े हुए देश को ऊँचे व्याज पर पूँजी उधार देता है। शासन-प्रबन्ध ठोक न होने के कारण वह देश व्याज अदा नहीं कर सकता। इस पर बैंकर अपनी राष्ट्रीय सरकार से अपील करता है और सरकार उस पिछड़े हुये प्रदेश पर

अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थापित कर लेती है। इस प्रकार अखण्ड देश साहूकार-देश के पजे म फैस जाना है। “अतीत में योरोप के साहूकार देशों ने अकाङ्क्षा तथा एशिया के अपने अखण्ड देशों को इष्ट कर लेने की स्पष्ट प्रवृत्ति प्रकट की है।” (मूल) इस आर्थिक तत्व का इतना अधिक महत्व है कि लेनिन ने तो साम्राज्यवाद को पूँजीवाद की ग्रन्तिम अवस्था में पूँजीवाद की वह स्थिति है, जिसमें एकाधिकार तथा राजत्व पूँजी (Finance-Capital, भा आधिकार्य स्थापित हो जाता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय दूसरों द्वारा समाचार रुप बैटवारा आरम्भ हो जाता है और समाचार की अमरुत भूमि भा सबसे महान् पूँजीवादी वशों द्वारा पूर्ण बैटवारा हो जाता है।”

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हमने उपर जिन आर्थिक तत्वों का उत्तेजन किया है अर्थात् अतिरिक्त उत्पादन, कच्चा मौल तथा अतिरिक्त पूँजी, वे साम्राज्यवादी प्रकल्पों के लिये उस समय तक प्रेरक-शक्ति प्रदान नहीं करेंगे जब तक कि उनका सम्बन्ध ‘आर्थिक राष्ट्रीयता’ के मिद्दान से न जोड़ दिया जाए। ‘आर्थिक राष्ट्रीयता’ से प्रयोजन उस मिद्दान से है जो राष्ट्रीय समाज की आर्थिक समझता को वृद्धि करना नथा उनका कायम रखना राष्ट्र का एक प्राथमिक कार्य मानता है। राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिये और ऐसी वैदेशिक नीति प्रहण करनी चाहिये, जो राष्ट्र की आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाए। राज्य की राजनीतिक शक्ति एवं उसका प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति से अनुपात में होती है। कारपाने, निल, तैत्तिक्षेप, ननिज-नमन्ति, रेल आदि राष्ट्रीय समृद्धि और राजनीतिक शक्ति के प्राधार हैं। यतः राष्ट्राच भरमारों रुप व्यवसाय का अभिवृद्धि करनी चाहिये। इन गत वर्षों वा यह स्वामार्थी परिषाम निरलता है कि राष्ट्र अपने तैयार मात्र ने लिये वाजाए ग्राम बरने, विदेशों में लगी अपनी पूँजी की रक्षा करने, व्यवसाय ग्राम बरने, ब्लॉकों के तिरे बोक्सराइ प्राप्त करने तथा दश माज ग्राम बरने आदि की दृष्टि से औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित बरना उचित नमन्ति लगती है।” इस प्रलाप जर पूँजीवाद का आर्थिक राष्ट्रीयता से गठबन्धन हो जाता है, तब उसके साम्राज्यवाद का प्राप्तुभाव ही जाता है। उक्त आर्थिक साधनों पर अधिकार सीधी विजय द्वारा ग्राम निया जा सकता है, जैसे बर्मा, मलय ग्रामद्वीप तथा अर्बासीनिया में हुआ। यह

कार्य अन्य देशों में रियायतें प्राप्त करके तथा ग्रभाव-न्यैप स्थापित करके भी किया जा सकता है जैसे चीन, फारस, टर्की आदि में किया गया है।

साम्राज्यवादी विस्तार के दो प्रयोजन और भी हैं। जर्मनी, इटली तथा जापान जैसे अत्यधिक आवादी वाले देश अपनी अतिरिक्त आवादी को बसाने के लिये उपनिवेशों की मौग करते हैं। एक दीर्घ काल से जापान को इष्ट ऑल्ट्रे लिया पर लग रही है जहाँ लाखों जापानियों को बसाया जा रहा है। इस तर्ह को सेकर साम्राज्यवादियों ने अपनी नीतियों के पक्ष में प्रबल लोर-समर्थन ग्रान्त किया है, यद्यपि वह रपट है कि उन उपनिवेशों में अतिरिक्त आवादों को बसाने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। केमेस्न्स में जर्मन प्रवासियों तथा अधीसीनिया में इटालियन प्रवासियों की संख्या बहुत ही कम रही है, फिर भी साम्राज्यवादी प्रचार में इस तर्क का बड़ा सहारा लिया जाता है।

दूसरा प्रयोजन है सामरिक महत्व के स्थानों को प्राप्ति। जिब्राल्टर, मालटा, अदन आदि का आर्थिक मूल्य नगरण है, परन्तु इनका उामरिक महत्व बहुत है क्योंकि इन स्थानों का रामुद्रिक राजमार्गों पर अधिकार है। ये नाविक ग्रहु हैं और यहाँ जहाज को यात्रा लेते हैं। यदि संरार के विभिन्न भागों में ब्रिटिश नियंत्रण में सामरिक महत्व के स्थान न होते जहाँ उसके जहाज आश्रय तथा कोयला ले सकते, तो ब्रिटिश नौसेना का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। युद्ध-काल में आधेश्वक कच्चे माल के सम्बन्ध में स्वाश्रयिता का तर्क भी साम्राज्यवादी अपनी नीतियों के समर्थन में पेश करते हैं।

उत्पादन करनेवालों, माल को बाहर भेजने तथा अन्दर मँगाने वाले व्यापारियों, बैंकरों, घनपतियों तथा जलवानों के स्वामियों के सेना तथा नौसेना के अधिकारी, राजदूत और औपनिवेशिक अधिकारी वडे मिन होते हैं, जो स्वयं भी अपने हित में साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन करते हैं। साम्राज्यवादी प्रबलों के कारण सेनिकों, राजदूतों तथा अधिकारियों को छन्दो, पट, मिलते हैं; वे धनोपार्जन के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। मिशनरी लोग भी साम्राज्य के एजेंट होते हैं। मिशनरियों की हत्या के कारण अनेक चार पिछड़े हृषे देशों पर हमले हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप वे साम्राज्यवादी देशों द्वारा हड्ड लिये गये हैं। नवीन प्रदेशों को खोज करनेवाले तथा साहिक यात्रियों ने भी दूर-दूर के

प्रदेशों में अपने देश के भएडे गाइकर अपने देश के साम्राज्य का विस्तार किया है।

साम्राज्यवादी साहसिक कार्यों में सहायक साधनों की यह सूची यातापात के साधनों के मूल्य के उल्लेख के बिना अध्यूर्ष रहेगी। थाईनिक काल के विशाल साम्राज्य जलयानों, वायुयानों, केबिल, वेतार आदि के बिना रम्भव नहीं हो सकते थे। पराधीन राष्ट्रों में अपना माल भेजने तथा उनकी रक्षा के लिये सेना आदि भेजने के हेतु जलयानों की बड़ी आवश्यकता होती है। उस प्रदेशों के भीतरी भागों में पहुँचने तथा वहाँ भाल पहुँचाने के लिये रेले आवश्यक होती हैं और उनके साथ सण्क बनाये रखने के लिये तार तथा वेतार आवश्यक होते हैं। आजमल विज्ञान के इन कानिकारी आविष्कारों ने दूरस्थ साम्राज्यों के नियन्त्रण, उनकी व्यवस्था तथा रक्षा के कार्य को उल्ल बना दिया है। आज के साम्राज्य वाहे जिनकी दूरी पर हों, फिर भी इनकी सहायता से उनकी अच्छी व्यवस्था हो उकती है। साम्राज्य उन्हीं देशों के उपर दो सकते हैं जो उचोग तथा शिल्पवला (Technology) में इतने प्रब्रीण हों कि उसकी सहायता से दूरस्थ देशों में भी अपनी सैनिक तथा प्रशासनीय चक्रों का प्रयोग कर सकें।

साम्राज्यवाद का समर्थन—

यह प्रतीत होता है कि एशिया, अफ्रीका तथा यात समुद्रों के द्वीपों वौ दुनिया के साम्राज्यवादी, देशों द्वारा विभाजित रखना इसी भी आधार पर उचित नहीं माना जा सकता। मत्ता याप्त करने के लिये प्रतियोगिता का निक भी समर्थन नहीं किया जा सकता। परन्तु कुछ लेनक ऐसे भी हैं जो साम्राज्यवाद की परिभाषा एक ऐसी प्रणाली के स्पष्ट में करते हैं जो अनेक प्रजातियों को एक शालन के अर्थात् कर देतो है। साम्राज्यवाद के समर्थन में तक भी दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, बर्से ने साम्राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है:—“साम्राज्य एक ऐसा विशाल प्रदेश है जिसमें अनेक ऐसी प्रजातियाँ रहती हैं जो एक घरकार के अधीन हैं और जिनमें कोई एक जाति प्रधान होती है।” उसका वर्णन है कि अनेक जातियों को एक सामान्य क्रान्ती प्रणाली के अधीन रखना बहुत उपयोगी एवं लाभदायक है। इससे वाणिज्य-स्थापार में वाधाएँ कम हो जाती हैं, उनमें परस्पर सम्पर्क बढ़ता है और इससे सामान्यतया जीवन भी थोड़तम बन जाता है। विशाल साम्राज्य की

सदस्यता व्यक्तियों के इष्टिकोण को व्यापक बना देती है, उनका मानसिक तितिज विस्तृत हो जाता है और प्रान्तीयता तथा स्थानिकता भी दूर हो जाती है। यदि जर्मनी, फ्रान्स और इटली एक शासन के अधीन रहें तो उनके बीच व्यापार अवश्य बढ़ जायगा और उनके लोगों का सांस्कृतिक सम्पर्क अधिक होने लगेगा। एक शासन के अधीन जितना व्यापक क्षेत्र होगा, उतना ही नागरिकों के लिये भी अच्छा होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के कारण ही भारत की जनता में ऐसी एकलपता एवं एकता रही जो पहले विभक्त दशा में कदाचि सम्भव नहीं थी। जब उच्च संस्कृति वालों के साथ निम्न संस्कृति के व्यक्तियों का सम्पर्क कायम हो जाता है, तब निम्न संस्कृति वालों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ जाता है। इस प्रकार साम्राज्यवाद सम्यता के विस्तार का एक महान् माध्यम है। यह “श्रेत पुरुष के भार” (White Man's Burden) नामक सिद्धांत का ही अतिरिंजित चित्र है।

साम्राज्यवाद के दोष—

योरोप के बाहर की सर्वथा विभिन्न संस्कृति एवं धर्म वाली जातियों पर योरोपीय राष्ट्रों तथा अमेरिका एवं जापान के बलात्कारपूर्ण आधिपत्य से जो दोष पैदा होते हैं, वे उन लाभों से कहीं अधिक हैं, जो साम्राज्यवाद से पैदा हो सकते हैं। योरोपीय शक्तियों का पिछड़ी जातियों के साथ जो सम्पर्क हुआ है वह उनका सुधार करने के स्थान में विनाश का कारण बना है। अफ्रीका की आदिम जातियों का हास हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को आदिम जातियों का तो सातमा ही हो चुका है। ब्रिटिश शासन ने भारत में चाहे जो कुछ अच्छा किया हो परन्तु हमारी सम्यता एवं संस्कृति पर उसका प्रभाव अत्यन्त विनाशकारी रहा है। हम राष्ट्रीयता से हीन हो गये हैं; हमारी राष्ट्रीय आत्मा कुण्ठित हो गई है और हमारी प्रगति रुक गई है।

साम्राज्यवादी विस्तार की प्रक्रिया विजित जनता के लिये एक अभियाप लिद हुई है। “साम्राज्य का पथ उसके शिकारों के रक्त से लाल हो रहा है।” ब्रिटिश लोगों ने भारत के लिये युद्ध किये और उनमें विजय प्राप्त की। बर्मा, मलय प्रायद्वीप तथा अन्य देशों पर भी अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। उन्होंने चीनियों, अफगानों, तुर्कों तथा अरबों से भी लड़ाइयाँ लड़ी और उनका अपमान किया। इसी प्रकार फ्रान्स ने भी

अपनी सैनिक शक्ति के बल पर साम्राज्य का विस्तार किया। विजित देशों में जो विद्रोह और कानूनी होती है, उनका पशु बल से दमन किया जाता है। पुद्द, विद्रोह, दमन और आत्माचार ही दुर्बल राष्ट्रों के भाग्य में होते हैं। इस अत्याचार एवं दमन की कहणांकता से ही उनके हुँमों का अन्त नहीं हो जाता; साम्राज्यवादी शासन की स्थापना के बाद उनका निर्दयनापूर्व आधिक शोषण मोर्ति किया जाता है। साम्राज्यवाद का मूल्य इम उन देशों की जनता में बड़ी हुई कटूता, रोप तथा विद्रोह की मावना और साम्राज्यवादी अधिकारियों द्वारा उनकी आमा की कुचलने के प्रयास पर ध्यान देकर ही ग्राहि रहते हैं।

अन्त में, साम्राज्यवाद का साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सन् १८५४-५५ ई० के क्रमियन युद्ध तथा सन् १८०४-५५ ई० के सूस-जापानी युद्ध को छोड़ मन् १८१४ ई० से पूर्व साम्राज्यवादी देशों के बीच प्रदेशों की ग्राधिक के लिये सशस्त्र सघर्ष नहीं हुए। उनमें जो विद्याद दूर उनका कूटनीतिक रौति से तथा समझीते द्वारा समाधान कर लिया गया। परन्तु यब ऐसे कोई प्रदेश नहीं बचे हैं जिन पर ये अपना अधिकार जमा सकें, अतः साम्राज्यवाद ये संघर्ष ने बड़ा भवंतर रूप घारण कर लिया है। जब साम्राज्यवादी देशों के भगड़े कूटनीतिक प्रणाली द्वारा नहीं निपट सके तो योरोप एक सशस्त्र शिविर बन गया जिसके परिणामस्वरूप दो विश्वयुद्ध हुए। इन प्रकार साम्राज्यवाद का अर्थ है युद्ध। पहले तो साम्राज्यवादी राष्ट्रों तथा पिछड़े राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है और फिर साम्राज्यवादी देशों में ही आपात में युद्ध टन जाता है। पिछले प्रकार के युद्ध से पिछही राष्ट्रों वी वही हानि होती है और अन्त में उनका सर्वनाश मुनिस्त्रित है।

दूसरी बात यह है कि साम्राज्यवाद से धैर्य विजित राष्ट्रों का ही नहीं वरन् विजेता राष्ट्रों का भी नैतिक पतन होता है। जिस निरंकुश सत्ता का प्रयोग साम्राज्यवादी दश ग्रन्ते अधीन देशों पर करते हैं, उसके कारण उसका प्रयोग करनेवालों का नैतिक पतन हो जाता है। रोम साम्राज्य, जिसने शारम्भ में बड़े बलबान् राष्ट्रों को पराजित किया, अन्त में उत्तर वी ओर से होनेवाले जंगली जातियों के आक्रमणों को नहीं रोक सका यद्योंकि भ्रष्ट शासन-प्रबन्ध तथा गदियों के विलासी वीपन ने उसके नागरिकों का चरित्र बहुत ही दृष्टिशील और निरुत्तम कर दिया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में इन्हीं कारणों से ग्रिटिंग सेनाओं को

अनेक लड़ाक्यों में बड़ी लज्जाजनक रीति से पोछे हटना पड़ा था। कोई भी राष्ट्र अन्ततोगत्वा अपना पतन किये विना दूसरे राष्ट्र को अधिक समय तक अपने आधिपत्य में नहीं रख सकता।

अन्त में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस मान्यता के आधार पर साम्राज्यवाद आधारित है वह उचित नहीं है। इस बात को हम नहीं मान सकते कि साम्राज्यवादी राष्ट्र को सम्मता हर हालत में अधीन राष्ट्र की सम्मता से अधिक होती है। भारत तथा चीम की सम्मता या संस्कृति अथवा उनके निवासियों को निम्न नहीं कहा जा सकता। उनकी संस्कृतियों एवं सम्मताएँ अत्यन्त प्राचीन होने के साथ साथ बड़ी उचित हैं जो पश्चिमी राष्ट्रों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। बिन्दु फिर भी पाश्चात्य देशवासी इन देशों में सम्मता के प्रचारक बनने का दम भरते हैं। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाय कि पश्चिमी सम्मता अधिक है, तो भी जिस ढंग से उसे हम पर लादने की चेष्टा को गई है, उससे उसके गुण बहुत कम हो जाते हैं। अपनी सम्मता को स्वीकार कराने में उन्होंने जिस बल दा प्रयोग किया है, उसके कारण उसकी अधिकता का दावा निर्वल पड़ गया है। जिस रीति से उन्होंने आदर्श की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया है, उसके दोष उसमें आ गये हैं। एक आदर्श तथा आनुनिक राजनीति में एक शक्ति के रूप में साम्राज्यवाद अत्यन्त नियम है।

अन्तर्राष्ट्रीयता

अन्तर्राष्ट्रीयता का अर्थ —

संक्षिप्त तथा उपर राष्ट्रीयता में जो नैयरिंग दोष हैं और साम्राज्यवाद के मुख्य लक्षण सुनिकूद के कारण संसार में जो घोर अराजकता पैली है उनके दारण अनेक अच्छे व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर आकृपित हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता का विचार इतना सुनिश्चित एवं स्पष्ट नहीं है जैसा कि राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद का है। उसकी यह कहकर व्याख्या करना उचित प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीयता विचार तथा कार्य की एक ऐसी पद्धति है जो संसार के राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सहयोग एवं मित्रता की अभिवृद्धि चाहती है। आज के युग के व्यक्ति ही इसकी आवश्यकता का अनुमत नहीं करते, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भी लोगों ने इसकी आवश्यकता का अनुमत दिया था। राष्ट्रों के बीच शान्ति एवं मित्रता की इच्छा ने यदैव से लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया है। मूलानों लोग तो अपने देश की सीमा तक ही सीमित रहे किन्तु

मध्य-युग में लोग सार्वभौम साम्राज्य के विचार से परिचित थे। दौड़ते ने विश्व-सम्प्राट् तथा विश्व-कानून गहित एक विश्व-राज्य की वृत्तना को भी।

मध्य-युग में सार्वभौम साम्राज्य की भावना ने अनेक सम्प्राटों की नीतियों पर बड़ा हुरा प्रभाव डाला। किन्तु मध्य-युगोंने विचार को हम अन्तर्राष्ट्रीयता का नाम नहीं दे सकते। उसे हम विश्ववन्युत्त्व का सिद्धान्त (Cosmopolitanism) कह सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता के लिये राष्ट्रों का अस्तित्व परस्पर आवश्यक है, जो आधुनिक काल वाले निराम है। यह इन राष्ट्रों में परस्पर मैत्री स्थापित करना चाहती है। विश्ववन्युत्त्व उस युग का आदर्श भी जब कि कि राष्ट्र-राज्य का ग्रान्तुर्भाव भी नहीं हुआ था; यत्मान युग में उसकी माँग है कि राष्ट्रों की सीमाओं का अन्त कर दिया जाय और राष्ट्रीयता के बन्धनों को भी तोड़ दिया जाय। जहाँ तक साम्यवाद संसार के मज़हूरों के सम्बन्ध में राष्ट्रीयता के भेदों की स्वीकार नहीं करता वह विश्ववन्युत्त्व का प्रोप्रक है किन्तु अपने हारिसों में अन्तर्राष्ट्रीय नहीं है। आज के नरनारियों के हृदयों में राष्ट्रीयता की भावना ने ऐसा स्थान बना लिया है कि विश्ववन्युत्त्व के आदर्श की अव्यावहारिक मानसर हम उपेता कर सकते हैं। किसी भी विश्व-च्यवस्था की सफलता के लिये वह आवश्यक है कि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का भी समुचित ध्यान रखा जाय। अन्तर्राष्ट्रीयता का विचार इस आवश्यकता की पूर्ति करता है।

दिस किसी बात से राज्यों के बीच में मैत्री तथा शान्तिमय सम्बन्धों की अभिवृद्धि हो, वह अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर प्रगति में गहायता करती है। ग्रोटियस के समय से अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्च का, कूटनीतिक सम्बन्धों एवं अव्यावहारों का तथा मानसिक अपना पैंचों द्वारा राष्ट्रों के पारस्परिक विचारों का शान्तिपूर्वक निर्णय बरने की पद्धति का विभागी तथा विविध प्रयोजनों से अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, इन शब्द वातों से अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना अपना 'अन्तर्राष्ट्रीय मन' के विकास में यह योग मिला है। हमारा उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय विधान के विकास का पूरा विवरण प्रस्तुत करने वा नहीं है; ग्रोटियस, पुफेन्डॉर्फ, हुल्फ, वाटेल, वेरेट तथा अन्य प्रसिद्ध विधान-विशेषज्ञों ने इस दिशा में जो योगदान दिया है उसके सम्बन्ध में हमें उल्लेख नहीं करना है। हेग-गमेलन और उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधान के निर्माण के लिये जो प्रयत्न किये गये तथा अन्तर्राष्ट्रीय पञ्चायतीं

द्वारा। विवादों के निर्णय के लिये तथा अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा और अपनी शिकायतों को दूर करने के निमित्त सुदूर को रोमने के लिये योरोपियन राजनीतिज्ञों ने जो प्रयत्न किये उन पर भी यहाँ विचार नहीं किया जायगा।

हमें केवल यही उल्लेख करना है कि राष्ट्रों में अपने विवादों के निर्णय के लिये शस्त्र-ग्रहण करने की अपेक्षा विवेक तथा न्याय के आधार पर उनका शान्तिपूर्वक निर्णय करने की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से बढ़ती जा रही थी। राज्यों के पारस्परिक व्यवहार के क्षेत्र में कानून का राज स्थापित करने में कुछ सफलता मिल रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार कुछ प्रगति कर रहा था। यह सत्य है कि इस दिशा में प्रगति धीमी रही; परन्तु जो इस कार्य में संलग्न हैं, उन्हें उत्साह प्रदान करने के लिये वह पर्याप्त थी। बिन्तु सन् १९१४-१९१० के महायुद्ध ने इस प्रवृत्ति को एक घातक धक्का पहुंचाया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी राष्ट्र ने यह दृढ़ सङ्गठन कर लिया है कि वह अपने उद्देश्यों का प्राप्ति के लिये शस्त्र-ग्रहण करेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत की शक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय समझौते या निश्चय उसे रोकने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

प्रथम विश्व-युद्ध में जो भयंकर नर-संहार हुआ उसके कारण संसार के राजनीतिज्ञों को एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि करे और यदि युद्ध का अन्त नहीं कर सके तो कम से कम उसे कठिन अवश्य बना दे। इस उद्देश्य से सन् १९१६ में राष्ट्र-संघ (League of Nations) की स्थापना की गई। उसका धोषित लक्ष्य “युद्ध न करने के दायित्व की स्वीकृति, समस्त राष्ट्रों में खुले, न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना, संसार के राज्यों की सरकारों के आन्तरार-व्यवहार के नियमन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधान के समझौतों की स्थापना तथा राष्ट्रों के बीच जो परस्पर संधियों हों उनके समुचित आदर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को प्राप्ति” था। यद्यपि राष्ट्रसंघ को अपने सदस्यों के सहयोग से अफीम के व्यापार का नियन्त्रण, नीरसियों तथा बालकों की रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विधान का संग्रह, शरणार्थियों की सहायता आदि सामाजिक तथा मानवतावादी अराजनैतिक कार्यों में एक सीमा तक सफलता मिली, तथापि वह राजनैतिक समस्याओं का समाधान करने में सर्वथा असमर्प

रहा। पहुँच को रोक नहीं सका। राष्ट्रोपन की चट्ठान पर राष्ट्रोप तंत्र चूर्णनूर हो गया।

राष्ट्र-संघ वो दमनीय अस्तरलता और उन् १६१६ ई० में दिलोय निश्च-दुद के धारम्भ ने विचारशील व्यक्तियों के हृदयों में किर उपल-पुष्ट पैदा कर दो और विश्व की एकता के लिये निर से चेष्टा की जाने लगी। युद्ध विद्यानों वा विचार है कि प्रभुत्व-चमत्र राष्ट्रों की अनियन्त्रित स्वर्द्धा से उत्पन्न अवश्यकता से बचार को बचाने का एक भाव मार्ग एक विश्व-संघ (Federal Union) की स्थापना है जिसमें संघार के समूल देश या कम से कम प्रभुत्व प्रज्ञानशीय राष्ट्र सम्भिलित हों। उनका विचार है कि मानव जाति को उस समय तक शान्ति नहीं मिलेगी जब तक कि विश्व-स्वामी धर्मावार पर राजनीतिक एकत्र स्थापित नहीं हो जाती। राजनीतिक एकता के बाद आर्थिक एकता वो स्थापना हो सकेगी और आर्थिक एकता हमारे दोनों से गुरुंशो तथा युद्ध का अन्त वर सरेगी।

जब तक रुकुक राज्य अमेरिका और योरोप के साम्भालवादी राष्ट्र-आफीना, एशिया तथा इन्य भागों में अपने साङ्गान्यों को कायन रखे हुए हैं, तभी तक रुकुक वे समस्त राज्यों का विश्वसंघ एक आपाप्य आदर्श ही रहेगा। ऐसी बोई द्वारा नदी को वा सहती कि ये साम्भाल-वादी राष्ट्र स्वयं अपने साङ्गान्यों का परित्याग कर देंगे और विश्व-संघ की समरक्ष इकाईयां बन जाएंगे, जो रुकुक के लिये परम धावशक है। दहरे स्थानी और युद्ध विश्वसंघ का अर्थ है ऐसी राज्य-इडाइयों का अस्तित्व, जिनको न्यायपूर्त तथा विवेक्यूण विद्यालय पर आधारित स्थायी एवं अस्तिवर्तीय सीमाएँ हो। परन्तु यह यत्व द्याज के राष्ट्र-राज्यों द्वारा पूरी नहीं हो सकती। प्रभुत्व के एक द्वंद्य का भी परित्याग करने के लिये राज्यों की अनिच्छा भी विश्व-संघ वो स्थापना में एक बड़ी बाधा है। यत शानान्दी ने योरोप में तंप की स्थापना के लिये जो योजनाएँ प्रस्तुत की गईं उनकी अनुचक्षता ने समझ कर दिया है कि यह कार्य वित्तना कठिन है। ट्रेट लिंगिन "यूनियन नाड़" (Union Now) नामक युक्तक की १० लाख में ५६,००० ग्रतियों के बिक जाने से यह बात भी रुक्ष है कि संसार के तोम इस जनतराष्ट्रीय धरानक्षता का अन्त करने के लिये कितने इच्छुक हैं।

अब तक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समत्याओं के समाधान के पुराने तरोड़ों का परित्याग कर इन नूतन विश्व-स्वयंस्था वो हाटि से

विश्व-राजनीति पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों

यदुप्रेरित होकर नये तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मानवता को उन कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती जिसके कारण वह आज दुःखी है। पिछले कुछ वर्षों में नये विचारों तथा जीवन के नए मूल्यों पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिये कई योजनाएँ हमारे सामने आई हैं। ऐसियम तथा साम्यवाद ऐसी ही योजनाएँ हैं। गांधीवाद भी इन तीसरी योजना समझ सकते हैं। प्रथम योजना इटलो तथा जर्मनी में (दूनरे नाम से) कार्यान्वित हुई। उसने देश की आन्तरिक प्रगति में बहुत कुछ काम किया परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञेत्र में स्थिति को सुधारने की जगह उसने संसार को द्वितीय विश्व-युद्ध में झोंक दिया जिसके भोपण परिणामों से हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। साम्यवाद ने भी एक नई सभ्यता के बन्म को आशा दिलाई थी। वह वास्तव में भिन्न विचारों एवं आदर्शों पर आधारित एक नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है परन्तु वह भी संसार को राष्ट्रीय समुदायों की स्वार्थमय प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप भय, संघर्ष तथा तनातनी के बातावरण से मुक्त नहीं कर सका है। इस भी सत्ता-प्राप्ति के फेर में पड़ गया है और उसके तथा ऐंग्लो-अमेरिकन गुट के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उससे विश्वशान्ति रहने में पड़ रही है। प्रन्तर्राष्ट्रीय संघों के कारण विकल्प और युद्ध से जर्जर एवं घस्त इस संसार को अहिंसा तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक चरखे के आधार पर संगठित नवीन समाज का आदर्श ही, जिसकी महान्मा गांधी ने कल्पना की थी, आशा की भलाक दिखा सकता है। यदि सत्य तथा अद्वितीय के पुजारी महात्मा गांधी के स्वागमय जीवन का एक धर्मान्वय सुवर्क के हाथों अन्त न हो जाता तो संसार को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भगवाँ को मेरम एवं उदारता के लिदान्त के आधार पर सफलतापूर्वक निपटाने के अनेक प्रयोग देखने को मिलते रिन्तु परमेश्वर को इच्छा कुछ और ही थी। उनके अपूर्ण कार्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है।

चुने हुए पाठ्य ग्रन्थ

<u>Appadurai,</u>	The Substance of Politics.
<u>Asirvatham,</u>	Political Theory.
<u>Barker,</u>	Political Thought in England from Spencer to the Present Day.
<u>Burns,</u>	Political Ideals
<u>Coker,</u>	Recent Political Thought
<u>Cole,</u>	A Guide to Modern Politics.
"	Social Theory.
<u>Garner,</u>	Political Science and Government.
<u>Gettell,</u>	Introduction to Political Science
<u>Gilchrist,</u>	Principles of Political Science.
<u>Ilyas Ahmad,</u>	The First Principles of Politics.
<u>Joad,</u>	Modern Political Theory.
<u>Kraenenberg,</u>	Political Theory.
<u>Laski,</u>	Introduction to Politics
"	A Grammar of Politics.
"	State in Theory and Practice.
<u>Leacock,</u>	Elements of Political Science.
<u>Lord,</u>	Principles of Politics
<u>Russell,</u>	Roads to Freedom
<u>Wassermann,</u>	Modern Political Philosophers.
<u>Wilde,</u>	Ethical Basis of the State.
<u>Wilson,</u>	Elements of Modern Politics.
<u>Willoughby,</u>	The nature of the State.